सप्तम माला, खण्ड 22, अंक 11, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1981/16 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

(खण्ड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण
सोमवार, 7 दिसम्बर, 1981/16 अग्रहायण, 1903 (शक)
का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 47, पंक्ति 11 में "स्थापनादेश" के स्थान पर "स्थानादेश" पढ़िए ।

पृष्ठ 99, पंक्ति 12 के बाद प्रश्न 2391 के शीर्षक "दिल्ली में कारखान चैकरों के वेतन" के स्थान पर "गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस मिन्टो रोड, नई दिल्ली में कारखान चैकरों का वेतन" पढ़िए ।

पृष्ठ 134, पंक्ति 19 में "मूल" के स्थान पर "पूल" पढ़िए ।

पृष्ठ 139, पंक्ति 16 में "विकाग" के स्थान पर "विकास" पढ़िए ।

विषय सूची

अंक 11, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1981/16 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—18
तारांकित प्रश्न संख्या : 207, 209, 210, 212, 215 और 217	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—221
तारांकित प्रश्न संख्या : 203, 204, 211, 213, 214, 216 और 218 से 224	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2310, 2311, 2313 से 2326, 2328 से 2364, 2366 से 2422, 2424, 2426 से 2429, 2431 से 2449, 2451 से 2468, 2470 से 2493 और 2495 से 2541	28—221
अतारांकित प्रश्न संख्या 4003 दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	222
स्थगन प्रस्ताव	222—226
कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों का घायल हो जाना	222—226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	227—230
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	230—246
धनबाद कोयला खान क्षेत्र में हिंसा और गुण्डागर्दी की घटना	230
श्री बापूसाहिब परुलेकर	230
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	231
श्री हन्नान मोल्लाह	241
श्री सुधीर गिरि	244

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगरपालिका द्वारा लगाये गये सम्पत्ति कर की दरों को समान बनाने के बारे में याचिका	246
डा० कर्णसिंह	
रेलवे के वित्तीय मामलों के बारे में वक्तव्य	246—253
श्री केदार पांडे	
नियम 377 के अधीन मामले	254—258
(एक) दिवाली और अन्य त्यौहारों के अवसर पर आतिशबाजियों के प्रयोग पर प्रतिबंध ।	254
श्री भीकूराम जैन	
(दो) (उड़ीसा) के कोयला क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रम	254
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(तीन) कर्नाटक के रेशम-बुनकरों की समस्याएं	255
श्री टी० आर० शमन्ना	
(चार) उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन का निर्माण	256
श्री के० पी० सिंह देव	
(पांच) सूती/रेशमी धागे के मूल्य बढ़ने के कारण हथकरघा उद्योगों में संकट	257
श्री अशफाक हुसैन	
(छः) नयी दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में कर्मचारियों के क्वार्टरों का गिराना	257
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	
(सात) जौनपुर के निकट बरसेठी रेलवे स्टेशन के फाटक के पास रेलवे द्वारा पैदा की गई बाधाएं ।	258
डा० ए० यू० आजमी	

विषय	पृष्ठ
चलचित्र (संशोधन) बिधेयक	259—274
(राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में)	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री राम प्यारे पनिका	259
श्री बी० डी० सिंह	260
श्री गिरधारी लाल व्यास	263
श्री बापूसाहिब परुलेकर	266
श्री नवल किशोर शर्मा	269
श्री विजय कुमार यादव	271
श्री चित्त बसु	272
श्री बसन्त साठे	274
4 दिसंबर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा	275—328
श्री अटल विहारी वाजपेयी	275
श्री एच० के० एल० भगत	280
श्री सज्जन कुमार	282
श्री मनीराम बागड़ी	285
श्री जगदीश टाईटलर	287
श्री सोमनाथ चटर्जी	289
श्री नवल किशोर शर्मा	292
श्री रशीद मसूद	295
श्री भीकूराम जैन	297
प्रो० मधु दंडवते	302
श्री संतोष मोहन देव	307
श्री रामावतार शास्त्री	310
श्रीमती कृष्णा साही	312
श्री चन्द्रजीत यादव	315
श्री धर्मदास शास्त्री	318

विषय	पृष्ठ
श्री ए० के० राय	319
श्रीमती शीला कौल	323
श्री बी० डी० सिंह	324
श्री जैल सिंह	326
आधे घंटे की चर्चा के बारे में घोषणा	298
सदस्य की रिहाई	298
(श्री फूलचन्द वर्मा)	298
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	320
(श्री राजीव गांधी)	321

लोक-सभा

सोमवार 7 दिसम्बर, 1981/16 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, चार मिनट बीत गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसके खाते में लिखूं यह पांच मिनट ?

एक माननीय सदस्य : शासक दल के ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : अपोजीशन की तरफ तो देखिए, क्या हालत है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं । कोई दिखाई नहीं दे रहा है ।

श्री भीष्मनारायण सिंह : पूरे 10 भी नहीं होंगे ।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : ऊपर से भी खाली हैं, नीचे से भी खाली हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं पहले प्रश्न के संदर्भ में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए पौने ग्यारह बजे से यहां बैठा हूं । अब चूंकि प्रश्न लिया ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात नहीं है । मैम्बर इस तरीके से गैर हाजिर रहें यह अच्छी बात नहीं है । यह तो उसी तरह से है जैसे सबने यही समझा कि सबने तो घड़े डालने ही है और मैंने पानी का डाल दिया तो क्या फर्क है और सभी पानी का डालते चले गए । यह नहीं सोचा जाना चाहिये कि बाकी सारे तो चले ही जाएंगे मेरे गैर हाजिर होने से क्या बिगड़ता है ।

एक माननीय सदस्य : अप उन लोगों को बता रहे हैं जो यहां आए हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं । मैं इसे अच्छा नहीं समझता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 203, सर्व श्री चन्द्रशेखर मूर्ति और गहलोत दोनों उपस्थित नहीं हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न नहीं लिया जा सका। आप चाहें तो आप भी घूम-फिर आओ। प्रश्न संख्या 204 श्री डागा भी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 207, डा० आजमी। डा० आजमी उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बड़े शहरों में भीड़-भाड़

† **डा० ए० यू० आजमी** :

*207. **श्री रामविलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री नगरों में जनसंख्या में वृद्धि के बारे में 31 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े शहरों में भीड़-भाड़ कम करने, शहरों के मध्यवर्ती क्षेत्रों से विभिन्न कार्यकलापों को दूर ले जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : नगर विकास राज्य का विषय है। बड़े शहरों के केन्द्रीय क्षेत्रों से औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को अन्य विकसित केन्द्रों में विकेन्द्रीयकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प में महानगर राज्यों का पालिका सीमाओं और पांच लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के बढ़ाए गए नगरीय क्षेत्रों के भीतर नए औद्योगिक एककों की स्थापना करना निषेध है।

छठी योजना प्रलेखों में यह विचार किया गया है कि छोटे, मध्यम और मध्यवर्ती शहरों में औद्योगिक, और अन्य वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक स्थापनाओं को स्थापित करने के लिए सार्थक प्रलोभन दिया जाएगा जिसमें इन कस्बों में उत्पादकता गतिविधियों के लिए कर (टैक्स) प्रलोभन भी शामिल है।

कुछ राज्य सरकारों ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों के भीतर या निकट चुनिन्दा कस्बों का विकास आरम्भ कर दिया है या विचार कर रहे हैं।

बड़े बड़े शहरों में प्रवसन की दर कम करने और आवश्यक नगरीय अध-संरचना की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होने के उद्देश्य से, महानगर एवं बड़े शहरों में प्रवसन की दर कम करने के लिए देश के छोटे और बड़े दर्जे के 231 कस्बों का एकीकृत विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना आरम्भ की गई है।

छठी योजना अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास की एक पृथक योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा जवाब दिया है। सर्दी काफी लग रही है आपको, ऐसा मालूम होता है।

डा० ए० यू० आजमी : मंत्री महोदय ने पाजिटिव इंड्यूसमैंट्स आदि का जिक्र किया है और सैटेलाइट टाउंज की बात कही है। लेकिन कोई डिटेल्ज नहीं दी है। इसको जरा वह इलस्ट्रेट कर दें तो अच्छा होगा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : जैसा मेरे साथी ने बताया है कई स्टेप गवर्नमैंट ने लिए हैं बड़े शहरों में जो आबादी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए। इंडिस्ट्रियल पालिसी का उन्होंने जिक्र किया है। उसके तहत कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्रीज बड़े शहरों की म्यूनिसिपल लिमिट्स में न लग कर बाहर लगें। उसके लिए कई इंसेंटिव देने की बात कही गई है।

जिसका आवास और निर्माण मंत्रालय से सीधे सम्बन्ध है वह यह है कि छठी योजना में हम लोग दो सौ छोटे शहर जिनकी आबादी एक लाख से कम है, उनको सिलैक्ट करेंगे, चुनेंगे क्योंकि यह देखने को मिलता है कि मैट्रोपोलिटन सिटिज में लोग इसलिए आते हैं कि वहां एमेंनेटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, नौकरी मिलने की ज्यादा गुंजाइश है और इस वास्ते उनकी तरफ आकर्षण ज्यादा होता है और इस वजह से छोटे शहर जो हैं वे डिटीरियोरेट हो रहे हैं। और ये छोटे शहर विकसित हम कर दें तो बड़े शहरों का जो आकर्षण है वह कम होगा और बड़े शहरों पर आबादी का दबाव कम होगा। इसके लिए 200 शहर चुने जायेंगे छठी पंचवर्षीय जोजना में। जैसा उत्तर में बताया गया है कि छठी योजना में जो शहर चुने जायेंगे वह स्टेट सैक्टर में यह सारा विषय आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगी और अगर हमारे मापदंड के अनुरूप होगा तो स्वीकार करेंगे जिसमें 40 लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी, 40 लाख रु० स्टेट गवर्नमेंट देगी और 20 लाखरु० लोकल इंस्टीट्यूशन्स लगायेंगी और इस प्रकार छोटे शहर को डेवल। करेंगे। क्योंकि सरकार चिन्तित है कि बड़े शहरों में आबादी बहुत बढ़ रही है, और उसके आंकड़े अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं।

डा० ए० यू० आजमी : दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि रेट आफ माइग्रेशन को कम करने के लिए रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए आपने अपने जवाब में कुछ स्कीम्स का जिक्र किया है उसकी भी डिटेल आपने नहीं दी। वह भी मेहरवानी करके बता दें?

बड़े-बड़े शहरों में प्रवसन की दर कम करने और आवश्यक नगरीय अध-संरचना की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होने के उद्देश्य से, महानगर एवं बड़े शहरों में प्रवसन की दर कम करने के लिए देश के छोटे और बड़े दर्जे के 231 कस्बों का एकीकृत विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना आरम्भ की गई है। परन्तु उत्तर में उन्होंने योजना का ब्यौरा नहीं दिया है।

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैंने जो अभी बताया वह डिटेल ही हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना कर भेजेंगी, जिसमें सड़कें बनाई जायेंगी, छोटे हाउसेज की भी योजना होगी स्कूल होंगे। यह सब फेसिलिटीज जब प्रोवाइड करायेंगे तो जो बड़े शहरों की तरफ आने का लोगों को आकर्षण है वह कम हो जायेगा। तो यही सब इनफ्रा-स्ट्रक्चर में आयेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट

बना कर भेजेंगी तब हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकता 147 ऐसी योजनायें छठी योजना में जो कवर होंगी उन्हें स्वीकृत कर चुके हैं।

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी से भीड़भाड़ को कम करने तथा विभिन्न गतिविधियों को इसके आस-पास फैलाने के लिए, क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, जो दिल्ली के चारों ओर 200 मील की परिधि में होगा, प्रस्ताव पर कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया है। यदि हां, तो क्या निर्माण और आवास मंत्री ने विभिन्न मुख्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक बुलाई है ? मैंने मंत्री महोदय को सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी आमन्त्रित किया जाए ताकि मध्य प्रदेश और ग्वालियर भी इस योजना में सक्रिय भाग ले सकें। इस संदर्भ में, मेरे सुझाव पर निर्माण और आवास मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है ? अन्त में, जनता पार्टी के शासन काल में दो राजधानियों की योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया था और यह भी कहा गया था कि इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हो चुकी है। क्या यह सच है या नहीं ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्ताव को लागू करने पर पुनः विचार किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये थोड़ी सी धनराशि 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रस्ताव को लागू करने के बारे में पुनः सोचा है। क्योंकि यह एक ऐसा कदम है जिससे हमें दिल्ली जैसे महानगर पर आबादी के बढ़ते हुए दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। कठिनाई यह है कि तीन राज्यों को हमारे सुझाव से सहमत होना है। मैंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। अब तक मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। माननीय सदस्य ने मुझे ग्वालियर को सम्मिलित करने के बारे में लिखा था। यह उनका सुझाव है। मैंने मुख्य मंत्री को लिखा है। मैं इस बारे में राज्य सरकार के विचारों को जानना चाहता था। जनता पार्टी ने तो काफी वायदे किए थे तथा मुझे जनता पार्टी के दो राजधानियों के विचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं जनता पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परन्तु जनता पार्टी ने बहुत बातें की थीं।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के चार प्रमुख नगरों में निर्धन लोगों के लिए निम्न आय वर्ग के मकान बनाए जाएंगे। यह केन्द्रीय सरकार के इस विचार के विपरीत है कि नगरों की ओर पहले ही काफी लोग जा रहे हैं और इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को नगरों में और अधिक आवसीय इकाइयां बनाने की योजना को लागू न करने के बारे में कोई निर्देश दिए हैं ? इसका एक नुकसान तो यह है कि इनके आवंटिती इन मकानों को लेने के बाद इन्हें अन्य लोगों को किराए पर उठा देते हैं। इस प्रकार नगरों में लोगों का आगमन वस्तुतः बन्द नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना के बारे में कुछ नया सोचा जा रहा है ?

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आवास राज्य का विषय है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार उनके प्रयासों में सहयोग देती है। यदि माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष किसी क्षेत्र विशेष के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे तभी मैं उन्हें उत्तर दे सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : डा० आजमी को दिए गए मूल उत्तर की व्याख्या से यह निहितार्थ निकलता है कि बड़े नगरों में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार बड़े नगरों की पार्श्वभूमि का विकास करना चाहती है। यदि इस उत्तर का यह अर्थ निकलता है तो क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बड़े शहर विशेष के बारे में पूछ सकता हूं ? उदाहरण के लिए बम्बई नगर को लीजिए आप इस बात से सहमत होंगे कि वहां बहुत भीड़-भाड़ है। जहाँ तक बम्बई जैसे बड़े शहर का संबंध है, इसके आस-पास का इलाका क्षेत्र पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र है। क्या सरकार पश्चिमी तट के कोंकण क्षेत्र के विकास का कार्य हाल में लेगी ताकि बम्बई की भीड़-भाड़ कम की जा सके तथा अल्युमीनियम परियोजना जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना तथा पश्चिमी तट कोंकण रेलवे परियोजना को पूरा किया जायेगा जिससे न केवल कोंकड़ के पिछड़े हुए क्षेत्र को सहायता मिलेगी परन्तु गोवा और कर्नाटक के क्षेत्रों को भी सहायता मिलेगी और केरल तथा तमिलनाडु के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पश्चिमी तट कोंकण रेलवे परियोजना के कार्य को, जो कि आरम्भ हो चुका है, जल्दी पूरा कराने का कष्ट करेंगे ? माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम जनता पार्टी वाले केवल बातें ही करते रहे। हमने वास्तव में परियोजना पर अमल किया था। प्रथम चरण पहले ही पूरा हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा के लोगों ने मांग की है, क्या रेलवे परियोजना का कार्य आरम्भ किया जाएगा और क्या अल्युमीनियम परियोजना भी पूरी की जाएगी जिससे कि कोंकण क्षेत्र के विकास के द्वारा बम्बई नगर की भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।

श्री भीष्मनारायण सिंह : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सरकार से जवाब चाहता हूं। ये प्रश्न सरकार के नीति संबंधी निर्णयों से उठे हैं। परन्तु सरकार ने इन निर्णयों को विचाराधीन रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन्हें लागू करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एक टालू उत्तर भी उत्तर हो सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी इन्होंने कहा है कि जनता पार्टी वाले केवल बातें करते थे। उन्होंने बात भी नहीं की। लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैं केवल संगत बात करूंगा।

बिहार के धनबाद जिले में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम

*209. **श्री ए० के० राय : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम सामान्य तौर पर सारे देश में तथा विशेषकर बिहार के धनबाद जिले में पिछले वर्ष से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) वर्ष 1981 में इस कार्यक्रम के लिये बिहार को सामान्य रूप से तथा बिहार के धनबाद जिले को विशेष रूप से कितने खाद्यान्न की सप्लाई की गई ;

(ग) क्या भयंकर सूखा को ध्यान में रखते हुए 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को इस वर्ष पुनः शुरू किया जायगा ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) अक्तूबर, 1980 से 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का स्थान 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' ने ले लिया है। इस समय यही कार्यक्रम है जो कि वास्तव में ही बिहार के धनबाद जिले सहित सम्पूर्ण देश में चल रहा है।

चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए बिहार को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अश के रूप में 1210 लाख रुपये की नकद निधियां दी गई हैं। राज्य को शेष दो तिमाहियों के लिए इसी के बराबर धनराशि दिए जाने की सम्भावना है। उन्हें 20,000 मीटरी टन खाद्यान्न भी बंटित किए गए थे। इनमें से धनबाद जिले को दिए गए आबंटन निम्नलिखित हैं :—

नकद निधियां	खाद्यान्न
65,88 लाख रुपए	300 मीटरी टन

श्री ए० के० राय : मंत्री महोदय ने मुझे भागों में उत्तर नहीं दिया है परन्तु एक मुश्त उत्तर दिया है जैसे खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है। मुझे पता लगा था कि वर्तमान सरकार पिछले वर्ष बिहार में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बन्द करने जा रही थी और इस संबंध में 28 जून के 'दी स्टेट्समेन' में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर एक प्रश्न भी पूछा गया था। आपने सभा में हस्तक्षेप करते हुए पूछा था "आप ऐसे समाचार पत्र को उद्धृत क्यों करते हैं जो प्रामाणिक नहीं है ?" और माननीय मंत्री महोदय ने समाचार पत्र में प्रकाशित बात से इन्कार कर दिया था। परन्तु बाद में 28 जुलाई, 1980 के मेरे प्रश्न, जिसका उत्तर दिसम्बर में दिया गया था के उत्तर में यह कहा गया था कि बिहार को मई से अक्तूबर तक खाद्यान्न की सप्लाई नहीं की गई। इसका अर्थ हुआ 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम रोक दिया गया। अब यह कहा जाता है कि 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को नया नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' दिया गया है और तीन महीनों के लिए धनबाद को केवल 300 मीट्रिक टन खाद्यान्न की सप्लाई की गई जिसका अर्थ केवल लग-भग 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा जबकि वास्तव में काम कम से कम 1000 लोगों को काम की आवश्यकता है। मुझे आपके ध्यान में यह बात लानी है कि सम्पूर्ण दक्षिण बिहार में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई हुई है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्य मंत्री ने भी शिकायत की है कि खाद्यान्न की सप्लाई में वृद्धि की जानी चाहिए। अतः क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या बिहार के लिये, जो कि

उत्तर में बाढ़ से और दक्षिण में सूखे से पीड़ित है, इस थोड़े से आबंटन में वृद्धि की जाएगी ?

श्री बालेश्वर राम : माननीय सदस्य मामले को गड़बड़ा रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की सप्लाई विभिन्न खाद्य विभागों द्वारा की जाती है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया है, के अन्तर्गत खाद्यान्न 50 : 50 के आधार पर सप्लाई किया जाता है। अतः मेरी सूचना के अनुसार इस वर्ष भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने बिहार को 20,000 मीट्रिक टन साद्यान्न सप्लाई किया था जिसमें से 300 मीट्रिक टन धनबाद जिले को सप्लाई किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूर को एक किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है। यह स्थिति है।

मैं सार्वजानिक वितरण प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूं। वह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

जहां तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध है, यह एक राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम है।

राज्य सरकार को खाद्यान्न और धन भी दिया जाता है।

श्री ए० के० राय : 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत गरीब लोगों को 3 किलोग्राम गेहूं और 1 रुपया मिला करता था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें केवल एक किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये मिलते है। इसका मतलब हुआ 5 रुपये से कम। यह राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए आश्वासन दी हुई न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।

ये दोनों योजनाएं, दोनों कार्यक्रम एक समान नहीं हैं।

'काम के लिए अनाज कार्यक्रम' को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार' कार्यक्रम में बदलना गरीबों के हित में नहीं है। यह उनके लिए हानिकर है।

इसलिए, मैं वह कारण जानना चाहता हूं जिनकी वजह से आपको 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' में बदलना पड़ा और यह कि क्या आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज के आबंटन या पारिश्रमिक को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जा रहे अनाज एवं धन की मात्रा के या न्यूनतम मजदूरी के बराबर तक बढ़ा सकते हैं, जितनी कि गांवों में कृषि मजदूरों को मिलती है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को पिछले वर्ष 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' नाम दिया गया है और यह केवल इसलिए कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम से दूसरा नाम हमें अच्छा

लगा । इस कार्यक्रम को हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का एक अंग बना दिया गया है । जैसा कि मेरे साथी ने पहले ही बता दिया है कि इस कार्यक्रम में वहां पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह केवल केन्द्र से थोड़ी-सी मदद है । सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 1979-80 में एक विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था, परन्तु वह सूखा की विशिष्ट स्थितियों के अन्तर्गत था । बाद में इसे बन्द कर दिया गया । अब यह सभी राज्यों के लिए समान आधार पर एक सामान्य कार्यक्रम है । जैसा कि श्री बालेश्वर राम द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि यह एक किलोग्राम अनाज मजदूर को दी जाने वाली मजूरी का एक अंश है और शेष नकद दिया जाता है । जिसके भुगतान में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का भी हिस्सा रहता है । विभिन्न जिलों में किसी क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ब्लाक वार या ग्राम वार, जहां पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनायी जा सकती हैं या लोगों को काम की अधिक जरूरत है, काम उपलब्ध कराना और अनाज आदि का वितरण करना राज्य अधिकारियों का काम है इसलिए सरकार इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती है कि 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' न्यूनतम मजदूरी पर आधारित होना चाहिए । यह तो एक सहायता के रूप में हम लोगों को दे रहे हैं और अपने लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में समुदाय को रुचि लेनी है । अतः शेष धनराशि राज्य सरकार या अन्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा जुटाई जा सकती है ।

श्री ए० के० राय : जब वे काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बदल रहे हैं तो उसके लाभ भी कम से कम काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बराबर होने चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : पहले हमने यह महसूस किया कि खाद्यान्न के वितरण के मामले में राज्य से राज्य में देश भर में एकरूपता नहीं है । कुछ राज्य 5 किलोग्राम, कुछ अन्य 4 किलोग्राम की दर से तथा कुछ अन्य केवल तीन किलोग्राम की दर से अनाज दे रहे हैं । तब हमने निर्णय लिया कि अधिकतम सहायता तीन किलो ग्राम अनाज के बराबर उपलब्ध कराई जानी चाहिए । उसमें से एक किलोग्राम अनाज होगा और दो किलोग्राम अनाज के बराबर नकद दिया जाएगा और वह भी दो भागों में होगा, एक सामग्री की खरीद के लिए और दूसरा मजदूरी के लिए । कार्यक्रम चल रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या···

श्री ए० के० राय : गरीबों को लाभ मिलना चाहिए ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें गरीबों को लाभ है । अब हम पूरे देश में प्रतिदिन लगभग दस लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं । पूरे वर्ष प्रतिदिन एक लाख लोगों को रोजगार देना कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है । निश्चय ही इसके कुछ लाभ हैं ।

श्री रामसिंह यादव : राजस्थान में पिछले चार वर्षों से लगातार भयंकर सूखा पड़ रहा है और माननीय मंत्री ने वह जगह भी देखी है । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिमी राजस्थान में अभी तक अकाल राहत कार्य आरम्भ नहीं किया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार

की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की मात्रा उपब्ध नहीं कराई है । क्या माननीय मंत्री अब यह आश्वासन देंगे कि राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अनाज की अपेक्षित मात्रा दी जाएगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राजस्थान के लिए भी निर्धारित मानदंड और सूत्र के अनुसार खाद्यान्न दिया जाएगा । राजस्थान पीछे नहीं छूटेगा ।

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्रीजी ने कहा है कि "काम के बदले अनाज" योजना के बदले "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" चालू की गई है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के द्वारा काफी अनाज विभिन्न राज्यों को मोहैया किया गया है । यह प्रश्न बिहार के सम्बन्ध में पूछा गया है, मैं इस प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में कहूंगा कि विशेषकर बिहार का जो छोटा नागपुर का इलाका है उसमें रांची और पलामू जिले की जो स्थिति है वह भयकर है और गया की जो स्थिति है आज लाखों आदमी वहां से भागे हुए हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भूख के चलते जो गरीब आदमी वहाँ से भाग रहे हैं, क्या केन्द्रीय सरकार अपने माध्यम से बिहार सरकार को जोर दे कर कहेगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तैहत जो भगदड़ मची हुई है उस पर अंकुश लगाये और वहां पर लोगों को रोजगार मुहिया करे ।

श्री बालेश्वर राम : बिहार सरकार के पास फूड-ग्रेन्ज अवेलेबिल है । आप भी बिहार सरकार को कहें कि जिन जिलों में ज्यादा जरूरत है वहां काम शुरू करें और जो उनके पास है पहले उसको खत्म कर लें, जो पैसा उनको दिया गया है उसको खर्च कर लें, उसके बाद आगे फिर 50-50 बेसिज पर मांगेंगे तो देने को तैयार हैं ।

चीनी संबंधी नीति

*210. † **श्री चित्त बसु** :
श्री अमर राय प्रधान :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए चीनी संबंधी नीति अन्तिम रूप से तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) चीनी वर्ष 1981-82 के लिए तैयार की गई चीनी नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) चीनी पर आंशिक नियन्त्रण और दोहरी मूल्य प्रणाली का जारी रखना और लेवी से मुक्त बिक्री की चीनी का अनुपात 65 : 35 बनाए रखना ;

(2) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर और अक्तूबर, 1980 में उच्चस्तरीय समिति द्वारा अभिस्तवित लागत-अनुसूचियों तथा अन्य पैरामीटरों का प्रयोग करके 1980-81 के 16 भौगोलिक जोनों के लिए 1981-82 मौसम हेतु लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित करना;

(3) कमजोर यूनिटों के लिए अधिक निकासी लेवी मूल्य के लाभ को जारी रखना;

(4) उद्योग से 5 रुपये प्रति क्विंटल चीनी की दर से विकास उपकर इकट्ठा करना ताकि मुख्य रूप से रुग्ण यूनिटों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकास निधि बनाई जा सके;

(5) लेवी चीनी का खुदरा उपभोक्ता मूल्य 15 नवम्बर, 1981 से 3.50 रु० से बढ़ाकर 3.65 रुपये प्रति किलो कर देना;

(6) सिद्धान्त रूप में, चीनी का बफर स्टाक बनाने का निर्णय करना; और

(7) चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई जल्दी शुरू करने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देना।

श्री चित्त बसु : मेरा विचार है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि गन्ने के सम्बन्ध में मूल्य नीति सरकार की चीनी नीति का एक अभिन्न अंग है या इसे अभिन्न अंग होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, आप इस उत्तर में यह पायेंगे कि सरकार की चीनी नीति के निर्माण में गन्ने की मूल्य नीति के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मेरा प्रश्न यह है : इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि मूल्य आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य गन्ने के उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन देंगे कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वह गन्ने के मूल्य में वृद्धि करेंगे, जिसके लिए गन्ना उत्पादक गन्ना उगाने वाले विभिन्न राज्यों के विभिन्न भागों में लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं?

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा कि पिछले वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था हम राज्यों को पहले ही सलाह दे रहे हैं कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य दिये जायें और आप जानते हैं कि पिछले चीनी मौसम के दौरान काफी ऊंचे मूल्य दिए गये थे। हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी किसानों को पर्याप्त मूल्य मिले। फैक्ट्री से प्राप्त होने वाली लेवी चीनी का मूल्य निश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने गन्ने का मूल्य 13 रुपये निर्धारित किया है और इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों को कितना भुगतान करती हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, चीनी नीति में, लेवी चीनी और मुक्त बिक्री की चीनी के बीच अनुपात पिछले वर्षों के समान ही रहा है। परन्तु, हम सब का अनुभव है कि पिछले कुछ महीनों

से खुले बाजार में चीनी की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए, क्या सरकार लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत हो सके तथा हमारे देश के उपभोक्ता को भी सरकार के मूल्य पर चीनी की आपूर्ति का आश्वासन मिल सके?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य, जब यह कहते हैं कि पिछले कई महीनों से चीनी की कीमत बढ़ रही है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वास्तव में यह कम हो रही है। सम्भवतः, माननीय सदस्य बाजार से चीनी नहीं ले रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे नहीं पता।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा इसलिए है कि आपको खुले बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति पर्याप्त है। यह शायद कोई मामला है। (व्यवधान) महोदय, फैक्ट्रियों को अनुमत्य मुक्त-बिक्री की चीनी और लेवी चीनी के बीच का अनुपात गहन संगणनाओं पर आधारित है और हम फैक्ट्रियों को अपने 35 प्रतिशत कोटे को बाजार में मुक्त-बिक्री के माध्यम से पर्याप्त धन बसूल करने का अवसर दे सकते हैं ताकि वे किसानों को अच्छे मूल्य देने की स्थिति में रहें। 65 प्रतिशत भाग लेवी चीनी के रूप में ले लिया जाता है और यदि इसे बढ़ा दिया गया तो खुले बाजार में चीनी का मूल्य निश्चय ही बढ़ जाएगा। इसी-लिए, हम समझते हैं कि इस समय इस अनुपात में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, चीनी की नीति सदैव ही दोषपूर्ण रही है और आज भी यह मेरे देखने में आ रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब गन्ना कम पैदा होता है, तो गन्ने के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और चीनी मंहगी हो जाती है और जब गन्ने के दाम पढ़ते हैं तो किसान अधिक गन्ना पैदा करता है। दूसरे साल अधिक पैदावार होने की वजह से उसकी कीमत कम कर दी जाती है, इसका परिणाम यह होता है तीसरे साल गन्ना कम पैदा होता है और चीनी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह तीन साल का रुटिन है कि कभी गन्ना कम पैदा होता है और कभी ज्यादा पैदा होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप तीन साल या पांच साल के लिए कोई निश्चित नीति निर्धारित करेंगे जिससे कि गन्ने की कीमत ठीक रह सके और चीनी के दाम भी ठीक रह सकें?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी निगाह में इस वक्त यह नीति बेहतरीन है। अगर माननीय सदस्य को यह दोषपूर्ण नजर आती है, तो वह बहुत अच्छी नीति के बारे में मुझे लिखकर भेद दें, इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और मैं उनको धन्यवाद भी करूंगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, शुगर पॉलिसी के बारे में मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताया गया है कि लेवी शुगर का दाम 3·50 रुपये से 3·65 रुपये कर दिया गया है। किसानों से लिए जाने वाले गन्ने की कीमत 13 रुपये क्विंटल होगी। लेवी शुगर के लिए तो 15 पैसे की प्राइस में वृद्धि हुई है, तो क्या कॉरेसपॉन्डिंग आपने गन्ने की कीमत बढ़ाई है? दूसरे यह कि लेवी शुगर के लिए तो आपने गन्ने की कीमत तय कर दी और जो 35 प्रतिशत शुगर

मिल द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्या प्राइस होने वाली है?

राव बीरेन्द्र सिंह : लेवी चीनी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही है, का मूल्य बढ़ाने का कारण केवल गन्ने का मूल्य ही नहीं है। गन्ने से चीनी बनाने पर आने वाली लागत भी बढ़ गई है। इसे भी ध्यान में रखा गया है। इन कारणों से फैक्ट्री लेवी मूल्य पिछले वर्ष के 284.56 की तुलना में 289.56 निर्धारित किया गया है। थोड़ा-बहुत शुल्क भी बढ़ गया है। लेवी चीनी पर शुल्क पिछले वर्ष 37.75 था और इस वर्ष यह 38.41 है। इसके अतिरिक्त 5.00 रुपये प्रति क्विंटल विकास उपकर है जो रुग्ण मिलों की सहायता के लिए एक कोष बनाने के लिए लेना होता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, मैं समझ नहीं सका। क्या माननीय मंत्री के कहने का अर्थ यह है कि लेवी चीनी के लिए वे भिन्न प्रकार का गन्ना एकत्र करते हैं? यदि हां, तो इसमें भेद कैसे किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें जवाब देने की कोई बात नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : इसमें यह गड़बड़ होती है कि लेवी शुगर के नाम पर किसानों से कम दामों पर गन्ना खरीद लिया जाता है और किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप मेरे पास आइए, मैं इसको समझा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधूरे पड़े निर्माण कार्य

*212. श्री केयूर भूषण : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनेक निर्माण-कार्य बीच में ही अधूरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके अधूरे पड़े रहने के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केयूर भूषण : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो कार्य है, उसके कारण कई काम रुके हुए हैं।

मेरे प्रश्नों का उत्तर देते समय उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 23-9-81 के नवभारत टाइम्स में यह निकला है कि डी०डी०ए०के कारण अनेक कार्य ठप्प पड़े हैं। उसमें 8 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अभी भी ठप्प पड़े हुए हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पहला है मसूदपुर में पशु चिकित्सालय इसलिए नहीं बन सका क्योंकि पैसा लेने के बावजूद डी० डी० ए० ने चिकित्सालय की भूमि हस्तांतरित नहीं की। दूसरा, पटपड़गंज औद्योगिक विकास क्षेत्र का काम इसलिए लटका पड़ा है क्योंकि डी० डी० ए० ने पूरा भुगतान लेने के बाद भी वह भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित नहीं की है। इसी तरह से पोला क्लिनिक खोले जाने थे लेकिन वे इसलिए नहीं स्थापित किये जा सके क्योंकि डी०डी०ए० ने जमीन नहीं दी। इस तरह के 8 महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इसमें दिया गया है, जो ठप्प पड़े हुए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कार्य क्यों रुके पड़े हैं और क्या डी० डी० ए० इसके लिए कोई कदम उठाएगा कि वे शीघ्र पूरे हों ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी होता अगर वे प्रश्न में ही ये बातें पूछ लेते, जिनका उन्होंने अभी उल्लेख किया है। इससे हमें उत्तर देने में आसानी होती। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह एक जनरल नेचर का है। अगर माननीय सदस्य इन बातों की जानकारी हासिल करना चाहें, तो फिर से प्रश्न कर लें, हम उनको इस बारे में सूचना दे देंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय की नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नए फ्लैट बनाने की कोई योजना है। हो, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री भीष्मनारायण सिंह : महोदय, जहां तक मुझे मालूम है इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 213—सदस्य महोदय अनुपस्थित हैं।

जब मैं यह देखता हूं कि बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं तो मुझे बहुत दुःख होता है। हम बार-बार सदस्यों से उपस्थित रहने के लिए निवेदन करते हैं, परन्तु वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल—अनुपस्थित।

श्री मनफूल चौधरी—अनुपस्थित।

—मैं सोचता हूं कि मुझे भी इसके विरोध में सदन से बाहर चला जाना चाहिए।

श्री रासबिहारी बहेरा—मुझे खुशी है कि आप उपस्थित हैं। अगला प्रश्न संख्या 215

छठी योजना के दौरान उड़ीसा की मत्स्य पालन उद्योग के लिए धन का आबंटन

*215. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा की मत्स्य पालन उद्योग हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा में राज्य की योजना में मात्स्यिकी विकास का परिव्यय 10 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, जब कभी केन्द्रीय क्षेत्र और प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी दी जाती है तो उनके लिए धनराशि का नियतन किया जाता है।

(ख) 1980-81 के दौरान राज्य का योजनागत व्यय 192.79 लाख रुपये और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय 21.6 लाख रुपये था। वर्ष 1981-82 के लिए 190 लाख रुपये के परिव्यय का बजट प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 22 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

श्री रास बिहारी बहेरा : अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात है कि उड़ीसा का बहुत लम्बा समुद्र का किनारा है। इसकी बहुत सी नदियों तथा अप्राकृतिक झीलों व तालाबों की वजह से यह देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मछली पकड़ने का स्थान बन गया है।

अतः महोदय इस राज्य से समुद्री मछलियां तथा गहन चिलका झील से पकड़ी गयी मछलियां तथा ताजे पानी की मछलियां कलकत्ता जैसे नगरों को भेजी जाती हैं चिलका झील में जिसमें ताजा तथा खारा दोनों प्रकार का पानी प्रवाहित होता है, बहुत अधिक मछलियां पाई जाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में मछली उद्योग के विकास के लिए कोई योजना बनायी है। यदि हां तो मैं उसकी विस्तृत जानकारी चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, उड़ीसा में बहुत सी योजनायें चल रही हैं। प्रस्तावों की जाँच की जा रही है। पराद्वीप, गोपालपुर, रुसिकुल्या, होन्सुआ तथा नागौर से सम्बन्धित परियोजनायें हैं। केन्द्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग विकास कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयन किये गये सात जिलों के अन्दर लगभग 16,000 हेक्टेयर जलाशयों तथा तालाबों वाले जल क्षेत्रों का विकास करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा में मत्स्य उद्योग का विकास मत्स्य कृषक विकास एजेन्सी के माध्यम से भी किया जाता है। यदि राज्य सरकार कोई विशेष योजना बताना चाहती हैं तो उसके लिए वे केन्द्र के साथ सम्पर्क कर सकते हैं और उस पर विचार किया जा सकता है। मत्स्य उद्योग विकास के सम्बन्ध में उड़ीसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि उड़ीसा में मछली उद्योग के विकास की बहुत अधिक क्षमता है।

श्री रास बिहारी बहेरा : कृपया, 1980-81 के दौरान अन्तर्देशीय जल स्रोतों से कुल मछली उत्पादन तथा समुद्र से कुल मछली उत्पादन पृथक-पृथक बतलायें। कृपया, पकड़ी गई मछलियों की कीमत भी बता दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसा अनुमान है कि 1980 में समुद्र से 38,700 टन मछलियां पकड़ गयी तथा अन्तर्देशीय स्रोतों से 32,530 टन।

श्री जेवियर अराकल : क्या मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी इसमें क्या रुचि है ? यह केवल उड़ीसा के बारे में है।

श्री जेवियर अराकल : मछली उद्योग के विषय में मेरी रुचि है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। शान्ति व्यवस्था बनाये रखिये। यह केवल उड़ीसा के बारे में है।

श्री जेवियर अराकल : मैं गम्भीर आपत्ति उठाता हूं। यह छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में है।

राव बीरेन्द्र सिंह : केवल उड़ीसा की ; सब राज्यों की नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह देंगे कि मेरे पास सूचना नहीं है। यह विशेष रूप से उड़ीसा के बारे में है। अगला प्रश्न

डा० कृपा सिन्धु भोई : सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में, उड़ीसा में मत्स्य उद्योग के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। मैं मंत्री को बधाई देता हूं। जनता सरकार के शासनकाल में मत्स्य उद्योग के विकास को बहुत अधिक धक्का लगा। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग विकास की योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत सम्मिलित किए गये सभी जलाशयों पर विचार करेंगी ? मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन नियत किया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश के अन्दर जल के विशाल क्षेत्रों तथा समुद्र तट के किनारे रोके गये पानी के क्षेत्रों को इस उद्देश्य के लिए विकसित करने पर विचार कर रहे हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : जलाशयों के बारे में क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, जलाशयों को भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अच्छी बात है कि सरकार उड़ीसा में मत्स्य उद्योग का विकास करने में बहुत अधिक रुचि ले रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिम बंगाल में भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, पश्चिम बंगाल से भी। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों और कैसे महसूस हुई ? क्या इससे इस समाचार की पुष्टि होती है कि केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? क्योंकि मैं समझता हूं कि वही एक ऐसी मुख्य एजेन्सी है जिसका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। क्या आप उस एजेन्सी को बन्द कर रहे हैं या आप पूरे केन्द्रीय मत्स्य निगम को समाप्त कर रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य निगम को समाप्त करने का निर्णय पिछली जनता सरकार द्वारा लिया गया था और हमने इस मामले पर विचार किया है। हमने इसे पुनः चालू करना चाहा था। परन्तु फिर हमने सोचा था कि यह तो लगभग एक मृतप्राय संगठन है तथा इसको समाप्त कर देना ही अच्छा होगा तथा यदि आवश्यकता होगी तो हम इसी कार्य के लिए दूसरे संगठन की स्थापना करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक संगठन को बन्द करके दूसरे संगठन की स्थापना···?

श्री जेवियर अराकल : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वर्ष मछली उत्पादन बहुत कम रहा है मछली के मूल्य में भी 32% वृद्धि हो गयी है। बहुत सी एजेंसियां उचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं तथा सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न एजेन्सियों के बीच क्या समन्वय हैं। प्रश्न संख्या 211 के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि मत्स्य स्रोतों का सर्वेक्षण पिछले अक्टूबर से शुरू किया जा चुका है। इसका देश में मत्स्य उद्योग के विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचारा कर रही है ? यह केवल उड़ीसा से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि पूरे देश से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रणजीत सिंह

मुहाना नदी पर बांध की योजना

*217. **श्री रणजीत सिंह :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुहाना नदी पर बांध का निर्माण करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त योजना बिहार सरकार द्वारा 1952 में प्रस्तुत की गई थी जिसकी इस बीच जांच कर ली गई है और सर्वेक्षण करा लिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बांध के निर्माण से लगभग पांच लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं, चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों को तैयार करने, वित्त-पोषित और क्रियान्वित करने का काम राज्यों द्वारा किया जाता है। तथापि, वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों की संवीक्षा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है और उन्हें राज्यों की विकास योजनाओं में शामिल करने के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

(ख) बिहार सरकार ने 27.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली मोहाना जलाशय स्कीम पर नवम्बर, 1975 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थी। इस पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को 1976 और 1977 में भेजी गई थीं। दिसम्बर, 1980 में विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया था कि टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक अशोधित स्कीम प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 1975 में प्रस्तुत की गई स्कीम में 39,000 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई थी।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री रणजीत सिंह : मुहाने नदी पर बांध की योजना बिहार सरकार ने जल आयोग को 1975 में दी थी। अब यह कहा गया है कि यह स्टेट सबजैक्ट है। बिहार में अकाल पड़ा है। सिंचाई योजनायें जिस तरह से चल रही हैं, इसको सब जानते हैं। दस और बीस-बीस साल स्कीमें बनाने में लगा दिए जाते हैं और जब बन जाती हैं तो उसको सैक्शन नहीं किया जाता है। यह कहा गया है कि टिप्पणियां करके इसको विहार सरकार को लौटा दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जल आयोग ने कौन-कौन सी टिप्पणियां की हैं और कब तक इसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस योजना पर 1976 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विचार किया गया था यह उनके पास 1975 में आयी थी। इसके बाद भी कई बार चर्चा की गयी 1 दिसम्बर 1980 में राज्य प्रधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर केन्द्रीय जल आयोग के साथ से बात-चीत की गयी तथा राज्य सरकार ने कहा कि जून, 1981 तक केन्द्रीय जल आयोग को एक संशोधन योजना भेज दी जायेगी। परन्तु अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को राज्य सरकार से यह संशोधन योजना प्राप्त नहीं हुई।

यदि माननीय सदस्य केन्द्रीय जल आयोग की आपत्तियां या टिप्पणियां जानना चाहते हैं तो, यदि आप मुझे अनुमति दें तो, मैं उनकी सूचनार्थ उन्हें पढ़ देता हूं। टिप्पणियां ये थीं :

(एक) जल की उपलब्धता पर्याप्त आंकड़ों तथा विश्लेषण के स्वीकृत तरीकों के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(दो) डिजाइन फ्लड की संगणना तथा अन्य अध्ययनों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(तीन) 50 वर्ष तक रेत जमने के बाद संशोधित क्षेत्र क्षमता कितनी होगी—इसका ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

(चार) जलाशय कार्य सारणी संशोधित की जानी चाहिए।

(पांच) सिंचाई के अधीन लाये जाने वाले क्षेत्रों के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

(छः) कमान्ड क्षेत्र के मृदा सर्वेक्षण का ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिसके आधार पर उपज की किस्म, भूमि विकास की सम्भावनायें तथा जल निकास मार्गों सम्बन्धी आवश्यकताओं को तय किया जाना है।

(सात) जल की आवश्यकताओं की संगणना युक्ति संगत आधार पर की जानी चाहिए।

(आठ) फाउन्डेशन की उपयुक्तता की पुष्टि करने वाली अन्तिम भूगर्भीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(नौ) बांध के लिए निर्माण सामग्री किन क्षेत्रों से उधार ली जा सकती है। इसकी जांच की जानी चाहिए तथा उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(दस) लाभ-लागत अनुपात तथा वित्तीय स्थिति विवरण योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। यही विभिन्न टिप्पणियां थीं।

श्री रणजीत सिंह : मुहाने नदी पर बांध अगर बन जाता है तो बाराचट्टी, मोहनपुर, बजीरगंज आदि इलाकों को इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना का इन सब इलाकों के लिए बहुत महत्व है। इस वास्ते इस योजना की महत्ता को देखते हुए क्या मंत्री महोदय बिहार सरकार शीघ्र ही इस योजना को मंगाएंगे और इंजीनियर्ज की मीटिंग करवा कर इसको शीघ्र स्वीकृति प्रदान करवाएंगे और इस पर काम शुरू हो, इसकी व्यवस्था करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक मुझे ज्ञान है, यह योजना केवल गया जिले तक ही सीमित थी और योजना का कमान्ड क्षेत्र खरीफ के लिए 30,000 हैक्टेअर तथा रबी के लिए 9,000 हैक्टेअर के लगभग था। परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम बिहार सरकार को दोबारा लिखेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : 1975 में यह योजना वाटर कमिशन को सबमिट हुई थी। इसी साल अगस्त महीने में तीन-तीन प्रश्न मैंने पूछे थे जिनके उत्तर में यह कहा गया था कि इसी साल यानी 1981 में हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि अब इसको स्टेट सबजैक्ट बता दिया गया है। 1975 में इसे वाटर कमीशन को सबमिट किया गया था और अब इसको टालने की कोशिश की जा रही है। जनहित के दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि यह काफी रोषपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में इसी आगस्ट हाउस में तीन-तीन बार जबाब दिया गया है। उसी आलोक में क्या माननीय मंत्री जी बिहार सरकार को एक कड़ा निर्देश देंगे या कोई यहां से अध्ययन दल भेजेंगे जो स्पाट पर जाकर निर्णय कर दें ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने भी बहुत खेद के साथ बताया है कि जून 1981 तक बिहार सरकार से रिवाइज्ड स्कीम आनी थी, जो नहीं आयी। और यह मैंने पहले ही मान लिया है कि हम बिहार सरकार को फिर से याद दिहानी करायेंगे।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान, बिहार और कर्नाटक में सूखा

*203. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री अशोक गहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान, बिहार, कर्नाटक राज्यों में तथा अन्य कई भागों में वर्षा कम होने के कारण सूखे की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सूखे से प्रभावित जिलों की कुल संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक केन्द्रीय दल ने इन राज्यों का दौरा किया है और इन राज्यों को सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए सहायता देने की सिफारिश की है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) केवल राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के सूखे से प्रभावित होने की जानकारी मिली है। किसी अन्य राज्य ने सूखे की गम्भीर स्थिति की रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) राजस्थान के सभी 26 जिले, हरियाणा के 12 जिलों में से 7 जिले और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिले।

(ग) केन्द्रीय दलों ने 20 से 21 नवम्बर, 1981 तक हरियाणा और 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1981 तक हिमाचल प्रदेश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है। एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही राजस्थान का दौरा करेगा।

राजस्थान नहर का शीघ्र पूरा किया जाना

*204. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के पूरा हो जाने पर विभिन्न फसलों का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) राजस्थान नहर के बकाया काम के पूरा होने के बाद अतिरिक्त कृषि उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्या होगा ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेने पर विचार करेंगे तथा राजस्थान सरकार को अपेक्षित धनराशि तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराके इसे दो वर्ष के भीतर पूरा करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार को 1978 की परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, परियोजना के पूरा

हो जाने पर कुल अनुमानित वार्षिक कृषि उत्पादन और उसके अन्तर्गत सिंचाई का पूर्ण विकास (इस परियोजना के चरण-दो में केवल प्रवाह द्वारा सिंचाई को परिकल्पना की गई है) संलग्न विवरण में दिया गया है। 1976 के मूल्य स्तर पर, अतिरिक्त कृषि उत्पादन का अनुमानित मूल्य लगभग 440 करोड़ रुपये होगा।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना, चरण-एक तथा दो का कार्य राजस्थान राज्य द्वारा राज्य-क्षेत्र में आरम्भ किया गया है तथा यह कार्य 1958 से चल रहा है। चरण-एक के वर्क्स पूर्ण होने वाले हैं, जबकि चरण-दो के कार्य परियोजना के 1972 में स्वीकृत हो जाने के पश्चात आरम्भ किए गए थे और अब उन पर कार्य प्रगति पर है। राजस्थान नहर परियोजना के लिए एक कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है। इस परियोजना के चरण-एक के कमान क्षेत्र वर्क्स के, जिस पर 256 करोड़ रुपये के लागत आने की संभावना है, 1985 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। कमान क्षेत्र विकास चरण-दो परियोजना पर कार्य और आरम्भ किया जाना है। मार्च, 1981 तक केवल 60 प्रतिशत इंजेनियरी कार्य तथा 24 प्रतिशत कमान क्षेत्र विकास कार्य पूरा किया गया है। जबकि केन्द्रीय सरकार परियोजना को यथासंभव कम से कम समय में पूरा करना चाहते हैं, किन्तु इसके लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार को अपनी योजना के अन्दर ही करनी पड़ेगी। तथापि, केन्द्रीय सरकार दुर्लभ निर्माण सामग्री की प्राप्ति, तकनीकी तथा अन्य मामलों के संबंध में मार्गदर्शन इत्यादि के बारे में राज्य सरकार को हर संभव महायता देगी।

विवरण

क्रम सं०	फसल	कुल अनुमानित उत्पादन (लाख टनों में)	
		अनाज	चारा
1.	खरीफ वनस्पतियां	1.1	—
2.	कपास	3.4	10.1
3.	चुकन्दर	4.5	—
4.	बरसोम	—	5.7
5.	मूंगफली	1.0	0.3
6.	खरीफ चारा	—	20.5
7.	दालें (खरीफ)	1.3	5.1
8.	मिश्र बाजारी	3.6	10.7
9.	गेहूं	10.2	13.7
10.	चना	4.6	1.1
11.	सरसों	1.5	0.3
		31.2	67.5

विजिनजाम मात्स्यकी परियोजना

*211. श्री ए० नीला लोहिया वसन नाडार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मात्स्यकी अनुसंधान परियोजना का विजिनजाम बेस कब चालू हुआ ;

(ख) अब तक के इस के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ? और

(ग) इस की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विजिनजाम स्थित एक अस्थायी बेस में अक्तूबर, 1981 में कार्य आरम्भ हो गया है।

(ख) तथा (ग) मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण अक्तूबर, 1981 में शुरू हुआ है। एक वर्ष तक सर्वेक्षण करने की योजना है।

त्रिपुरा में चावल का आरक्षित भंडार

*213. श्री बासुदेव आचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में चावल के लगभग 20,000 मीटरी टन के रक्षित भण्डार को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्यान्नों का बफर स्टाक राष्ट्रीय आधार पर रखा जाता है और न कि प्रत्येक राज्य के आधार पर रखा जाता है। तथापि, प्रत्येक राज्य को स्टाक सुलभ किए जाते हैं ताकि भारत सरकार द्वारा किए गए मासिक आबंटनों के प्रति उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। त्रिपुरा में चावल का पर्याप्त स्टाक है ताकि केन्द्रीय भंडार से राज्य सरकार को किए गए आबंटनों के प्रति चावल की पूर्ति की जा सके। त्रिपुरा में चावल के पर्याप्त स्टाक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1981 के महीने में त्रिपुरा को चावल का और संचलन करने की व्यवस्था की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक योजना में राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के लिए परिव्यय

*214. श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने हाल ही में राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य की वार्षिक योजना में परिव्यय का अनुमोदन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा अनुमोदित धनराशि इस अवधि के लिए प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं का खर्च पूरा करने के लिए बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र परिव्यय में वृद्धि करेगा और राज्य की वार्षिक योजना में नई सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक सहायता देगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) योजना आयोग ने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य के 1981-82 की वार्षिक योजना को मार्च, 1981 में अनुमोदित कर दिया था। 1982-83 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) सिंचाई एक राज्य-विषय है, इसलिए सिंचाई स्कीमें राज्य द्वारा वित्त-पोषित की जानी होती हैं। तथापि, राजस्थान सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1981-82 के दौरान अग्रिम योजना सहायता मांगी है।

(ग) अग्रिम योजना सहायता देने का प्रश्न विचारधीन है।

धान के अलाभकारी मूल्य

*216. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा घोषित धान के क्रय-मूल्य के विरुद्ध किसानों में बहुत रोष है और यदि क्रय-मूल्य यही बना रहा तो सरकार द्वारा धान की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता ;

(ख) क्या किसानों के विभिन्न संगठनों ने इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीम पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग)

सरकार ने 1981-82 के मौसम के लिए धान का खरीदा मूल्य 115 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह मूल्य उचित है तथा इसके बारे में कृषकों में अधिकांशतः अनुकूल प्रतिक्रिय हुई है। फिर भी, कुछ कृषक संगठनों ने मांग की है कि धान का खरीद मूल्य ऊंचे स्तर पर निर्धारित किया जाए। खरीद की गति अब तक सन्तोषजनक है। सरकार का चालू मौसम में धान के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

नारियल विकास बोर्ड

*218. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल विकास बोर्ड कब बना था ; और

(ख) सरकार ने इस बोर्ड को काम करने के लिए कर्मचारी कब दिए थे ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 12 जनवरी, 1981 को।

(ख) नारियल विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने के तत्काल बाद नारियल विकास निदेशालय कोचीन को अनुदेश जारी किए गए थे कि वह नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को सचिवालय सहायता सहित सभी प्रकार की मदद मुहैय्या करें ताकि वे कारगर तरीके से कार्य कर सकें। नारियल विकास बोर्ड अधिनियम के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार स्टाफ को 1 नवम्बर, 1981 से निदेशालय से औपचारिक रूप से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

पोंग जलाशय से अतिरिक्त जल देना

*219. **श्री जयनारायण सेट :**

श्री बी० के० देसाई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रबी की अधिकतम बुवाई के लिये पोंग जलाशय से अतिरिक्त जल देने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सुविधा अन्य स्थानों में भी प्रदान की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड को तकनीकी समिति की 4 नवम्बर, 1981 की हुई बैठक में भाखड़ा जलाशय से 21,000 क्यूसेक और पोंग जलाशय में 12,000 क्यूसेक जल छोड़े जाने के बारे में पहले किए गए निर्णय के अलावा, पोंग जलाशय से 1000 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़े जाने का निर्णय किया गया था। छोड़े जाने वाले उक्त जल और रावी नदी के प्रत्याशित प्रवाह में से राजस्थान को हरिके से निकलने वाली नहरों से (निर्णय से पूर्व प्राप्त हो रहे लगभग 8300 क्यूसेक्स के मुकाबले) कुल 10,000 क्यूसेक्स जल मिलना था और हरियाणा में से गुजरने वाले अपने जल मार्गों के द्वारा लगभग 600 क्यूसेक्स जल मिलना था। हरियाणा को भाखड़ा मुख्य लाइन पर अपने सम्पर्क स्थल पर और नरवाना शाखा से कुल 9400 क्यूसेक्स जल मिलना था, जिसमें से उसने 600 क्यूसेक जल राजस्थान को, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, और वर्तमान प्रबंध के अनुसार दिल्ली जल सप्लाई को जल देना था। जम्मू और कश्मीर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् शेष जल को पंजाब द्वारा इस्तेमाल में लाया जाना था। तदनुसार, निर्णय की सूचना दे दी गई थी और यह निर्णय 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक की अवधि के लिए लागू होना था।

(ग) और (घ) जी, हां। जब कभी आवश्यक हो, जल की उपलब्धता और संबंधित राज्यों

के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अतिरिक्त जल को अन्य स्थानों पर भी छोड़ा जा सकता है।

दिल्ली में सरकारी स्टोरों से बिटूमन की चोरी

*220. **श्री डी० पी० यादव :**

श्री के० लमप्पा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी स्टोरों में बिटूमन की बड़े पैमाने पर चोरी के बारे में की गई जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकारी अधिकारियों की इन उठाईगीरों से साठ-गांठ है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) तक पुलिस प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने तीन मामलों का पता लगाया है जो कि जांचाधीन हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा दिये गये इन मामलों के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कोलतार/बिटूमिन की चोरी के तीन मामलों के ब्यौरे

1—**मामला प्रथम सूचना रपट सं० 137 दिनांक 24-5-1931 यू०/एस० 379/411 आई० पी० सी० पुलिस स्टेशन लारेंस रोड**

25-4-81 को एक गुप्त सूचना की प्राप्ति पर कि अन्धेरी रोड पर चोरी किये कोलतार के कुछ ड्रम एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डाले जा रहे थे उसी वक्त एक छापा मारा गया था। पुलिस दल को देखकर दोनों ट्रकों के चालक भाग गये। ट्रक नं० डी० एच० आई-6306 में बैठे चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इस ट्रक से 5 कोलतार के ड्रम पकड़े गए थे। यह मामला जांचाधीन है।

2—**मामला प्रथम सूचना रपट सं० 511 दिनांक 9-6-81 यू०/एस० 411 आई० पी० सी० पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स दिल्ली**

एक गुप्त सूचना की प्राप्ति पर कि भारतीय तेल निगम शकूर बस्ती से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सप्लाई किया जाने वाला कोलतार चोरी किया जा रहा है और टैगौर पार्क के किसी निवासी हरिराम को बेचा गया है। वह कोलतार सन्तनगर ग्राम बुसड़ी में सुरक्षित गोदाम में रखा गया है। इस गोदाम पर 6-9-81 को छापा मारा गया था और धनीराम चौकीदार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में गोदाम के मालिक हरिराम को भी गिरफ्तार किया गया था। इस गोदाम में कोलतार के पूरे-पूरे 165 ड्रम और 2391 छोटे ड्रम पकड़े गये थे। यह मामला जांचाधीन है।

3—मामला प्रथम सूचना रपट सं० 917 दिनांक 8-11-81 यू०/एस० 411 आई०पी०सी०

मामला प्रथम सूचना रपट सं० 917 दिनांक 8-11-81 यू०/एस० 411 आई० पी० सी० में संदिग्ध चोरी की गई सम्पत्ति के रूप में बिटूमन के 98 ड्रम पकड़े गये थे। तीन ट्रक चालकों बब्बू, प्रताप और डेविड थामस को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे वसूल की गई सम्पत्ति के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। भारत में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दिल्ली में सभी पुलिस स्टेशनों को इस सम्पति के विवरणों का पता लगाने के लिए बेतार सन्देश भेज दिए गए हैं।

पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के सन्देश अनुसरण में गोगुण्डा, उदयपुर (राजस्थान) के पुलिस अधीक्षक ने डिफेंस कालोनी पुलिस स्टेशन का दौरा किया और उन ड्रमों को पहचाना जो उनके मामले प्रथम सूचना रपट सं० 73/81 पुलिस स्टेशन गोगुण्डा में चाहिए थे। यह मामला जांचाधीन है।

कीटनाशक दवाओं के खतरों के बारे में रिपोर्ट

*221. श्री जगदीश टाईटलर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ द्वारा कीटनाशक दवाओं के खतरों के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कीटनाशक दवाओं के इस खतरनाक प्रयोग का दोनों पौधों, पशुओं और मानव-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में विशष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन खतरनाक कीटनाशक दवाओं की दैनिक खपत उस अधिकतम सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है, क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कृमियों तथा रोगों को नियंत्रित करने वाली अधिकांश कीटनाशी औषधियां जहरीली होती हैं तथा सही अनुपात व निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुसार उपयोग न करने से ये खतरनाक सिद्ध होती हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. भारत में कीटनाशी औषधियों के दैनिक अन्तर्ग्रहण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए किसी अध्ययन के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कीटनाशी औषधियों के लिए खाद्य-पदार्थों में अधिकतम अवशेष सीमा निर्धारित की है। कीटनाशी औषधियों के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जाती हैं :

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशी औषधियों जैविक-क्षमता तथा सुरक्षात्मक पहलुओं के सम्बन्ध में पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् की नाशी औषधियों का पंजीकरण करती है। पंजीकरण समिति, किसानों/उपयोग कर्ताओं द्वारा की नाशी औषधियों के प्रयोग, परिवहन तथा भण्डारण में अपनाई जाने वाली सावधानी विषाक्तता आधार पर निर्धारित करती है। यह कीटनाशी औषधि से होने वाली विषाक्तता के मामले में प्राथ मिक उपचार के उपाय तथा निदान भी निर्धारित करती है। यह इश्तहारों तथा लेबलों प "सुरक्षित" "विष-रहित" "गैर-अपमानिक" या "अहानिकारक" जैसे भ्रामक कथनों को लिखने व इजाजत नहीं देती है।

(2) खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम, 1954 के तहत खाद्य मानकों के लिए गठित की गई केन्द्रीय समिति कीटनाशी औषधियों के अवशेषों की सह्य सीमा से अधिक हो, जब्त किया जा सकता है। ऐसी जिन्सों को रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

2. कीटनाशी औषधियों से होने वाले खतरों से आम लोगों को आगाह कराने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :

(1) औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने समाचार पत्रों के अलावा वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लोकप्रिय लेख और प्रैस नोट प्रकाशित किए हैं।

(2) कीटनाशी औषधियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त मात्रा और अन्तराल निर्धारित कर दिए गए हैं और ये "पैकेज पद्धति" के अंग है।

(3) उन कीटों और रोगों का पता लगाया गया है जिनके लिए विशेष कृमिनाशी प्रभावी होती है। इनके ब्यौरे कृमिनाशी औषधियों के प्रत्येक पैकेट के साथ रखे जाने वाले पत्रक में दिए जाते हैं।

(4) कीटनाशियों के सुरक्षित प्रयोग के बारे में फील्ड में काम करने वाले विस्तार कर्मी और वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं।

(5) अपेक्षित सूचना के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो और दूर-दर्शन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

रबी की फसल के रूप में मक्का की खेती

*222. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी और पूर्वी राज्यों में रबी की फसल के रूप में मक्का की खेती को प्रोत्साहन दे रही है, और

(ख) क्या रबी की इस खेती से गेहूं के उत्पादन में बाधा पहुंचेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)

(क) तथा (ख) सरकार उत्तरी राज्यों में रबी की मक्का के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रही है। बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए उन्नत किस्मों की रबी की मक्का के कुछ मिनीकिट वितरित किए गए हैं, जहां इस फसल की खेती किसानों द्वारा पहले से ही की जा रही है।

बिहार को घटिया किस्म के संकर मक्का के बीज की सप्लाई

*223. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रैस" में छपी इस खबर की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह उजागर किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश विकास बीज निगम द्वारा बिहार को सप्लाई किया गया 200 टन संकर मक्का का बीज घटिया किस्म का था हालांकि वह राज्य द्वारा प्रमाणित था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई क्षति पूर्ति मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) जांच से पता चला कि बिहार में बेचे गये संकर मक्का के कुछ बीज घटिया किस्म के थे। कुल मिलाकर 1.90 लाख रुपये की राशि लौटाई गई तथा 243 क्विंटल बीज वापिस लिया गया और विक्रेताओं/कृषकों को ऋण दिया गया।

बकरी पालन और प्रजनन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

224. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरी पालन और बकरियों के मांस को डिब्बा बन्द करने के संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्यपूर्व और खाड़ी के देशों में बकरी के मांस का निर्यात किए जाने की बहुत सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार का इस प्रकार की योजना शुरू करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि भारत में बकरियों की संख्या अधिक है तथा बढ़ती जा रही है, अत: सरकार के इस स्थिति में बकरियों के उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देशी उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बकरियों के मांस के निर्यात की अनुमति प्रतिबंधित आधार पर दी जा रही है।

खाद्य वस्तुओं के हैंडलिंग में प्रासंगिक हानियां

2310. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में खाद्य सामग्री (चावल तथा गेहूं) के हैंडलिंग में पारेषण हानियों, भंडारण हानियों भार हानियों के रूप में प्रतिवर्ष प्रति क्विंटल कितनी हानि हुई और इन वर्षों के लिए प्रति क्विंटल बढ़ती परिचालन लागतें तथा प्रशासनिक भार क्या थे ; और

(ख) यदि पारेषण, भंडारण तथा भार हानियों के रूप में कोई हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 (संशोधित अनुमान) के लिए मार्गस्थ हानियों, भंडारण सम्बन्धी हानियों और प्रशासनिक खर्चों के बारे में खाद्य पदार्थ हैंडल करने में भारतीय खाद्य निगम को प्रति क्विंटल हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	दर रुपये/क्विंटल बिक्री	
	1979-80	1980-81 (सं० अ०)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्मुक्त किए गए खाद्यान्नों के बारे में		
मार्गस्थ हानियां	2.85	2.14
भंडारण सम्बन्धी हानियां	0.48	0.51
प्रशासनिक खर्चे	1.58	1.82
बफर के रूप में रखे गए स्टाक के बारे में		
भंडारण सम्बन्धी हानियां	1.64	1.54
प्रशासनिक ऊपरी खर्चे	1.21	1.37

जहां तक परिचालन विषयक लागत का सम्बन्ध है, यह सार्वजनिक वितरण के लिए निर्मुक्त

किए गए स्टाक और बफर के लिए प्रत्येक वर्ष स्टाक रखने में आई कुल लागत के बारे में है। इस लागत का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	दर/रुपये प्रति क्विंटल	
	1979-80	1980-81 (सं० अ०)
वितरण की लागत	22.66	24.81
बफर रखने की लागत	25.01	31.77

उपर्युक्त खर्चों में पिछले पैरे में उल्लिखित खर्चे शामिल हैं।

वर्ष 1981-82 से संबंधित आंकड़ों के बारे में वर्ष की समाप्ति के बाद और भारतीय खाद्य निगम के लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो पाएगी।

(ख) मार्गस्थ-कमियां तभी पैदा होती हैं जब स्टाक को एक स्थान से दूसरे दूर-दराज स्थान को भेजा जाता है। भण्डारण संबंधी हानियां तभी होती हैं जब स्टाक को घटिया किस्म के गोदामों रखना पड़ता है क्योंकि ऐसा करना कभी-कभी अनिवार्य हो जाता है। अथवा हानि अनाज के सूख जाने आदि के कारण होती है।

आदिवासी उप-योजना के लिए तैयार किए गये कार्यक्रम एवं योजनायें

2311. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वार्षिक योजनाओं और छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के लिए क्या कार्यक्रम तथा योजनायें तैयार की हैं तथा उनके लिए कितनी राशियां आबंटित की हैं ;

(ख) राज्यों को कार्यक्रम, योजनायें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु इस बारे में क्या मार्गदर्शी निदेश दिये गये हैं ; और

(ग) आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के लिए अभी तक राज्यवार कितनी राशियाँ वितरित की गई हैं और मंत्रालय में उनके लिए 1982-83 की वार्षिक योजना में क्या कार्यक्रम तैयार किए जाने हैं तथा क्या उपबन्ध किए जाने हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त नीचे दिए गये हैं :

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कर्यक्रम**

छठी योजना में लक्षित वर्ग के 15 मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1500

करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि कम से कम 30 प्रतिशत लाभभोगी अवश्य ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखते हों और उन्हें ऋण तथा उपदानों के रूप में दिये जाने वाले लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत प्राप्त हो। इस प्रकार छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कम से कम 45 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये के व्यय किए जाने की आशा है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

छठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 980 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है और इतनी ही राशि राज्यों द्वारा उपलब्ध की जानी है। यह निर्धारित किया गया है कि इस परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत उन योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सीधा लाभ मिले।

(3) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम

छठी योजना में इन कार्यक्रमों, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में वजट सहायता के रूप में 480 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। आयोग ने कुछेक उद्योगों के विकास का प्रस्ताव किया है, जिनमें अतिरिक्त सृजित रोजगारों का 50 प्रतिशत अनुसूचित- जातियों और अनुसूचित जनजातियों पहाड़ी तथा सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम

ये लाभभोगी उन्मुख कार्यक्रम नहीं हैं बल्कि क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो आधारभूत ढांचे के विकास पर केन्द्रित हैं। तथापि, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय उन क्षेत्रों के विकास पर उपयुक्त बल दिया जाएगा जिनमें अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हों।

(5) कृषि विपणन योजना

छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में प्राथमिक ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए उपलब्ध किए गये 38 करोड़ रुपये के परिव्यय का 10 प्रतिशत जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से निर्धारित किया गया है।

(ग) निधियां राज्य/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को उपलब्ध की जाती हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में ऊपर दिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं पर व्यय करती है। अतः जहां तक ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का संबंध है, वार्षिक योजना 1982-83 के लिए आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना हेतु राज्यवार वितरण दर्शाना संभव नहीं है।

—0

उत्तर प्रदेश यमुना घाटी योजना का पूरा किया जाना

2313 **श्री निहाल सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश यमुना घाटी योजना के सभी चरणों पर काम इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी परियोजनायें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं और उनको कब तक पूरा किया जायेगा ; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस योजना के लिए राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवत: उत्तर प्रदेश की यमुना जल-विद्युत स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, जिसे पांच चरणों में पूरा करने की परिकल्पना की गई है । वर्क्स की विभिन्न चरणों में स्थिति, इस प्रकार है :

1. **यमुना चरण-एक**

(क) डाकपथर बराज (ख) धालीपुर बिजली घर (ग) धकरानी बिजली घर	पूर्ण हो चुके हैं ।

2. **यमुना चरण-दो**

(क) चिब्बरो बिजली घर, चरण-दो, भाग-एक	पूर्ण हो चुका है ।
(ख) खोदरी बिजली घर, चरण-दो, भाग-दो	निर्माण कार्य चल रहा है। 1983-84 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

3. **यमुना चरण-तीन**

(क) किशाऊ बांध	अन्तर्राज्यिक पहलुओं के कारण अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है ।

4. **यमुना चरण-चार**

भाग-एक

(क) आसन बराज (ख) कुलहल बिजली घर	कार्य पूरा हो गया है ।

5. **यमुना चरण-पांच**

लखवार व्यासी परियोजना	निर्माण कार्य चल रहा है । सातवीं योजना में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है । इस परियोजना के लिए सम्पूर्ण वित्त-व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना के अन्तर्गत की जानी है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेलदारों को नियमित किया जाना

2314. श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उन उम्मीदवारों को नियमित रूप से निर्माण-प्रभारित प्रतिष्ठान में नौकरी देने पर विचार कर रहे हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न प्रभागों में उन मस्टरोल में दर्ज श्रमिकों के समक्ष केवल रोजगार कार्यालय के कार्ड संख्या के आधार पर कार्य रहे हैं और जिन्हें दिल्ली में किसी स्थानीय रोजगार कार्यालय ने मूलतः प्रयोजित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करना गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये सरकारी नियमों के विरुद्ध नहीं है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) वे मस्टर रोल मजदूर जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से लगे हुए हैं और जिनके नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से भेजे गये हैं वे ऐसे समावेशन के लिए पात्र होंगे। तथापि, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया में ढील का प्रश्न सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श में विचाराधीन है।

गाँवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ना

2315. श्री जनार्दन पुजारी :

श्री रामस्वरूप राम : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 3 लाख से अधिक गांवों का सम्पर्क सड़कों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी गांवों को सम्पर्क सड़कों के साथ जोड़ने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सड़क परिवहन से राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है और सड़कों पर व्यय धीरे-धीरे कम हो रहा है ;

(ङ) पिछले पांच वर्षों में सड़क परिवहन से कितनी आय हुई और उन वर्षों के दौरान कितना व्यय किया गया है ; और

(च) छठी योजना का परिव्यय क्या है और योजना में अपर्याप्त परिव्यय के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1990 तक 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए छठी योजना परिव्यय 1165 करोड़ रुपये है।

(घ) व (ङ) एक विवरण संलग्न है। इस विवरण से यह मालूम होगा कि सड़क परिवहन से सम्बन्धित राजस्व तथा व्यय दोनों में लगातार वृद्धि हुई है।

(च) छठी योजना में सड़क विकास के लिए 3439 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय है। सड़क परिवहन के विकास के लिए भी 1195.55 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। इन परिव्ययों को समग्र संसाधनों तथा योजना प्राथमिकताओं के संदर्भ में पर्याप्त समझा गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व (केन्द्र तथा राज्य)	योजना व्यय
1976-77	1542.16	96.63
1977-78	1580.48	98.75
1978-79	1804.87	135.07
1979-80	उपलब्ध नहीं	160.68
1980-81	उपलब्ध नहीं	224.44

चिड़ियाघरों, पक्षी शरणार्थियों तथा झीलों का सौन्दर्यीकरण

2316. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कोई कार्यक्रम लागू किए हैं जिनके अंतर्गत चिड़ियाघरों पक्षी शरण स्थालियों तथा निकटवर्ती झीलों को सुन्दर बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के "नन्दन कानन" को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है ;

(ग) उड़ीसा के नन्दन कानन के सौन्दर्यीकरण के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चिड़ियाघरों, पक्षी आश्रय स्थलों तथा झीलों को सुन्दर बनाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, दो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं जिनके तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय पार्कों, आश्रय स्थलों तथा चिड़ियाघरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) से (घ) तक नन्दन कानन को सुन्दर बनाने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबंटित राशियां

2317. **श्री जैनुल बशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन कितनी राशियां आवंटित की गई हैं ;

(ख) क्या राशियां उसी राज्य को दे दी गई हैं ;

(ग) क्या कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए गए कामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश को दी गई 16.70 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से गाजीपुर जिले के लिए 40.97 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सिंचाई की नालियों की सफाई तथा उन्हें मजबूत बनाना, प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण, सड़कों को पक्का करने की व्यवस्थाा पुलियों का निर्माण तथा पौधरोपण/वनरोपण कार्य जिनमें 16 पौधशालाओं का निर्माण भी शामिल है, जैसे निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

दिवाली के दौरान मोमबत्तियों की बिक्री

2318. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिवाली के अवसर पर दिल्ली के लोगों को 4.50 रु० प्रति पैकेट के निर्धारित भाव पर मोमबत्तियां दी गई थीं जबकि 1978 और 1979 में जनता पार्टी के शासन काल में 1.60 रु० प्रति पैकेट की दर पर मोमबत्तियां दी गई थीं ; और

(ख) मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं और इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) वर्ष 1978 और 1979 में क्रमशः 1.60 रु० प्रति पैकेट और 2.65 रु० प्रति पैकेट की दर से मोमबत्तियां दी गयीं थीं। इस वर्ष दीवाली के अवसर पर 4.50 रु० प्रति पैकेट की दर से मोमबत्तियां दी गयीं। इस

वर्ष मोमबत्तियों के मूल्यों में वृद्धि पैराफीन मोम के मूल्य में हुई भारी वृद्धि के कारण हुई है, जो 1978 के 2387.14 रु० प्रति मीटरी टन से बढ़कर 1981 में 9740.63 रु० प्रति मीटरी टन पर पहुंच गया । इस वर्ष मोमबत्ती के 300 ग्राम के एक पैकेट में पैराफीन मोम की अपनी लागत ही 2.92 रु० थी ।

पेय जल

2319. श्री वृद्धि चन्द जैन :

श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान पेय जल की व्यवस्था की योजनाओं के लिये सरकार द्वारा कितनी राशियां आबंटित की गईं ;

(ख) इसमें से कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) उससे राज्य-वार कितने गांवों को लाभ हुआ ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 वर्षों के दौरान "निर्माण" के लिए दी गई तथा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	दी गई निधियां (लाख रुपयों में)	खर्च की गई निधियां
1978-79	5901.44	5827.14
1979-80	5820.30	5810.96
1980-81	8391.33	पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

1980-81 में त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 10000 लाख रुपये का बजट नियतन था । इस राशि में से 8424.38 लाख रुपये निर्माण और प्रबोधन तथा अन्वेषण एककों के लिए दी गई थी । सूखाग्रस्त राज्यों के लिए प्राप्त किए गए रिगो लागत व संबंधित व्यय पर लगभग 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया । इस कार्यक्रम के लिए 1981-82 के लिए बजट नियतन 11000 लाख रुपये का है । जिसमें से 4103.25 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता अनुदान की पहली किश्त के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए हैं ।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मत्स्यकी के विकास और संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी

2320. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यकी के विकास और संरक्षण के विषय पर हाल ही में एक राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में दिए गए सुझावों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में मछली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

उड़ीसा में समेकित बागवानी परियोजना के लिए सहायता

2321. **श्री चिंतामणी जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में समेकित बागवानी परियोजना के लिए केन्द्र से कोई सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं । उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक समेकित बागवानी परियोजना के लिए केन्द्र से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन

2322. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1981 के संशोधन के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन, अधिनियम 1976 का संशोधन करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसा संशोधन विधेयक कब तक पुनः स्थापित किया जायेगा ;

(ग) संशोधन विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किया जायेगा ;

संसदीय तथा कार्य निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधन करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियाधीन है और ज्योंही अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं, संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में पेय जल

2323. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में गांवों को पेयजल की सप्लाई करने के लिए पश्चिम जर्मनी के सहयोग के साथ योजना तैयार करने का है ;

(ख) क्या 1979-80 में जर्मन विशेषज्ञों के साथ इस बारे में कोई बातचीत की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) पश्चिम जर्मनी से एक मूल्यांकन प्रतिनिधि मण्डल ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और उसने राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। विचार विमर्श पर आधारित 19 करोड़ रुपये लागत की परियोजना के कार्यान्वयन तथा ऋण के लिए समझौते का प्रारूप तैयार किया गया है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

उचित दर दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही वस्तुएं

2324. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में राशन की दुकानें हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दुकानों द्वारा विभिन्न राज्यों में सप्लाई की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) व्यवस्था को और अधिक व्यापक बनाने और सुदृढ़ करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हर राज्य में उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं और इन दुकानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम तौर पर गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुएं वितरित की जा रही हैं। तथापि, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए और वस्तुएं शामिल करने का विकल्प दिया गया है, जिनकी अधिप्राप्ति की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रसाशनों के परामर्श से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगातार पुनरीक्षा की जाती रहती है। इन पुनरीक्षाओं के परिणाम स्वरूप, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए हैं, ताकि वह उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा कर सके।

विवरण

उचित दर की राशन की दुकानों की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5030	23582	28612
2.	असम	1886	13313	15199
3.	बिहार	5412	21697	27109
4.	गुजरात	2642	7199	9841
5.	हरियाणा	1202	4126	5328
6.	हिमाचल प्रदेश	207	2644	285
7.	जम्मू तथा कश्मीर	577	1427	2004+
8.	कर्नाटक	3563	10437	14000
9.	केरल	1802	9749	11551
10.	मध्य प्रदेश	4893	17919	22812
11.	महाराष्ट्र	7193	21705	28898
12.	मणिपुर	112	912	1024

क्रम सं० राज्य	शहरी	ग्रामीण	कुल
13. मेघालय	318	1349	1667
14. नागालैण्ड	100	58	158
15 उड़ीसा	2715	14583	17298
16. पंजाब	1968	8349	10317
17. राजस्थान	2068	7958	10026
18. सिक्किम	—	13	13
19. तमिलानाडु	2009	15526	17535
20. त्रिपुरा	64	753	817
21. उत्तर प्रदेश	8862	39213	48075
22. पश्चिम बंगाल	5193	13076	18269×
जोड़ (राज्य)	57816	235588	293404

क्र० सं० राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र	उचित दर की दुकानों की संख्या शहरी	ग्रामीण	कुल
23. अण्डमान निकोबार द्वीव समूह	42	150	192
24. अरुणाचल प्रदेश	—	179	179
25. चंडीगढ़	145	55	200
26. दादरा और नगर हवेली	—	40	40
27. दिल्ली	2537	279	2816
28. गोवा, दामण व द्वीव	153	229	382
29. लक्षद्वीप	—	23	23
30. मिजोराम	95	271	271
31. पांडिचेरी	90	86	176
योग (केन्द्र शासित क्षेत्र)	3062	1312	4374
योग (सम्पूर्ण भारत)	60878	236900	297778

(+) इसमें सांविधिक क्षेत्रों की 2702 राशन की दुकानें भी शामिल हैं, जिनके अन्तर्गत 96.5 लाख की आबादी आती हैं।

(×) राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों की अलग-अलग संख्या सूचित नहीं की जा रही है। पिछली रिपोर्ट के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के औसत के आधार पर आंकड़े निकाले गए हैं।

राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सड़कें

2325. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन कुछ ग्रामीण सड़कों का दर्जा बढ़ाने के लिये कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा (जिला बार) की कौन-कौन सी तथा कितनी ग्रामीण सड़कों को उपरोक्त योजनावधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन दर्जा बढाने के लिये चुना गया है ; और

(ग) दर्जा बढ़ाने के इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उनका दर्जा बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की है, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है ;

(ख) व (ग) यह सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सघन खेती के लिये आसाम को केन्द्रीय कार्य दल

2326. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सघन खेती के उपायों का सुझाव देने के लिये एक केन्द्रीय कार्य दल ने हाल ही में आसाम का दौरा किया था ; और

(ख) क्या संघ सरकार ने भी किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने हेतु राज्य को वित्तीय सहायता दी थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां । प्रधान मंत्री के कहने पर, आसाम की कृषि संबंधी समस्याओं की जांच करने तथा उसके तीव्र विकास हेतु उपाय सुझाने के लिये 1980 में एक केन्द्रीय कृतक दल का गठन किया गया था । मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिये राज्य का दौरा करने के बाद कृतक दल ने कई सिफारिशें की थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सस्य चक्रण का पुनः समायोजन करना सम्मिलित है । ताकि सस्य सघनता में वृद्धि की जा सके ।

(ख) केन्द्रीय कृतक दल की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने सामुदायिक नर्सरियों की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि कर दी है अर्थात 1979-80 से सहायता की राशि 2 लाख रु० थी से 1980-81 में बढ़ाकर 10 लाख रु० कर

दिया गया। 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 10,00 लाख रु० की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 1980-81 के दौरान चावल की अल्पावधि किस्मों के 10,000 मिनीकिट तथा 1981-82 के दौरान 70,000 मिनीकिट का आवंटन किया गया था।

चूंकि चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत के क्षेत्र के विस्तार में अवरोध पैदा होने का मुख्य कारण धान के बीज की अधिक लागत का होना था, अतः भारत सरकार ने 1980-81 के दौरान धान के बीजों की लागत में क्विंटल 100 रु० की दर से राज सहायता देने के लिये असम की 10.75 लाख रु० का अनुदान स्वीकार किया था। 1981-82 के दौरान 10.75 लाख रु० की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी ताकि राज्य सरकार चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की लागत पर राज सहायता दे सके।

1981-82 के दौरान असम में गेहूं मिनीकिटों के वितरण का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया तथा इस प्रयोजन के लिये राज्य को 2.98 लाख रु० की धन राशि स्वीकृत की गई।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन की नई प्रोद्यौगिकी के प्रसार हेतु 4 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (दो चावल पर तथा दो गेहूं पर) के आयोजन पर होने वाला खर्च, 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को वापस लौटा दिया जायेगा।

उत्तरी बंगाल के पाँच जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सुधार

2328. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास योजना के अधीन उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों के त्वरित विकास के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निम्नलिखित पर विचार करेगी ;

(1) प्रत्येक खंड में गोदाम जिनमें पटसन सहित कृषि वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन के भण्डारण की पर्याप्त क्षमता हो ;

(2) प्रत्येक खंड में नाशवान वस्तुओं के लिये शीतागार ;

(3) प्रत्येक खंड में सरकार द्वारा प्रायोजित "लम्प" से भिन्न थोक सहकारी उपभोक्ता समिति ;

(4) कृषि एवं घरेलू उद्योगों के विकास के लिये त्वरित विद्युतीकरण ; और

(5) जिलों में पर्याप्त संख्या में पोलिटेक्नीक तथा प्रशिक्षण स्कूल ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि हीन किसानों के लिए राज्यवार मकानों का निर्माण

2329. आचार्य भगवान देव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए राज्यवार कितने भूमि-हीनों को जमीन का आवंटन किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी जमीन का आवंटन किया गया ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों को जमीन का आवंटन किया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों की संख्या छठी योजना के दौरान आवंटन करने का विचार है
1. आन्ध्र प्रदेश	1,110
2. असम	230
3. बिहार	440
4. गुजरात	200
5. हरियाणा	120
6. हिमाचल प्रदेश	10
7. जम्मू और कश्मीर	10
8. कर्नाटक	350
9. केरल	270
10. मध्य प्रदेश	350
11. महाराष्ट्र	90
12. उड़ीसा	320
13. पंजाब	60
14. राजस्थान	190
15. तमिलनाडु	1,000
16. त्रिपुरा	20
17. उत्तर प्रदेश	370
18. पश्चिम बंगाल	60

संघ राज्य क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2. चंडीगढ़	—
3. दादर और नागर हवेली	—
4. दिल्ली	10
5. गोआ, दमण और द्वीव	—
6. पांडिचेरी	10

मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, और संघ राज्य क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिजोरम में योजना लागू नहीं की जा रही है ।

धान के वसूली लक्ष्य

2330. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री माधराव सिंधिया :

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकरों ने चालू वर्ष के दौरान धान की खरीद के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या संघ सरकार ने उन राज्यों को कोई सहायता दी है जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

महानगरों में जमीन की बिक्री से भारी लाभ

2331. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त नगरीय भूमि नीति के न होने के कारण संबंध प्राधिकरण के द्वारा जमीन का अधिग्रहण नाममात्र मूल्य पर किया जाता है और उसे भारी लाभ पर बेचा जाता है ;

(ख) क्या महानगरों में विशेष रूप से दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में ग्रह निर्माण ऐजेंसियां नामी सौदों में भारी लाभ कमा रही हैं तथा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के न होने के कारण पगड़ी प्रणाली बेरोक-टोक पनप रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का नगरीय आवासन में इस अव्यवस्था को रोकने के और क्षेत्रीय परिवेक्षण में आवासन कार्यक्रम तैयार करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) नगर विकास तथा भूमि राज्य के विषय हैं और विभिन्न विकास प्राधिकरण तथा आवास बोर्ड भूमि के अर्जन तथा बिक्री में अपनी ही नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार की सामान्य नीति यह है कि विधियों के उपलब्ध होने पर नगरीकरण योग्य भूमि अर्जित की जाती है ताकि अन्य बातों के साथ साथ यथासम्भव व्यक्तियों को आवास तथा नगर विकास के लिए इसे उचित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए। यह सच है कि इस क्षेत्र में सभी सार्वजनिक अधिकरणों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी कुछ भूमि विकासकर्ता धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। स्थानीय सरकारों सहित सभी नगर प्राधिकरण और सार्वजनिक आवास अभिकरण वर्तमान कमियों में देश में आवास समस्या का समाधान के उपाय कर रहे हैं। सामाजिक आवास योजनाओं को चलाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निधियों का प्रावधान किया गया है जिसमें सबसे गरीब वर्गों पर विशेष बल दिया जाएगा।

मछली फार्मों, डेयरी फार्मों तथा पशु प्रजनन केन्द्रों में विदेशी सहयोग

2332. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों तथा विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से इस समय भारत में मछली फार्म, डेयरी फार्म तथा पशु प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक फार्म तथा केन्द्र इस समय कहां पर स्थित हैं तथा उनमें कितना विदेशी धन लगा हुआ है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ राज्य सरकारों से अतिरिक्त सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उन देशों और विदेशी फर्मों, जिनके सहयोग से इस समय भारत में मछली फार्म डेरी फार्म और पशु प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहे हैं से सम्बन्धित सूचना।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान/राज्य	दातादेश/सहायता की अवधि	विदेशी सहायता की धनराशि
1	2	3	4	5
1.	पशु प्रजनन परियोजना भारतीय डेरी निगम के अन्तर्गत	विशाखापटनम आन्ध्र प्रदेश	स्विटजरलैण्ड (1975 से आगे)	107.5 लाख रुपये

1	2	3	4	5
2.	हिमित वीर्य उत्पादन केन्द्रों/बैंकों के अखिल भारतीय कल-पुर्जों का डिपो	बड़ौदा गुजरात	डेनमार्क (करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं)	100 लाख डेनमार्क क्रोनर (प्रस्तावित)
3.	पशु प्रजनन परियोजना	हिसार हरियाणा	आस्ट्रेलिया (1974 से आगे)	13 लाख आस्ट्रेलियन डालर (16.8 लाख आस्ट्रेलियन डालर के अंशदान से जुलाई, 1983 तक तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है)
4.	पशु प्रजनन परियोजना/ केन्द्र	(क) मतुपट्टी (ख) पीरमेड (ग) कुल्थुपुझा (घ) धोने (केरल)	स्विटजरलैण्ड (1968 से आगे)	376 लाख रुपये
5.	पशु संकर प्रजनन परियोजना	मुरादाबाद उत्तर प्रदेश	यू० के० (1976 से आगे)	22.4 लाख रुपये

डेनमार्क ने कुल 285 लाख डेनमार्क क्रोनर के अपने अंशदान से नांडयाल (आ० प्र०), पटना (बिहार), बीडज (गुजरात), गुडगांव (हरियाणा), बंगलौर (कर्नाटक), किर्की (महाराष्ट्र), भोपाल (मध्य प्रदेश), खापुरिया (उड़ीसा), अमृतसर (पंजाब), ईकनकोटे (तमिलनाडु) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना करने में भारत को सहयोग दिया है। इन्हें उपरोक्त विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उपरोक्त परियोजनाओं के लिए डेनमार्क का सहयोग समाप्त माना गया है। (इन परियोजनाओं के लिए केवल हिमित वीर्य की डोजों की सप्लाई किया जाना शेष है जो किश्तों में प्राप्त की जा रही है।)

रुग्ण मिलों की अधिग्रहण अवधि का बढ़ाया जाना

2333. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण चीनी मिलों की अधिग्रहण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कितनी अवधि तक ;

(ख) ऐसी रुग्ण मिलों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वे क्या परिस्थितियां हैं, जिनके अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक मिल का अधिग्रहण किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने सभी आठ चीनी मिलों, जिनका प्रबन्ध चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया था, की अधिग्रहण अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित आठ मिलों के नाम इस प्रकार हैं :

1. अयुध्या शुगर मिल्स ।
2. जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड ।
3. श्री केशोरायपटन सहकारी शुगर मिल्स लि० ।
4. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि०
5. सकसरिया शुगर मिल्स लि० ।
6. देवरिया शुगर मिल्स लि० ।
7. श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि० ।
8. कावेरी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि० ।

(ग) भाग (ख) में क्रम संख्या 1 से 5 पर उल्लिखित मिलें निर्धारित सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने और शेष तीन मिलें नियत दिन तक पेराई कार्य शुरू न करने के कारण अधिकार में ली गई थीं। अधिग्रहण अवधि बढ़ाया जाना चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों और उद्देश्यों के अनुसार ही हैं।

नई पद्धति, (1979) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति

2334. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक लाख सत्तर हजार लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की न्यू पैट्रन (1979) योजना के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत कराया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ लोगों ने अपनी बयाने की राशि वापस ले ली है तथा कुछ लोगों ने उसे रोहिणी योजना में पंजीकरण हेतु स्थानान्तरित करा लिया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में पंजीकृत शेष लोगों की संख्या क्या है ; और

(घ) उन्हें कब तक मकान मिलने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों ने अपने पंजीकरण को वापिस ले लिया है, उन्हें निकालने के पश्चात लगभग 1,68,000 व्यक्ति पंजीकृत हैं। पंजीयकों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :

	लगभग
मध्यम आय वर्ग	46,400
निम्न आय वर्ग	65,800
जनता	55,800

(घ) यह आशा की जाती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों के दौरान या इसके बाद उन सभी लोगों को मकान देने की स्थिति में होगा जो इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। यह निधियों और भवन निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिलहाल, इस योजना के अन्तर्गत आवंटन दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थापनादेश के अधीन है।

गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नीति

2335. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के फलस्वरूप कितना अधिक उत्पादन होने की संभावना है ; और

(घ) क्या इसके लिये कोई राज्यवार योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा की गयी सिफारिशें निम्न हैं :

1. 20 नवम्बर के पहले बुआई करने के लिए बहुत ही उपयुक्त गेहूं की किस्में हैं : एच० डी०-2204, एच० डी० 2009. एच० डी०-2177, डब्ल्यू० एल० 1562, डब्ल्यू० एच० 147, डी० डब्ल्यू० एल० 5023 और अन्य बहुत-सी किस्में, यदि आवश्यक हो तो इन किस्मों की 30 नवम्बर तक भी बुआई की जा सकती है।

2. 1981-82 में बोई जाने वाली गेहूं की प्रमुख किस्म सोनालिका है। इस किस्म को आर० आर० 21 या एच० डी० 1553 किस्म के नाम से भी जाना जाता है। 20 नवम्बर के पहले सोना-

किस्म नहीं बोई जा सकती । 30 नवम्बर के बाद देर से बोये जाने के लिए सोनालिका सबसे उपयुक्त किस्म है ।

3. देर से बोने से गेहूं की उपज कम हो जाती है । नवम्बर के अंत के पहले सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा गेहूं की बुआई पूरी कर देनी चाहिए ।

4. दिसम्बर महीने में गेहूं की देर से बोने के लिए, बहुत ही उपयुक्त किस्म सोनालिका है । इस किस्म के मामले में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर अधिक बीज दर का उपयोग करना चाहिए ।

5. लुधियाना के कुछ जिलों में और पंजाब में गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश की तराई के कुछ क्षेत्रों में और जम्मू, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तराई में करनाल बंट एक बहुत ही गम्भीर समस्या हो सकती है । अतः डब्ल्यू० एल० 711 और एच० डी० 2009 गेहूं की किस्मों को इन क्षेत्रों में नहीं बोना चाहिए ।

6. बुआई के लिए सीड ड्रिल (बुआई यंत्र) का उपयोग गेहूं की उपज को काफी बढ़ा देती है । उर्वरक के साथ बीज छिड़कने वाले यंत्र का उपयोग करने से गेहूं की उपज और भी बढ़ जाती है । गेहूं की बुआई हमेशा बीज बुआई यंत्र की सहायता से करनी चाहिए ।

7. बहुत ज्यादा गेहूं की उपज के लिए कम से कम चार सिंचाई की आवश्यकता होती है । पहली सिंचाई बुआई के तीन सप्ताह के बाद करनी चाहिए ।

8. गेहूं की अधिक उपज पाने के लिए फास्फोरस को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर खेत में प्रयोग करना चाहिए । कम से कम 40 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हैक्टर खेत में देनी चाहिए । गेहूं की अधिक उपज के लिए 40 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टर खेत में देनी चाहिए । मिट्टी परीक्षण के बाद यदि आवश्यक हो तो पोटाश का प्रयोग करना चाहिए ।

9. गेहूं की उपज खरपतवार के कारण कम हो जाती है । खेतों में खरपतवार को नहीं उगने देना चाहिए । खरपतवार का कारगर ढंग से नियंत्रण करने के लिए निराई, अंतः कृषि संबंधी क्रियाएं और खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए ।

10. बारानी गेहूं की बुआई के लिए नवम्बर का प्रथम सप्ताह सबसे उपयुक्त समय होता है । बारानी गेहूं की फसल के मामले में भी कम से कम 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टर खेत में देना चाहिए । बुआई के पहले उर्वरक को 5-6 सें० मी० बीज के नीचे खेत में डालना चाहिए ।

11. बारानी स्थितियों में गेहूं की बहुत उपयुक्त किस्म सी-306 है । नवम्बर के आखिरी दिनों में बारानी गेहूं की देर से बुआई करने के लिए बौनी किस्में जैसे : आई० डब्ल्यू० पी० 72, डब्ल्यू० एल० 410 है, जो अधिक उपज देती हैं ।

12. बारानी बीजों को एलडरीन या बी० एच० सी० के साथ मिट्टी उपचार के बिना बुआई नहीं करनी चाहिए। दीमक को नियंत्रित करने के लिए अंतिम जुताई के पहले, 10 प्रतिशत बी० एच० सी० या 5 प्रतिशत एल्ड्रिन की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हैक्टर खेत में प्रयोग करना चाहिए।

13. प्रत्येक पांच साल के बाद किसानों को गेहूं के बीज को कम से कम एक बार अवश्य बदल देना चाहिए। नए बीज भारतीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों या नजदीक के खण्ड (ब्लाक) या जिला के कार्यालय से खरीदना चाहिए।

14. अधिकतम संभव सीमा तक गेहूं को उगाने के लिए इसकी बौनी किस्में प्रयोग में लानी चाहिए, सीमित सिंचाई की स्थितियों में भी इसे ही बोना चाहिए। यह किस्में एक या दो सिंचाई करने पर भी अन्य की अपेक्षा अधिक उपज दे सकती हैं यदि बताये गये सभी तरीके अमल में लाये जाएं तो गेहूं की उपज 6 से 7 टन प्रति हैक्टर तक हो सकती है। इसमें सही किस्म का चयन, बुआई का सही समय, बताई गई रासायनिक उर्वरकों की मात्रा, खरपतवार नियंत्रण और बुआई के लिए बताए गए यंत्र भी शामिल हैं।

(ग) 1981-82 में छठी पंचवर्षीय योजना में 38 मिलीयन टन गेहूं को प्राप्त करने के लक्ष्य की सहायता के लिए सिफारिशें की गईं।

(घ) ये सिफारिशें साधारणतया उत्तर-पश्चिम गेहूं उत्पादक क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और अन्य राज्यवार योजनाओं के लिए नहीं।

डी० डी० ए० द्वारा धार्मिक संगठनों तथा धर्मार्थ संगठनों को भूमि दिया जाना

2336. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्दिरों/सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण करने हेतु धार्मिक संगठनों तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में भूमि का आवंटन किए जाने के बारे में वर्तमान नियम क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए किन-किन धार्मिक संस्थाओं को भूमि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्रीभीष्मनारायण सिंह) : (क) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवेदक संस्था को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये।

(1) यह एक संस्था होनी चाहिए जो कि समितियों के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(2) इसका स्वरूप लाभ कमाने वाला नहीं होना चाहिए।

(3) इसके पास भूमि खरीदने और उस पर मकान बनाने के लिए पर्याप्त निधियां होनी चाहिए। वित्तीय स्थिति के समर्थन में बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) उपायुक्त दिल्ली से इसके तथा इसके सदस्यों के पूर्ववृत का सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की हो।

(5) सामाजिक/सांस्कृतिक संगठनों के मामलों की सिफारिश प्रशासनिक मंत्रालय या दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ?

विवरण

1-4-1978 से 31-3-81 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धार्मिक संस्थाओं को आवंदित की गई भूमि की सूची।

1. गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शीलमार बाग
2. सनातन धर्म सभा वसन्त विहार
3. डोमिनेशन फादर सोसाइटी वसन्त विहार
4. श्री जैन सभा स्टेट बैंक करलोनी
5. हिन्दु धर्म सभा जनकपुरी
6. श्री सनातन धर्म सभा साकेत
7. नीलाचल सेवा संघ सफदरजंग
8. कैलाशपति मन्दिर सभा सफदरजंग
9. श्री सनातम धर्म सभा जनकपुरी वी ब्लाक
10. श्री गीता प्रचारणी सनातन सभा जनकपुरी
11. श्री गुरु सिंह सभा लारेन्स रोड
12. श्री गुरु सिंह सभा यमुनापुरी
13. श्री गुरु सिंह सभा पश्चिमपुरी
14. श्री सनातम धर्म प्रचार सभा पश्चिमपुरी
15. श्री अल-ल्लिहा कमेटी यमुनापुरी
16. दिल्ली फांससैलियन सोसाइटी जनकपुरी
17. दिल्ली कैथोलिक अर्चडोसिस कालकाजी
18. दिल्ली कैथोलिक अर्चडोसिस लारेन्स रोड
19. दिल्ली कैथोलिक अर्चडोसिस मायापुरी

20. दिल्ली कैथोलिक थर्चडोसिस कल्याणपुरी

21. आर्य समाज डी० ब्लाक जनकपुरी

22. लोक सेवक कोपरेटिव सोसाइटीं गीतांजली एन्कलेव

23. श्री सर्वश्री समूह तुकलकाबाद

24. श्री गुरु सिंह सभा बी० ब्लाक शालीमार बाग

25. श्री गुरु सिंह सभा पश्चिमपुरी

26. दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा शालीमार बाग

27. मैंडिना मस्जिद डी० 1 मायापुरी

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा स्थानान्तरण शुल्क लिया जाना

2337. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, बसन्त बिहार, नई दिल्ली बसन्त बिहार और शान्ति निकेतन को अपनी कालोनियों में प्रथम आवंटनधारी द्वारा या तो बिक्री के समय अथवा अपने बच्चे की स्थानान्तरण के समय भूखण्ड के स्थानान्तरण के लिए 50 रुपये प्रति गज की दर से शुल्क ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस कानून अथवा आदेशों के अन्तर्गत ऐसा किया जा रहा है ;

(ग) क्या जहाँ तक भूमि की लागत का सम्बन्ध है उसकी बिक्री की 50 प्रतिशत राशि ऐसे स्थानान्तरण के मामले में डी. डी. ए. को दी जाती है ; यदि हां, तो इन दो कालोनियों में इस राशि के भुगतान के लिए भूमि का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यह समिति इस धन का किस प्रकार उपयोग कर रही है तथा भूखण्डों की ऐसी बिक्री अथवा स्थानान्तरण को रोकने के लिए डी. डी. ए. द्वारा यदि कोई उपाय किए गये हैं तो क्या ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मत्स्य नौकाओं की खरीद के लिए गैर सरकारी लोगों को धन

2338. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मत्स्य नौकाओं की खरीद के इच्छुक किसी-किसी राज्य के गैर-सरकारी लोगों को धन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के ऐसे लोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपर्युक्त प्रयोजन हेतु उनके मंत्रालय को आवेदन किया था ;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा उन लोगों को कितनी केन्द्रीय ऋण सहायता दिए जाने की सिफारिश की गई थी ;

(घ) उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से उन्हें ऋण सहायता दी गई है और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) मत्स्यन जलयानों की खरीद के लिए मत्स्यन कम्पनियों को जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय की एक सांविधानिक निकाय अर्थात् जहाजरानी विकास कोष समिति द्वारा ऋण दिया जाता है। यह योजना 3-2-1981 से शुरू की गई है।

जहाजरानी विकास कोष समिति को 303 लाख रुपये की ऋण सहायता की सिफारिश की गई है।

(ख) 3-2-1981 के पश्चात् ऋण के लिए आवेदन करने वाली कम्पनियों की सूची संलग्न है।

(ग) निम्नलिखित कम्पनियों के लिए 303 लाख रुपये की ऋण सहायता की सिफारिश की गई है :

(1) मैसर्स यूनी मेरीन प्रा० लि०।

(2) मैसर्स वेस्ट कोस्ट मैरीन प्रा० लि०।

(3) मैसर्स मार्शल सी फूड्स प्रा0 लि0।

(4) मैसर्स सूरज फिशरीज प्रा० लि०।

(5) मैसर्स यमुना सी० फूड्स प्रा० लि०।

(6) मैसर्स उड़ीसा मैरीन इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०।

(घ) तथा (ङ) ऋणों का वितरण जहाजरानी विकास कोष समिति द्वारा सीधे शिपयार्डों को किया जाता है।

सूची

क्रम संख्या

1. श्रिम्प इंडिया प्रा० लि० कलकत्ता।
2. एम० जी० आर० सी० प्रोडयूस प्रा० लि० कलकत्ता।
3. मशरूम फूड प्रोडक्टस प्रा० लि० कलकत्ता।
4. संचेती सी० फूडस प्रोडक्टस प्रा० लि० कलकत्ता।
5. मार्शल सी फूडस प्रा० लि० कलकत्ता

6. गार्डियन प्लास्टिकोट लि० कलकत्ता
7. ब्लू डायमण्ड मैरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि० कटक
8. अक्मा मैरीन लि० भुवनेश्वर
9. ओसिआनिक इन्टर प्राइजिज एण्ड डेवेलपमेंट प्रा० लि० भुवनेश्वर
10. कोरोमण्डल कामर्शियल काम्पलेक्स प्रा० लि०, भुवनेश्वर
11. प्राची डीप सी फिशिांग कम्पनी, भुवनेश्वर
12. कोरोमण्डल मैरीन प्रा० लि०, भुवनेश्वर
13. उड़ीसा मैरीन इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, भुवनेश्वर
14. संतोकसन मैरीन इन्टर प्राइजिज प्रा० लि०, भुवनेश्वर
15. सूरज फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली
16. यमुना सी फूड प्रा० लि०, नई दिल्ली
17. मैरीन सैनरजेटिक प्रा० लि०, नई दिल्ली
18. यूनी मैरीन प्रा० लि०, नई दिल्ली
19. ग्रेट एशियाटिक लाइन्स लि०, दिल्ली
20. राज इन्टरनेशनल प्रा० लि० नई दिल्ली
21. वेस्ट कोस्ट मैरीन प्रा० लि० गोवा
22. एस० बी० एस० मैरीन एक्सपोर्ट प्रा० लि०, काकीनाड़ा
23. श्री विजय सागर फूडस प्रा० लि० विशाखापटनम ।
24. ब्लू औसियन मैरीन (प्रा०) लि० विशाखापटनम
25. जलपुष्पा सी फूड प्रा० लि० विशाखापटनम
26. सत्यसई मैरीन प्रा० लि० विशाखापटनम
27. सैपहायर फिशरीज प्रा० लि० विशाखापटनम
28. प्रकाश मैरीन एक्सपोर्टस प्रा० लि० हैदराबाद
29. सामरो फूड प्रोसेसर्स प्रा० लि० सिकन्दराबाद
30. सीगुल सी फूडस प्रा० लि० विशाखापटनम
31. सर्कार सी फूडस प्रा० लि० काकीनाडा
32. कोस्टल ट्रालर्स (प्राइवेट) लि०, काकीनाडा
33. वैस्टर्न वाटरक्राफ्ट एण्ड फिशिंग (प्राइवेट) लि०, बम्बई ।
34. न्यू इंडिया फिशरीज प्रा० बम्बई
35. बी० सी० मोदी एक्सपोर्ट लि० बम्बई
36. पौण्डी सी फूडस प्रा० लि०, बंगलौर ।

उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं की दरों में वृद्धि

2339. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की दरों में पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक बार मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही आम उपभोक्ता वस्तुओं की पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ाई गई दरें निम्न प्रकार हैं :—

(1) गेहूं	1-12-78 से 31-3-81	1-4-81 से आगे	
	130 रु० प्रति क्विंटल	145 रु० प्रति क्विंटल	
(2) चावल	25-10-79 से 31-12-80	1-1-81 से 30-9-81	1-10-81 से आगे
(क) आम	150 रु० प्रति क्विंटल	165 रु० प्रति क्विंटल	175 रु० प्रति क्विंटल
(ख) फाइन	162 रु० प्रति क्विंटल	177 रु० प्रति क्विंटल	187 रु० प्रति क्विंटल
(ग) सुपर फाइन	172 रु० प्रति क्विंटल	192 रु० प्रति क्विंटल	202 रु० प्रति क्विंटल
(3) लेवी चीनी	30-11-80 तक	1-12-80 सेक 14-11-81	15-11-81 सेक आगे
	2.85 रु० प्रति कि. ग्रा.	3.50 रु० प्रति कि. ग्रा.	3.65 रु० प्रति कि. ग्रा.
(4) मिट्टी का तेल (कितनी वृद्धि हुई)	1-3-79	90.57 रु० प्रति कि. ली.	
	17-879*	170.00 रु० प्रति कि. ली.	
	13-1-81	100.00 रु० ,, ,, ,,	
	11-7-81	150.00 रु० ,, ,, ,,	

*10/11 सितम्बर, 1981 की मध्य रात्रि से मिट्टी के तेल के मूल्यों में 69.05 रु० प्रति कि. ली. की कमी की गई।

(5) आयातित खाद्य तेल : उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए राज्य सरकारों को सुझाये गये आर० बी० डी० पामोलीन/आर० बी० डी० ताड़ के तेल के निर्गम मूल्य 26-6-79 से 3.25 रु० प्रति कि.ग्राम और रेपसीड तेल के निर्गम मूल्य 25-4-79 से 8.50 रु० प्रति कि.ग्रा. थे। तब से इन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकारें साज-संभाल आदि पर होने वाले फुटकर खर्चों को ध्यान में रखते हुए इन मूल्यों में मामूली समायोजन कर सकती हैं।

उड़ीसा के छोटे तथा सीमान्त किसानों को उर्वरकों के लिए सहायता

2340. **श्री के० प्रधानी** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक के वितरण के लिए सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राहत देने तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे एवं सीमान्त कृषकों को आदानों के लिए राज सहायता की लागत संबंधी अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति हैक्टार से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति हैक्टार करने के लिए उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया।

भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए थे ; जैसे समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त कृषकों से संबंधित विशेष राज सहायता योजना को 31-3-81 तक जारी रखना, ब्लाक मुख्यालयों तक सरकारी खर्चे पर उर्वरकों की सप्लाई करना, राज्यों को 1980-81 में 200 करोड़ रुपये जिसमें उड़ीसा के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है, की अल्पावधि ऋण की मंजूरी देना आदि। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार को सलाह दी गई थी कि यदि आवश्यक हो तो वह राज्य के बजट से उर्वरकों पर राज सहायता देने की संभावना पर विचार करे जैसा कि कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी किया था।

दिल्ली में पशुओं की मृत्यु

2341. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस में 'मूवमेण्ट आफ डीजिस्ट टू बी रेस्ट्रिक्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि गाजीपुर डेरी परिसर में पिछले छः सप्ताह के दौरान रिंडरपेस्ट रोग के कारण

4,000 मवेशी मर गए तथा इस महामारी के कारण पूर्वी दिल्ली में 0,000 गाय और भैंसों के मरने की सम्भावना है तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा इस स्थिति को सुधारने में विफल होने तथा ऐसी दवाइयों और टीकों की कमी के कारण 11 नवम्बर, 1981 को 165 भैंसें मर गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस असामान्य स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस रोग की रोकथाम तथा दवाई और टीकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने में दिल्ली प्रशासन की विफलता के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां । सरकार को गाजीपुर डेरी कालौनी, दिल्ली में, जिसमें लगभग 10,000 पशु हैं । गौ-पशुओं और भैंसों में सितम्बर, 1981 से पशु प्लेग रोग होने की जानकारी है । इस बीमारी से इस कालौनी में 30-11-81 तक 676 गौ-पशुओं और भैंसों के मरने का पता चला है। 11 नवम्बर 1981 को 15 मवेशियों के मरने की सूचना मिली थी । दिल्ली प्रशासन ने शीघ्र ही पशु प्लेग की रोकथाम के लिए टीके लगाने शुरू कर दिए थे । और गाजीपुर डेरी कालौनी में 7839 पशुओं को टीके लगाए गए । इसके अलावा, प्रशासन ने इस रोग के अन्य डेरी कालोनियों में फैलने से रोकने के लिए बचावकारी कदम भी उठाए। अब तक दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में इस रोग की रोकथाम करने के लिए 52397 पशुओं को टीके लगाये जा चुके हैं, जिनमें से 20,526 टीके पूर्वी दिल्ली के शाहदरा ब्लाक में लगाए गये थे ।

पशु प्लेग का कोई उपचारात्मक इलाज नहीं है । लेकिन बीमार मवेशियों को परवर्ती संक्रमण से बचाने के लिए दवाइयों के पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली गयी है । गाजीपुर डेरी कालौनी में नियमित रूप से चल रही एक पशु चिकित्सालय के अलावा संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पशु-चिकित्सकों के नेतृत्व में 6 अतिरिक्त दल भी तैनात किए गए हैं। इस रोग को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए रोग ग्रस्त क्षेत्र से गौ-पशुओं और भैंसों को लाने-ले-जाने पर भी पावंदी लगा दी गई है । दिल्ली प्रशासन तथा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रोगग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने इस रोग को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मार्गदर्शन (प्रशासनिक एवं तकनीकी) दिया है । रोग को नियंत्रित करने के लिए न तो टीकों की और न ही दवाइयों की कमी रही है ।

मूंगफली की खली, चावल की भूसी, मक्की तथा मत्स्य आहार का निर्यात

2342. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली की खली, चावल की भूसी, मक्की-सार तथा मत्स्य आहार जैसी खाद्य सामग्रियों के निर्यात की अनुमति दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन वस्तुओं की कमी

से इसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण मुर्गीपालन हेतु आहार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार मुर्गीपालन केन्द्रों के हित में ऐसी मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लाने हेतु प्रतिबंध लगाने पर पुनः विचार करेगी ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चारा सामग्री की वर्तमान निर्यात नीति निम्नलिखित है :—

मद	निर्यात नीति
(1) एक्सपेल्लर से निकाली गई मूंगफली की खली	निर्यात पर प्रतिबन्ध है।
(2) चावल की भूसी	निर्यात पर प्रतिबन्ध है।
(3) मूंगफली की भूंसी	सीमित सीमा तक निर्यात करने की छूट है और यह भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से किया जाता है।
(4) मक्का	—तदेव—
(5) चावल की भूसी का निष्कर्षण	सीमित सीमा तक निर्यात करने की छूट है और यह साल्वेन्ट एक्सट्रैक्टर्स एसोशिएशन आफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है।
(6) मत्स्य चूर्ण	50 प्रतिशत से कम प्रोटीन वाले मत्स्य चूर्ण को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। खुला सामान्य लाइसैन्स-3 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत और उससे अधिक प्रोटीन वाले मत्स्य चूर्ण को निर्यात करने की अनुमति है।

(ख) इन सामग्रियों की घरेलू मांग को देखते हुए, पहले से ही प्रतिबन्धित निर्यात नीति अपनाई जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में कोयले का डिपो

2343. **श्री केशवराव पारधी**: क्या निर्माण और आवास मंत्री पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में कोयले के डिपो के बारे में 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1026 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुक्त, खाद्य और नागरिक पूर्ति ने 25 दिसम्बर, 1981 को आयुक्त (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक सिफारिश पत्र संख्या एफ एण्ड सी सप्लाई/एफ 81-8572 (हिन्दी) में भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइसेंस के लिए प्लांट आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र के निवासियों के हित को ध्यान में रख कर इस महीने (नवम्बर, 1981) के दौरान एक उपयुक्त प्लाट (जो केन्द्र में स्थित हो) आबंटित कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रश्न गत पत्र जिस पर खाद्य एवं नागरिक संभरण (कोल) अधिकारी ने हस्ताक्षर किये बतलाया गया है, वह पत्र दिल्ली प्राधिकरण के कार्यालय में एक आवेदन पत्र के अनुलग्नक के रूप में प्राप्त किया गया था। यह पत्र एक सादे कागज पर था और न तो उचित माध्यम से भेजा गया और ना ही उसकी प्रमाणिकता के समर्थन में उस पर कोई कार्यालय की मुहर लगी हुई थी।

(ख) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि करने के लिए उस मामले को खाद्य एवं नागरिक संभरण के आयुक्त को भेजा था और उनके उत्तर के प्राप्त होने पर वह उस पर कार्यवाही करेगा।

दिल्ली छावनी में वनस्पति घी के लिए लाइसेंस

2344. **श्री शिबु सोरन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली छावनी के उचित दर दुकानदारों ने वनस्पति घी के खुदरा लाइसेंस हेतु आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उचित दर दुकानदारों के नाम क्या हैं तथा क्योंकि वे गैर-वर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री करने के हकदार हैं, उन्हें ये लाइसेंस देने के लिए सरकार ने क्या तात्कालिक कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात

2345. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरकों की बड़ी मात्रा में आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की किस्म तथा उसकी मात्रा क्या है ; और

(ग) जहां तक वर्तमान क्षमता का सम्बन्ध है, देश में अधिकतम उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं व देशी उर्वरकों की उपलब्धि के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए उर्वरकों के आयात का सहारा लिया जाता है । देश में यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट तथा मुरियेट आफ पोटाश का अधिक आयात किया जाता है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक किया गया आयात गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आयात से कम है । तथापि, चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान करार की जाने वाली उर्वरकों की मात्रा के बारे में जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

(ग) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों से इष्टतम उत्पादन लेने की दृष्टि से संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रम, अप्रयुक्त ऊर्जा प्रजनन सुविधा को जुटाने तथा सन्तुलन उपकरणों को और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने जैसे उपाय किए जा रहे हैं ।

नियमित कालोनियों का विकास

2345. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** दिल्ली की नियमित कालोनियों में निर्माण कार्य सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित की गई कालोनियों में विकास शुल्क निर्धारित करने में क्या कठिनाइयां हैं । तथा इस कठिनाई को किस प्रकार दूर किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस मासले में सम्बद्ध प्रक्रियाएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार हल किया जा रहा है ।

(ग) उपर्युक्त मामलों में अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति के निदेश पद क्या हैं ;

(घ) इस तकनीकी समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ङ) इस समिति द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है, जिससे कि नियमित की गई कालोनियों में ग्रह निर्माण सम्बन्धी कार्यों को शुरू किया जा सके ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार के आदेशों के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सभी मामलों पर विचार करना तकनीकी समिति के विचारार्थ विषय हैं।

(घ) तथा (ङ) यह तकनीकी समिति दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित कालोनियों को नियमित करने के लिए विन्यास नक्शों की जांच तथा उन्हें अनुमोदित करती आ रही है। अभी तक कुल 2८2 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। जब तक कि सरकार की नीति के अनुसार गैर सरकारी भूमि पर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इस तकनीकी समिति का अपना कार्य जारी रखने की आशा है। इस कार्य के लिए समय सीमा नियत करना व्यवहार्य नहीं है।

मिन्टो रोड, नई दिल्ली में एक मंजिला क्वार्टरों का गिराया जाना

2347. **श्री सतोश प्रसाद सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवास की भारी कमी के बावजूद मिन्टो रोड, नई दिल्ली स्थित एक मंजिला पुराने किस्म के क्वार्टरों को शीघ्र ही गिराया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्वार्टरों के गिराए जाने से प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास इसी क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने का सरकार का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है, तो क्या सरकार ने इन क्वार्टरों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की कोई मंजूरी दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्वार्टरों में अनधिकृत लोग रह रहे हैं तथा सरकार को राजस्व तथा सम्पत्ति को भारी क्षति है के अलावा ये अवांछनीय तत्वों से सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह)। (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जिन क्वार्टरों में विशेष मरम्मत की शीघ्र ही आवश्यकता है उन क्वार्टरों की भारी मरम्मत के लिए स्वीकृति विद्यमान है।

(घ) मिन्टो रोड के टाइप (III) के दो क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं। इन क्वार्टरों को खाली

कराने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

"हुडको" द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान

2348. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में "हुडको" की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) समाज के कमजोर वर्गों तथा शहरी क्षेत्रों में निम्न आय के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने में हुडको को कहां तक सफलता मिली है तथा इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वाले लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए हुडको जैसे पृथक संगठन की स्थापना करने पर विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) पिछले पाँच वर्षों से हुडको के क्रियाकलाप तथा उपलब्धियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं।

	वर्ष					
	1976-77	77-78	78-79	79-80	80-81	प्रतिशत वृद्धि 1976-77 से अधिक 1980-81
स्वीकृति ऋण (करोड़ रुपयों में)	72.70	88.05	107.98	139.20	161.68	122.30%
दी गई राशि (करोड़ रुपयों में)	40.08	48.78	65.86	77.05	89.97	124.48
ऋण की प्राप्ति (करोड़ रुपयों में)	14.98	18.09	17.75	23.93	36.42	143.12
स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या में	54197	141100	99662	202884	268513	395.44

हुडको की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं।

(1) 1976-77 से 1980-81 की अवधि के दौरान हुडको की कुल ऋण स्वीकृतियाँ 1971-72 से 1975-76 तक के दौरान दी गई कुल ऋण स्वीकृतियों की तुलना में 195 प्रतिशत अधिक हैं।

मुर्गी पालन पर खाद्य जिन्सों के मूल्यों का प्रभाव

2386. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में मुर्गी पालन बहुत संकट में है ;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य जिन्सों के निर्यात के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु के मुर्गी पालकों की तरफ से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तमिलनाडु सहित सारे देश के मुर्गी पालक पिछले 4-5 वर्षों के दौरान आहार के बढ़ते हुए मूल्यों तथा वस्तुत: अंडों के स्थिर मूल्यों के कारण कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) पिछले बर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मूंगफली की खली तथा मक्का जैसे आहार अवयवों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यद्यपि उनके निर्यात का स्तर प्राय: एक जैसा रहा है ।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग को तमिलनाडु के मुर्गी पालकों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ?

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

कृषि विश्वविद्यालय और कालेज

2387. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय और कालेज हैं ; और

(ख) केन्द्र सरकार कृषि सम्बन्धी शिक्षा के पुनर्गठन के लिए क्या तात्कालिक कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के 16 बड़े राज्यों में 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं । महाविद्यालयों की कुल संख्या 76 है जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत चल रहे महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न है ।

उपर्युक्त में से 850314 रिहायशी एकक उन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए है जिनकी मासिक आय 600 रुपये से अधिक नहीं है। हुडको के भावी कार्यों के सम्बन्ध में प्रक्षेपण निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	सम्भावित ऋण स्वीकृति के अस्थाई अनुमान (करोड़ रुपयों में)
1980-81 (वास्तविक)	161.68
1981-82 (लक्ष्य)	190.00
1982-83 (अस्थाई)	220.00
1983-84 (अस्थाई)	235.00
1984-85 (अस्थाई)	250.00

हुडको पूंजीनिवेश का 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए है।

(ग) जी, नहीं।

वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा

2349. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन विभाग ने इस बात का पता लगाने के लिए कि कितनी वन भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है का अध्ययन करने के लिए कोई हवाई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) राज्य-बार कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है ;

(ग) राज्य-बार कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) कितने मुकदमों में दण्ड दिया है और कितने लोगों को छोड़ दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में मिट्टी के तेल के लाइसेंस दिया जाना

2350. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री मिट्टी के तेल के लिए लाइसेंस के सम्बन्ध में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्किल कार्यालय सं. 23 द्वारा आवेदन पत्रों पर निर्णय लिए जाने से पूर्व और बाद में भी गलत सिफारिश किए जाने के बारे में खाद्य तथा नागरिक पूर्ति आयुक्त दिल्ली प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सक्षम प्रधिकारी द्वारा जांच अभी तक नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 का उत्तर 14 सितम्बर, 1981 को दिया गया था। दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा आपूर्ति आयुक्त को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें सर्किल कार्यालय सं० 23 द्वारा की गई कथित गलत सिफारिश के बारे में जांच करने का अनुरोध किया गया था। इस शिकायत के बारे में जांच पूरी हो चुकी है :

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जांच से ऐसी कोई बात पता नहीं चली, जिससे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाही करने की जरूरत हो।

नन्थार पर बाँध का निर्माण

2351. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री बागमती अधवाडु बेसिन बाढ़ से बचाव तथा सिंचाई के लिए प्रयोजना के सम्बन्ध में दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई सुनिचित करने और पन बिजली का उत्पादन करने के लिए नेपाल सरकार के साथ परामर्श से नन्थार पर एक बहुउद्देश्यीय बांध का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विकास के घटक रूप में समेकित बागमती परियोजना का ब्यौरा क्या है, और क्या इन सभी झरनों यथा डाउन्स बागमती खिरोई, लाल आकाया और लखन-देई को इनमें शामिल किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बागमती सहित, भारत तथा नेपाल, दोनों देशों की सभी साँझी नदियों के जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए परियोजनाओं के संयुक्त रूप से अन्वेषण प्रारम्भ करने के प्रश्न पर नेपाल सरकार को सुझाव दिया गया है, किन्तु अभी तक उनसे कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अब प्रस्तुत की गई संशोधित बागमती परियोजना पर 185 करोड़

43 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है और इसमें रामनगर के स्थान पर बागमती नदी पर एक बराज तथा दो नहरों-दोनों तटों पर एक-एक के निर्माण की परिकल्पना की गई है और इसमें बिहार के पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में 1 लाख 21 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लिए वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से बागमती और लाल बकिया के दोनों तटों पर तटबंधों तथा लखनदेई जैसी सहायक नदियों पर पश्चजल तटबंधों का निर्माण करके, इसके कमान क्षेत्र में 2960 वर्ग किलोमीटर की सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। इस परियोजना में केवल बागमती, लालबाकेया तथा लखनदेई नदियों को ही शामिल किया गया है।

मध्य प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलें

2352. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रोलर फ्लोर मिलों की 15 नवम्बर, 1981 को कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ख) वैध लाइसेंस वाली प्रत्येक इकाई का नाम, उत्पादन क्षमता तथा उत्पाद संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी यूनिटें रुग्ण हैं और वे कब से बन्द हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में त्रिदिशा की पसारी फ्लोर मिल्स तथा मेहता फ्लोर मिल्स पिछले 20 वर्षों से बन्द पड़ी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) स्वीकृत कुटाई क्षमता 112800 मीटरी टन प्रति वर्ष है।

(ख) गेहूं रोलर फ्लोर मिलें गेहूं के उत्पाद अर्थात् मैदा, सूजी, होल मील आटा, परिणामी आटा और चोकर तैयार करती हैं और उनका उत्पादन उससे निकलने वाले उत्पाद की प्रतिशतता पर निर्भर करता है। प्रत्येक यूनिट का नाम और उसकी कुटाई क्षमता नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	मिल का नाम	वार्षिक क्षमता
1.	असावा फ्लोर मिल्स, प्रेमनगर, जबलपुर	3480 मीटरी टन
2.	जबलपुर जनरल इंडस्ट्रीज रानीताल, जबलपुर	7920 मीटरी टन
3.	रायपुर फ्लोर मिल्स, रायपुर	13,200 मीटरी टन
4.	सेन्ट्रल इंडिया एफ० मिल्स, भोपाल	35,000 मीटरी टन

5. फ्लोर एण्ड फूड (पी०) लि० इन्दौर	21,000 मीटरी टन
6. श्री लक्ष्मी पत्तन, राइस एण्ड आर० एफ० मिल, इन्दौर	9,000 मीटरी टन
7. एम० पी० फ्लोर मिल्स, ग्वालियर	15,000 मीटरी टन
8. नेशनल फ्लोर फूड सप्लायर, चेरीताल, जबलपुर	7,200 मीटरी टन
जोड़	112,800 मीटरी टन

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

स्ववित्त पोषीय योजना के अन्तर्गत फ्लैटों को पूरा करना

2353. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** स्ववित्त पोषीय योजना के अन्तर्गत डी. डी. ए. के फ्लैटों के बारे में 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त प्रश्न के भाग (ग) के अनुबंध III में दर्शाया गया दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषीय योजना के अन्तर्गत मकानों के पूरा होने का निर्धारित कार्यक्रम अब भी वही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या अन्तर हुआ है और कब्जा दिये जाने की अन्तिम तिथि क्या है ; और

(ग) शेष किश्तों की वसूली का निर्धारित समय तथा अन्तिम किश्त के समय ली जाने वाली लागत की संभावित राशि क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है मकानों के तैयार होने का कार्यक्रम जो निर्माण सामग्रियों की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर करता है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भुगतान का निर्धारित समय निम्नलिखित है :-

(1) आवंटन पर आरम्भिक जमा के रूप में (पंजीकरण जमा के रूप में दी गई राशि सहित) 25 प्रतिशत

(2) 20 प्रतिशत लगभग 6 महीनों के बाद

(3) 25 प्रतिशत अगले 6 महीनों के बाद

(4) 20 प्रतिशत दूसरे 6 महीनों के बाद

(5) 10 प्रतिशत या पहले ही दिये गये राशि और वास्तविक लागत जो भी आये का अंतर जब कब्जा लेना अपेक्षित है।

विवरण

स्ववित्त पोषित गोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मकानों की सूची उनके पूर्ण होने की सम्भावित तिथियां ।

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	श्रेणी-I	श्रेणी-II	श्रेणी-III	योग	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1.	यूसूफ सराय ग्रुप-i	—	48	72	120	मार्च, 1981
	युसूफ सराय ग्रुप-ii	—	72	108	180	मार्च, 1981
2.	बंसत गांव -ग्रुप-i	132	—	—	132	दिसम्बर, 1981
	-वही- ग्रेड-ii	—	54	54	103	दिसम्बर, 1981
	-वही- ग्रेड-iii	54	54	54	108	दिसम्बर, 1981
	-वही- ग्रेड-iv	—	36	36	72	दिसम्बर, 1981
3.	कालकाजी पाकेट-i ई० डी० पी० कालोनी के पास	—	64	96	160	दिसम्बर, 1981
4.	सिद्धार्थ इन्कलेव ग्रेड-i	—	44	88	132	जून, 1982
	-वही- ग्रेड-ii	—	32	64	96	जून, 1982
	-वही- ग्रेड-iii	—	14	28	42	मार्च, 1982
5.	हौजखास महरौली रोड ग्रुप-i	—	84	126	210	जून, 1982
	-वही- ग्रेड-ii	48	68	102	213	जून, 1982
6.	कालका जी (समाज सदन के पास) ग्रेड-i	30	112	26	168	दिसम्बर, 1981
	-वही- ग्रेड-ii	32	124	30	186	दिसम्बर, 1981
7.	शेख सराय पाकेट-बी ग्रेड-i	—	62	34	96	जून, 1982
	-वही- ग्रेड-ii	—	62	39	101	जून, 1982
8.	शेख सराय पाकेट-सी ग्रेड-i	—	72	44	115	जून, 1982
	-वही- ग्रेड-ii	—	84	42	126	जून, 1982
9.	राजौरी गार्डन जी. 8 क्षेत्र पाकेट-ई, ग्रुप-i और ii	50	408	—	458	मई, 1982
10.	मुनिरका जे० एन० यू० के पास ग्रेड-i	—	58	87	145	मार्च, 1982
	-वही- ग्रेड-ii	—	38	57	95	मार्च, 1982
11.	ग्रेटर कैलाश में 64 मकान	—	32	32	64	अक्तूबर, 1982

12. कालकाजी में 540 मकान (पश्चिमी समाज सदन) ग्रेड-i	—	46	92	138	अक्तूबर, 1982
-वही- ग्रेड-ii	—	56	112	168	अक्तूबर, 1982
13. पूर्वी कैलाश के पास 204 मकान पाकेट बी० एफ० ए० तथा बी०	—	40	80	120	अप्रैल, 1982
14. यमुना सहकारी भवन निर्माण समिति के पास कालकाजी में 114 मकान	—	38	76	114	अप्रैल, 1982
15. राजौरी गार्डन पाकेट-ई ग्रुप-i में 212 मकान	—	54	54	108	मई, 1982
-वही-	—	52	52	104	मई, 1982
16. मालवीय नगर (साकेत) में एस० एफ० एस०/एम० आई० जी० के 404 मकानों का निर्माण एस० एच० पाकेट 2 में टाइप ए० के अन्तर्गत 66 मकान	—	44	22	66	जून, 1982
17. नीति बाग में 42 डी० यू०	—	28	14	42	मार्च, 1982
18. कालकाजी पाकेट-बी	—	72	—	72	पूर्ण हो चुके हैं
19. मुनीरका ग्रुप-ii	—	68	136	204	दिसम्बर, 1981
20. पाकेट ई० ग्रुप-I में राजौरी गार्डन में 400 मकान	—	80	80	160	जून, 1982
21. बसन्त बिहार (आर० बी० आई० के पास)	—	10	20	30	अप्रैल, 1982
योग	292	2280	1957	4459	

डी० डी० ए० के फ्लैटों के निर्माण के लिए अपेक्षित सीमेंट का दुरुपयोग

2354. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस में "डी० डी० ए० सीमेंट डाइवर्टिड टू स्कूल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि शायद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की साठ गांठ से सीमेंट के 250 बोरे त्रिलोकपुरी में निर्माणाधीन फ्लैटों के लिये भेजे जाने की बजाय महरौली में सावन स्कूल को अनधिकृत रूप से भेज दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला पुलिस के जांचाधीन है इसी बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन कनिष्क इंजीनियरों को निलम्बित कर दिया है। जिनके विरुद्ध इस मामले में शामिल होने का आरोप है ।

रामकृष्णपुरम में सेक्टर-I और सेक्टर-II के बीच एक नाले पर पुल का निर्माण

2355. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम सेक्टर-I नई दिल्ली के बच्चों लड़कियों को रामकृष्णपुरम सेक्टरी-II नई दिल्ली में अपने स्कूल पहुंचने के लिये एक गहरे नाले पर बने लकड़ी के अस्थायी पुल को पार करना पड़ता है और जब बरसात के मौसम में उन्हें कीचड़ में से गुजरात पड़ता है तो यह कार्य बहुत कठिन तथा जोखिम भरा होता है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पुल बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सैक्टर I को सैक्टर-II से मिलाने वाले पैदल पुल के साथ मोटर-गाड़ी चलने लायक एक पुल का निर्माण करने और पुल के सम्पर्क मार्ग में सुधार करने का प्रस्ताव है । नाले के अन्दर जलमार्ग बनाने का भी प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय कर्मचारियों को फ्लैट

2356. **श्री अजय विश्वास :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारियों को किराया खरीद आधार पर फ्लैट दिये जाने के बारे में केन्द्रीय कर्मचारी महासंघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस अभ्यावेदन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस महासंघ ने सुझाव दिया है सरकार को कम लागत पर मकान बनाने चाहिए और उन्हें पांच वर्षों की सेवा अवधि के भीतर सरकारी कर्मचारियों को दे देना चाहिए उनसे किराया खरीद मानदण्डों की दरों पर परिकलित किराया लेना चाहिए।

(ग) किराया खरीद आधार पर सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने के लिए सरकार द्वारा फ्लैटों/मकानों को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु मुख्य रूप से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों की उपलब्धता की कमी के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

तारा अपार्टमेंटों में बाजार और स्कूल का खोला जाना

2357. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री नई दिल्ली स्थिति तारा अपार्टमेंटों में सुविधाओं के बारे में 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 137 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारा अपार्टमेंटों में बाजार और स्कूल की स्थापना करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने तारा अपार्टमेंट के समीप विपणन केन्द्र/सामूहिक सुविधाओं के निर्माण के लिए आरम्भिक आंकलनों को अनुमोदित कर दिया है। स्कूल के बारे में दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय या दिल्ली नगर निगम से कोई विधिवत भेजा गया प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

विपणन केन्द्र, निर्माण कार्य आरम्भ करने की तारीख से लगभग एक वर्ष के समय में तैयार हो जाएगा।

सूखे से प्रभावित होने वाली क्षेत्रों के लिए सिंचाई तथा जल व्यवस्था के प्रस्ताव

2358. **श्री वीराट सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई तथा जल व्यवस्था के लिए, विशेषकर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों, जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए, नए कार्य शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है। इस संबंध में कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नए निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय सूखा-प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दें।

हरिजनों के आवास के लिए सर्वेक्षण योजना

2359. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों के आवास के लिए कोई सर्वेक्षण योजनायें चालू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) भारत सरकार ने हरिजनों के आवास सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में समुद्र तट पर मत्स्य पत्तन

2360. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समुद्र तट के साथ कुछ मत्स्य पत्तन बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) उपयुक्त स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत उनकी जांच का कार्य आरम्भ किया जाता है ?

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भारत सरकार ने धोमरा स्थित एक छोटे

मत्स्यन पत्तन के लिए 69.22 लाख रुपये (संशोधित) तथा चन्दीपुर में मछली उतारने की सुविधाओं के लिए 14.74 लाख रुपये (संशोधित) की पहले ही स्वीकृति दे दी है । इंजीनियरी तथा आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययनों के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर अन्य पत्तन स्थलों के आलाव छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यू० के० सरकार की सहायता से पारादीप (बड़ा पत्तन), अस्टारंग (छोटा पत्तन), रुसीकुलाया (लघु पत्तन) जिसकी परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, में मत्स्य पत्तनों के निर्माण की सम्भावयता की जांच करने का प्रस्ताव है ।

भारत में मुर्गी पालन उद्योग द्वारा मादा पक्षियों का आयात

2361. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति पिछले वर्ष तक मादा पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की थी (भारत में मुर्गी पालन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से) ;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े मुर्गी पालन के मालिकों ने मुर्गी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से भारी ऋण लेकर इस पर खर्च किया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग)क्या सरकार ने मादा पक्षियों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है जिसके परिणामस्वरूप मुर्गी पालन उद्योग के मालिकों को भारी-नुकसान उठाना पड़ रहा है, और यदि हां, तो प्रतिबंध हटाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) चालू आयात नीति में मूल प्रजनक स्टाक (कुक्कुटों) के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। तथापि, पंजीकृत निर्यातकर्ता नीति के अन्तर्गत कुक्कुट उत्पादों आदि के निर्यात के बदले इसके आयात करने की अनुमति है ।

(ख) जहां तक कृषि तथा सहकारिता विभाग की जानकारी में है मैसर्स केग फार्म, नई दिल्ली, मैसर्स पूना पर्ल्स पोल्टरी ब्रीडिंग फार्मस एंड हैचरीज पूना, मैसर्स सी. एस. आर. रांस ब्रीडर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा मैसर्स बैकेटेश्वरा हैचरीज प्रा० लि०, पूना ने बैंकों से काफी मात्रा में ऋण लेकर आधारभूत कुक्कुट प्रजनन फार्मों की स्थापना की है । लिये गये ऋणों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस संबंध में स्थिति प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के समान ही है ।

केन्द्रीय जल आयोग, सिक्किम के 'वर्क चार्ज' स्टाफ का अभ्यावेदन

2362. **श्री आनन्द पाठक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जल आयोग सिक्किम के 'वर्क-चार्ज' स्टाफ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कथित अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कर्मचारियों द्वारा पूरी की गई सेवा अवधि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग के कार्य-प्रभारित कर्मचारी, सिक्किम स्थित लोअर लग्यथ जल-विद्युत परियोजना में कार्य करते रहे हैं।

(ख) अभ्यावेदन मुख्यतः अतिरिक्त कर्मचारियों के विलयन और अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिए है।

(ग) लोअर लग्यथ जल-विद्युत परियोजना, सिक्किम में विभिन्न ग्रेडों में कार्यरत कुल लगभग 264 कार्य-प्रभारित कर्मचारियों में से, लगभग 31 कर्मचारियों के अगले तीन महीनों में अतिरिक्त हो जाने की सम्भावना है।

सामान्यतः ये कर्मचारी 5 वर्षों तक की अवधि के लिए काम करते रहे हैं।

(घ) सिक्किम सरकार के विभागों द्वारा आरम्भ की गई अन्य परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इन अतिरिक्त कर्मचारियों के विलयन के प्रयत्न किए गए हैं और अधिकांश अतिरिक्त कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार का प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक अस्थायी कार्य-प्रभारित पदों को स्थायी बनाने का सम्बन्ध है सम्बन्धित कार्य-प्रभारित कर्मचारी लोअर-लग्यथ जल-विद्युत परियोजना में कार्य कर रहे हैं, जो एक समयबद्ध परियोजना है। इन कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को इस परियोजना के पूरा हो जाने तक ही आवश्यकता है। अस्थायी कार्य-प्रभारित पदों को स्थायी बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

देश में ग्रामीण गृह निर्माण कार्यक्रम के लिए सहायता

2363. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण गृह निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई। जीवन बीमा निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण गृह निर्माण हेतु दी गई राशि अलग-अलग दर्शायी जाये ; और

(ख) क्या न केवल राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वय करने अपितु ग्रामीण गृह निर्माण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता को सारणी-बद्ध करने के लिए केन्द्रीय गृह निर्माण विकास निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है। योजना प्रावधानों के भीतर, राज्य सरकारें स्वयं अपनी अग्रताओं के अनुसार अलग-अलग योजनाओं के लिए निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि, जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ऋणों का नियतन ग्रामीण आवास सहित आवासीय योजनाओं के

लिए राज्य सरकारों को किया जाता है। वर्ष 1980-81 में, पहली बार, जीवन बीमा निगम ऋण की 10 करोड़ रुपये की राशि सिर्फ ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए अलग रखी गई थी। सामान्य बीमा निगम ऋण का उपयोग केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण आवास एवं मकान निर्माण के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ऋणों के नियतनों का एक विवरण संलग्न है।

आवास तथा नगर विकास निगम ने भी 1977-78 से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण सहायता देना आरम्भ कर दिया है। आवास तथा नगर विकास निगम ने 31-10-81 तक 10 राज्यों में 63.05 करोड़ रुपये की ऋण बचन-बद्धता की 111 ग्रामीण आवास योजनाओं की मंजूरी दी है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1978-79 से 1980-81 तक) के दौरान आवास योजनाओं के लिए (ग्रामीण आवास योजनाओं सहित) राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम और सामान्य जीवन बीमा निगम ऋणों का नियतन दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य का नाम	जीवन बीमा निगम (लाख रुपयों में)	सामान्य जीवन बीमा निगम (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	758.60	360.40
2.	असम	185.80	60.20
3.	बिहार	734.20	330.80
4.	गुजरात	446.00	335.00
5.	हरियाणा	221.00	143.00
6.	हिमाचल प्रदेश	176.00	69.00
7.	जम्मू और कश्मीर	192.00	48.00
8.	कर्नाटक	588.00	272.00
9.	केरल	557.20	205.80
10.	मध्य प्रदेश	475.00	240.00
11.	महाराष्ट्र	450.20	271.80
12.	मणिपुर	44.60	22.40
13.	मेघालय	49.60	19.40

14. नागालैण्ड	15.00	20.00
15. उड़ीसा	812.00	100.00
16. पंजाब	295.00	182.00
17. राजस्थान	427.50	182·50
18. सिक्कम	25.00	50.00
19. तमिलनाडु	891.00	480.00
20. त्रिपुरा	133.00	21.00
21. उत्तर प्रदेश	1983.30	986.70
22. पश्चिम बंगाल	896.00	150.00
योग	10546.00	4450.00

राष्ट्रीय पक्षी-मोर की संख्या

2364. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने राष्ट्रीय पक्षी-मोर की संख्या का कोई अध्ययन किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को मांस या उसके पंख इकट्ठे करने के लिए मोर को मारने की सूचना मिली है ;

(ग) क्या यह सच है कि व्यापार या वाणिज्य के लिए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चोरी छिपे मोरों का शिकार किया जा रहा है ;

(घ) क्या मोर पंखों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है ; और

(ङ) राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा तथा इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार अन्य क्या कदम उठाना चाहती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मोर की स्थिति के बारे में अभी तक कोई देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) इस संबंध में हाल में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मोर को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया

गया है और इस प्रकार उसे पूरी तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यह राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसकी स्थिति पर भी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश जलाशय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2366. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश जलाशय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयावेदन में उल्लिखित परियोजनाएं मुख्यत: ऊर्जा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी गई थी कि वे उक्त मंत्रालय की सलाह से आगे कार्रवाई करें।

सूखे से राहत के लिए हरियाणा को अतिरिक्त धनराशि

2367. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए हरियाणा सरकार को दी गई सहायता का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि हरियाणा ने 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय दल, जिसने हरियाणा का 22 से 25 मई, 1981 तक दौरा किया था, की रिपोर्ट तथा राहत से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने हरियाणा में वर्ष 1981-82 के दौरान मानसून से पूर्व की अवधि में सूखे और ओलावृष्टि के लिए राहत कार्यों हेतु निम्नलिखित व्यय की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी :

मद	लाख रुपयों में
गैर-योजना	
सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियों से पशुओं का प्रतिरक्षण	10.00

योजना	
सूखे और ओलावृष्टि से गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले निर्माण कार्य	240.00
जहाँ फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ हो, वहाँ कृषि निवेशों के लिए लघु और सीमान्त किसानों को लागत के क्रमश: 25 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत के हिसाब से राज सहायता	100.00
सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई करने की योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को तेज करना।	50.00
योजना और गैर-योजना का कुल जोड़	4.00.00

व्यय की अधिकतम स्वीकृत सीमा के अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि निवेशों की खरीद और वितरण के लिए 11.50 करोड़ रुपये (2.50 करोड़ रुपये खरीफ के लिए और 9.00 करोड़ रुपये रबी के लिए) के अल्पावधि ऋण की भी मंजूरी दी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा को 80.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें वर्ष 1981-82 के दौरान 1,250 मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है।

(ख) हरियाणा सरकार ने वर्ष 1981 के मानसून के बाद की अवधि में पड़े सूखे के दौरान सूखा राहत उपायों के लिए 5500.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए एक ज्ञापन भेजा है।

(ग) 20 और 21 नवम्बर, 1981 को एक केन्द्रीय दल ने हरियाणा का दौरा किया और उसके बाद दल ने 29 नवम्बर, 1981 को राज्य स्तर पर बातचीत की। दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अन्न की व्यापक खेती

2368. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच वर्ष तक परीक्षण करने के पश्चात पंजाब कृषि विश्वविद्यालय राई और गेहूं को क्रास करके एक अनाज योजना तैयार करने में सफल हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने यह सिद्ध किया है कि इस अनाज में रोग अवरोधक प्रोटीन अधिक होगा ; और

(ग) यदि हां, तो परीक्षण का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार देश में इस अनाज की बड़े पैमाने पर खेती करवाएगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने सिम्मिट, मैक्सिकों और अन्य स्रोतों से प्राप्त मूल बीज सामग्री से ट्रिटिकेल की आशाप्रद किस्मों का सफलतापूर्वक विकास किया है ।

(ख) ट्रिटिकेल की इन किस्मों में प्रोटीन विशेषकर लाइसीन अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है । इन किस्मों में गेहूं के क्षेत्रों में पाये जाने वाले रोगों की रोधिता की अधिक क्षमता है ।

(ग) इनमें से कुछ आशाप्रद किस्मों पर पंजाब के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में परीक्षण किया गया । इनमें से कुछ किस्मों जैसे 'टी. एल. 257', टी. एल. 419, 'टी. एल. 68' और 'टी. एल. 167' से अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्म 'डब्ल्यू. एल. 711' के समान स्तर पर उपज मिली और 'कल्याण सोना'/सोनालिका से 20-30 प्रतिशत अधिक उपज मिली ।

बड़े पैमाने पर ट्रिटिकेल की खेती करने की सिफारिश करने से पहले इसके दाने के गुणों और चपाती बनाने के लिए उपयुक्त क्वालिटी सुधारने के लिए अनुसंधान कार्यों की आवश्यकता है ताकि यह उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो सके ।

पालाकौंडा, आंध्र प्रदेश में कोआपरेटिव चीनी फैक्ट्री

2369. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीकाकुलम जिले पालाकौंडा नामक स्थान में एक सहकारी आधार पर चीनी फैक्टरी स्थापित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धाम्रा, उड़ीसा में मत्स्य पत्तन की परियोजना रिपोर्ट

2370. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धाम्रा उड़ीसा में मत्स्य पत्तन के संबद्ध परियोजना रिपोर्ट सरकार के पास 1973 से पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस 84.34 लाख रुपये की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए इस संबंध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथ) :

(क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने पत्तन का कार्य पूरा कर लिया है।

"बटर आयल" का आयात

2371. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "बटर आयल" की ऊंची कीमतों के संबंध में जानकारी है ;

(ख) क्या इसकी कीमतें सरकार ने बाढ़ई हैं, और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे 1980-81 के दौरान "बटर आयल" प्राप्त किया तथा प्रत्येक देश से "बटर आयल" कितनी मात्रा में प्राप्त किया और इसके लिए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में बटर आयल का उत्पादन नहीं किया जाता है। आपरेशन फ्लड II डेरी विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सीमित मात्रा में उपहार के रूप में प्राप्त होता है। यह बटर आयल भारतीय डेरी निगम द्वारा डेरी संयंत्रों को सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के साथ मिलाकर दूध बनाने के लिए उनकी पात्रता के आधार पर दिया जाता है जो उनके पात्र कोटे तक 13,000 रुपये प्रति मीटरी टन तथा उससे अधिक 14000 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से दिया जाता है। डेरियों की जरूरतों को पूरा करने के बाद फालतू बचे बटर आयल की थोड़ी मात्रा तथा बटर आयल की उस मात्रा को भी जो दूध बनाने के लिए अनुपयुक्त होती है परन्तु मानव-उपयोग के लिए उपयुक्त होती है, खाना बनाने के लिए सुपर बाजार तथा मदर डेरी बूथों से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है ;

(ख) भारतीय डेरी निगम ने खाना बनाने के लिए बेचे जाने वाले बटर आयल के मूल्य में वृद्धि करके (जो 1977 में 17 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था) इसे मार्च 1981 में 20 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया था।

(ग) 1980-81 के दौरान भारतीय डेरी निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 9372.780 मीगरी टन बटर आयल प्राप्त हुआ था। यह समूची मात्रा उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी।

वनस्पति, देशी घी, बटर आयल, साबुन और कोयले का अभाव

2372. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले छ : महीनों के दौरान वनस्पति, देशी घी, बटर आयल, साबुन और कोयले का बहुत अभाव रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार ने देश में ये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या ये कदम उठाए जाने के बावजूद अभाव बना रहा और जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा ; और

(ङ) अभाव के क्या कारण हैं और सरकार कब तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने में समर्थ होगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ङ) : अस्थायी स्वरूप की स्थानीय कमियों को छोड़कर, पिछले छः महीनों के दौरान, निर्दिष्ट वस्तुओं की भारी कमी नहीं रही है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त बटर आयल तरल दुग्ध में पुनर्योजित करने के लिए डेयरी संयंत्रों को दिया जाता है

निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में अस्थायी स्वरूप की स्थानीय कमी त्यौहार के भोजन के दौरान उनकी मांग बढ़ जाने, उत्पादन में अस्थायी रुकावट के आ जाने, संचलन संबंधी बाधाओं आदि के कारण कही जा सकती है।

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने तथा उनके मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकारी नीति में मुख्य जोर उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई जारी रखी जा रही है। कम मात्रा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं के देशी उत्पादन की अनुपूर्ति आयात द्वारा की जा रही है। उपभोक्ताओं को कोयला तथा साफ्ट कोक आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए चुने स्थानों में कई खत्ते बनाए गये हैं। ऋण नीति प्रतिबंधात्मक बनी हुई है। आवश्यक वस्तुओं के संचलन में सुधार लाने के लिये प्रयास जारी रखे जा रहे हैं। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही हैं। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता पर सतत निगरानी रखे हुए है।

इस समय आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता की स्थिति आमतौर पर संतोषजनक है ;

वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए योजना

2373. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के बिजली तथा पानी विभाग से वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख)

जी, हां। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के सभी पांच थर्मल जनरेटिंग यूनिटों की चिमनियों से धूल के स्तर को कम करने के लिए 8.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की वायु प्रदूषण रोधी एक योजना बनाई है। इस योजना का निस्पादन तीन चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है प्रथम चरण में यूनिट नं० 1 (चिमनी नं० 2) के लिए एक नया-स्थिर विद्युत अपक्षेपक (इलैक्ट्री स्टेटिक प्रीसीपिटेटर) लगाने का विचार है। द्वितीयचरण में, यूनिट नं० 2, 3 और 4 के स्थिर वैद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्री-स्टेटिक प्रीमीपिटेटरों) का संशोधन, विस्तार एवं गैस अनुकूल बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तृनीय चरण में, यूनट नं० 5 के लिए एक अतिरिक्त स्थिर-वैद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्री-स्टेटिक प्रीमीपिटेटर) स्थापित करने की व्यवस्था है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यूनिट नं० 1 में एक नया स्थिर वैद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्री-स्टेटिक प्रीसीपिटेटर) लगा कर योजना के प्रथम चरण को जनवरी, 1979 में पहले ही निष्पादित कर दिया है। योजना के द्वितीय चरण के निष्पादन में, यूनिट नं० 4 का विस्तार करने, उसका संशोधन करने एवं गैसानुकूल बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और वायु प्रदूषण रोधी संयन्त्र को प्रयोग के तोर पर चलाया जा रहा है। यूनिट नं० 2 का काम पूर्ण होने वाला है और यूनिट नं० 3 का काम शुरू किया जा रहा है। योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत, यूनिट नं० 5 के लिए एक अतिरिक्त स्थिर-वैद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्री-स्टेटिक प्रीसीपिटेटर) की सप्लाई करने और उसे स्थापित करने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं और इसके अगस्त, 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने 65.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का मल-जल निर्यास कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में मल-जल शोधन क्षमता बढ़ाना मुख्य सीवर बिछाना मल-जल पंपिंग स्टेशनों की स्थापना करना उनका विकास करना, उसके नालियों में प्रवाहित करना तथा अन्य मल जल निकास योजनाओं का प्रावधान शामिल है। इस कार्यक्रम में ओखला तथा केशोपुर शोधन संयंत्रों की मल जल शोधन क्षमता बढ़ाने और रिठाला तथा शाहदरा में दो नए मल जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है। छठी योजना में व्यवस्था की गई योजनाओं के निष्पादन से जल प्रदूषण की कमी होगी।

त्रिपुरा में अनाज की गम्भीर स्थिति

2374. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिपुरा में अनाज की स्थिति बहुत गंभीर है ;

(ख) क्या त्रिपुरा को तुरन्त चावल सप्लाई करने के बारे में सरकार को त्रिपुरा के मुख्य मंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री० आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास त्रिपुरा में 1-11-1981 को 7418 मीटरी टन चावल और 70 मीटरी टन गेहूं उपलब्ध था। इसके अलावा, त्रिपुरा की राज्य सरकार के पास 1-11-1981 को लगभग 6870 मीटरी टन चावल और 1130 मीटरी टन गेहूं का स्टाक भी उपलब्ध था। इस स्टाक में और वृद्धि करने की दृष्टि से नवम्बर, 1981 के दौरान त्रिपुरा के लिए और 9683 मीटरी टन चावल और 1856 मीटरी टन गेहूं का लदान किया गया है। अतः इसमें कोई औचित्यता नहीं है कि त्रिपुरा में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक है।

(ख) जी हां। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने 16-11-1981 को एक टेलीप्रिन्टर सन्देश भेजा था जिसमें उन्होंने त्रिपुरा को तुरन्त चावल भेजने का अनुरोध किया था।

(ग) जैसाकि ऊपर (क) में बताया गया है, नवम्बर, 1981 के दौरान त्रिपुरा के लिए 9683 मीटरी टन चावल और 1856 मीटरी टन गेहूं का लदान किया गया है। दिसम्बर, 1981 के दौरान उत्तरी जोन से त्रिपुरा को और 8625 मीटरी टन चावल और 3450 मीटरी टन गेहूं भेजने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अलावा जोगबनी (बिहार) से त्रिपुरा के लिए लगभग 2000 मीटरी टन नेपाली चावल भी भेजा जा रहा है। इससे त्रिपुरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के लिए खाद्यान्नों की जरूरतें पूरी हो जानी चाहिए।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग के संबंध में तकनीकी समिति की बैठकें

2375 **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग की संभाव्यता पर विचार करने के लिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार के इंजीनियरों के तकनीकी समिति की इसके गठन के बाद कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ख) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केरल और कर्नाटक के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर व्यपवर्तित करने की सम्भाव्यता की जांच करने के लिए तकनीकी समिति की दस बैठकें हुई थीं और समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1981 में पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

तिलहनों का उत्पादन

2376. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान देश में मूंगफली और अन्य तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष के दौरान अनुमानित उत्पादन कितना होगा ; और

(ख) भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने के लिए देश में और अधिक तिलहनों के उत्पादन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान मूंगफली और अन्य तिलहनों के उत्पादन के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1981-82 के संभावित उत्पादन का अनुमान लगाना अभी कठिन है। तथापि, उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान तिलहनों का उत्पादन वर्ष 1980-81 के मुकाबले अधिक होगा।

(ख) देश में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किये गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सौराष्ट्र में मूँगफली के उत्पादन के लिए विशेष योजना कार्यान्वित करना और ग्रीष्म सिंचित मूँगफली क्षेत्र का विस्तार करना।

(2) मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए विशेष उत्पादन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, जिसका लक्ष्य सोयाबीन क्षेत्र में लगभग 13 लाख हेक्टार तक की वृद्धि करना है और वर्ष 198_-86 तक उत्पादन में लगभग 10 लाख मीटरी टन तक की वृद्धि करना है।

(3) 10 राज्यों में तिलहनों की खेती करने के अधिक उत्पादकतरीकों के प्रसार हेतु गहन तिलहन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

(4) तिलहन फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने और सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी गैर-परम्परागत तिलहन फसलों को उगाने के प्रयास करना।

(5) बीच की फसल और अन्तर्वर्ती फसलों के माध्यम से तिलहनों की छोटी अवधि में पकने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

(6) अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

विवरण

भारत वर्ष 1979-80 और वर्ष 1980-81 में तिलहनों का उत्पादन

लाख मीटरी टनों में

फसलें	1979-80	1980-81
1	2	3
मूंगफली	57.7	49.3
तिल	3.5	4.4

1	2	3
एरण्डी	2.3	2.1
तोरिया और सरसों	14.3	22.5
अलसी	2.7	4.3
रामतिल	1.0	1.4
कुसुम	2.8	3.4
जोड़	84.3	87.4

राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

2377. **श्री मकुन्द मंडल :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों (राज्यबार और वर्षतार) को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए कितना गेहूं आबंटित किया गया है ।

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने गेहूं के कोटे में कटौती की शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों को किये गए खाद्यान्नों के आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण (1) संलग्न है ।

(ख) व (ग) खाद्यान्नों के घटाये गये आबंटन के कारण गत वर्ष लगभग सभी राज्यों से विरोध प्राप्त हुए । तथापि, खाद्यान्न भण्डारों की तंग स्थिति के कारण अतिरिक्त आबंटन संभव नहीं हुए हैं । अक्तूबर, 1980 से खाद्यान्नों के अतिरिक्त नकद धनराशियां भी बंटित की जा रही हैं । वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित नकद धनराशियों को दर्शाने वाला एक विवरण (2) भी संलग्न है ।

विवरण-1

1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पिछले वर्षों के बचे हुए खाद्यान्नों सहित 1978-79 में आवंटित खाद्यान्न (मीटरी टन में)	पिछले वर्षों के बचे हुए खाद्यान्नों सहित 1979-80 के दौरान खाद्यान्न आवंटित (मीटरी टन में)	पिछले वर्षों के बचे हुए खाद्यान्नों सहित 1980-81 के दौरान खाद्यान्न आवंटित (मीटरी टन में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,26,000.00	2,57,570.00	1,65,880.00
2.	असम	13,782.00	16,337.00	25,965.00
3.	बिहार	2,22,264.56	3,86,124.56	2,48,769.32
4.	गुजरात	15,000.00	50,541.00	26,695.80
5.	हरियाणा	20,000.00	74,097.00	26,054.52
6.	हिमाचल प्रदेश	2,136.50	30,202.46	21,347.09
7.	जम्मू तथा काश्मीर	6,000.00	45,000.00	25,111.16
8.	कर्नाटक	15,437.00	56,978.00	58,325.00
9.	केरल	28,239.16	48,901.11	44,301.50
10.	मध्य प्रदेश	1,26,220.00	3,51,220.00	2,87,958.00
11.	महाराष्ट्र	76,940.00	1,60,700.00	72,000.00
12.	मणिपुर	—	4,000.00	5,500.00
13.	मेघालय	—	—	2,000.00
14.	नागालैण्ड	1,500.00	8,500.00	9,056.70
15.	उड़ीसा	2,06,893.82	2,57,140.15	1,47,760.12
16.	पंजाब	39,702.59	31,988.99	17,639.39

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	2,63,072.00	3,18,693.00	2,23,226.00
18.	सिक्किम	—	—	750.00
19.	तमिलनाडु	—	73,000.00	77,413.72
20.	त्रिपुरा	8,000.00	22,000.00	4,750.00
21.	उत्तर प्रदेश	1,45,316.00	5,92,880.00	3,98,467.11
22.	पश्चिम बंगाल	1,56,241.00	2,44,885.00	1,95,288.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	175.00	1,050.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	500.00	1,270.00
25.	चण्डीगढ़	—	50.00	50.00
26.	मिजोरम	1,200.00	1,000.00	2,400.43
27.	पाण्डिचेरी	—	700.00	799.98
	योग	14,73,944.63	30,33,191.27	20,89,828.84

विवारण-2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पिछले वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि 1980-81	1981-82
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1345.00	948.00
2.	असम	262.20	200.00
3.	विहार	1725.50	1210.00
4.	गुजरात	396.90	280.00

1 2	3	4
5. हरियाणा	102.75	80.00
6. हिमाचल प्रदेश	70.15	60.00
7. जम्मू तथा काश्मीर	104.75	80.00
8. कर्नाटक	593.40	414.00
9. केरल	575.10	402.00
10. मध्य प्रदेश	950.10	660.00
11. महाराष्ट्र	1015.40	710.00
12. मणिपुर	13.10	10.00
13. मेघालय	13.00	10.00
14. नागालैंड	9.00	10.00
15. उड़ीसा	586.00	410.00
16. पंजाब	179.00	126.00
17. राजस्थान	330.20	234.00
18. सिक्किम	4.55	8.00
19. तमिलनाडु	1059.50	740.00
20. त्रिपुरा	38.20	30.00
21. उत्तर प्रदेश	2373.40	1670.00
22. पश्चिम बंगाल	955.60	674.00
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9.30	8.00
24. अरुणाचल प्रदेश	9.30	8.00
25. मिजोरम	9.30	8.00
26. पाण्डिचेरी	9.30	8.00
27. चण्डीगढ़	—	2.00
योग :	12740.00	9000.00

मत्स्य उत्पादन

3278. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कुल कितने क्विंटल मछली का उत्पादन हुआ और रुपयों में इसका मूल्य कितना था ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के ही दौरान अन्तर्देशीय जल संसाधनों और समुद्र से अलग-अलग कितने रुपये मूल्य की मछलियों का तथा कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने क्विंटल मछली के उत्पादन का अनुमान है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) वर्ष 1980 के दौरान मछली का कुल उत्पादन अनंतिम तौर पर 242.3 लाख क्विंटल आंका गया है । वर्ष 1981 के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्ष 1980 के लिए इस उत्पादन के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1979-80, जिसमें सम्बन्धित राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान कुल घरेलू उत्पादन में मात्स्यकी का अंशदान 848.78 करोड़ रुपये है ।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार था :

समुद्री	—	154.8 लाख क्विंटल
अंतर्देशीय	—	87.5 लाख क्विंटल
	कुल	242.3 लाख क्विंटल

कुल घरेलू उत्पाद में मात्स्यकी के योगदान का कुल मूल्य भाग (क) में दिया गया है। अन्तर्देशीय व समुद्री क्षेत्रों के अन्तर्गत इस मूल्य का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चालू योजना के अन्त तक उत्पादन का लक्ष्य 350 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है ।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों पर खर्च

2379. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी ;

(ख) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक पुनर्वास कालोनियों के विकास पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) चालू वर्ष के अन्त तक इन कालोनियों के विकास पर किये जाने वाले प्रस्तावित कुल खर्च का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकण ने सूचित किया है कि उसने इस अवधि के दौरान झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अधीन 2337.98 लाख रुपये व्यय किए। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उसने इस अवधि के दौरान इन कालोनियों की सामान्य विद्युतीकरण योजना पर 43.90 लाख रुपये व्यय किए जिसमें इस कार्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लागत का अंश शामिल है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अगस्त, 1981 के खातों को बन्द करने तक किया गया व्यय जिसके लिए निर्धारित लेखों के अनुसार आंकड़े उपलब्ध हैं, जनवरी 1980 से अक्तूबर, 1981 तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किए गए व्यय के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1981-82 के लिए उसके बजट अनुमानों में विद्यमान 1113.86 लाख रुपये का कुल प्रावधान इस प्रकार है :

	(लाख रुपयों में)
भूमि की लागत सहित झुग्गी झोंपड़ी कलोनियों में सुधार योजनाएं	190.00
झुग्गी झोंपड़ी कलोनियों में अतिरिक्त सुविधाएं	593.00
रख-रखाव	186.82
सफाई	144.04

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि 1981-82 के दौरान निर्धारित किया जाने वाला कुल सम्भावित व्यय 75 लाख रुपये है।

विवरण

जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 के मध्य पुनर्वास कालोनियों में विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत किये गये व्यय के ब्यौरे

	(अगस्त, 1981 तक लेखों में लिए गए आंकड़े) (लाख रुपये में)
1—दिल्ली विकास प्राधिकरण	
1. पुनर्वास कालौनियों पर व्यय	24.89
2. जे० जे० कालोनियों में सुधार योजनाएं	216.92
3. जे० जे० कालोनी में अतिरिक्त सुविधाएं	1256.21
4. रख-रखाब	838.14
योग	2336.16

2—दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

1. जनवरी, 80 से अक्तूबर, 1981 तक सामान्य विद्युतीकरण योजना 2. मार्च, 1980 से मई, 1980 तक सड़क रोशनी योजना	387.00	इन राशियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन कार्यों की लागत का अंश शामिल है।
3. जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक स्थानीय विपणन केन्द्रों का विद्युतीकरण 4. जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक डी०एस०आई०सी० शेडों का विद्युतीकरण	45.00	
योग	475.90	

देश में चल रहे घटिया किस्म के पम्प सेट

2380. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि पुनर्वित्त विकास निगम और इंडियन डीजल इंजिन मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह पाया है कि उपयोग में लाये जा रहे घटिया किस्म के पम्प सेटों के कारण राष्ट्रीय तेल श्रोतों को भारी प्रतिशतता में हानि हो रही है और किसानों के छोटे बजट पर दवाव पड़ रहा है ;

(ख) देश में इस समय लगभग कितने पम्प सेट चलाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि घटिया किस्म के पम्प सेटों के कारण प्रति वर्ष 650 करोड़ रुपये मूल्य का 2000 मिलियन लिटर डीजल का नुकसान हो रहा है ;

(घ) क्या सहकारी प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और किर्लोस्कर कनसलटेण्ट्स ने अपने प्रतिवेदनों में यह दर्शाया है कि निर्माताओं को आई० एस० आई० का निशान दिए जाने के कारण बाजार में घटिया किस्म के पम्प सेटों की बाढ़ आ गई ; और

(ङ) सरकार तेल श्रोतों को हो रही भारी क्षति और किसानों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कृषि-पम्प सेटों की कोटि नियन्त्रण के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों के सह-

योग से, छः राज्यों में पायलेट परियोजना अध्ययन किए थे। इन अध्ययनों से प्रतिष्ठापनों में निम्न-लिखित मुख्य कमियों का पता चला है :—

(1) पम्प सेटों का गलत प्रतिष्ठापन, जिसके परिणामस्वरूप उच्च सक्शन लिफ्ट होता है ;

(2) सक्शन और डिलीवरी पाइपों का अनुपयुक्त चयन ;

(3) अधिक बड़े डीजल इंजनों तथा विद्युत मोटरों का प्रतिष्ठापन ;

(4) अनुपयुक्त रख-रखाब ।

(ख) मार्च, 1981 के अन्त तक देश में 7.1 मिलियन पम्प सेट कार्य कर रहे थे ।

(ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए तथ्यों के कारण, कार्य-कुशलता में कमी होती है जिसके परिणामस्वरूप डीजल तेल की अधिक खपत होती है । वर्तमान अनुमानों के अनुसार, प्रति वर्ष लग-भग 68 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) न तो सहकारी प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में तैयार किए गए "गुजरात राज्य में लिफ्ट सिचाई द्वारा पम्प सेटों में प्रयुक्त लाइट डीजल तेल के संरक्षण के बारे में अध्ययन" में और न ही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में 1981 में तैयार किए गए "ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा डीजल इंजनों के कार्य-निष्पादन में सुधार के बारे में अध्ययन" में विशेष रूप से यह कहा गया है कि "निर्माताओं को आई० एस० आई० का निशान भी दे दिया जाता है जिसके कारण बाजार में घटिया किस्म के पम्प सेटों की बाढ़ आ गई है । "भारतीय मानक संस्थान को आई० एस० आई० निशान वाले पम्प सेटों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) जब तक किए गए अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त और अनुदेश दिए गए हैं कि वे सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर की तकनीकी समितियाँ स्थापित करें । स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी समिति स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । भारतीय मानक संस्थान भी उपयुक्त और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है । भारतीय मानक संस्थान के पास शिकायतों की, यदि कोई हो, जांच करने और उपभोक्ताओं को पम्प सेटों के प्रतिस्थापन में सहायता करने के लिए उपयुक्त संगठन विद्यमान है ।

उर्वरक के विपणन को नया रूप देना

2381. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की विपणन व्यवस्था को नया रूप देने का सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) फिलहाल उर्वरकों की वर्तमान विपणन व्यवस्था को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कर्नाटक में पेड़ों का गिराया जाना

2382. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कर्नाटक के जंगलों में बहुत अधिक पेड़ गिराये जा रहे हैं ; और

(ख) बनों के कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दक्षिण कर्नाटक में बनों के चिन्ताजनक विनाश की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सड़े दूध को भारी मात्रा में एकत्र करने का आरोप

2383. **आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सड़े दूध को देश में एकत्र करने का कोई मामला आया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो सालों में ऐसा कितना दूध एकत्र किया गया ;

(ग) इस दूध को सप्लाई करने वाले देश का और इसे लेने तथा वितरित करने वाले संगठन का नाम क्या है ; और

(घ) ऐसे दूध के वितरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्विर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पालघाट, केरल में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

2384. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट केरल में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में आगे कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) तक सरकार देश के दक्षिणी भाग में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस प्रयोजन के लिए केरल के पालघाट जिले में एक स्थान सहित विभिन्न स्थानों को देखा गया है। केन्द्र के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कम आय वाले वर्गों के लिए मकान

2385. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1981 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित "कम आय वाले कर्मचारियों के लिए 19 हजार क्वार्टर" शीर्षक समाचार की तरफ आकृष्ट कराया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा बनाई गई और मंजूर शुदा योजना और कम आय वाले परिभाषित कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और नियुक्ति के स्थान पर जिन कर्मचारियों का अपना मकान नहीं है ऐसे सभी कर्मचारियों को इस योजना में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई योजना शुरू करने पर विचार नहीं करेगी जिसमें 1000/- या इससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी निर्धारित मासिक अशंदान दें और सरकार उनके लिए उनके पद के अनुसार उपयुक्त मकान का निर्माण करके किस्तों में पूरा भुगतान जमा करने के बाद अवकाश ग्रहण करते समय उसे सौंप दिया जाय जिसका पूरा भुगतान उसने कर दिया है ताकि अवकाश ग्रहण करने वाले के पास रहने के लिए जगह हो और सेवारत कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने वाले आदमी द्वारा खाली किया गया आवास मिल सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार में उल्लिखित मकानों के ब्यौरे जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये जा रहे हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

टाइप v के 120 मकानों को छोड़कर ये सभी मकान उन कर्मचारियों के लिए उद्दिष्ट है जिनका मूल वेतन 1000 रुपये प्रतिमाह से कम है। तथापि संसाधनों की कमी के कारण उन सभी कर्मचारियों को मकानों का आबंटन करना सम्भव नहीं है जिसके अपनी तैनाती के स्थान पर अपने मकान हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक शुरुआत की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

बनाए जाने वाले क्वार्टरों की श्रेणीवार संख्या

वर्ग	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	चंडीगढ़	हैदराबाद	बंगलौर	योग
टाइप-ए	742	800	815	96	100	—	43	2,602
टाइप-I	—	—	—	—	--	80	—	88
टाइप-बी	3661	1200	592	108	52	—	156	5,769
टाइप-II	—	—	—	—	—	144	—	144
टाइप-सी	7881	600	592	96	148	—	96	9,413
टाइप-III	1708	—	—	—	—	96	—	1,804
टाइप-v	120	—	—	—	—	—	—	120
योग	14112	2600	2000	300	300	328	300	19,940

मुर्गी पालन पर खाद्य जिन्सों के मूल्यों का प्रभाव

2386. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में मुर्गी पालन बहुत संकट में है ;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य जिन्सों के निर्यात के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु के मुर्गी पालकों की तरफ से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तमिलनाडु सहित सारे देश के मुर्गी पालक पिछले 4-5 वर्षों के दौरान आहार के बढ़ते हुए मूल्यों तथा वस्तुत: अंडों के स्थिर मूल्यों के कारण कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) पिछले बर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मूंगफली की खली तथा मक्का जैसे आहार अवयवों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यद्यपि उनके निर्यात का स्तर प्राय: एक जैसा रहा है ।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग को तमिलनाडु के मुर्गी पालकों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ?

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

कृषि विश्वविद्यालय और कालेज

2387. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय और कालेज हैं ; और

(ख) केन्द्र सरकार कृषि सम्बन्धी शिक्षा के पुनर्गठन के लिए क्या तात्कालिक कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश के 16 बड़े राज्यों में 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं । महाविद्यालयों की कुल संख्या 76 है जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत चल रहे महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न है ।

(ख) पिछले दो दशकों में देश में कृषि शिक्षा का भारी पुनर्गठन हुआ है विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इसके स्तर और सम्बद्ध आयामों में व्यापक सुधार किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों को देखा गया है। देश में कृषि विश्वविद्यालयों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. राज्य भर में शिक्षण, अनुसंधान व विस्तार शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व ;

2. शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार में तीव्रता लाना ;

3. कृषि, अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशासन का एकीकरण और महाविद्यालयों व विभागों में तालमेल तथा बहुआयामी मिल जुल कर कार्य ;

4. निरन्तर मूल्यांकन पर आधारित लोचशील योग्यता पाठ्यक्रम ;

5. नवीन ज्ञान की छात्रों, कक्षाओं, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को शीघ्र जानकारी ;

6. अनौपचारिक शिक्षण द्वारा ग्रामीण युवों और प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना ; और

7. संगठनात्मक और परिचालनात्मक स्वायतता तथा स्वतन्त्र वित्तीय समर्थन

कृषि विश्वविद्यालयों की कार्य प्राणाली की हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई जिसने यह माना कि देश में कृषि विश्वविद्यालय प्रवर्तनशील है तथा सच्चे माने में विकास-परक संस्थायें हैं। ग्रामीण भारत के कल्याण और कृषि विकास में इन विश्वविद्यालयों ने महान योग प्रदान किया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कृषि शिक्षा के पुनर्गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राज्यबार सूची

राज्य का नाम	कृषि वि० वि० की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		
		कृषि वि० वि० के अन्तर्गत	केन्द्रीय वि० वि० के अन्तर्गत	सामान्य वि० वि० के अन्तर्गत
1	2	3	4	5
1. असम	1	1	—	—
2. आन्ध्र प्रदेश	1	3	—	—
3. बिहार	2	3	—	—
4. गुजरात	1	3	—	—

1	2	3	4	5
5. केरल	1	1	—	—
6. मध्य प्रदेश	1	6	—	—
7. तमिलनाडु	1	2	—	1
8. महाराष्ट्र	4	9	—	—
9. कर्नाटक	1	2	—	—
10. उड़ीसा	1	2	—	—
11. पंजाब	1	1	—	1
12. हिमाचल प्रदेश	1	2	—	—
13. हरियाणा	1	2	—	—
14, जम्मू और कश्मीर	—	—	—	1
15. राजस्थान	1	3	—	1
16. उत्तर प्रदेश	3	3	1	23
17. प० बंगाल	1	2	1	—
18. नागालैण्ड	—	—	1	—
19. मणिपुर	—	—	—	1
	22	45	3	28

दिल्ली में ईंटों की कमी

2388. **श्री भोखू राम जैन :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली में ईंटों की बहुत अधिक कमी के कारण राजधानी में मकानों के निर्माण कार्य में बहुत अधिक रुकावटें आ रही हैं और मजदूर बेकार हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) व (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1981 से पहले दिल्ली में ईटों की कमी थी क्योंकि बरसात के मौसम के दौरान ईंटों के भट्टे काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ईंटों को दिल्ली ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा लिया था। प्रशासन ने सूचित किया है कि ईंटों के 250 भट्टे चालू किये गये हैं जिनमें से 25 प्रतिशत ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। 50 प्रतिशत में आग जला ली गई है तथा शेष 25 प्रतिशत मजदूरों की कमी के कारण बन्द पड़े हैं प्रशासन को आशा है कि

जब ईंटों के सभी भट्टे उत्पादन शुरू कर देंगे तो ईंटों की सप्लाई में सुधार होगा। ईंटों के भट्टे के लिये लाइसेंस देने की नीति को प्रशासन द्वारा उदार बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में ईंटों के अधिक भट्टों को स्थापित किए जाने की संभावना है। प्रशासन ने ईंटों को दिल्ली लाने के प्रतिबन्ध के प्रश्न पर ढील देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से भी मामला उठाया है।

जम्मू और काश्मीर राज्य में खाद्यान्नों का दुरुपयोग

2389. **डा० कर्ण सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के बारे में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अनाज के दुरुपयोग, झूठे प्रमाण पत्रों और अन्य अनियमितताओं के बारे में अनेक शिकायतें हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने स्कूलों के भवनों जैसे उपयोगी मदों पर काम के बदले अनाज अनुदान का उपयोग नहीं किया और इस योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया अधिकांश निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया ; और

(ग) जिला ऊधमपुर में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शुरू की गई कितनी मोटर रोड़ पूरी हो गई हैं और किन मामलों में जमीन देने वालों ने अपनी जमीन वापस ली है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जम्मू तथा काश्मीर में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं के बारे में केवल कुछ ही शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एशियाई शेरों और जंगली जानवरों के लिए शरणस्थल/राष्ट्रीय पार्क

2390. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शरणस्थल/राष्ट्रीय पार्कों के नाम क्या हैं जिनमें एशियाई शेर और जंगली जानवर हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे एशियाई शेर और जंगली जानवर रहते हैं ;

(ग) इन दुर्लभ जानवरों की असामायिक समाप्ति क्या सरकार की जानकारी में है ;

(घ) यदि हां, तो इन दुर्लभ जानवरों को बचाने और उनकी वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एशियाई शेर गीर राष्ट्रीय पार्क और जंगली गधे, गुजरात राज्य में रण आफ कच्छ के आश्रयस्थल में पाये जाते हैं।

(ख) एशियाई शेर केवल गुजरात में ही पाये जाते हैं, जब कि जंगली गधे गुजरात और जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भी पाए जाते हैं।

(ग) न तो एशियाई शेर और न ही जंगली गधे का लोप हो रहा है।

(घ) व (ङ) एशियाई शेर और जंगली गधों, दोनों को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, और इस प्रकार इन्हें पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इन दोनों दुर्लभ पशुओं के संरक्षण के लिए गीर राष्ट्रीय पार्क और रण आफ कच्छ आश्रय स्थल विशेष रूप से तैयार किये गये हैं। इसके अलावा, इन दोनों प्राणियों को वन्य जीव जन्तुओं तथा वनस्पति की खतरे में पड़ी किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते के परिशिष्ट-2 में शामिल किया गया है।

दिल्ली में करक्शन चैकरों का वेतन

2391. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, मिन्टो रोड के करेक्शन चैकरों के वेतन में असमानताओं के बारे में 27 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्यावेदनों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं ;

(ख) विचाराधीन अभ्यावेदन पर अब तक की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) अभ्यावेदनों को पहले यह मान कर अस्वीकृत किया गया था कि जिन पदों पर व्यक्तियों की पदोन्नति की गई थी वे उसी संवर्ग से सम्बन्धित नहीं थे।

(ख) पांच कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर पुनः विचार किया गया था और उनके वेतन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ से क्षति

2392. **श्री तारिक अनवर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में इस क्षेत्र को बाढ़ से होने वाले क्षति के खतरों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस कार्य में कुल कितना खर्च आयेगा और यह काम कब तक पूरा होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार सरकार ने बाढ़ों से हुई क्षति को निम्नलिखित सूचना दी है :

1. प्रभावित फसली क्षेत्र	44000 हैक्टेयर
2. क्षति का मूल्य	435.61 लाख रुपये
3. प्रभावित जनसंख्या	2,76,000 व्यक्ति
4. क्षतिग्रस्त हुए मकान	2694
5. क्षति का मूल्य	4.88 लाख रुपये
6. मारे गये लोग	1 संख्या
7. नष्ट हुए पशु	2 संख्या
8. क्षतिग्रस्त हुए सरकारी नलकूपों की संख्या	44 संख्या

(ख) तथा (ग) बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्य सरकार द्वारा आयोजित, अन्वेषित, कार्यान्वित और वित्त-पोषित की जाती हैं। राज्य सरकार महानन्दा तटबंध स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार का इस काम पर इस वर्ष में 50 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है और वह अगले तीन वर्षों में इस पर 435 लाख रुपये खर्च करने तथा छठी योजना के अन्त तक इस काम को पूरा करने का कार्यक्रम बना रही है।

दिल्ली में अवैध बाजार

2393. **श्री रशीद मसूद : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नई सड़क, कूचा नटवां, फतेहपुरी, भगीरथ पेलेस इत्यादि जैसे स्थानों में अनेक अवैध बाजार हैं जिन पर कुछ लोगों का नियंत्रण है और वे करोड़पति हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन अवैध बाजारों पर नियंत्रण करने वाले लोगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने कभी इन बाजारों के निर्माण के बारे में जांच करवाई, यदि हां, तो कब और सरकार ने अवैध बाजारों के निर्माण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की थी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नई सड़क, कूचा नटवां, फतेहपुरी, भागीरथ प्लेस इत्यादि जैसे स्थानों में अनधिकृत बाजार विद्यमान हैं। दिल्ली नगर निगम के पास ऐसे अनधिकृत बाजारों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने कोई जांच या सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। दिल्ली नगर निगम ने आगे यह भी सूचित किया है कि जब निर्माताओं के विरुद्ध गिराने के नोटिस जारी किए जाते हैं और गिराने के आदेश पारित किए जाते हैं तब निर्माता न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। दिल्ली नगर निगम को रोकने के स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं।

अनधिकृत कार्य को हतोत्साहित करने के लिए हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने निर्णय लिया है कि उन मामलों में जहां वैधानिक उपबन्धों के उल्लंघन से किसी भी निर्माण/भवन और भूमि का उपयोग रिहायश से रिहायश के अन्यथा बदला जाता है तो उस मामली में पानी/बिजली के नये कनेक्शनों को देने के अनुरोध पर गौर नहीं किया जाना चाहिए और कानून की प्रक्रिया विधिवत अनुसरण करके वर्तमान पानी/बिजली की सुविधाओं जो रिहायशी से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही है, को काटने की कार्यवाही की जाए।

गुजरात के जिलों में भूमिहीन लोग और वर्ष 1975 से 1980 के बीच उनको बाँटी गई जमीन

2394. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रत्येक जिले में से भूमिहीन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1975 से 1980 के दौरान मकान बनाने के लिए जमीन के लिए आवेदन किया था और कितने लोगों को जमीन दी गई ;

(ख) ऐसे भूमिहीनों की कुल संख्या कितनी है जिनके लिए मकान बनाए गए और उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने फार्म मजदूरों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ग्रामीण आवास स्थल योजना के अलावा कोई अलग योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन का पुनर्गठन

2395. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय नगर तथा ग्राम आयोजन का पुनर्गठन करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या पिछले 2/3 सालों से इस योजना पर कार्य हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रह मंत्रालय से समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार काडर पर नियमित रूप से पुर्नविचार न करने के क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) संवर्ग का पुनर्विचार आमतौर पर संगठित सेवाओं के लिए किया जाता है। नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के मामले में, इस प्रयोजन को पुन: संरचनात्मक प्रयोग के भाग के रूप में निष्पादित किया जाएगा।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का कार्य

2396. **श्री विरदा राम फुलबारिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शुरू हो गया है, यह परियोजना कब तक पूरी होगी और इस नहर से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई होगी ; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) और (ख) राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना पर कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है।

तथापि, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वह 1984-85 में वर्क्स का निर्माण पूरे जोर से आरम्भ कर सकेगी और उसे लगभग 4 वर्षों में पूरा करेगी। राज्य सरकार का इस नहर प्रणाली से एक लाख हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्क्वस्था करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई गई है।

देश में कमजोर वर्गों और कम आमदनी वाले लोगों के लिए मकानों की आवश्यकता

2397. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आमदनी वाले लोगों के लिए मकानों की राज्यवार आवश्यकता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समस्या के हल के लिए बनायी गई सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मकानों की समस्या कितने सालों में हल हो जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) 1971 की जनगणना तथा उस पर 1981 के लिए भारत के महापंजीकार द्वारा किए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लगाई गई आवास की कमी का अनुमान इस प्रकार है :—

ग्रामीण	16.5 मीलियन
शहरी	4.8 मीलियन
योग	21.3 मीलियन

(ख) आवास राज्य का विषय है और बागान श्रमिकों की सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर सभी योजनाऐं राज्य क्षेत्र में हैं। योजना नियतकों के भीतर राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और अग्रताओं के अनुसार अन्तर क्षेत्रीय नियतन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में शेष 6.8 मिलियन पात्र परिवारों को गृह स्थल दिए जाने हैं, ये 1985 तक अनुमानित 14.5 मिलियन पात्र परिवारों को गृह स्थल देने में पहले ही दिए गए 7.7 मिलियन परिवारों के आलावा है। इस योजना में योजना अवधि के दौरान 3.6 मीलियन परिवारों को निर्माण सहायता भी दी जानी शामिल है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पुडको ने 31-10-81 तक देश में 974,000 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किया है। जिसमें से अधिकतर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है।

(ग) छठी योजना के अनुसार यदि अगले 20 वर्षों में पूंजीनिवेश और निर्माण का एक संपोषित कार्यक्रम आरम्भ किया जाता है तो देश की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाना व्यवहार्य हो सकता है तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना में नितान्त आश्रयहीन लोगों की संख्या कम करने तथा दूसरों के लिए आवास पर्यावरण में सुधार की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है।

"नैफेड" द्वारा प्याज का बेचा जाना

2398. **श्री अजित कुमार मेहता :**
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : *क्या* **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बेईमान व्यापारी दिल्ली में बिक्री के लिए कुछ अधिक पैसा देकर नैफेड से प्याज के ट्रक खरीद रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि प्याज सामान्य लोगों तक पहुंचे और नैफेड द्वारा निर्धारित की गई 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सही नहीं है कि दिल्ली में फुटकर वितरण करने के लिए नेफेड के प्याज के ट्रकों को व्यापारियों ने खरीदा ।

(ख) दिल्ली में उचित मूल्य पर फुटकर रूप से प्याज बेचने के लिए सरकार के कहने पर नेफेड, सुपर बाजार तथा दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम बाजार में आए । ये संगठन 1.75 रु० प्रति किलोग्राम की दर से फुटकर मूल्य पर प्याज बेच रहे हैं । सुपर बाजार तथा दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम और महिला दक्षता समिति को भारी मात्रा में प्याज सप्लाई करने के अतिरिक्त, नेफेड भी अपने किसोकों तथा चल-वाहनों के माध्यम से दिल्ली में उपभोक्ताओं को फुटकर रूप से प्याज बेच रहा है । कुल मिलाकर इन संगठनों के लगभग 100 फुटकर विक्रय स्थल हैं, जो 1.75 रु० प्रति किलोग्राम की दर से दिल्ली में प्याज बेच रहे हैं ।

सलाहकार समितियों को स्थायी संसदीय समितियों में बदला जाना

2399. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध संसदीय समितियों की जांच करने सम्बन्धी शक्तियों के साथ स्थायी संसदीय समितियों में बदले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कार्यपालिका के कार्य की जांच करना सलाहकार समितियों का एकमात्र उद्देश्य होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो सलाहकार समितियों के अधिकारों में और क्या अन्य कार्य जोड़े जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सलाहकार समितियों के कार्यचालन का नियमन अप्रैल, 1969 में संसद में विपक्षी दलों के परामर्श से बनाई गई मार्ग निर्देशिका के अधीन होता है ।

(ग) सलाहकार समितियों के कार्यों में अन्य कुछ कार्य जोड़े जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

समाज के कमजोर वर्गों द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना

2400. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों द्वारा लिए गए ऋणों को उन्हें ऋण के बन्धन से मुक्त करने के लिए, बट्टे खाते डाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और विशेषकर सरकारी तथा सहकारी ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) राज्यों द्वारा, जहां आदिवासी और हरिजनों की बड़ी जनसंख्या है उन्हें दीर्घावधि से चले आ रहे सरकारी ऋणों से मुक्त कराने के लिए ऐसे उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कमजोर वर्गों को ऋण के बन्धन से मुक्त करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जहां तक समाज के कमजोर वर्गों द्वारा लिए गए संस्थागत ऋणों का सम्बन्ध है, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने देय राशि को बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया है। केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकरों ने ये राहत उपाय शुरू किए हैं—ऋणों पर ब्याज न लेना, ऋणों का फिर से निर्धारित करना, जुर्माना ब्याज न लेना। अन्य राज्यों की स्थिति/निर्णय के सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

2. जहां तक समाज के कमजोर वर्गों द्वारा गैर-संस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋणों का संबंध है, भारत सरकार ने कमजोर वर्गों को राहत देने हेतु उचित कानून बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। तदनुसार राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसी राहत प्रदान करने हेतु कानूनी कार्रवाई तथा उपाय किए हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सलाह भी दी गई है कि वे इन नियमों के प्रभाव का जायजा लें तथा ऋण राहत प्रदान करने के लक्ष्य के अनुरूप किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों पर विचार करें। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों में ये भी शामिल हैं :—कुछ निश्चित सीमा में लघु/सीमान्त कृषकों आदि के बारे में ऋण लाभ देना, ऋण स्थगन आदि।

3. भारत सरकार संस्थागत ऋणों को पूर्णरूपेण बट्टे खाते डालने वाले किसी भी उपाय के हक में नहीं है, क्योंकि इससे वसूली का वातावरण दूषित होने, इच्छानुसार दोषी बनने तथा ऋण संस्थाओं की क्षमता कम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में सावधानी बरतें। तथापि, भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि कुछ परिस्थितियों में राहत द्वारा कुछ सहायता देने की आवश्यकता है। अतः अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदल कर, संस्थागत ऋणों का फिर से निर्धारण कर तथा उन विशेष परिस्थितियों, जहां कि देयता भुगतान करने की क्षमता से बाहर हो, में कमजोर वर्गों द्वारा अदा की जाने वाली राशि के एक भाग को बट्टे खाते में डाल कर राहत देने के लिए व्यवस्था/उपाय किए गए हैं।

'नेफेड' द्वारा प्याज का निर्यात

2401. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नेफेड द्वारा विभिन्न देशों को प्याज का कितना निर्यात किया गया ;—

(ख) क्या अभी भी प्याज का निर्यात किया जा रहा है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आम आदमी के हित में इस योजना में संशोधन करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) प्याज का निर्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से किया जाता है । जब देश में प्याज के मूल्यों में वृद्धि होनी आरम्भ हुई, तब नेफेड ने प्याज का निर्यात करना बन्द कर दिया था । प्याज के निर्यात पर अभी भी प्रतिबन्ध है ।

(ग) नेफेड के माध्यम से प्याज का निर्यात करने एवं नियंत्रित करने से आम जनता के हितों की पहले से रक्षा की जा रही है ।

विवरण

प्याज का देश बार निर्यात

(मात्रा मीटरी टन)

देश	1979-80	1980-81	1981-82
मलेसिया	23,786	42,148	26,570
सिंगापुर	5,244	6,989	3,652
कोलम्बो	12,713	13,216	3,250
रूस	12,918	40,010	9,814
कुवैत	4,810	5,996	3,088
दुबई	22,248	58,238	33,442
मस्कट	290	1,321	200
दोहा (क्वातार)	190	535	2,329
वहरीन	1,050	825	100
सऊदी अरबिया	200	4,658	2,480
शाररजाह	60	200	1,250
जेद्दा	600	—	300
आबू धावी	100	350	—
दमम	54	960	—
अदन	1,650	550	—

मोगादिस्को	20	30	—
मौम्बासा	—	10	—
मोरोनी	—	20	—
फ्रांस	—	—	1,200
बंगलादेश	—	—	5,025
मारीशस	460	705	380
महासेचिल्ली	227	495	290
मालद्वीव	149	344	244
डीजीबोटी	125	130	50
रे यूनियन	—	120	67
नेपाल	1,063	3,388	1,161
योग	87,957	1,81,238	94,892

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में दुकान के विभाजित हिस्से के लिए लाइसेंस

2402. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** दिल्ली छावनी सर्किल नं० 39 में राशन की दुकानों के लिये लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में दिनांक 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2048 तथा दिल्ली में एक दुकान के लिये विभिन्न नामों से लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि उचित दर की दुकानों की स्वामित्व संबंधी नीति का उल्लंघन करते हुए इन दुकानों के स्वामित्व बदले गये हैं, जैसाकि उचित दर-दुकान नं० 2685 का स्वामित्व श्री लक्खी राम से बदलकर श्री सागर चन्द को दिया गया क्योंकि इस दुकान के ही प्रांगण में श्री लक्खी राम ने उस दुकान में अधिकृत रूप से एक दीवार खींचकर एक आटे की चक्की लगानी थी, जिसे कि सुस्थापित विनियमों का और आगे उल्लंघन हुआ ;

(ख) क्या इस दुकान के विभाजित भाग में विनियमों का घोर उल्लंघन करते हुए और नियमों तथा लाइसेंसिंग आदेश की कोई परवाह न करते हुए गेहूं का लाइसेंस दिया गया है जहां एक अन्य व्यक्ति के नाम से आटे की चक्की लगाई गई ;

(ग) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं, यदि इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार उचित दर की दुकान सं० 2685 का स्वामित्व श्री लक्खी राम से बदलकर श्री सागर चन्द को देने के मामले में इस विषय से सम्बन्धित कानूनी नियंत्रण आदेश या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों अथवा नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उचित दर की दुकान संख्या 2685 में यह परिवर्तन इसलिए किया गया था कि श्री लक्खी राम उस दुकान में अनधिकृत रूप से एक दीवार खींचकर आटे की चक्की लगा सके। वास्तव में उक्त उचित दर की दुकान सितम्बर, 1965 में मंजूर की गई थी और जून, 1978 में श्री लक्खी राम की वृद्धावस्था तथा बीमारी के कारण इसका प्राधिकार श्री लक्खी राम से उनके पुत्र श्री सागर चन्द को हस्तान्तरित किया गया था। लक्खी राम के भाई श्री मुन्शी राम ने पहले सन् 1974 में गेहूं का लाइसेंस प्राप्त किया था और कैन्टूनमेन्ट बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के बाद आटे की चक्की लगाई गयी थी।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोई उपचारात्क कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा दिल्ली में प्लाटों का खरीदा जाना

2403. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे गैर निवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा से दिल्ली में प्लाट खरीदने की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें दिल्ली में प्लाटों का आवंटन करने की ऐसी योजना शुरू करने के लिये सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) योजना का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में रहने वाले गैर निवासी भारतीयों ने विदेशी मुद्रा से दिल्ली में रिहायशी प्लाटों के आवंटन के बारे में कुछ पूछताछ की है।

(ग) सरकार ने दिल्ली में इस प्रकार की किसी योजना को आरम्भ करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भेड़ पालन का विकास करना

2404. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़ पालन का विकास करने के लिए क्या योजनायें तैयार की गई हैं और उनके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या उनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु देशी भेड़ों की नस्ल में सुधार करने के लिए विदेशों से भेड़ खरीदने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार की स्थापना के लिए योजना तैयार की है। इस योजना के लिए चालू-योजनावधि में 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भेड़ विकास केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरु-विकास कार्यक्रम का एक अंग है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 1.69 करोड़ रुपए खर्च किए गये हैं। गुजरात में बड़े पैमाने की एक भेड़ प्रजना परियोजना स्थापित करने के लिए 6.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय भेड़ों की नस्ल में सुधार करने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर भेड़ों का आयात किया जाता है। इस समय गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए आस्ट्रेलिया और रूस से भेड़ें खरीदने का प्रस्ताव है।

बीकानेर में पीने का पानी

2405. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर जिले के अधिकांश गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) जिन गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) किस समय तक बीकानेर जिले के सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) बीकानेर जिले में बसे 540 ग्रामों में से 538 ग्रामों को, जहां पेय जल की स्थिति गम्भीर है, राज्य

सरकार द्वारा चुन लिया गया था, इनमें 296 समस्याग्रस्त ग्रामों को मार्च, 1981 की समाप्ति तक पेय जल पूर्ति मुहैया कर दिया गया है। प्रयास यह है कि शेष 242 समस्याग्रस्त ग्रामों को 1985 तक पेय जल मुहैया करा दिया जाय।

पड़पड़गंज का औद्योगिक विकास करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अन्तरण

2406. **श्री केयूर भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पड़प्ड़गंज औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि का अन्तरण उद्योग विभाग को अभी तक नहीं किया है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस विकास क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि के लिए धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने हेतु औद्योगिक निदेशालय दिल्ली प्रशासन को 19 एकड़ माप की भूमि आबंटित की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे गए कतिपय स्पष्टीकरणों के प्राप्त होने पर अतिरिक्त भूमि के लिए निदेशालय के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि औद्योगिक निदेशालय ने 19 एकड़ भूमि के लिए उसको भुगतान कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में वनरोपण योजना को कार्यान्वित करना

2407. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वनरोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) छठी योजनावधि में उन राज्यों की कुल कितने एकड़ वन भूमि को वनरोपण योजना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) देश के सभी 22 राज्यों में वन रोपण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है (विवरण)।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ों में)

राज्यों के नाम	छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान वन रोपण योजनाओं के तहत लाई जाने वाली प्रस्तावित वन-भूमि	1980-81 के अंत तक की गई प्रगति
1. आन्ध्र प्रदेश	279,606	34,484
2. असम	136,683	23,559
3. बिहार	184,920	25,385
4. गुजरात	369,266	53,299
5. हरियाणा	127,607	16,081
6. हिमाचल प्रदेश	208,132	23,870
7. जम्मू व कश्मीर	111,813	13,714
8. कर्नाटक	142,774	18,940
9. केरल	126,322	19,336
10. मध्य प्रदेश	408,951	32,864
11. महाराष्ट्र	457,135	26,193
12. मणिपुर	38,019	3,571
13. मेघालय	49,964	5,930
14. नागालैण्ड	36,942	10,418
15. उड़ीसा	450,464	65,852
16. पंजाब	138,870	15,320
17. राजस्थान	205,891	39,660
18. सिक्किम	15,320	1,680
19. तमिलनाडु	289,107	58,219
20. त्रिपुरा	55,103	7,240
21. उत्तर प्रदेश	320,736	46,208
22. प० बंगाल	296,792	40,008
राज्यों का योग	4,450,417	583,831

रावी-व्यास-सतलुज प्रणाली से राजस्थान को अतिरिक्त पानी देना

2408. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान को रावी-व्यास सतलुज प्रणाली से रबी की बुवाई से पहले अतिरिक्त नहरी पानी देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) क्या यह निर्णय लेने से पहले पंजाब के हितों को ध्यान में रखा गया था ताकि राजस्थान को पानी का अतिरिक्त आवंटन करने से उस राज्य को रबी की बुवाई पर किसी भी तरीके से प्रभाव न पड़े ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । निर्णय लेते समय सभी सम्बंधित राज्यों (पंजाब सहित) के अधिकारों और रबी की फसल बोने के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था ।

गेहूं के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध

2409. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा सरकार वर्ष 1982-83 के विपणन मौसम (सीजन) में केन्द्रीय भण्डार के लिए गेहूं की अधिकतम वसूली के लिए गेहूं के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या वे इस तथ्य को केन्द्र सरकार की जानकारी में ला चुके हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने आगामी रबी मौसम (सीजन) के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी निर्णय ले लिया है ; यदि हां, तो क्या ; और

(घ) अगले वर्ष में केन्द्र द्वारा गेहूं का अनुमानित कितना रक्षित भण्डार बनाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारत सरकार को अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने 1981-82 की गेहूं की फसल के लिए मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत कर दी है और यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) बफर स्टाक के स्तर की समीक्षा इस समय एक तकनीकी ग्रुप द्वारा की जा रही है और ग्रुप की सिफारिशों के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा ।

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह-निर्माण समिति लि०, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त भूखण्डों का काटा जाना

2410. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, नई दिल्ली के बारे में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति निकेतन एसोसिएशन नई दिल्ली ने उन्हें पूर्व में प्रस्तुत की गई याचिका की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 7 सितम्बर, 1981 को उनके मंत्रालय को एक और पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने उनके मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि बसन्त विहार कालोनी में 82 अतिरिक्त भूखण्ड काटे गए हैं जिसमें इन भूखण्डों की बिक्री के लिए भी शांति निकेतन भूखण्डधारियों से दस लाख रुपये का मुआवजा वसूल किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति इस निर्देश का पालन नहीं कर रही है ;

(ग) क्या सरकार इसे "समिति का आन्तरिक मामला" मानने की बजाए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश देगी कि वह इस मामले को समिति के साथ उठाए ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) शान्ति निकेतन एशोसिएशन, नई दिल्ली का दिनांक 7 सितम्बर 1981 का पत्र प्राप्त हुआ था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शान्ति निकेतन में सदस्यों को आबंटित भूमि के लिए बढ़े हुए मुआवजे के रूप में देय 10 लाख रुपये देने के लिए सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति को कभी भी निर्देश जारी नहीं किये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह उसी समिति के सदस्यों के बीच का झगड़ा है।

त्रिपुरा में चावल की कमी

2411. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा को चावल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य की मासिक आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) पिछले एक वर्ष में त्रिपुरा राज्य को की गई चावल की सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक की त्रिपुरा सरकार की चावल की मांग, उसका किया गया आबंटन और उसकी उठाई गई मात्रा बताई गई है।

विवरण

जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक त्रिपुरा सरकार की चावल की मांग, उसका किया गया आबंटन और उसकी उठाई गई मात्रा को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग	आबंटन	उठान
जनवरी, 81	5.0	5.0	—
फरवरी, 81	5.0	5.0	1.4
मार्च, 81	5.0	5.0	1.2
अप्रैल 81	5.0	5.0	2.0
मई, 81	5.0	5.0	5.7
जून, 81	8.0	8.0	10.9
जुलाई, 81	8.0	8.0	5.3
अगस्त, 81	8.0	8.0	2.7
सितम्बर, 81	8.0	8.0	2.2
अक्तूबर, 81	6.0	8.0	4.2
नवम्बर, 81	6.0	8.0	*प्रा० न०
दिसम्बर, 81	8.0	8.0	*प्रा० न०

*प्रा० न० : प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर बंगाल के जिलों में हल्दी तथा शहतूत की खेती

2412 **श्री पीयूष तिरकी** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बंगाल के जिलों में वृक्षारोपण को शीर्षस्थ प्राथमिकता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों के सम्पूर्ण वन क्षेत्र में वहां विद्यमान मूल्यवान वृक्षों को नुकसान पहुंचाए बिना हल्दी की खेती तथा देशी रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) राज्य से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक को मुर्गी-पालन केन्द्रों के लिए सहायता

2413. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में मुर्गीपालन को उचित महत्व देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में कुछ मुर्गी-पालन केन्द्र खोलने के लिए कर्नाटक राज्य को कोई सहायता दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम तथा संख्या क्या है जहां छठी योजना-वधि में ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान कुक्कुट विकास पर पहले ही उचित ध्यान दिया गया है ,

(ख) तथा (ग) कुक्कुट फार्मों / केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । लघु तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर श्रमिकों हेतु विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1981-82 के दौरान गुलबर्गा, टुंकुर तथा धारवाड़ जिलों में कुक्कुट, सूअर तथा भेड़ उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए 36 लाख रु० आबंटित किए हैं । प्रति वर्ष एक जिले में औसतन 600 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में प्रति ब्लाक 35 लाख रु० के कुल नियतन में से कुक्कुट एककों की भी स्थापना की जा सकती है ।

कर्नाटक में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्य

2414. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने कर्नाटक में कोई अनुसंधान कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान कार्य कब किया गया था ;

(ग) अनुसंधान संबंधी नवीनतम प्रतिवेदन में कर्नाटक में कृषि के विकास के बारे में दिये गये प्रमुख सुझाव क्या हैं, और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सन् 1962 से 1965 के दौरान, कर्नाटक में नागनहल्ली में स्थित केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय और जापानी किस्मों के संस्करण से तैयार किस्मों पर अनुसंधान किया गया। सन् 1966 से भा० कृ० अ० परि० को अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रयोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार किस्म संबंधी सुधार और पौध संरक्षण के पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है।

(ग) राज्य में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए; विशेष रूप से उपयुक्त किस्मों की खेती और पौध तैयार करने तथा पौध संरक्षण संबंधी उपायों के बारे में मुख्य सुझाव दिये गए हैं। अनुसंधान के परिणामस्वरूप राज्य के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाली कई सुधरी किस्मों का पता लगाया गया। कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में जैसे, 'रासी,, 'अकाशी', 'कल्चर ए. आर सी-11775' और 'एम आर 272 आदि को उपजाऊ भूमि में उगाने की सिफारिश की गयी। मौजूदा समय में धान की आई० आर०-20 किस्म उगाने वाले क्षेत्रों के लिए 'प्रगति' किस्म की सिफारिश की गयी है। धान की अन्य किस्में 'सोना', 'वाणी', 'प्रकाश' और गालमिज रोधी किस्में जैसे 'विक्रम', 'शक्ति', 'फाल्गुन' और 'सी० आर० 94-72' को गालमिज के प्रकोप वाले क्षेत्रों में उगाने की सिफारिश की गयी। समस्या मूलक क्षेत्रों के तटवर्ती क्षेत्रों में जल्दी रोपाई करने के लिए धान की न गिरने वाली किस्मों जैसे 'पंकज', 'जगन्नाथ', 'आइ० ई० टी० 3257', 'एस० पी० डब्ल्यू 677,' 'सी आर 1009', 'सी आर 1014' और 'आई० ई० टी० 5854' की सिफारिश की गयी।

(ii) सिंचित क्षेत्रों में 80-100 कि० ग्रा० नाइट्रोजन फी हैक्टर की दर से और बारानी क्षेत्रों में 50-60 कि० ग्रा० नाइट्रोजन फी हैक्टर की दर से उर्वरक देना अनुकूलतम पाया गया। धान के खेतों में अजोला और नील-हरित शैवाल नाइट्रोजन (जैव-उर्वरक) के रूप में देना उपयोगी पाया गया। राज्य में धान की फसल में जैव-उर्वरक का प्रयोग प्रचलित करने के लिए राज्य को उन्नत अजोला कल्चर दिया गया और इसका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। धान की फसल में लगने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए रासायनिक नियंत्रण उपायों का प्रचार करने की सिफारिश की गयी।

(घ) कर्नाटक सरकार और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना के साथ विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाने और अनुसंधान के परिमापों को किसानों में प्रचलित करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं ?

कर्नाटक में पीने का पानी

2415. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक के अधिकांश प्रायः सूखा पीड़ित होने वाले गांवों में पानी की सप्लाई का कोई साधन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए केन्द्र से सहायता अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर "नाकारात्मक" है तो क्या सरकार का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार को ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री मोहमनारायण सिंह) : (क) मई, 1981 में सूखे पर केन्द्रीय दल के कर्नाटक के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने इस दल को सूचित किया था कि किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 19 जिलों में से 16 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि उस अवधि के दौरान लगभग 2000 गांव पेय जल की गम्भीर कमी का सामना कर रहे थे।

(ख) जी, हां।

(ग) 1981-82 की अवधि के दौरान प्रभावित गांवों में राज्य में सूखे की स्थिति में पेयजल पूर्ति की सुविधाओं के बारे में अतिरिक्ति आवश्यकीय व्यय की पूर्ति करने के लिए कर्नाटक सरकार को 42.00 लाख रुपये तक की (आयोजना-भिन्न) केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(घ) तथा (ङ) पेयजल की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन समस्याग्रस्त गांवों में, जहां कि स्थिति बहुत गम्भीर है स्वच्छ पेयजल मुहैया करने के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	दी गई अनुदान सहायता
1978-79	105 रुपये
1979-80	65 रुपये
1980-81	248.81 रुपये
1981-82	126.50 (पहली किस्त)

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

2416. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की उन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र की स्वीकृति दी जानी है और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं में प्रत्येक का अनुमानित परिव्यय कितना है और उन्हें स्वीकृति के लिए किस तारीख को भेजा गया था; और

(ग) उन पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अधिकांश परियोजनाएं कावेरी जल के बारे में करार न हो पाने के कारण लम्बित पड़ी हैं। कावेरी विवाद के हल हो जाने के बाद ही ये परियोजनाएं स्वीकृत की जा सकती हैं। शेष परियोजनाओं को, उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने और लागत / लाखों के निश्चित हो जाने के पश्चात स्वीकृति दी जा सकती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति / लम्बित पड़ी रहने के कारण
1.	हेमवते,	16000.00	9-10-73	कावेरी जल के बारे में करार न हो पाने के कारण लम्बित पड़ी हैं।
2.	काबिनी	8000.00	9-10-73	-तदेव-
3.	होसपटना लिफ्ट	2400.00	15-1-74	-तदेव-
4.	हारंगी	5800.00	4-4-77	-तदेव-
5.	यागची	1648.00	13-7-77	-तदेव-
6.	के० आर० सागर, दायां तट नहर, चरण-एक (विस्तार)	1850.00	10-2-78	-तदेव-
7.	सुवर्णावती	248.00	25-4-73	-तदेव-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति / लम्बित पड़ी रहने के कारण
8.	अरकावती	983.00	7-4-77	-तदेव-
9.	कुदेरगुंडीहाल्ला	210.00	18-8-77	-तदेव-
10.	चिकली होल	340.00	1-10-77	-तदेव-
11.	उदुतहोरेल्ला	755.00	3-1-78	-तदेव-
12.	इग्गलूर	342.00	16-1-78	-तदेव-
13.	चंगावाड़ी	430.00	9-3-78	-तदेव-
14.	वोटेहोल	480.00	10-3-76	-तदेव-
15.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	1758.00	दिसम्बर, 1977	राज्य सरकार को सितम्बर, 1978 में टिप्पणियां भेजी गई थीं। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
16.	करंजा	4210.74	25-10-80	राज्य के इंजीनियरों के साथ अप्रैल, 1981 में इस परियोजना के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
17.	रामथल लिफ्ट सिंचाई	1350.00	7-10-77	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जुलाई, 1981 में और स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
18.	बेन्नी थीरा	1600.00	17-3-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मई, 1981 में भेजी गई और टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति / लम्बित पड़ी रहने के कारण
19.	तुंगभद्रा परियोजना की मौजूदा सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	1877.35	5-1-78	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्कीम में आशोधन करें। राज्य सरकार से आशोधित स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।
20.	वाराही परियोजना	943.00	11-5-78	विद्युत घटक को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा स्कीम आशोधित की जा रही है।
21.	भीमा सिंचाई परियोजना	3179.00	1-10-81	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

बिहार के धनबाद जिले में वृक्षारोपण

2417. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले मानसून मौसम (1981) में बिहार राज्य में सामान्यत: कितने वृक्ष लगाए गए तथा धनबाद जिले में विशेष रूप में कितने वृक्ष लगाए गए और धनबाद के लिए उनका खण्डबार ब्यौरा क्या है ;

(ख) धनबाद जिले में 1 नवम्बर, 1981 को वृक्षों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या धनबाद में स्थित सरकारी क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्ष लगाए जाने के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि धनबाद जिले की चन्द्रकेयारी अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में बड़े वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है ; यदि हां, तो (अ) इस क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; (ब) वहां पुन: वृक्षारोपण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री० आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राज्य से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के लिए आवास हेतु धनराशि का आबंटन

2418. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू योजनावधि में पश्चिम बंगाल राज्य को आवास शीर्ष के अन्तर्गत अर्थात्—(1) ग्रामीण भूमिहीनों के लिए गृह-स्थलों की व्यवस्था ; (2) श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण ; (3) हुडको पद्धति पर गृह निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : आवास राज्य का विषय है और सिवाय बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के सभी आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। राज्य के योजना प्रावधानों के भीतर राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और अग्रताओं के अनुसार अन्तर्क्षेत्रीय नियतन करने में स्वतन्त्र है। पश्चिम बंगाल आवास के लिए छठी योजना परिव्यय 59.00 करोड़ रुपये का है जिसमें से 12.00 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल और निर्माण सहायता की व्यवस्था से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए हैं।

बागान कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की सहायता प्राप्त आवास योजना के लिए कुल योजना परिव्यय 10.00 करोड़ रुपये है। प्रत्येक वर्ष राज्यों को नियतन किया जाता है। जो कि उनकी आवश्यकताओं और सामर्थता पर निर्भर है, योजना के पहले 2 वर्षों अर्थात 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को इस योजना के अन्तर्गत कुल 205 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

पश्चिम बंगाल में जब कभी भी विभिन्न अभिकरणों द्वारा परियोजना बनाई जाती है तो हुडको अपने मानदण्डों के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करता है। 1980-81 के दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसी परियोजनाओं के लिए हुडको द्वारा 6.47 करोड़ रुपये का कुल ऋण स्वीकृत किया गया।

सुन्दरवन क्षेत्र में मत्स्य-पालन उद्योग का विकास करना

2419. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने पश्चिम बंगाल में, विशेषरूप से सुन्दरवन क्षेत्र में, मत्स्य-पालन उद्योग का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा धनराशि की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एक अन्तर्देशीय मात्स्यिकी परि-

योजना स्वीकृत की है। सुन्दरवन विकास परियोजना में मात्स्यिकी विकास का घटक भी शामिल है। केन्द्र के पास भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत राय चौक में एक वृहत मत्स्यन बन्दरगाह एवं तट काम्पलेक्स तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नामखाना में लघु बन्दरगाह का निर्माण करने की एक योजना है।

(ख) विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना ने पश्चिम बंगाल के सभी 11 चुने हुए जिलों में 1-4-80 से अपना कार्य शुरू कर दिया है जिसमें 1980-85 के दौरान कुल 14.3 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य है। 9 डिम्पोना हैचरियों के निर्माण तथा प्रचालन के लिए परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में एक डिम्पोना विकास निगम की स्थापना की गई है।

परियोजना का पूर्ण विकास होने पर प्रति वर्ष 82,000 मीटरी टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होने की अभिकल्पना है।

सुन्दरवन विकास परियोजना जनवरी 1981 में शुरू की गई थी और 1985 तक चलेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत भी झारखली और महीसनी द्वीपों में 2 खारा जल मछली फार्मों का निर्माण किया जाएगा। खारे जल में मछली तथा झींगा पालन शुरू करने के लिए मात्स्यिकी पर कुल 2.1 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ही समय दिए जाने वाले 15.10 लाख रुपए के अनुदान से हेनरी द्वीप में 50 हेक्टार में खारा जल मछली फार्म के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना स्वीकृत की गई है। केंन्द्र ने 338.33 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राय चौक में एक वृहत बन्दरगाह और तट काम्पलेक्स के निर्माण के लिए और 7.07 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत नामखाना में लघु बन्दरगाह के निर्माण के लिए दी है।

सोवियत संघ को चावल का निर्यात

2420. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम का विचार सोवियत संघ को सुपर फाइन चावल का निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत रूस को 1.80 लाख मीटरी टन बढ़िया चावल सप्लाई करने के लिए 28 मई, 1981 को एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी सुपुर्दगी जुलाई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान की जानी है।

सामाजिक वन रोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए मार्गदर्शी निदेश

2421. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने देश में सामाजिक वन-रोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वन-प्रबन्धकों ने किन-किन तकनीकों का सुझाव दिया है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान वन-रोपण कार्यक्रम के लिए देश में राज्यों, विशेषतः उड़ीसा में पेड़ लगाने के लिए नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आरम्भ करने के लिए कहा गया है । इस कार्यक्रम के तहत राज्यों से स्थानीय लोगों की आवश्यकता को देखते हुए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा छोटी इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यतः वन क्षेत्रों से बाहर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है । इस कार्यक्रम में फार्म वानिकी अर्थात् अलग-अलग व्यक्तियों के फार्मों के चारों ओर पेड़ लगाना, सार्वजनिक भवनों के परिसरों में पेड़ लगाना, घरों के पिछवाड़े आदि में पेड़ लगाना आदि, विस्तार वानिकी अर्थात् बेकार पड़ी सरकारी भूमि में पेड़ लगाना, पंचायत की भूमि में पेड़ लगाना, सड़कों, नहरों तथा रेल की लाइनों के आदि के किनारों पर पेड़ लगाना शामिल है । इसमें आश्रय स्थलों के आस-पास स्थित उजड़े वनों में पुनः वन-रोपण की भी व्यवस्था है । फार्म वानिकी के तहत जनसमुदाय के लिए उपयोगी पौद सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें "प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़" कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाने के लिए बच्चों को पौद की सप्लाई करना भी शामिल है ।

(ग) सामाजिक वानिकी तथा उत्पादन वानिकी योजनाओं के तहत राज्य वानिकी क्षेत्रों में पेड़ लगाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश के लिए छठी योजना अवधि के लिए 40,219,69 लाख रुपये का आबंटन किया गया है । इसके अलावा केन्द्र सरकार ने 5,000 लाख रुपये अनुदान के रूप में आबंटित किए हैं । छठी योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र की योजना के तहत उड़ीसा राज्य में पेड़ लगाने के लिए आबंटित की गई राशि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

पौध रोपण योजना का स्वरूप	आबंटन की राशि (लाख रुपये)
1. सामाजिक वानिकी	500.00
2. उत्पादन वानिकी	200.00
कुल :	700.00

"हाउ टू मिल्च एन ऐशियाड" शीर्षक समाचार

2422. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री 16-30 सितम्बर, 1981 के साप्ताहिक "आनलूकर" में "हाउ टू मिल्च एन एशियाड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ब्रिटिश वास्तुविद को स्टेडियमों के गुम्मद के डिजाइन का निरीक्षण करने हेतु अन्य अधिकारों के अलावा 5 लाख रुपये की अदायगी की गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी० डी० ए० के चीफ इन्जीनियर के विदेशी दौरों का भी खर्च वहन किया था जबकि परामर्श-ठेका तो पहले ही हो चुका था ;

(ख) क्या ऐशियाड परियोजनाओं पर कुल खर्च 640 करोड़ से अधिक हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इस अतिरिक्त खर्च को कैसे पूरा किया जायेगा ; और

(घ) ऐशियाड-82 पर मूलतः कितनी राशि खर्च होने की आशा थी और उसमें वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सिफारिशों पर सर्रे विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोकोवसकी ने इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे इन्डोर स्टेडियम की छत के डिजायन की संरचनात्मक विश्लेषण की स्वतन्त्र रूप से जांच करने हेतु 21 से 27 जुलाई, 1981 तक भारत का दौरा किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रो० जेड० एस० मोकोवसकी की सेवाओं के लिए 9,000 पौंड (करों का कुल) तथा स्पेस स्ट्रक्चर रिसर्च केन्द्र यू० के० से उपलब्ध की गई सुविधाओं के लिए 10,000 पौंड (करों का कुल) की अदायगी करनी है। इन्डोर स्टेडियम में ध्वनि रोधक तुड़वा विभाजन को लगाने हेतु भारतीय ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विदेशी सहयोगियों की योग्यता तथा क्षमता के बारे में अपनी संतुष्टि करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक मुख्य इन्जीनियर एक दल के साथ पश्चिमी जर्मनी गया। मुख्य इन्जीनियर के इस दौरे का व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया।

(ख) से (घ) स्टेडियम के निर्माण/नवीकरण तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए उद्दिष्ट 54.83 करोड़ रुपये की राशि को शिक्षा मंत्रालय की सरकारी निधियों में से वहन किया जाना है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने संसाधनों से राजघाट स्पोर्टस काम्पलैक्स में इन्डोर स्टेडियम तथा तालकटोरा बाग, नई दिल्ली में तरणताल बनाने के लिए क्रमशः 9.35 करोड़ रुपये तथा 2.75 करोड़ रुपये व्यय करने हैं। निर्माण सामग्रियों तथा कतिपय अन्य घटकों की मूल्य वृद्धि के कारण कुछ स्टेडियमों की निर्माण लागत के बढ़ जाने की सम्भावना है।

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक

2424. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक विषय पर 9 मई, 1981 को दिल्ली में आयोजित हुई विचार गोष्ठी में कोई सिफारिशें की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विचार गोष्ठी की सिफारिशें संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(1) शत-प्रतिशत शहरी तथा ग्रामीण सफाई पर विचार किया जाए ।

(2) राज्य स्तर पर प्रबोधन और रिपोर्टिंग पद्धति स्थापित की जानी चाहिए ।

(3) जलपूर्ति के क्षेत्र के लिए वित्तीय नियतनों को बढ़ाया जाना चाहिए ।

(4) जलपूर्ति तथा सफाई को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ।

(5) इस दशक के लिए अपेक्षित उपकरण तथा सामग्रियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और अपेक्षित मानव शक्ति का भी निर्धारण किया जाना चाहिए ।

(6) दशक के कार्यक्रमों को तैयार करने में जनता और टेक्नोलोजिस्टों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

(7) एक राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा स्वच्छता आयोग स्थापित किय जाना जाहिए जिसमें दशक के कार्यक्रमों की रिपोर्ट तथा प्रबोधन करने के लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र के सम्बन्धित मंत्री शामिल हो ।

जल सप्लाई तथा स्वच्छता दशक पर इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई मुख्य समिति ने इस विचार गोष्ठी द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण मामलों पर पहले ही विचार कर लिया है । इसलिए विचार गोष्ठी की सिफारिशों पर सरकार विचार करना आवश्यक नहीं समझती ।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

2426. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों को सहायता देने तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से चावल मिल उद्योगों को आधुनिकीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव क्रियान्वित होने जा रहा है ;

(ग) क्या ऐसे आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शी निदेश भेजे जा रहे हैं ; और

(घ) देश में ऐसे कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए किये जाने वाले वित्तीय नियतन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से(ग) जी हां। इस सम्बन्ध में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन और लाइसेंसिंग) नियम, 1959 में सर्वप्रथम 1-5-1970 को और पुन: 29-7-76 को उपयुक्त संशोधन कर कानूनी उपाय किए गए हैं। इन संशोधनों में आधुनिक मिलें स्थापति करने और पांच वर्षों की अवधि में परम्परागत हुलरों, हुलर-एवं शेलरों और शेलर किस्म की चावल मिलों के स्थान पर उत्तरोत्तर पैडी क्लीनरज और पैडी सेपेरेटरज के साथ रबड़ रोल शेलरों अथवा सेन्ट्रीफ्यूगल डीहस्कर लगाने की व्यवस्था की गई थी। तथापि, राज्य सरकारों और चावल मिल एसोसिएशनों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, इस अवधि को अन्तिम रूप से सिंगल हुलर मिलों के बारे में 29 जुलाई, 1983 तक और अन्य परम्परागत मिलों के बारे में 31 जुलाई, 1982 तक बढ़ा दिया गया है। आदिवासी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से स्थापित की गई सिंगल हुलर मिलों को आधुनिकीकरण के उपबन्ध से छूट दी गई हैं।

(घ) चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए ऐसा कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीयकृत बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे मिलों को आधुनिकीकरण करने के लिए सुगमता से ऋण सुलभ करें। जहां तक सहकारी क्षेत्र की चावल मिलों का संबंध है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31-3-80 को 155 परम्परागत सहकारी चावल मिलों को आधुनिकीकरण करने के लिए 52.80 लाख रुपये मन्जूर किए हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 111 और परम्परागत चावल मिलों के आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गई है जिस पर 45 लाख रुपये की राशि खर्च करनी होगी। इसके अलावा, चावल-मिल के आधुनिकीकरण और उपोत्पाद के उपयोग के अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी हुई है।

कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र की परिवहन समस्या का अध्ययन

2427. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र की परिवहन समस्या का गहराई से अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा गठित महानगरीय परिवहन दल ने यह अध्ययन किया था।

(ख) तथा (ग) यह पाया गया कि कलकत्ता तथा इसके आस-पास औद्योगिक तथा अन्य विकास गतिविधियों और सत्ततंत्रोत्तर युग के दौरान बड़े पैमाने पर नगरीयकरण के कारण कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में शहरी यातायात की जटिलता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की विद्यमान परिवहन पद्धति की अपर्याप्तता को पहचाना गया था, और यह महसूस किया गया था कि इस समस्या का हल एक अधिक तेज आवागमन पद्धति के बनाने में निहित है। तदानुसार कलकत्ता में 1969 में महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) का गठन किया गया। डम-डम से टालीगंज तक भूमिगत पद्धति का वास्तविक निर्माण कार्य 1973 में शुरू हुआ। बस चलाने और ट्राम सेवा तथा परिवहन पद्धति में सुधार करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक नगरीय परिवहन परियोजना 1980-81 से कार्यान्वयनाधीन है।

दिल्ली में खुले वनस्पति घी के मूल्य

2428. **श्री निहाल सिंह**: क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में, दीपावली के अवसर पर, वनस्पति उत्पादक मिलों ने अपने डीलरों को खुले रूप में बेचने के लिए कितनी मात्रा में घी की सप्लाई की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में दीपावली से पूर्व एक सप्ताह 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम के नियंत्रित भाव पर बिकने वाला खुला घी दुकानदारों के पास उपलब्ध नहीं था और दुकानदार 15 रुपये प्रति किलो के भाव से 4 किलो तथा 2 किलो के डिब्बे बेच रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) अक्तूबर, 1981 के महीने के दौरान (दीपावली त्यौहार का महीना) दिल्ली को लगभग 6100 मी. टन वनस्पति की सप्लाई की गई। यह मात्रा औसतन 197 मी० टन प्रतिदिन बनती है, जबकि इसकी तुलना में दिल्ली की अनुमानित मांग 175 मी० टन प्रतिदिन के आस-पास थी। बहुमात्रा पैकों की उपलभ्यता औसतन 156 मी० टन प्रतिदिन थी।

(ख) व (ग) कुल मिलाकर, दिल्ली में दीपावली के दौरान खुला वनस्पति घी उद्योग द्वारा स्वैच्छिक रूप से घोषित मूल्यों पर उपलब्ध था।

रणथम्भोर बाघ परियोजना में मृत्यु

2429. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथाम्भोर बाघ परियोजना में अभी हाल में कुछ बीमारियों के कारण 59 सांबर, 33 चीतों और 9 नील गायों सहित अनेकों जंगली जानवरों की मृत्यु हो गयी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल की जनगणना में सांबरों की संख्या 3300 से घटकर 3000 रह गई है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार या संघ सरकार ने चिड़ियाघर के जन्तुओं की मृत्यु के बारे में खोजबीन करने तथा मरे हुए जानवरों की वास्तविक संख्या निश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, एमफिसटोमिआसिज तथा तपेदिक की गम्भीर महामारी के कारण अक्टूबर, 1980 और मई, 1981 के बीच रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में कई जंगली जानवर मरे थे। मृत्यु दर की सूचित संख्याएं इस प्रकार हैं :

सांभर	— 122
चीतल	— 60
नील गाय	— 41
जंगली सूअर	— 1
कुल	— 224

(ख) सांभर की संख्या में गिरावट आई है और 1980-81 में की गई गणना के अनुसार संख्या सिर्फ 1247 है।

(ग) इस व्यापक मृत्यु दर के कारणों की जाँच राजस्थान के पशुचिकित्सा विभाग और भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई है और इसका कारण एमीफस्टोमिआसिज और तपेदिक गम्भीर संक्रामक रोग एकाएक होना पाया गया है। अभयारण्य के तमाम बड़े क्षेत्र में यदा कदा मौतों और ऊबड़-खाबड़ धरातल होने के कारण केवल 224 जानवरों के अस्थिपंजरों को खोज पाना संभव हो सका है।

राज्य के पशु-चिकित्सा विभाग और भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार नियंत्रण उपायों को शुरू करके तेजी से अमल में लाया गया था।

भारत में चावल मिलों की संख्या

2431. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारत में कितने चावल मिल हैं और उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(ख) वर्ष 1977-80 के दौरान प्रत्येक मिल ने अपनी क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया ; और

(ग) उनके लक्षित लाभ तथा वास्तविक लाभ का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) देश में चावल मिलों को परमिट/लाइसेंस देने की शक्तियाँ चावल मिलिंग उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 के अधीन राज्य सरकारों को दी गई हैं। फिलहाल, देश में विभिन्न श्रेणियों की 90,000 से भी अधिक चावल मिलें हैं जिनमें सिंगल हुलर, हुलर-एवं-शैलर, मल्टीपल शैलर से लेकर आधुनिक चावल मिलों की किस्मों की मिलें हैं। अतः इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और प्रयास अपेक्षित होंगे वे माननीय सदस्य द्वारा मांगी जा रही सूचना के प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे।

राजस्थान नहर तथा भाखड़ा सिस्टम के बीच सम्पर्क चैनल की क्षमता

2432. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान नहर तथा हरियाणा स्थित भाखड़ा सिस्टम आफ राजस्थान के बीच एक सम्पर्क चैनल है ; यदि हां, तो उस चैनल की क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने राजस्थान को कभी इस सम्पर्क चैनल में राजस्थान नहर से अपने हिस्से का पानी लेने देने से इन्कार कर दिया था यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या पंजाब सरकार राजस्थान के हिस्से में अपनी माँग इसलिए कर रही है कि क्योंकि इस पानी का उपयोग भाखड़ा सहित अपनी सिंचाई योजनाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहती है ; और

(घ) पंजाब के उक्त अनुरोध पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य राजस्थान फीडर और सरहंद फीडर के मध्यवर्ती लिंक जलमार्ग का जिक्र कर रहे हैं। लिंक जलमार्ग की प्राधिकृत क्षमता 1692 क्यूसेक है।

(ख) से (घ) लिंक जलमार्ग के जरिए जल-सप्लाई 1970-71 के दौरान आरम्भ की गई थी और तब से राजस्थान द्वारा की गई मांगों के अनुसार उसे जारी रखा जा रहा है। तथापि, सितम्बर, 1976 में राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को शिकायत की थी कि पंजाब के अधिकारी, राजस्थान को आवश्यकताओं के अनुसार लिंग को प्रचालित नहीं कर रहे हैं। पंजाब का कहना था कि रावी-व्यास के जल को राजस्थान द्वारा अपने भाखड़ा क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह मामला भारत सरकार को भेजा गया था और पंजाब सरकार को उपयुक्त सलाह दी गई थी। उसके बाद से इस लिंक के प्रचालित न किए जाने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार आवास आबंटन सम्बन्धी नियम

2433. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्वार्टरों के आबंटन सम्बन्धी कोई नियम बनाये थे ; और यदि हां, तो कब ;

(ख) वर्ष 1980-81 में उक्त नियमों में किए गए संशोधनों के आधार पर कितने सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों का आवंटन किया गया ; और

(ग) क्या उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा ग्रामीण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां। सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य मूल) के आबंटन नियम, 1968 एस० ओ० सं० 1333 के द्वारा 6-5-63 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे।

(ख) सरकार ने अपने अधिकारियों जिनके दिल्ली / नई दिल्ली या संलग्न पालिका में अपने मकान हैं, को सामान्य मूल वास के आवंटन के लिए अपनी अग्रता की मूल तिथि को गिनने की अनुमंति दे दी है। उस निर्णय के आधार पर 1-4-80 से 31-3-81 तक की अवधि के दौरान अपने मकान वाले 630 सरकारी कर्मचारियों को सामान्य मूल आवास आबंटित किए गए हैं।

(ग) अपने मकानों वाले सरकारी कर्मचारियों को किए गए आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

टाइप ए- 44	टाइप बी- 62
टाइप सी- 485	टाइप डी- 12
टाइप ई- 15	टाइप ई०1- 3
टाइत ई०-8 —	टाइप ई०-3 —
योग :	620

नई आवास संस्थान का गठन

2434. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गिर्माण और आतास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई नई आवास संस्था बनाई है ; यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसके लिए वर्ष 1981-82 में कितनी राशि का नियतन किया जायेगा ; और

(ख) गत वर्ष के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आवंटित करने हेतु मकानों का निर्माण करने के लिए इस संस्था ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) सरकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए अलग से कोई आवास समिति नहीं है । तथापि, तीन सहकारी ग्रुप आवास समितियाँ पंजीकृत की गई हैं जिनके सदस्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों से सम्बन्धित हैं। उनके नाम तथा पंजीकरण की तिथि निम्नलिखित हैं :—

(1) दि नार्दन जोन फिजिकली हैंडीकेप्ड एम्पलाइज सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०	25-1-1980
(2) जीवन ज्योति सहकारी गृह निर्माण समिति लि०	16-11-1979
(3) क्लाम-4 एम्पलाईज सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०	1-5-1980

दिल्ली प्रशासन का सहकारी विभाग प्राथमिक आवास समितियों को कोई निधियाँ नहीं देता या नियतन करता है । इसलिए वर्ष 1981-82 के लिए नियतन का प्रश्न ही नहीं है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

2435. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य अधिकांश राज्यों में असन्तोषजनक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सही है कि इस मूल्यांकन में पश्चिम बंगाल के कार्यकरण को बहुत अच्छा बताया गया है , और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या पंचायतों के माध्यमों से क्रियान्वित किये गये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को और आगे प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी नहीं । कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट में काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है के कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ/त्रुटियां बतायी थीं । तथापि, ये त्रुटियां सामान्य स्वरूप की थीं और इन त्रुटियों में से कुछेक पश्चिम बंगाल के बारे में भी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"स्पर्ट इन कुकिंग मीडिया प्राइसेस" शीर्षक समाचार

2436. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाजारों से बटर आयल के गायब हो जाने के बारे में "स्पर्ट इन कुकिंग मीडिया प्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित (7 अक्तूबर, 1981 का स्टेट्समेन) समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या आपरेशन फ्लड-1 तथा 2 के बारे में विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए करार जिसमें नगरों में तरल दूध के लिए पुनः मिश्रण, हेतु आयातित उत्पादों के उपयोग के बारे में स्पष्टोक्ति की गई है, का उल्लंघन करते हुए इस आयातित बटर आयल को बेबी फूड, घी आदि का उत्पादन करने हेतु बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से कुछ डेरियों को भेज दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन सरकारी तथा गैर-सरकारी डेरियों के क्या नाम हैं, तथा उन्हें कितना आयातित दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल किस मूल्य पर सप्लाई किया गया ; और

(घ) क्या नियतन में उक्त परिवर्तन को सरकार ने इन वस्तुओं के वास्तविक अन्तरण से पूर्व अथवा बाद में अनुमोदित कर दिया था और इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । भारतीय डेरी निगम ने इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई नीति के अनुसार इस्तेमाल करने वाली डेरियों को बटर आयल दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता

(घ) आवंटन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है क्योंकि डेरियों को जिन्स देने सम्बन्धी निर्धारित मापदंडों को सरकार की स्वीकृति पहले ही प्राप्त है और भारतीय डेरी निगम द्वारा इन्हीं मानदण्डों का क्रियान्वयन किया जाना है ।

गुजरात डेरी परियोजना को किया गया नियतन

2437. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1981 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात को उसकी डेरी तथा अन्य परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 75 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात की डेरी परियोजनाओं के लिये किये गये नियतन का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य को दी जा रही अत्याधिक प्राथमिकता का विभिन्न राज्यों में कड़ी आलोचना की जा रही है,

(घ) क्या इसी तरह के विचार वर्ष 1978 के डेरी उद्योग सम्मेलन ने केन्द्रीय डेरी विकास परिषद और 1978 के प्रधान मंत्री द्वारा बुलाये गये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी व्यक्त किये गये थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय समाचार पत्रों में हाल में किये गये उद्घाटनों को देखते हुए क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने हेतु स्थिति की पुनरीक्षा करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) 24 नवम्बर, 1981 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में इस आश्य का कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है । तथापि, आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के तहत गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों को प्रस्तावित आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	आबंटन (करोड़ रुपये)
पंजाब	58.32
केरल	19.36
उड़ीसा	9.36
गुजरात	53.92
मध्य प्रदेश	53.26
तमिलनाडु	31.96
हरियाणा	26.92
असम	6.65
जम्मू तथा कश्मीर	6.85
प० बंगाल	33.28

(घ) तथा (ङ) 1978 में डेरी उद्योग सम्मेलन में, केन्द्रीय डेरी विकास परिषद तथा 1978 में प्रधान मंत्री द्वारा बुलाए गए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस तरह के कोई विचार व्यक्त नहीं किये गये थे ।

उपरोक्त को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने का प्रश्न नहीं होता ।

सरकारी आवास के आधे भाग को किराए पर देने सम्बन्धी नियम

2438. **डा० ए० यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे शर्तें क्या हैं जिनके अधीन एक सरकारी आवास का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को उक्त आवास का कुछ भाग किराये पर दे सकता है, वह व्यक्ति किस श्रेणी का होना चाहिये, उसे कितना किराया लेना चाहिये और कितना किराया अदा करना चाहिये तथा इस बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(ख) दिल्ली में इस समय कितने क्वार्टरों में आवंटियों ने किरायेदार रखे हुए हैं और क्या ऐसा करना नियमों के अनुरूप है ;

(ग) क्या सरकार को पता चला है कि मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी अपने वास्तविक निवास से अन्य स्थान का पता लिखवाते हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं क्या सभी क्वार्टरों के किए गए सर्वेक्षण वहाँ रह रहे लोगों के बारे में इसी स्थल पर की गई जाँच तथा उनके राशन कार्डों व अन्य सामान के बारे में एकत्रित की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) सरकारी कर्मचारी अपने निकट सम्बन्धियों के अलावा निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों को अपने आवास में सहभागी रख सकते हैं।

(i) सामान्य पूल के लिए अपात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी।

(ii) अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारी।

(iii) सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रित निकाय के कर्मचारी।

(iv) भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र (विदेश/शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले मामलों में)।

(v) मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक।

(vi) अन्य शहरों में स्थानान्तरित अधिकारी।

(vii) रक्षा सेनाओं के सदस्य (आपातकाल के दौरान)।

(viii) सेवा निवृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी।

(ix) सशस्त्र सेना आदि के रिजर्व सैनिक।

केवल एक सहभागी रखने की अनुमति है। आवास में सहभागी रखने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु सहभागी के विवरण सम्पदा निदेशालय को साझेदारी की तारीख के दो महीने के भीतर सूचित करना अपेक्षित है।

किराये पर साझेदारी की आज्ञा नहीं है ।

(ख) 248. सभी अनुरोध ठीक थे ।

(ग) ऐसा कोई मामला निर्माण और आवास मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) यह निश्चित करने के लिए कि मकानों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है । किराये पर नहीं किया गया है । समय-समय पर सभी सरकारी मकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि का आबंटन

2439. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि के आवंटन के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्होंने दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या उन्हें भूमि आवंटन कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां और किस पैमाने पर तथा किस दर पर ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अन्तिम तिथि अर्थात् 31-8-1981 तक 485 ग्रुप आवास समितियों ने भूमि के आवंटन के लिये आवेदन किया है ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण आवेदन पत्रों की जांच कर रहा है । सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा ग्रुप आवास समितियों के सदस्यों की सूचियों की जांच की जा रही है । इन औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण पात्र समितियों को भूमि आवंटित करना शुरू कर देगा ।

इन ग्रुप सहकारी समितियों को निम्नलिखित पाकेटों में भूमि का आवंटन करने का प्रस्ताव है इस भूमि अर्ध विकसित भूमि के लिए, लिए जाने वाले कुल करों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है :—

(1) पटपड़ गंज	50 एकड़	110 रुपये प्रति वर्ग मीटर
(2) सी० बी० डी० शाहदरा	83 एकड़	110 रुपये प्रति वर्ग मीटर

(3) बोंडेला	23 एकड़ 110 रुपये प्रति वर्ग मीटर
(4) गीता कालोनी	50 एकड़ 135 रुपये प्रति वर्ग मीटर
(5) पीतमपुरा	20 एकड़ 135 रुपये प्रति वर्ग मीटर
(6) रोहतक रोड	30 एकड़ 135 रुपये प्रति वर्ग मीटर

इन सहकारी समितियों को लाबंटन चालू माप दण्डों के अनुसार 15 प्रतिशत के विभिन्नता सहित प्रति एकड़ 50 रिहायशी एककों के आधार पर किया जायेगा ।

छोटे मछुओं पर बिचौलियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पर रोक

2440. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने हाल ही में छोटे मछुओं पर बिचौलियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने के लिए अनेक कदमों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पहले से तैयार पत्तनों के संबंध में एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) यह अध्ययन बुनियादी तौर पर इस बात का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्या पहले से तैयार मत्स्यन पत्तनों का पूरी तरह से उपयोग हो रहा था तथा क्या इन निष्कर्षों को देखते हुए नए मत्स्यन पत्तनों का कार्य आरम्भ किया जा सकता है ।

मूल्यांकन के परिणाम के परिणामस्वरूप कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि :—

(1) स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए मछली, बर्फ तथा शीतागारों आदि की संभाल के उद्देश्य से मत्स्यन पत्तनों तथा मछली उतारने के छोटे केन्द्रों की व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि मछुओं को लाभकारी मूल्य मिल सके ।

(2) सहकारी समितियों सहित संस्थागत साधनों से अधिक मात्रा में धनराशि सुलभ होनी चाहिए ।

(3) विस्तार तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था ।

(4) नौकाओं के पंजीकरण तथा देशी नौका प्रचालकों आदि के लिए क्षेत्रों के सीमांकन के सम्बन्ध में उपयुक्त विधान होना चाहिए ।

(ग) नए मत्स्यन पत्तनों की योजना बनाते समय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

सेंट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट का कार्यकरण

2441. **श्री ए० नीला लोहिथा दासन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम स्थित सैन्ट्रल ट्यूबर क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् । संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों ने संस्थान के पहले निदेशक के विरुद्ध तथा संस्थान के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वर्ष 1979 और 1980 के दौरान कुछ शिकायतें की थीं । केन्द्रीय कंद वर्गीय अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण के बारे में हाल ही के महीनों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भूतपूर्व निदेशक के विरुद्ध की गई मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं :—

1. गुप्त उद्देश्यों के लिए उनके अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित आंकड़ों को बदलने के लिए संस्थान के विज्ञानियों को बाध्य करना ।

2. संस्थान की अनुसंधान की उपलब्धियों के बारे में झूठे दावे करना ।

3. विज्ञानियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को खराब करने के लिए धमकी देना तथा उनकी रिपोर्ट खराब करना ।

4. वैज्ञानिक मंचों के प्रति अपर्याप्त आदर दिखाना ।

5. विज्ञानियों को परेशान करना और उनको सताना ।

6. अनुत्पादक खर्चे करना ।

7. प्रशासनिक अनियमितताएं करना ।

8. भेद नीति से सम्बन्धित नीति का अनुसरण करना ।

(ग) विज्ञानियों और अन्य कर्मचारियों की शिकायतों और ग्रीवान्सों की जांच के लिए अक्तूबर, 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय से दो उप-महानिदेशकों को संस्थान में भेजा गया था । इन उप महानिदेशकों के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और परिषद के सचिव ने घटनास्थल पर स्थिति का तुरन्त मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 28 और 30 अप्रैल, 1980 के बीच संस्थान का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया । महानिदेशक के वहां जाने पर और उनकी सलाह के कारण स्थिति में काफी सुधार

हुआ और निदेशक के विरुद्ध कुछ विज्ञानियों और अन्य कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण संस्थान के कार्यकलापों पर जो बुरा असर पड़ा था उसमें फिर से सामान्यता आ गई है।

संस्थान की समस्याओं का दीर्घ कालीन हल करने के लिए इस संस्थान के पूर्व निदेशक का परिषद के अधीन दूसरे अनुसंधान केन्द्र में तबादला कर दिया था। संस्थान के तीन विज्ञानियों को जिनका कार्य वांछित स्तर का नहीं था और जो संस्थान के प्रबंध के खिलाफ आन्दोलन चलाने के लिए नेता बने हुए थे उनका भी तबादला अन्य संस्थानों में कर दिया गया।

डी० डी० ए० की भूमि का हथियाया जाना

2442. **श्री अटल विहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान :
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में राउज एवेन्यू पार्क के पास एक 1000 वर्ग गज भूखण्ड को युवा संगठन के नेताओं द्वारा हथियाने दिया गया है, जिन्होंने वहां अपने संगठन के नाम पर बड़ी सामग्री जमा की हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० ने वहाँ पर झुग्गियों का निर्माण भी होने दिया है ; और

(ग) डी० डी० ए० के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तथा अवैध कब्जे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि भूमि तथा विकास कार्यलय के नियंत्रणाधीन स्थल पर "सिर्की शेड" के रूप में एक अनधिकृत अतिक्रमण है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक उपर्युक्त (क) के बारे में कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही आरम्भ की गई और बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं। जहां तक अनधिकृत झुग्गियों को हटाने का सम्बन्ध है बेदखल करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

रोहिणी आवास योजना के लिये डी० डी० ए० के पास पंजीकृत लोगों की संख्या

2443. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अधीन श्रेणीवार कितने लोगों ने डी० डी० ए० के पास अपने नाम पंजीकृत करा रखे हैं ;

(ख) क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक उक्त प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे क्या प्लाट आवंटित कर दिये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) पंजीकरण का कार्य सौंपे गये बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 82,384 लोगों ने रोहिणी योजना के अन्तर्गत रिहायशी प्लाटों के आवंटन के लिए पंजीकरण करवाया है, जो इस प्रकार है :—

वर्ग	व्यक्तियों की संख्या
जनता/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	18390
निम्न आय वर्ग	38105
मध्यम आय वर्ग	25889

(ख) जी, हां । सम्बन्धित बैंकों ने आवश्यक कार्यवाही कर ली है ।

उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1982 तक लगभग 15,000 प्लाटों का आवंटन किये जाने की आशा है ।

बिहार में ग्रामीण विकास और पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत किया गया कार्य ।

2444. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में ग्रामीण विकास और पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य की कभी समीक्षा का गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस समय पूर्वी चम्पारण जिले में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि यह योजना केवल कागजों में ही पड़ी रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां । बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले तथा अन्य जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है जिसमें अन्य के साथ-साथ, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जून, 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसी / समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिले में भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, यह कहना सही नहीं होगा कि यह कार्यक्रम केवल कागजों में ही पड़ा रहा है।

विवरण

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां।

(1) लघु कृषक विकास एजेंसी / समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इनके शुरू होने से लेकर जून, 1981 तक केन्द्र द्वारा वंटित धनराशि। 141.55 लाख रुपये

(2) शुरू से लेकर जून, 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया व्यय (राज्य अंश सहित) 235.54 लाख रुपये

(3) कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शुरू से लेकर जून, 1981 तक सहायता प्राप्त लाभभोगी निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	क्षेत्र	सहायता प्राप्त लाभभोगियों की संख्या
1.	सुधरी कृषि	2,72,467
2.	लघु सिंचाई	24,205
3.	पशु पालन	9,631
4.	मछली पालन	145
5.	कोशकीट पालन	145
6.	तृतीय क्षेत्र	1,180
	योग	3,07,773+

+इसमें 1978-79 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगी शामिल नहीं हैं क्योंकि उस अवधि के दौरान के जिले-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

अमानत नदी पर बांध का निर्माण

2445. **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमानत नदी पर पलामू जिले में बांध के निर्माण की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) बिहार सरकार ने पलामऊ जिले में अमानत नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए 1974 में एक स्कीम तैयार की थी। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्कीम अब उनके द्वारा आशोधित की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार ने निर्माण-कार्य को छठी योजना में शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

पम्प सेटों और नलकूपों को बिजली दिया जाना

2446. **श्री जय नारायण रौत :**

श्री के० राममूर्ति : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1983 तक सभी राज्यों में बिजली के पम्प सेटों और सार्वजनिक नलकूपों को बिजली देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) नए कुओं के खोदने और उनके प्रतिष्ठापन के साथ-साथ, पम्प सेटों का ऊर्जन एक मनत कार्यक्रम है। राज्य बोर्ड देश में प्रायः सभी राज्यों में ऊर्जन-कार्यक्रम चलाते हैं।

छठी योजना (1980-85) के दौरान विद्युत पम्प सेटों की संख्या में 25 लाख सेटों की वृद्धि करने अर्थात 39.50 लाख (मार्च, 1980) से बढ़ाकर 64.50 लाख (मार्च, 1985) कर देने का प्रस्ताव है। तदनुसार, मार्च, 1983 के अन्त तक कुल 52.40 लाख पम्प सेटों को ऊर्जित करने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	79-80 के अन्त तक ऊर्जित किए गए पम्प सेटों की वास्तविक संख्या	मार्च, 1983 तक ऊर्जित किए जाने वाले पम्प सेटों की अनुमानित संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3,87,731	5,34,097
2.	असम	1,678	7,993
3.	गुजरात	2,02,853	2,76,225
4.	विहार	1,51,985	2,35,112
5.	हरियाणा	2,03,367	2,65,461
6.	हिमाचल प्रदेश	1,633	2,026
7.	जम्मू और कश्मीर	985	1,265
8.	कर्नाटक	2,90,308	3,46,759
9.	केरल	77,863	1,16,389
10.	मध्य प्रदेश	2,79,431	4,44,988
11.	महाराष्ट्र	5,97,474	7,68,058
12.	मणिपुर	10	60
13.	मेघालय	47	302
14.	नागालैण्ड	कुछ नहीं	20
15.	उड़ीसा	12,958	43,204
16.	पंजाब	2,62,267	3,46,646
17.	राजस्थान	1,83,926	2,75,810
18.	सिक्किम	कुछ नहीं	250
19.	तमिलनाडु	8,87,227	9,79,162
20.	त्रिपुरा	248	708
21.	उत्तर प्रदेश	3,61,750	5,16,865
22.	पश्चिम बंगाल	24,068	50,026
	कुल राज्य	39,24,147	52,07,565
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	24,973	28,630
	कुल अखिल भारत	39,49,120	52,36,195

अनुमोदन के लिए विचाराधीन राजस्थान की सिंचाई योजनाएं

2447. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास राजस्थान राज्य की विचाराधीन विभिन्न सिंचाई योजनायें कौन सी हैं ; और

(ख) इन योजनाओं का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । इन स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के प्रमाणित हो जाने, लागत/लाभों के निश्चित हो जाने और जहां-कहीं आवश्यक हो अंतर्राज्यिक पहलुओं के हल हो जाने के पश्चात् ही इन्हें स्वीकृत किया जा सकता है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति/देरी के कारण
(क)	**बृहद स्कीमें**	
1.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल परियोजना चरण-एक	मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यिक पहलुओं को हल किया जाना है ।
2.	बुन्दी शाखा विस्तार चम्बल परियोजना चरण-एक	
3.	मनोहर थाना सिंचाई परियोजना	
4.	मनोहर सिंचाई	पंजाब और हरियाणा के साथ अन्तर्राज्यिक पहलुओं को हल किया जाना है ।
5.	सिद्धमुख सिंचाई	

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति/देरी के कारण
6.	माल्वा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
7.	गुधा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	
8.	मोरेल सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	
9.	जयसेमन्द टैंक का आधुनिकीकरण	
10.	हरीश चन्दर सागर	
11.	राजस्थान फीडर-गंग नहर लिक चैनल का निर्माण	
12.	गागरिन सिंचाई परियोजना	
13.	नोहर सिंचाई परियोजना (राजस्थान फीडर से लिफ्ट द्वारा)	
14.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आशोधित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।
15.	भाखड़ा नहर का आधुनिकीकरण	-तदेव-
16.	पावती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर सितम्बर, 1981 में प्राप्त हुए थे और केन्द्रीय जल आयोग में उनकी जांच की जा रही है।
17.	गेम्भीरी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुए थे और केन्द्रीय जल आयोग में उनकी जांच की जा रही है।
	(ख) मध्यम स्कीमें	
18.	गरदारा सिंचाई	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति/देरी के कारण
19.	परवान लिफ्ट सिंचाई स्कीम	इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और इन्हें योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचारार्थ, योजना आयोग को भेज दिया गया है।
20.	सुकली सिंचाई परियोजना	
21.	बन्दी सेन्दरा सिंचाई	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
22.	बरनी सिंचाई	

ग्रामीण गृहों के निर्माण के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता

2448. **श्री जय नारायण रौत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्थान को कितनी धन राशि आबंधित की गई है ; और

(घ) राजस्थान में ग्रामीण मकानों की समस्या को राजस्थान सरकार द्वारा कब तक सुलझा लिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित अनुदानों तथा समेकित ऋणों के रूप में दी जाती है ये किसी योजना से संबंधित नहीं होती हैं और राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर इसके उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं। केन्द्र सरकार हुडको जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम जैसे अपने वित्तीय संस्थानों के माध्यम से राज्य सरकारों को विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए ऋण सहायता देने की व्यवस्था भी करती है। पिछले चार वर्षों के दौरान ग्रामीण

तथा शहरी आवास दोनों के लिये राजस्थान को दी गई इस प्रकार की सहायता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

	हुडको	जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम
1977-78	8.76	1.20	—
1978-79	9.12	1.20	0.60
1979-80	10.42	1.32	—
1980-81	4.85	1.755	1.225

(ख) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) राजस्थान में आवास के लिये छठी पांचवर्षीय योजना में अनुमोदित परिव्यय 24.85 करोड़ रुपये है जिसमें से 4.75 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिये गृह स्थल व आवास निर्माण सहायता के न्यूततम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये हैं।

(घ) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल रप रख दी जायेगी ।

राजस्थान में कृषि तथा ग्रामीण विकास में आधुनिक टेकनालाजी का उपयोग किया जाना

2449. **श्री जय नारायण रौत** : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास में किस हद तक आधुनिक टेकनालॉजी का उपयोग किया गया है,

(ख) क्या राजस्थान राज्य में किसानों और ग्रामीण युवकों में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिये खण्ड स्तर पर आवधिक केम्पों का आयोजन किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) राजस्थान के 17 राजस्व जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी का अंतरण क्षव एक व्यवस्थित कार्यक्रम (प्रशिक्षण एवम दौरा) द्वारा किया जाता है । विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रत्येक पखवाड़े में नियमित तौर पर एक बार प्रशिक्षित किया जाता है और वे अपने नियत पाक्षिक दौरे में किसानों को सम्बद्ध जानकारी देते हैं । प्रौद्योगिकी के इस अन्तरण का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने और इसके फलस्वरूप फार्म आय के स्तर को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी में किसानों को शिक्षित करना है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने विभिन्न कार्यक्रमों, जैसेकि प्रयोगशाला के अनुसंधानों को खेत में प्रयोग करने सम्बन्धी कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, प्रचालक अनुसंधान परियोजनाओं, कृषि कार्य में लगे हुए किसानों को प्रशिक्षण देने के जरिए राज्य के ग्रामीणी इलाकों में कृषि तथा ग्रामीण विकास में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों युवक मण्डलों, महिला मण्डलों और चर्चा मण्डलों इत्यादि के जरिए भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) समूह स्तर पर आवधिक कैंप आयोजित किये जाते हैं।

(ग) विषय संबंधी विशेषज्ञ/कृषि प्रदर्शनकर्त्ता आवधिक आयोजित कैंपों में किसानों से पैकेज प्रणालियों, उन्नत उपस्करों आदि के बारे में चर्चा करते हैं।

ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण कैंप भी प्रत्येक पक्ष में आयोजित किये जाते हैं, ताकि अगले पखवारे में किसानों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के लिए उन्हें जानकारी दी जा सके। वे नियमित रूप से अपने ग्रामों का दौरा करते हैं तथा किसानों से मिल कर व सामूहिक बैठकों द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं।

संकर अनाज शुरू किए जाने से फसलों में बीमारियों और कीड़ा लगने की घटनाओं में वृद्धि

2451. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यानों में अधिक उपज देने वाली संकर किस्में शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप फसलों में बीमारियों और कीड़ा लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रवृति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस तरह का कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फसलों की किस्मों और कीट-व्याधियों की पारस्परिक क्रिया एक जटिल बात है, जिसमें कई अन्य कारक जैसे उर्वरक, मौसम की स्थिति, सिंचाई, फसल-क्रम आदि भी अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि अधिक उपज देने वाली किस्मों से ही कीट-व्याधि फैलती हैं। फसल को नयी किस्मों की कीट-व्याधियों के प्रति रोधिता की क्षमता के बारे में सावधानी-पूर्वक जाँच की जाती है और इन्हें तभी रिलीज किया जाता है, जबकि ये उपज, क्वालिटी और प्रचलित प्रमुख कीट-व्याधियों के इन पर प्रभाव आदि के बारे में प्रचलित किस्मों से श्रेष्ठ पायी जायें। बदलती हुई फसल-पद्धति में पोषद और परजीवियों के बीच में परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण नयी प्रजातियों का विकास या रोगजनकों के जैव-प्रारूप (बायोटाइप) होता है। कोई एक किस्म जो पहले रोग-रोधी थी, अब वह रोग ग्राहन हो सकती है, क्योंकि कुछ नयी कीट-व्याधियां अपना असर दिखा सकती हैं। अधिक उपज

देने वाली किस्में उपयुक्त अधिक उर्वरक और सिंचित स्थितियों में उगायी जाती हैं और साथ ही अच्छी कृषि प्रबन्ध प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। इसलिए उन पर कीट-व्याधियों का प्रकोप अधिक नजर आता है। अगर फसल ठीक ढंग से नहीं उगायी जाती है, तो फसल की बढ़वार कम रहेगी और कीट-व्याधि भी कम नजर आयेंगी।

(ख) फसल वैज्ञानिक इस बात को समझते हैं कि रोगजनकों और कीट-व्याधियों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वे नयी किस्मों का विकास करते हैं और रोगजनकों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके फलस्वरूप पिछले लगभग एक दशक में फसल उत्पादन काफी बढ़ा है।

बाढ़ राहत उपाय

2452. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान बाढ़ राहत उपायों तथा बाढ़ से हुई टूट-फूट की मरम्मत के लिए केन्द्र द्वारा राज्यवार कितना अनुदान दिया है ;

(ख) केन्द्र ने राज्यों को वर्ष 1980-81 में कितना अनुदान दिया और उसमें से राज्यों ने कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ के लिए केन्द्र द्वारा सहायतार्थ दी गई पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य द्वारा किये गये कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है और बाढ़ से क्षतिग्रस्त कौन सी वस्तुओं की मरम्मत अभी होनी बकाया है ; और

(ङ) बाढ़ से क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत पूरी करने तथा उड़ीसा सरकार द्वारा गुनुपुर सब-डिवीजन में लोगों को सुरक्षित जगह बसाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (1 दिसम्बर 1981 के दौरान विभिन्न बाढ़ राहत उपायों तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पतियों की मरम्मत तथा उसकी पुनर्व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों के लिए निर्मुक्त किएगए अनुदान पेशगियां तथा 1980-81 की स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा के लिए राज्य सरकारों द्वारा बताये गए प्रत्याशित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उड़ीसा सरकार के अनुसार, 1980-81 के दौरान मंजूर की गई व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमा में से 31-3-1981 तक 4289.35 लाख रुपये का अनुमानित व्यय था। वर्तमान नीति के अनुसार, जो सातवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, बाढ़ से राहत के लिए राज्यों को उपलब्ध मार्जिन धनराशि के अतिरिक्त स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा में से राज्य

सरकारों द्वारा खर्च की गई धनराशि का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाता है चूंकि किसी विशेष राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता राज्य द्वारा खर्च की गई वास्तविक धनराशि के एक ही हिस्से को पूरा करती है। अत: यह मान लिया जाता है कि राज्य को निर्मुक्त की गई समूची राशि उपयोग कर ली गयी है ।

(घ) तथा (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(लाख रु० में)

राज्य	वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न बाढ़ राहत उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	राज्यों द्वारा दी गई स्वीकृत अधिकतम सीमा में से 31-3-81 तक अनुमानित व्यय	केन्द्र द्वारा दी गई गैर-योजना अनुदान 1980-81	चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) में (1-12-81 तक) व्यय की अधिकतम सीमा	वर्ष 1981-82 में अभी तक निर्युक्तकी गई अग्रिम केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	839.84	828.38	204.41	—	—
1. असम	1272.14	1362.53	559.28	—	—
3. बिहार	2647.00	2647.00	1689.75	—	—
4. गुजरात	1897.545	2051.53	829.80	—	—
5. हरियाणा	524.26	446.05	274.17	—	—
6. कर्नाटक	347.50	उपलब्ध नहीं	100.87	—	—
7. केरल	909.42	1391.32	400.00	842.72	—
8. मणिपुर	—	—	—	160.53	—
9. राजस्थान	—	—	—	4506.60	1500.00
10. उड़ीसा	4288.58	4289.35	2820.39	—	—
11. उत्तर प्रदेश	7905.00	7905.00	5224.50	3589.40	1000.00
12. पश्चिम वंगाल	2356.47	2622.42	984.14	—	—
जोड़	22987.755	23543.58	13087.31	9098.25	2500.00

छठी योजना के दौरान सिंचाई योजनाओं के लिए परिव्यय

2453. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजनावधि की समाप्ति तक अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुल आवश्यकता की तुलना में छठी योजना में सिंचाई शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितने परिव्यय की प्रावधान किया गया है ; और

(ग) परिव्यय में यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 13.74 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए छठी योजना में सिंचाई सेक्टर के लिए 11,115 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 1700 करोड़ रुपये के परिव्यय को सांस्थानिक स्रोतों से उपलब्ध होने की संभावना है। परन्तु लागत में वृद्धि होने के कारण, इस परिव्यय की निर्धारित वास्तविक उपलब्धियों के खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है।

हिमालय में चकोर जाति (फीजेन्ट) के पक्षी

2454. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चकोर जाति के पक्षी जो अपने चमकीले रंगों और लम्बी पूंछ के कारण प्रसिद्ध हैं, उनका मांस के लिए शिकार किए जाने और निवास स्थलों के नष्ट होने से दुर्लभ हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निवास स्थल नष्ट होना रोकने और हिमालय की इस नस्ल को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियों में इनको शामिल करके इन प्रभातियों को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। चकोर जाति के मोनल एवं ट्रागोपन नामक पक्षियों को व्यापार व वाणिज्य से भी पूरी तरह संरक्षण दिया जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी वन क्षेत्र का गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए बदलना वर्जित है। इस प्रकार चकोर जातीय पक्षियों सहित वन्य-प्राणियों के प्राकृतिक वास को

संरक्षण प्रदान किया जाता है । इसके अलावा, जहां भी ये प्रजातियां पायी जाती हैं वहां अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क तथा आश्रयस्थल बनाये गये हैं और इस प्रकार इन प्रजातियों ने उनके प्राकृतिक वासों को संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

2455. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य भाषा अधिनियम 1973 के अनुसरण में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लम्बी समयावधि के बीत जाने के बाद भी देश के अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों में अभी भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी है ;

(ग) यदि हां, तो उन कृषि विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है ; और

(घ) सभी कृषि विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा को माध्यम के रूप में अपनाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों की एक सूची संलग्न है जो कि अभी तक स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपना रहे हैं ।

(घ) इस मामले में आगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए इस बात पर निर्णय लेने के संबंध में एक मद हाल ही में होने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की बैठक में उनके विचार विमर्श हेतु प्रस्तावित है ।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षा का माध्यम दर्शाने वाली सूची

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षा का माध्यम		
		बी० एससी०	एम० एससी०	पीएच० डी०
1.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभगी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2.	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पो० आ० मोहनपुर	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
3.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	शिक्षा का माध्यम		
		बी०एससी०	एम०एससी०	पीएच०डी०
4.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
5.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
6.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) पहले स्नातक स्तर में गुजराती माध्यम था। अब अंग्रेजी माध्यम अपनाया जा रहा है।	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रीजी
7.	गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	अंग्रेजी/हिन्दी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
8.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
9.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना तथापि, गृह विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षा का माध्यम पंजाबी है।	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
		स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच० डी० स्तर में		
10.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
11.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल, मन्नूथी।	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
12.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
13.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
14.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, फैजाबाद।	हिन्दी	अंग्रेजी	—
15.	पंजाबराव कृषि विधापीठ, अकोला	अंग्रेजी	अंग्रेजी	—
16.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
17.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	अंग्रेजी/हिन्दी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
	छः कृषि महाविद्यालयों में से चार में स्नातक स्तर में हिन्दी प्रयोग की जा रही है।			
18.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, भुवनेश्वर	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
19.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
20.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	हिन्दी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
21.	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय)	अंग्रेजी	अंग्रेजी	—

अनुस
बदलना

कृषि मूल्य आयोग के पुनर्निर्धारित विचारणीय विषय

2456. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री बी० एस० वियज राघवन :

श्री रशीद मसूद :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री जगपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग को उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों, उपकरणों और मशीनों आदि जैसे कृषि आदानों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देने के लिए इसके विचारणीय विषयों को पुनर्निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान भूमिका का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने किन बातों को महत्व दिया है और कृषि के विकास और सभी किसानों की वास्तविक आय बढ़ती रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इसका कहां तक लक्ष्य है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गोआ, दमन और दीव में सरकारी आवास

2457. **श्री अजय विस्वास :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वहाँ पर कुल कितने सरकारी मकान हैं ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र में कुल आवास उपलब्धता में योगदान के लिए सरकार की क्या योजना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) गोआ, दमण और दीव में सुरक्षा कार्मिकों के अतिरिक्त लगभग 1000 केन्द्रीय सरकरी कर्मचारी हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सिविल विभागों के अपने कर्मचारियों के लिए वहाँ 166 स्टाफ क्वार्टर हैं ।

(ग) जी, हां । 96 और अधिक क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ।

त्रिपुरा को घटिया चावल

2458. **श्री अजय विस्वास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि घटिया चावल जो कि मनुष्यों के खाने के लायक नहीं है, त्रिपुरा को भेजा गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि भारतीय खाद्य निगम ने भी यह घोषणा की है कि यह चावल मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा को घटिया चावल किन कारणों से भेजा गया ;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई पत्र/सन्देश प्राप्त हुआ है ; और

(ङ.) यदि हां, तो त्रिपुरा को प्राथमिकता के आधार पर बढ़िया चावल भेजने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : (क) से (ङ) चावल का जो स्टाक त्रिपुरा को भेजा गया था उसमें पपड़ी लगे/बदरंग चावल की प्रतिशतता अधिक थी । अतः त्रिपुरा सरकार को यह अनुमति दी गई थी कि वे इसे अलग करने के बाद अच्छे किस्म के चावल की डिलीवरी लें । राज्य सरकार अलग किये गये स्टाक की 2.6 हजार मीटरी टन की मात्रा उठाने और इसे फिर से पालिश करके इसमें सुधार करने के लिए सहमत हो गई थी लेकिन उसमें शर्त यह थी कि भारतीय खाद्य निगम 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलिंग प्रभार की प्रतिपूर्ति करे । राज्य सरकार ने अभी तक स्टाक नहीं उठाया है । साफ करने के बाद, 1.2 हजार मीटरी टन की मात्रा, जारी की जानी है । हालांकि संबंधित स्टाक अधिक समय तक गोदाम में रखने के दौरान पपड़ी लग जाने से घटिया किस्म का हो गया था फिर भी मानव उपभोग के अयोग्य नहीं था ।

क्योंकि राज्य सरकार, जैसाकि आपस में तय हुआ था, ने 3/- रुपये प्रति क्विंटल के डिसकाउंट पर भी स्टाक नहीं उठाया है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति से जारी करने के पहले इन स्टाकों को साफ करने/इन्हें फिर अच्छी हालत में लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गये हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गये हैं कि त्रिपुरा सरकार को केवल अच्छे किस्म का चावल सप्लाई किया जाए । त्रिपुरा में पर्याप्त स्टाक रखा जा रहा है ताकि राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । वह इस प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	पहली को अथशेष स्टाक		मास के दौरान प्राप्त मात्रा		कुल उपलब्धता		मास के दौरान आवंटन		मास के दौरान दी गई मात्रा	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
जुलाई, 1981	0.8	9.1	2.2	5.5	3.0	14.6	1.5	8.0	1.2	5.4
अगस्त, 1981	1.8	9.1	1.1	4.2	2.9	13.3	1.5	8.0	1.2	2.7
सितम्बर, 1981	1.6	10.6	0.2	1.2	1.8	11.8	1.7	8.0	1.5	2.2
अक्तूबर, 1981	0.4	9.6	0.9	2.2	1.3	11.8	1.5	8.0	1.1	4.2

प्रतिरोपण कृषि में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास

2459. **श्री अजय बिस्वास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में राज्यवार, कितने व्यक्ति प्रतिरोपण कृषि में लगे हुए हैं, और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये छठी योजना में क्या प्रावधान किये गये हैं और इस कार्य के लिए, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) झूम खेती करने वाले परिवारों का राज्यवार ब्यौर अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) झूमियों को झूम खेती के परम्परागत पेशे से छुटकारा दिलाने के विचार से 1976-77 में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की गई थी, जो छठी योजना के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: 55 लाख रुपये और 45 लाख रुपये के परिव्यय से चल रही है । राज्यों की योजनाओं के तहत मृदा संरक्षण कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य झूम खेती पर नियंत्रण पाना और झूमियों का पुनर्वास करना है ।

विवरण

झूम खेती करने वाले परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	झूम खेती करने वाले परिवारों की संख्या
1. अरुणाचल प्रदेश	75.244
2. आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
3. असम	58,000 ×
4. मणिपुर	50,000 ×
5. मेघालय	70,000
6. मिजोरम	40,000
7. उड़ीसा	200,000
8. त्रिपुरा	43,000
9. नागालैण्ड	80,000 ×
	616,244

× ये आंकड़े राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट से लिए गए हैं। (खण्ड 9 वानिकी)

स्वाधीनता सेनानी संसद सदस्यों की पेंशन

2460. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वाधीनता सेनानी संसद सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन की राशि उन्हें उनके संसद सदस्य होने के रूप में दी जाने वाली पेंशन की राशि में काट ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें संसद सदस्य होने के रूप में दी जाने वाली पेंशन की राशि में से उन्हें उनके स्वाधीनता सेनानी होने के लिये दी जाने वाली पेंशन राशि न काटने के बारे में उनसे कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में पंजीकृत सामूहिक आवासीय समितियां

2461. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक पंजीकृत सामूहिक आवासीय समितियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त समितियों द्वारा समिति-वार कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ग) सामूहिक आवासीय योजना के अन्तर्गत 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितने मकान बनाये जाएंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि दिल्ली में 588 पंजीकृत ग्रुप आवास समितियां हैं जिनमें से 66 समितियां बन्द की प्रक्रिया में हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

समिति का नाम	फ्लैटों की संख्या
1. तारा सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, कालकाजी	360
2. यमुना सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, कालकाजी	200
3. प्रेस एसोसिएशन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, मालवीय नगर	210
4. नवतकेन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, महरौली रोड	211
5. कासमोपोलिटन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०,	30

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1981 तक 52 ग्रुप आवास समितियों के 7071 भवन नक्शों को मंजूर किया जा चुका है। इनमें से 5588 निर्माणाधीन हैं।

कृषि अनुसंधान के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग

2462. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि अनुसंधान के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में अब तक हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) किन विभिन्न फसलों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ;

(ग) क्या अब तक किए गए अनुसंधान से यह पता चला है कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका आम उपयोग किया जा सकता है ; और यदि हां, तो इस क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) परमाणु ऊर्जा के उपयोग से कृषि उत्पादन कहां तक बढ़ाया जा सकता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समय-समय पर कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नाभिकीय उपकरणों के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन करती रहती है। परिषद और इसकी संस्थानों द्वारा अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों और प्रायोजनाओं की छानबीन करते समय इसकी समीक्षा की जाती है।

(ख) नाभिकीय तकनीकों और उपकरणों का उपयोग धन्धों, दलहनों, तिलहनों, ज,रेशा फसलों में कपास और जूट तथा बागवानी और बागाती जैसी अनेक फसलों के सुधार एवं मूलभूत अध्ययन के लिए किया जा रहा है।

(ग) अभी तक मिले परिणामों से पता चला कि फसल बढ़वार को निर्धारित करने वाली नाभिकीय तकनीकें और उपकरण आधारभूत दैहिकी प्रक्रियाओं को जानने में तथा फसलों की सुधरी किस्मों और उत्पादन तकनीकों के विकास में भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नाभिकीय विकिरण के उपयोग द्वारा मूंगफली, अरण्डी, गेहूं, चावल जैसी फसलों तथा अन्य कुछ फसलों की अनेक सुधरी किस्मों के विकास में काफी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, नाभिकीय तकनीकों से हमारे वैज्ञानिकों को फसलों द्वारा लिए जाने वाले उर्वरकों के उपयोग को जानने और इस प्रक्रिया की क्षमता को सुधारने में सहायता मिल रही है।

(घ) इसका परिमाणात्मक अनुमान देना संभव नहीं है। फिर भी, आमतौर पर यह माना जाता है कि अन्य वैज्ञानिक तकनीकों की भांति नाभिकीय तकनीकें भी उत्पादन प्रक्रियाओं और फसल उत्पादकता को सुधारने में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। ये नाभिकीय तकनीकें फसल उत्पादन कार्यक्रमों में आन्देशिक विविधता के लिए एक अतिरिक्त साधन भी है। इससे उत्पादक विभिन्न गुण वाले श्रेष्ठ जीनोटाइपों का चयन कर सकते हैं।

कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिकों के पद

2463. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सेवा शुरू किये जाने से लेकर अब तक एस-2 और एस-3 वैज्ञानिकों के कितने नये पद बनाये गये हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किये गये हैं और इन आरक्षित पदों पर कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गए हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आरक्षित पदों के अन्तरित होने का उचित रिकार्ड नहीं रखा जाता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के लिए कृषि अनुसंधान सेवा में 1-10-1975 के बाद 240 एस-2 और 135 एस-3 के पदों का सृजन किया गया था।

कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के अनुसार एस-2 (रु० 1100-1600) और एस-3 (रु० 1500-2000) के ग्रेडों के पदों को उपयुक्त मूल्यांकन बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर विज्ञानियों की पदोन्नति करके भरा जाता है। कुछ असमता दूर करने के सिवाय इन ग्रेडों के पदों पर सीधी भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक 240 एस-2 और 135 एस-3 के पदों में से 140 एस-2 और 100 एस-3 के ग्रेडों के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये हैं। शेष रिक्तियां कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के अनुसार मूल्यांकन/योग्यता के आधार पर पदोन्नति करके भरी जा रही है। उपरोक्त दोनों ग्रेडों में 41 पद अनुसूचित जातियों और 17 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए थे। इन आरक्षित पदों पर 23 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को एस-2 और एस-3 ग्रेडों में नियुक्त कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। आरक्षण के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के अनुदेशों का पालन कर रही है। आरक्षित पदों के स्थानान्तरण का रिकार्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उचित ढंग से रखा जा रहा है। तथापि आरक्षित पद पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का चयन नहीं होता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से उस प्वाइंट को दूसरे पद के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

कोटा में चम्बल नदी पर बांध की ऊंचाई

2464. **आचार्य भगवान देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें कोटा में चम्बल नदी पर बांध की ऊंचाई को दो फुट तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जाएगा ;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस पर कितना व्यय किया जायेगा ; और

(घ) राजस्थान को इससे कितना लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) केन्द्र के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच के लिए और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है ।

वनस्पति निर्माता एकक

2465. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वनस्पति निर्माता एकक अपनी पूरी क्षमतासे उत्पादन करें ताकि वनस्पति का उत्पादन और उसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके ; और

(ख) इस समय राज्यवार कितने निर्माता एकक चल रहे हैं और उनकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) सरकार वनस्पति के उत्पादन तथा उसकी उपलभ्यता को अधिकतम संभव मात्रा तक बनाये रखने के लिए वनस्पति उद्योग की सहायता करती रही है । उद्योग को, राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये गये तेलों की नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है । कोयला, पॉवर आदि जैसे अन्य आदानों की आपूर्ति से संबंधित अभिकरणों के कार्य का भी नियमित रूप से समन्वय किया जा रहा है । इन सभी कदमों के फलस्वरूप, वनस्पति का उत्पादन तेल वर्ष 1979-80 के 6.79 लाख मीटरी टन से बढ़कर तेल वर्ष 1980-81 में 8.27 लाख मीटरी टन के लगभग पहुंच गया, जिससे वर्ष भर में लगभग 21.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का पता चलता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित वनस्पति यूनिटों की संख्या	संस्थापित क्षमता प्रतिदिन (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	193
2.	बिहार	3	200
3.	गुजरात	10	332.5
4.	हरियाणा	4	160
5.	जम्मू और कश्मीर	1	15

सं०	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	संस्थापित वनस्पति यूनिटों की संख्या	संस्थापित क्षमता (प्रतिदिन मीटरी टन)
6.	कर्नाटक	6	78
7.	केरल	2	35
8.	मध्य प्रदेश	3	180
9.	महाराष्ट्र	14	912.5
10.	पंजाब	9	465
11.	राजस्थान	6	375
12.	तमिलनाडु	5	143
13.	उत्तर प्रदेश	11	631.5
14.	पश्चिम बंगाल	6	421
15.	दिल्ली	2	275
	जोड़	88	4416 लगभग

राजस्थान नहर के लिए सप्लाई किया गया सीमेंट और कोयला

2466. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान नहर के लिए जनवरी, 1981 से अब तक कितनी मात्रा में सीमेंट और कोयला सप्लाई किया गया ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए राजस्थान, सरकार ने कितनी मात्रा की माँग की थी ;

(ग) क्या कोयले और सीमेंट की अपर्याप्त सप्लाई के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण एक तथा दो में दी गई है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु सीमेंट के लिए की गई मांगों की केन्द्रीय जल आयोग में जाँच की जाती है और उचित आवंटन की सीमेंट नियंत्रक को सिफारिश की जाती है। इसी प्रकार, कोयले की माँग की भी जाँच की जाती है। सीमेंट तथा कोयला, दोनों की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति इस समय परिकल्पित कार्यक्रम के लिए संतोषप्रद समझी गई है।

परियोजना स्थलों को कोयले की ढुलाई हेतु रेल वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण कोयले की अस्थायी कमी हुई थी। परियोजना स्थलों को प्राथकिता के आधार पर कोयले की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सहायता की है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की उपलब्धता में सुधार हो गया है। कोयले और सीमेंट की उपलब्धता पर ध्यान दिए बिना, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित परियोजना के चरण-II के इंजीनियरी कार्य को पहले ही छठी योजना में आगे ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

राजस्थान नहर परियोजना सहित, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए सीमेंट की आपूर्ति को मानीटर करने के लिए उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास-विभाग) के अधीन एक मानीटरिंग कक्ष स्थापित किया गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सीमेंट की फैक्टरियाँ सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सीमेंट दें।

राजस्थान नगर परियोजना के लिए कोयला ले जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रति माह तीन रेकों के आवंटन के लिए रेलवे बोर्ड के प्राधिकारियों को भी अनुदेश दिए गए हैं। फिलहाल, यह कार्यक्रम दिसम्बर, 1981 तक जारी रहेगा।

विवरण-एक

राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान के सम्बन्ध में सीमेंट की मांग, आबंटन तथा आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा टनों में)

तिमाही	मांग	आबंटन	आपूर्ति	खपत की मात्रा	तिमाही के अन्त में शेष स्टाक
तिमाही-एक/81 (जनवरी-मार्च, 81)	35000	16500	18807	7151	29632
तिमाही-दो/81 (अप्रैल-जून, 81)	21110	19550	4990	4933	29687
तिमाही-तीन/81 (जुलाई-सितम्बर, 81)	34000	33760	+8768 (जुलाई व अगस्त 1981)	+3183	उपलब्ध नहीं
तिमाही-चार/81 (अक्तूबर-दिसम्बर, 1981)	35000	32000	—		

+सितम्बर, 1981 और उसके बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-दो

राजस्थान नहर परियोजना के लिए कोयले की मांग, आबंटन तथा आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।

(रेकों की संख्या)

अवधि		मांग	आबंटन (मार्च, 1981 के बाद) सिंचाई मंत्रालय द्वारा	आबंटन (मार्च, 1981 के बाद) रेलवे द्वारा	वास्तविक परिवहन
राजस्थान नहर परियोजना	फरवरी, 1981 से नबम्बर, 1981 तक	40	30	27	27

लूणी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए राजस्थान की बृहत् योजना

2467. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने लूणी नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए कोई बृहत् योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जायेगा और उसमें केन्द्र का कितना अंश होगा ; और

(घ) इस बृहत योजना के अन्तर्गत आरम्भ और पूरे किए गए कार्य का पूर्ण विवरण क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लूणी नदी की बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मास्टर योजना तैयार करने हेतु सर्वेक्षण-कार्य किया जा रहा है और इस मास्टर योजना के मार्च, 1982 तक तैयार हो जाने की संभावना है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पनीर बनाने में रैनेट की मात्रा

2468. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पनीर बनाने में काम आने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ दो सप्ताह बड़े

बछड़े के पेट से निकाला जाता है जिसे रैनेट कहा जाता है और उसका इस विशेष प्रयोजन के लिए वध किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पनीर निर्माता पैकिंग पर ऐसे पदार्थ का कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे छिपाने और कानून का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) रैनेट, जो युवा बछड़े के पेट से प्राप्त होने वाला एक पाचक किण्वक है, का पनीर बनाने में जामन के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है। भारत के पनीर निर्माता अपनी रैनेट की आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा करते हैं।

(ख) तथा (ग) मौजूदा समय में पी० एफ० ए० के तहत पनीर निर्माताओं को पैकिंग पर रैनेट के उपयोग का उल्लेख करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। इसके लिए उपयुक्त नियम बनाने तथा उनको लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा को सिंचाई परियोजनाओं पर स्वीकृति

2470. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य की कतिपय सिंचाई परियोजनाओं पर स्वीकृति शीघ्र देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सिंचाई परियोजनाओं पर स्वीकृति की आवश्यकता है ; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय वन नीति

2471. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपना वन क्षेत्र बढ़ाने और पेड़ लगाने की जन-भावना विकसित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की राज्यवार मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, सरकार वा

जनता द्वारा वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष लगाने के लिए सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित केन्द्र द्वार एक प्रायोजित योजना तैयार की गयी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" की केन्द्र द्वारा एक प्रायोजित योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष लगाना है ताकि स्थानीय लोगों के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा व छोटे आकार की इमारती लकड़ी में वृद्धि की जा सके। इस योजना के दो भाग हैं अर्थात (1) सरकारी बेकार भूमियों, अवनत क्षेत्रों, सड़कों, नहरों व रेलवे लाइनों के किनारों तथा तटीय क्षेत्रों में ईंधन व चारे के लिए उपयुक्त किस्मों का रोपण करना, और (2) कृषि फार्मों में तथा उनके इर्द-गिर्द, स्कूलों के अहातों, सार्वजनिक भवनों व आंगनों में रोपण करने के लिए तथा "प्रत्येक बच्चे के लिए एक वृक्ष" नामक कार्यक्रम के अंतर्गत रोपण हेतु बच्चों में वितरित करने के लिए पौध उगाना।

उपर्युक्त (1) अर्थात वृक्षरोपण के अन्तर्गत जल्दी बढ़ने वाले पौधों का रोपण किया जाएगा तथा एक हैक्टार में कम से कम 1500 पौधे लगाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत बच्चों की पोषण सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए फल देने वाले वृक्ष भी लगाये जायेंगे। यह योजना देश 101 चुनींदा जिलों में क्रियान्वित की जायेगी ; जिनमें ईंधन की लकड़ी की चिरकालिक कमी है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए 101 जिलों की सूची संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के क्रियान्वयन के लिए चुने गए जिलों की सूची

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	चुनींदा जिलों के नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	1. रंगारेडी
	2. गुटूर
	3. मेडक
	4. नलगोंडा
	5. कृष्णा
	6. नेल्लोर
2. असम	1. कामरूप
	2. गोलपाड़ा
	3. सिबसागर

3. बिहार	1. संथाल परगना
	2. भागलपुर
	3. गिरिडीह
	4. धनबाद
	5. हजारीबाग
	6. गया
	7. औरंगाबाद
	8. नालन्दा
4. गुजरात	1. बदोदरा
	2. पन्चमहल
	3. कच्छ
	4. सुरेन्द्र नगर
5. हरियाणा	1. करनाल
	2. महेन्द्रगढ़
	3. कुरुक्षेत्र
	4. गुडगांव
6. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
	2. मन्डी
	3. सिरमूर
7. जम्मू और कश्मीर	1. अनन्तनाग
	2. राजौरी
	3. कारगिल
8. कर्नाटक	1. बंगलौर
	2. गुलबर्ग
	3. कोलार
	4. बेल्लारी
	5. माण्ड्या
9. केरल	1. कन्नानोर
	2. त्रिवेन्द्रम
	3. कोजीकोडे
10. मध्य प्रदेश	1. रीवा
	2. रतलाम
	3. इन्दौर
	4. भोपाल

	5. ग्वालियर
	6. झबुआ
	7. सोनी
	8. जबलपुर
	9. विलासपुर
	10. रायपुर
11. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर
	2. रत्नगिरी
	3. शोलापुर
	4. उस्मानाबाद
	5. कोल्हापुर
	6. परमानी
	7. नासिक
12. मणिपुर	1. मणिपुर (सेंट्रल)
13. मेघालय	1. पश्चिमी खासी हिल्स
14. नागालैंड	1. कोहिमा
	2. फोक
15. उड़ीसा	1. बालासोर
	2. कटक
	3. वलनगिर
	4. पुरी
16. पंजाब	1. अमृतसर
	2. पटियाला
	3. फिरोजपुर
17. राजस्थान	1. जयपुर
	2. उदयपुर
	3. भरतपुर
	4. अलवर
	5. भीलवाड़ा
	6. अजमेर
	7. बांसवाड़ा
	8. झुंनझुनूं
18. सिक्किम	1. पूर्वी गंगतोक

19. तमिलनाडु	1. मदुरई 2. त्रिचिरापल्ली 3. चेंगलपट्ठू 4. चरमपुरी
20. त्रिपुरा	1. पश्चिम जिला
21. उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर 2. जालौन 3. पीलीभीत 4. खीरी 5. आँसी 6. ललितपुर 7. टेहरी 8. अल्मोड़ा 9. गढवाल 10. मिर्जापुर
22. पश्चिम बंगाल	1. बर्दवान 2. मिदनापुर 3. बांकुड़ा 4. 24-परगना
	95

संघ शासित क्षेत्र

1. अरुणाचल प्रदेश	1. पश्चिम कार्मेंग 2. लोसर सुबाँसिरी 3. दिवंग घाटी
2. दिल्ली	1. दिल्ली
3. मिजोरम	1. ऐजवल 2. लुंगले
	6
कुल	101

इन्द्रावती परियोजना

2472. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालाहांडी, उड़ीसा की अपर इन्द्रावती परियोजना की लागत का नवीनतम अनुमान क्या है तथा उक्त परियोजना में विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलेगी ;

(ख) अपर इन्द्रावती बहु-प्रयोजनीय परियोजना किस वर्ष में पूरी हो जायेंगी ; और

(ग) कार्य के पूरा करने का निर्धारित समय क्या है और इससे कितनी विद्युत बनेगी और खरीफ और रबी के दौरान कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, तत्सम्बन्धी अन्य विवरण क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 364.35 करोड़ रुपये है। यह परियोजना सिंचाई सेक्टर के अन्तर्गत, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए पाइप-लाइन में शामिल नहीं की गई है। जहां तक विद्युत सेक्टर का संबंध है, विश्व बैंक ने अभी इस परियोजना का मूल्यांकन करना है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के 1990-91 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) काम को 13 वर्षों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है । इस परियोजना से निश्चित विद्युत उत्पादन 227 मेगावाट होगा। खरीफ के मौसम में 98380 हैक्टेयर में और रबी में 78158 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी।

उड़ीसा में पेय जल

2473. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कालाहांडी जिले में विशेषकर समस्याग्रस्त ऐसे गाँबों की जिलाबार संख्या कितनी है जहां पेय जल उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) जिलाबार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता से पेय जल की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया गया और इस पर कुल कितना व्यय किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्यों को उनके संसाधनों को बढ़ाने हेतु वित्तीय

सहायता दी जाती है। उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जहां कि पिछले 3 सालों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य की निधियों की सहायता से पेय जल की सुविधायें मुहैया कराई गईं। भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दी गई हैं। यह सूचना दी गई है कि 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा सरकार को दी गई 510.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की कुल राशि पूर्ण रूप से उपयोग में लाई गई है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82 के लिए राज्य सरकार को 141.00 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी गई है। इस राशि का प्रमाणित व्यय केवल 1982-83 में उपलब्ध होगा।

विवरण

क्रम सं०	जिला	1-4-80 को समस्याग्रस्त ग्रामों की सं० जो जलपूर्ति के बगैर हैं।	1979-80 में लिए गये समस्याग्रस्त ग्रामों की सं०	1980-81 में लिए गये समस्याग्रस्त ग्रामों की सं०	1981-82 में लिए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की सं० (सितम्बर, 1982 तक)
1.	कटक	2900	815	176	174
2.	पुरी	2781	271	235	62
3.	बलसौर	2791	712	486	26
4.	गन्जम	1905	38	43	17
5.	फूलबनी	1002	10	49	55
6.	सम्बलपुर	2299	96	327	76
7.	बुलनगीर	1739	179	87	49
8.	कालाहांडी	1182	126	53	—
9.	सुन्दरगढ़	1227	76	67	22
10.	नकोहार	1508	31	69	45
11.	घनकानल	1965	108	48	57
12.	कोरापट	995	54	10	12
13.	मयूरगंज	1322	39	80	—
		23,616	2555	1630	595

प्याज की कमी दूर करना

2474. श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नेफेड' ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण करने जो बहुत अधिक हो गए थे, के लिए दिल्ली प्रशासन की सहायता करने में भारी योगदान दिया है :

(ख) यदि हां, तो 'नेफेड' द्वारा प्याज बेचे जाने पर प्याज के मूल्यों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या यह कार्य अभी भी जारी है ; और

(घ) क्या 'नेफेड' ऐसी सामयिक कमियों का मुकाबला और प्याज के मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में उपपुक्त भण्डार बना देगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) प्याज के मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) के पास महाराष्ट्र में अपनी खुद की 7,500 मीटरी टन प्याज के भण्डारण की क्षमता है । किसानों के फालतू उत्पाद की भण्डारण व्यवस्था करने के लिए नाफेड महाराष्ट्र में चालों को भी किराये पर ले रहा है ; जब माल को उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न अन्तिम मण्डियों में ले जाया जाता है तब नाफेड समय-समय पर भण्डरण के लिए गोदामों को किराए पर लेने की व्यवस्था करता है ।

खाद्यान्नों की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई

2475. **श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री आर० एन० राकेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिये हैं कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य को खाद्यान्नों की ढुलाई पर प्रतिबंध लगायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार के नागरिक पूर्ति मंत्री ने खाद्यान्नों की ढुलाई पर लगे इस प्रतिबन्ध में ढील देने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई पर प्रतिबन्ध के कारण विभिन्न राज्यों में इनके मूल्यों में भारी अन्तर आयेगा जिससे तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा और जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त खाद्यान्नों वाले राज्यों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तथा कमी वाले राज्यों में उपभोक्ताओं को भारी मूल्य अदा करना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्रतिबन्ध हटाने और राज्य सरकारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई पर कोई प्रतिबन्ध न लगाने के अनुदेश देने के लिए तैयार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (घ) : जी नहीं। इस बात को छोड़कर कि राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि अधिकतम वसूली करने के उद्देश्य से वे अपने राज्यों के बाहर धान के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दें।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य से धान भेजने पर लेवी लगा दी है। ऐसा रास्ता अपनाना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो गया था कि राज्य के बाहर धान का बड़े पैमाने पर संचलन करने पर लेवी से बचा न जा सके। क्योंकि चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, ऐसी कोई आशका नहीं है कि मूल्यों में अनुचित रूप से वृद्धि हो जाएगी।

अप्पर सकरी जलाशय योजना

2476. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गिरिडीह जिले में अप्पर सकरी जलाशय योजना पर निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होने की संभावना है;

(ख) क्या इस योजना पर छोटा नागपुर का विकास शीर्ष के अन्तर्गत 68 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी तथा इस जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप गाँवन थाने के 47 गाँवों और सतगाँवन थाने के 13 गाँवों तथा 20 हजार एकड़ कृषि भूमि के डूब जाने की संभावना है ;

(ग) क्या छोटा नागपुर निधि से धनराशि खर्च करने और दूसरे जिले में 50 मील लम्बी दूरी पर सिंचाई हेतु पानी ले जाने की योजना इस क्षेत्र के हितों के विरुद्ध है :

(घ) इस समूचे गाँवन और सतगाँवन क्षेत्रों के लोग इस योजना के क्रियान्वयन का घोर विरोध कर रहे हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार यह योजना छोड़ देगी और लोगों को राहत देगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार ने इस स्कीम पर कार्य छठी योजना के दौरान आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। परन्तु यह स्कीम अभी तक योजना आयोग द्वारा मंजूर नहीं की गई है।

(ख) सिंचाई योजनाओं की वित्तपोषित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केन्द्रीय सरकार का इस स्कीम के वित्त-पोषण बारे में की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अद्यतन अनुमान के अनुसार परियोजना पर 59.75 करोड़ रुपये के लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इससे 16,000 एकड़ क्षेत्र और साठ गाँवों के जलमग्न हो जाने की संभावना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) राज्य सरकार ने ऐसे किसी विरोध के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली द्वारा खरीदी गई चीनी

2477. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी खरीदी गई और किन-किन राज्यों से खरीदी गई ; और

(ख) इस समय दिल्ली के गोदामों में कितनी मात्रा में चीनी पड़ी हुई है और नागरिक पूर्ति विभाग दिल्ली द्वारा त्यौहार के मौसम में कितनी चीनी दी गई ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने फरवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 की अवधि के दौरान 2852.5 मी. टन चीनी खरीदी थी, जिसमें से 715.6 मी. टन चीनी तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से तमिलनाडु में स्थित मिलों से और 2136.9 मी० टन चीनी उ० प्र० सहकारी चीनी कारखाना संघ तथा उ० प्र० राज्य चीनी निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थित मिलों से खरीदी थी।

(ख) 1902.5 मी० टन चीनी शक्ति नगर, दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ी हुई है। 103.3 मी० टन चीनी उपभोक्तओं को बेचने तथा उचित दर की दुकानों के दुकानदारों को देने के लिये निगम के निभिन्न भण्डारों में पड़ी हुई है। 131.1 मी० टन चीनी 18 सितम्बर, से 30 नवम्बर, 1981 के दौरान, दिल्ली में बेची गई है।

सेक्टर वन, आर० के० पुरम में सरकारी क्वार्टरों में लकड़ी की वस्तुओं पर रोगन तथा सफेदी

2478. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टरों में लकड़ी की वस्तुओं पर घटिया किस्म का ऐसा रोगन किया जा रहा है जो सामान्य हल्के ग्रे रंग की तुलना में आँखों में चुभने वाला है ;

(ख) सेक्टर वन, आर० के० पुरम के क्वार्टर कौन से हैं जिनमें रोगन पाँच वर्ष पूर्व किया गया था और जिनमें रोगन अभी किया जाना है हालांकि रोगन प्रति तीन वर्ष बाद किया जाना चाहिये ;

(ग) क्वार्टरों के अन्दर और बाहर सफेदी की किस्म में भी सुधार नहीं हुआ है और इसे हर दूसरे वर्ष करने का मानदण्ड भी सभी क्वार्टरों में बनाये नहीं रखा गया है जिससे भाई-भतीजाबाद, पक्षपात तथा निवासियों के मानसिक सन्ताप को बढ़ावा मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो काम के प्रति उदासीनता दिखाये जाने के क्या कारण हैं तथा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह : (क) रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में सरकारी मकानों में लकड़ी की मदों पर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा हल्का मिलेटी रंग किया जा रहा है ।

जी, नहीं । सरकारी मकानों में रंग तीन साल में एक बार किया जाता है । रामकृष्णपुरम में सभी सरकारी मकान जिन पर प्रतिवर्ष रंग किया जाता है उन पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रंग किया जाता है ।

(ग) सरकारी मकानों में सफेदी का काम केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है । मकानों को प्रति एकान्तर वर्ष में सफेदी करने के मानदण्ड को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कायम रखा गया है और भाई-भतीजाबाद और पक्षपात का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम पंचायत और तालुक बोर्ड का कार्यकरण

2479. **श्री के० मालन्ना :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय राज्यों में ग्राम पंचायतें और तालुक विकास बोर्ड धन के अभाव में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) यह सच है कि पंचायती राज निकायों के प्रभावी कार्यकरण में निधियों की कमी से रुकावट आई है । विभिन्न राज्य सरकारों ने राजस्व अर्जन वाली परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण एवं अनुदानों के माध्यम

से उनकी वित्तीय सक्षमता को मजबूत बनाने और इन निकायों को अपने संसाधनों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) व (ग) भारत सरकार ने इस मामले में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारें विभिन्न पंचायती राज निकायों की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करती है और इन निकायों को सौंपे गये कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कदम उठाती है।

सूखे के संबंध में उड़ीसा को सहायता

2480. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार का चावल और गेहूं की सप्लाई का सामान्य कोटा क्या है और उसन चालू वित्त वर्ष के दौरान सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग की थी ; और

(ख) राज्य की मांगों की तुलना में केन्द्रीय सरकार ने कितना आवंटन किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चावल—उड़ीसा सरकार ने दिसम्बर, 1980 में सूचित किया था कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय भण्डार से किसी प्रकार के चावल की कोई आवश्यकता नहीं और इसलिए तब से राज्य सरकार को इस प्रकार का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने विशेष रूप से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अपनी किसी प्रकार की आवश्यकता के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया था। तथापि, राज्य सरकार ने सितम्बर, 1981 के मास के लिए 25,000 मीटरी टन चावल मांगा था। तथापि, उनको परामर्श दिया गया था कि वे पहले से बसूल किए गए और उनके पास रखे गए चावल के स्टाक का इस्तेमाल कर अपनी सार्वजनिक वितरण का प्रबन्ध करें।

केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1981 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 7000 मीटरी टन चावल आबंटित किया था और उन्होंने सितम्बर, 1981 में राज्य सरकार को पिछले वर्षों के बचे स्टाक, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1-4-1981 तक उठाया नहीं गया था, से राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए 1900 मीटरी टन चावल और प्राप्त करने की भी इजाजत दी गई थी।

गेहूं : एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर, 1981) के लिए उड़ीसा राज्य की गेहूं की मांग और उनको गेहूं के किए गए आवंटन का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा, हमने उड़ीसा सरकार को अप्रैल, 1981 से जून, 1981 की अवधि के दौरान "फीडिंग कार्यक्रम" के लिए कुल 450 मीटरी टन गेहूं (150 मीटरी टन प्रतिमास) आबंटित की थी।

अन्धाधुन्ध और अनधिकृत रूप से पेड़ों का काटा जाना

2481. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पेड़ अन्धाधुन्ध और अनधिकृत रूप से काटे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक वनों और रोपित वनों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दस किलोमीटर की परिधि के भीतर सभी गैर सरकारी आरा मिलों को बंद करने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी स्वयं की ऐसी स्टैण्डर्ड आरा मिल चलाने का है और साथ में बढ़ईगीरी तथा अन्य लघु उद्योग लगाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में वनों के चिन्ताजनक विनाश की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखा प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2482. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सूखे की व्यापकता के बारे में कोई अध्ययन किया है जिससे गत दो वर्षों के दौरान प्रभावित राज्यों में लाखों लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है,

(ग) अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं, और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता की तुलना में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक प्रभावित राज्य (राज्यवार) को किस प्रकार की और कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सूखे से प्रभावित राज्यों के अनुरोध पर, भारत सरकार सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय दल भेजती है। गत दो वर्षों के दौरान, केन्द्रीय दलों ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात

हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश का दौरा करके वहाँ की स्थिति का अध्ययन किया था। इन दलों ने क्षेत्रों का दौरा किया तथा सूखे के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाया। इन दलों ने अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों की सिफारिश की थी, जिनमें प्रभावित लोगों के लिये राहत की व्यवस्था करना, प्रमुख तथा लघु सिंचाई निर्माण कार्यों में तेजी लाना, मृदा संरक्षण तथा वनरोपण संबंधी उपाय, पेयजल सप्लाई स्कीमें तथा अन्य रोजगार प्रदान करने वाली स्कीमें, जो कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिए, सम्मिलित हैं।

(ग) सूखे की स्थिति को हल करने के लिए किए गए उपायों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल. टी. 3022/81**]।

(घ) 1980-81 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश; उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य सूखे से प्रभावित हुए। 1981-82 के मानसून से पूर्व की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा; कर्नाटक, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य सूखे से प्रभावित हुए। 1980-81 तथा 1981-82 (मानसून से पूर्व) के दौरान, प्रत्येक प्रभावित राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल. टी. 3022/81**]।

उड़ीसा को आबंटित खाद्य तेल

2483. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के त्यौहारों के मौसम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाने हेतु केन्द्रीय भण्डार से उड़ीसा राज्य को आबंटित खाद्य तेल की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि निजी पार्टियों द्वारा आयातित तेलों की बिक्री में व्यापारियों द्वारा कोई मुनाफाखोरी या मिलावट न की जाए ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) सितम्बर और अक्तूबर के महीने आमतौर पर त्यौहार के महीने माने जाते हैं। सितम्बर-अक्तूबर, 1981 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित किए गए खाद्य तेलों में से उड़ीसा राज्य को विभिन्न खाद्य तेलों की निम्नांकित मात्रा आबंटित की गई। इसके अलावा, पहले के आबंटनों में से 29-8-1981 तक न उठाई गई शेष मात्रा को भी इन दो महीनों के दौरान उठाने की अनुमति दी गई।

मीटरी टनों में

	आर० बी० डी० पामोलीन	आर० बी० डी० ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	योग
29-8-1981 तक न उठाई गई मात्रा	333	31	1022	1386
सितम्बर-अक्तूबर, 1981 के लिये आबंटन	500	—	1000	1500
(कुल योग)	833	31	2022	2886

(ख) जी हां।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

(1) आयातित खाद्य पदार्थों, जिनमें खाद्य तेल भी शामिल है, की सभी खेपों की खाद्य अपमिश्रण, निवारण, अधिनियम, 1954 की धारा 6 (2) के उपबंध के तहत प्रवेश पत्तन पर जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

(2) मिलावट किए गए खाद्य तेलों को बेचना खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत अपराध है। राज्य सरकारें, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन से सीधे संबंधित हैं, को बार-बार अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे खाद्य तेलों सहित मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नजर रखें।

उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आबंटित की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा से संबंधित कार्रवाई उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा की जाती है। इस निगम तथा उड़ीसा राज्य के जिला सभाहर्ताओं को अनुदेश दिए गए हैं कि वे इन तेलों के वितरण पर पूर्ण निगरानी रखें और चोरबाजारी तथा मिलावट को रोकने के प्रवर्तन तंत्र के कार्य में तेजी लायें।

उड़ीसा में जल-निकासी व्यवस्था

2484. **श्री चिंतामणी जेना** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कुछ जल निकासी योजनायें जो संबंधित राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई हैं ; सी० डब्लू० सी० या विश्व बैंक से स्वीकृति के लिए पड़ी है ?

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; इन योजनाओं पर स्वीकृति देने के लिए केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है और ऐसी सभी योजनाओं पर कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ; और

(ग) छठी योजना में कौन-कौन सी योजनायें सम्मिलित की गई हैं ; उन पर कितनी वित्तीय लागत आएगी और इनमें से प्रत्येक योजना से कितने एकड़ क्षेत्र को लाभ मिलेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई कोई भी जल-निकास स्कीम स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित नहीं पड़ी है । महानदी डेल्टा में जल-निकास के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार के पास अन्वेषण और अध्ययन करने की योजनाएं हैं। इस आयोजन कार्य पर 120 लाख रु० की लागत आएगी और इसमें चार वर्ष लगेंगे । महानदी बराज के लिए ऋण-सहायता में से इस आयोजन कार्य को वित्त-पोषित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने हाल में प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेजा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तमिलनाडु में करुप्पननिधि के जल ग्रहण क्षेत्र में पेड़ों का काटा जाना

2485. **श्री के०टी० कोसल राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के करुप्पननिधि के जलग्रहण क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार के निदेश का उल्लंघन करते हुए तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेलि जिले के शेनकोट्ठाह तालुक में पराब एस्टेट के पट्टे-धारियों को पेड़ काटने, जो जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं, की अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निदेश का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

'निर्माण लागत' और कुल लागत के बीच अन्तर

2486. **श्री के०टी० कोसल राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "निर्माण लागत" (जैसी कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित की गई है)

और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के लिये दी गई कुल लागत के बीच कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या "कुल लागत" में अन्य बातों में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के लिए लागू की गई राज सहायता और डी० डी० ए० का लाभ शामिल है ; और

(ग) इसके मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण की वास्तविक लागत क्या है जो दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाये गये गृह कर की आधार होनी चाहिये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने जिस मामले में "निर्माण लागत" शब्द की परिभाषा दी होगी, उनके विवरणों के अभाव में इन दो अभिव्यक्तियों की उचित परिप्रेक्ष्य में तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उनके द्वारा विकसित लागत प्रक्रिया में कमजोर वर्गों के हित में अन्तर्निहित सहायता है, किन्तु समस्त विश्लेषण में इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए लाभ का कोई घटक नहीं है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि स्वयं कब्जा किये गये डी० डी० ए० फ्लैटों का कर योग्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ लागत मूल्यांकनकर्ता/आबंटों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान किए गए या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आबंटन पत्र में दिखाया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण को वास्तविक लागत के रूप में भुगतान किया गया हो या भुगतान करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य कर रहे कर्मचारी

2487. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 नवम्बर, 1981 को संघ क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों (श्रेणीवार) में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों (राज्यवार) में ऐसे कितने कर्मचारी हैं और भर्ती के तरीके सहित तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न एककों व दिल्ली विकास प्राधिकरण से यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली में आवास

2488. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार दिल्ली में प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणियों (श्रेणीवार) उल्लेख करें) के 40,000 मकानों का निर्माण करने के लिए एक योजना बना रही है अथवा बनाई है और क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 575 करोड़ रुपये की राशि में से 300 करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रारम्भ से लेकर अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कितने मकान/रिहायशी फ्लैट निर्मित किये गये हैं और कितने मकान/फ्लैट निर्माणाधीन हैं और आगामी दो वर्षों के दौरान कितने मकान और फ्लैट निर्मित करने का विचार है ; और

(ग) क्या इससे समाज का कमजोर वर्ग लाभान्वित होगा और किस सीमा तक और किस प्रकार ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने गठन से 1981 तक बनाये गये मकानों की संख्या नीचे दी गई है :—

मध्यम आय वर्ग	18,609
निम्न आय वर्ग	81,084
जनता/सी० एस० पी०	18,159
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	6,842
गन्दी बस्ती टैनामैन्ट	1,154
स्ववित्त पोषित योजना	1,208
	67,056

88,000 से अधिक रिहायशी एककों को निर्माणाधीन बताया गया है । इसके सामान्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण का 20,000 प्रति वर्ष की दर से रिहायशी एकक बनाने का प्रस्ताव है ।

पर्याप्त निधियों तथा निर्माण सामग्रियों के उपलब्ध होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिक रिहायशी एकक बनाने का प्रयत्न करेगा ।

(ग) रिहायशी एककों का लगभग 71 प्र०श० कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये बनाये जाने का विचार है ;

अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

2489. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति वर्ष 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शित 'ले-आउट प्लान' और उस पर जनता से प्राप्त हुई आपत्तियों / सुझावों के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की है ;

(ख) क्या सरकार की उपरोक्त नीति का उल्लंघन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांडवली फजलपुर काम्पलेक्स में विनोद नगर सहित अनधिकृत कालोनियों के बहुत से मकान गिरा दिए गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है ; और

(ग) क्या सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गये आश्वासनों का उल्लंघन करते हुए मांडवली फजलपुर काम्पलेक्स सहित अनधिकृत कालोनियों में बहुत बड़ी संख्या में मकानों और प्लाटों के मालिकों को अधिग्रहण नोटिस दिए गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ड्राफ्ट फार्मों पर विधिवत विचार करने पर सरकार की नीतियों के अनुसार अन्तिम नियमितीकरण योजनायें बनाई जाती हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इन्कार किया है तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विनोद नगर के पड़ोस में हाल ही में बनाई गई कुछ संरचनाओं को गिराया गया क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार नये अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इच्छुक व्यक्तियों से मुआवजों के भुगतान के लिए दावे मंगाने हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9 और 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गये हैं। और अधिसूचित भूमि पर बनाई गई इसी प्रकार की अन्य सभी कालोनियों के लिए सरकार की नीति के अनुसार इस क्षेत्र में अर्जन किया जायेगा।

रोहिणी आवास योजना

2490. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी योजना में रिहायशी प्लाटों को लेने के लिए बहुत से व्यक्तियों ने अभ्यावेदन-पत्र दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्लाटों के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये हैं और रोहिणी योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्लाट बनाए जायेंगे ; और

(ग) आवेदकों को किस तारीख तक प्लाट मिलने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पंजीकरण का कार्य सौंपे गए बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रोहिणी योजना के अन्तर्गत रिहायशी प्लाटों के आबंटन के लिए 82,384 व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया है। काटे जाने वाले कुल प्लाटों की संख्या लगभग 1,17,000 होगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1982 तक आबंटन के लिए लगभग 15,000 प्लाट दिए जाने (रिलीज किए जाने) की सम्भावना है।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लाटों के लिए अदा की गई अग्रिम राशि पर ब्याज

2491. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिन्होंने स्वयं रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों के लिये पंजीकृत कराया है लेकिन जिन्हें अभी तक प्लाट नहीं दिये गये हैं, अग्रिम राशि पर ब्याज देगी ; और

(ख) यदि हां, तो किस दर पर और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरध ने सूचित किया है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के जमा खातों में प्रतिवर्ष 7 प्र० श० की दर से ब्याज जमा किया जायेगा। तथापि, एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले धन वापिस लेने (विद्ड्रावल) की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निरपेक्ष स्वविवेक के और ऐसे मामलों में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

दक्षिण में बनाया जाने वाला आरक्षित भण्डार

2492. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि दक्षिण में पर्याप्त आरक्षित भंडार बनाया जाना चाहिए ताकि अमरीका से आयातित गेहूं वहां के गोदामों में रखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका से भारत में अब तक कितना गेहूं पहुंचा है और अभी तक कितना गेहूं आना बाकी है ;

(ग) वे कौन से स्थान हैं जहां ये भंडार बनाये गये हैं और क्या इन भंडारों में भंडारण क्षमता बढ़ी है ; और

(घ) क्या अमरीका से गेहूं के आने के कारण बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए नई भंडारण क्षमता भी स्थापित की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) खाद्यान्नों का बफर स्टाक अखिल भारत आधार पर रखा जाता है और स्टाक को दक्षिणी राज्यों में भी रखा जाता है। 30-11-1981 को लगभग 3.54 लाख मीटरी टन आयातित गेहूं को भारत गोदामों में ले जाया गया था और शेष 11.61 लाख मीटरी टन गेहू अभी हमारे गोदामों में प्राप्त होना है।

(ग) आयतित गेहूं का देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर भण्डार करने का प्रस्ताव है ताकि विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(घ) देश में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के लिए योजना बनाना एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजनावधि तथा प्रत्येक वार्षिक योजनावधि के लिए भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जा रहे गेहूं का भाण्डारण करने के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने के लिए योजना

2493. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय भण्डागार निगम ने 400,000 टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने के लिए निर्णय किया है ;

(ख) इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या था ;

(ग) क्या वर्ष 1981-82 में यह कमी पूरी किये जाने की संभावना है ;

(घ) भंडागारों में भंडारण क्षमता कितनी थी ;

(ङ) वर्ष 1980-81 में कितनी भंडारण क्षमता बनाई गई थी ; और

(च) भारत की अन्न भंडारण क्षमता कितनी थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) के दौरान केन्द्रीय भाण्डागार निगम का अपने सामान्य भाण्डागार कार्यक्रम के अधीन 16.25 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का विचार है।

(ग) और (ङ) 1980-81 के दौरान सामान्य भाण्डागार कार्यक्रम के अधीन 2 लाख मीटरी टन की क्षमता के प्रति केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 2.03 लाख मीटरी टन की क्षमता का

निर्माण कार्य पूरा कर लिया था और इस प्रकार निगम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। अतः 1981-82 के दौरान 1980-81 की कमी को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1-10-1981 को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पास 39.00 लाख मीटरी टन की कुल क्षमता थी (अपनी, किराये की और कवर और प्लिंथ की) और सभी राज्य भाण्डागार निगमों के पास कुल 51.20 लाख मीटरी टन की क्षमता थी (अपनी और किराये की।)

(च) 1-10-1981 को भारतीय खाद्य निगम, जो कि खाद्यान्नों का बफर स्टाक का प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार हैं, के पास कुल 197.64 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता (अपनी, किराये की और कैप की) उपलब्ध थी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास

2495. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**
श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास में लक्ष्य की कुछ कमियों को गम्भीरता से लिया है विशेष कर यह जानकर कि राज्यों द्वारा आवास के लिये निर्धारित धनराशि अन्य कम प्राथमिकता वाले मदों में लगाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना, आयोग द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि हालांकि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जिन कुछ स्थानीय निकायों को सौंपा गया है वे इसके लिये पूरी तरह धनराशि दे रहे हैं। परन्तु वे इस धन का उपयोग अपने भवन एवं फर्नीचर पर खर्च करने में कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण आवास के लिये राजसहायता की दर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं और कुछ मामलों में राजसहायता की राशि बहुत अधिक है और यह 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग ने अन्य जिन बातों का उल्लेख किया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो ग्रामीण आवास के लिये निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना राज्य क्षेत्र में है और इस शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में निधियों को डालने की कोई भी घटना ध्यान में नहीं आयी है। किसी भी वर्ष में खर्चे में कमी को दूसरे आने वाले वर्ष में पूरा किया जाने की आशा है।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने इस कार्य क्रम का अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

तथापि, यह सत्य है कि बढ़ती हुई लागत को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में जिन मापदण्डों पर विचार किया गया था उनसे अधिक उदार आधार पर कुछ राज्य सरकारें इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही हैं। परियोजना के मापदण्डों के अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ताकि परियोजना में विचारे गये वास्तविक लक्ष्यों को विधिवत प्राप्त किया जाय।

चीनी पर दोहरा नियंत्रण

2496. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने के लिये चीनी पर दोहरी नियंत्रण पद्धति पुनः लागू करने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनः लागू की गई दोहरी नियंत्रण पद्धति के अन्तर्गत कितनी चीनी मिलों को चीनी निदेशलय द्वारा प्रोत्साहन दिये गये हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चालू चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी पर आंशिक नियन्त्रण, दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली और नई चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने की नीति जारी रखने का फैसला किया गया है।

(ख) संशोधित प्रोत्साहन योजना के अधीन चार चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के दावों को शर्करा निदेशालय ने अस्वीकार कर दिया है।

स्लम विभाग, दिल्ली को मकान किराया भत्ता देना

2497. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 7 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक पृथक स्लम विभाग बनाया गया था ; और इसे चलाने के लिए नये कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था ?

(ख) क्या स्लम विभाग के कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है जिसके बारे में उन्होंने एक अभ्यावेदन भी दिया है;

(ग) क्या इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विषमताओं को दूर करने हेतु गन्दी बस्ती विभाग के कर्मचारियों का अभ्यावेदन विस्तृत जाँच के अधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

गृह निर्माण ऋण

2498. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अतिरिक्त ऐसी कौन सी संस्थायें हैं जो (एक) वैयक्तिक (दो) समूह आवास समितियां (तीन) गृह निर्माण एजेन्सियों को आवास के लिये धन देती हैं ;

(ख) वे कितनी राशि का ऋण मंजूर करती हैं और ब्याज की दर क्या है और प्रत्येक मामले में उसे वापस चुकाने की अवधि क्या है ;

(ग) क्या ऋण की मंजूरी के लिये उन व्यक्तियों को भी कोई सुविधायें दी गई हैं जिनकी कम आय है और इन संस्थाओं के पास बंधक रखने के लिये जमीन की सम्पत्ति नहीं हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन वर्गों को कोई ऐसी सुविधायें दी जायेंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह : (क) जहाँ तक सरकारी अभिकरणों का संबंध है, आवास के लिए व्यक्तियों को ऋण जीवन बीमा निगम और अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा दिया जाता है और सामूहिक आवास समितियों तथा गृह निर्माण अभिकरणों को ऋण जीवन बीमा निगम, हुडको और अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा दिया जाता है ।

(ख) हुडको और जीवन बीमा निगम की शर्तें अनुलग्नक i तथा ii में दी गई हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को जारी किए गए आवासीय वित्त व्यवस्था पर मार्ग निर्देशन अनुलग्नक-iii में दिये गए हैं ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 3023/81**]

(ग) जहां राज्य सरकारों ने व्यक्तियों को स्थलों का आवंटन किया है, वहां हुडको राज्य सरकार के अभिकरणों को वित्तीय सहायता देती है यदि वे उस किस्म की योजना के लिए उपयुक्त मार्ग निर्देशनों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए योजना बनाते हैं। हुडको आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कुल मिलाकर 8,000 रुपये प्रति एककों के निर्माणार्थ अलग-अलग राज्य सरकार के अभिकरणों को ऋण देता है जो प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज सहित 20 वर्ष की अवधि में देय है । 5,000 रुपये प्रति एकक की लागत वाले रिहायशी एककों के लिए और तत्पश्चात् उन्नत मापदण्ड के आधार पर शत-प्रतिशत ऋण सहायता दी जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुटीर उद्योगों का विकास

2499. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कम विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के लिये लघु क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो राजगढ़, गुना और विदिशा के जिलों में जो कम विकसित और कम उद्योगीकृत रहे हैं, माचिस उद्योग जैसे कितने कुटीर एकक स्थापित किये गये थे ;

(ग) क्या सरकार ने पोटाशियम क्लोरेट के उत्पादन के लिए एक एकक की स्थापना के लिये कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह मध्य प्रदेश के उपरोक्त तीन पिछड़े जिलों में से किसी एक जिले में स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर, आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। जहां तक नीति का सम्बंध है, आयोग पहाड़ी, सीमावर्ती, पिछड़े, सुदूर और दुर्गम्य क्षेत्रों की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देता है। अब तक राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों में कोई कुटीर माचिस इकाई स्थापित नहीं की गई है। फिलहाल आयोग द्वारा कोई पोटाशियम क्लोरेट इकाई स्थापित नहीं की जा रही है।

दिल्ली में कालोनियों को नियमित करना

2500. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कालोनियों को नियमित करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी और कौन सी कालोनियाँ नियमित की जायेंगी ?

संसदीय कार्य तथा ग्रामीण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिये मापदण्ड विवरण 'क' में दिये गये हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान नियमित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों की सूची अभी नहीं बनाई है, सिवाय इसके कि दिल्ली नगर निगम ने दिसम्बर, 1981 तक ली जाने वाली प्रस्तावित कालोनियों की एक सूची बनाई है जैसा कि विवरण 'ख' की सूची में दिया गया है।

विवरण-क

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए मापदण्ड

(1) गैर सरकारी भूमि पर बनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जायेगा जिसमें आवासीय तथा वाणिज्यिक सरंचनायें शामिल हैं जो क्रमशः 30-6-77 तथा 16-277 तक बनी हैं।

(2) संरचनाओं को विन्यास नक्शे में उपयुक्त रूप से समायोजन करके और मांगों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए उचित स्थान रख कर नियमित किया जाएगा। मागों और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए यदि भूमि नजदीक पर पहले से ही प्राप्त है तो इस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

(3) अचल सम्पत्तियों के मालिकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्धारित किए गए विकास प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(4) जो परिवार मागों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था करने से विस्थापित होंगे, उनका पुनर्वास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा :

(क) जिन मकान मालिक का और या जिस मालिक के परिवार के सदस्यों का दिल्ली में प्लाट/मकान नहीं है उन्हें वैकल्पिक मकान/प्लाट दिया जाएगा।

(ख) किरायेदारों को वैकल्पिक आवास दिया जायेगा बशर्ते कि उनके अथवा अन्य किन्ही आश्रित सदस्यों के पास दिल्ली में प्लाट/मकान नहीं होना चाहिए।

(5) नियमितीकरण करते समय जहां कहीं भू-उपयोग को बदलने की आवश्यकता होगी यह वृहत योजना/क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था के संदर्भ में की जाएगी।

(6) जिन बस्तियों को अर्जित करने के लिए अधिसूचित किया गया उन्हें भी नियमितीकरण के लिए अनुमोदित किया जायेगा और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ वहां इसके परिणामस्वरूप कदम उठाये जाएंगे।

(7) सभी बस्तियों के मामलेवार अध्ययन जो पहले नहीं किये गये हैं उसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम करेंगे।

(8) जो बस्तियां पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। जिनमें मागों तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो चुका है उन्हें भी नियमित किया जायेगा बशर्ते कि इन सुविधाओं के लिए नजदीक या पड़ोस में भूमि प्राप्त हो, अन्यथा उन्हें वैकल्पिक स्थल/मकान दिये जायेंगे।

(9) उपर्युक्त तरीके से सब अनधिकृत बस्तियों के नियमितीकरण का फैसला हो रहा हो, इस बात पर भी जोर दिया जाना है कि सरकार वर्तमान अनधिकृत बस्तियों में अथवा किन्हीं अन्य क्षेत्रों में अथवा दिल्ली की बाहरी विकास योग्य सीमा में हो किसी भी व्यक्तिगत अथवा निकाय को

इस प्रकार नये मकान बनाने की गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देगी । इस दिशा में किये गये किसी भी प्रयत्न को गम्भीरता से देखा जायेगा और अपराधियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाएगा ।

विवरण-ख

अनधिकृत कालोनियों की सूची जिन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा दिसम्बर, 1981 तक नियमित करने का प्रस्ताव है

1. कान्ति नगर
2. राजगढ़ मोहल्ला तथा विस्तार
3. शान्ति मोहल्ला
4. राजगढ़ विस्तार i तथा ii
5. शंकर नगर विस्तार
6. दुर्गापुरी कालोनी
7. राम नगर विस्तार पूर्वी
8. कुलदीप नगर
9. मोती पार्क
10. हरि कृष्ण नगर
11. नवीन शाहदरा
12. रोहतास नगर
13. कबूल नगर
14. बलवीर नगर
15. सुभाष पार्क
16. पंचशील गार्डन
17. बलवीर नगर विस्तार
18. आर० आर० ए० बी० ब्लाक
19. द्वारिकापुरी उल्दान पार्क
20. छज्जू कालोनी
21. गोरख पार्क कालोनी
22. मोहन पार्क नवीन शाहदरा

23. प्रताप पुरा बाबरपुर रोड
24. पंचशील गार्डन विस्तार
25. नवीन शाहदरा पूर्वी
26. रोहितास नगर विस्तार
27. शिवाजी पार्क विस्तार
28. सुभाष पार्क (दक्षिण)
29. सुभाष पार्क (पश्चिम)
30. पश्चिम रोहतास नगर
31. गोरख पार्क (पूर्वी)
32. बावरपुर विस्तार तथा पूर्वी शाहदारा
33. शिवपुरी विस्तार
34. अर्जुन नगर (पश्चिमी)
35. चन्द्र नगर (पश्चिमी)
36. शास्त्री पार्क
37. इन्दिरा फार्क विस्तार
38. कृष्ण नगर (पूर्वी)
39. शास्त्री पार्क (सतनाम पार्क)
40. श्री राम नगर

आंध्र प्रदेश में सिंचाई कार्यक्रमों के लिए अग्रिम योजना

2501. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष की वार्षिक योजना में सिंचाई कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अग्रिम योजना सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई राशि कितनी है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की राशि देने का अनुरोध किया गया। इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बगदाद में भारतीय कम्पनियों द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

2502. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर, में उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल ने बगदाद की यात्रा की थी ;

(ख) इस दल के कितने और कौन-कौन से व्यक्ति थे ;

(ग) विचार विमर्श किए गए विषय और उन पर किए गए निर्णय क्या हैं ; और

(घ) उनकी इस यात्रा से भारतीय कम्पनियों को जिन्होंने बगदाद में बहुत सी परियोजनायें शुरू की हैं, कहां तक सहायता मिली है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस दल में केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री के अलावा निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव श्री एम० के० मुखर्जी, वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ए० एस० चता तथा निर्माण और आवास मंत्री के निजी सचिव श्री आर० डी० तिवारी थे।

(ग) तथा (घ) यह दौरा मूल रूप से बगदाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के सम्बन्ध में था जिसमें भारत ने भाग लिया था और यह ईराक में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा आरम्भ किए गए कुछ निर्माण कार्यों के निरीक्षण के सम्बन्ध में भी था। भारतीय कम्पनियों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में मूल्य वृद्धि इत्यादि के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए दावों की मंत्रणा पर इस दल ने ई-राक सरकार के सम्बन्धित मन्त्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। इस दौरे से भारत-ईराक संयुक्त आयोग द्वारा इस मामले पर आगे विचार-विमर्श करने में सुविधा हुई जिसकी बैठक बाद में अक्तूबर, 1981 में ईराक में हुई।

केन्द्रीय जोन में किसानों को घटिया कीटनाशी औषधियों की सप्लाई

2503. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों को कीटनाशी औषधियों की सप्लाई के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय जोन आदि में किसानों को घटिया कीटनाशी औषधियों की सप्लाई के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) तक विभिन्न राज्यों में कीटनाशी औषधियों के गुण नियंत्रण सम्बन्धी मशीनरी की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 1980 में क्षेत्रीय आधार पर 5 सर्वेक्षण दलों का गठन किया था। केन्द्रीय क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण दल ने 98 नमूने लिए और उनमें से 57 नमूने (लगभग 58 प्रतिशत) घटिया पाए गये।

दिल्ली में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया जाना

2504. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजधानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अतिक्रमणों में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के सम्बद्ध होने के बारे में कोई सूची तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कोई सूची नहीं बनाई गई है। दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि अतिक्रमण करने के मामलों में राजनीतिक दलों के सम्मिलित होने की कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आई है।

दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा

2505. **श्री सज्जन कुमार** :
श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के किसानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा उनसे अधिगृहीत भूमि के लिए बाजार दरों पर मुआवना नहीं दिया गया है और उन्हें बहुत कम दरों पर मुआवजा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों में बढ़ते हुए असन्तोष को खत्म करने की दृष्टि से बाजार दरों पर किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के समय चालू बाजार दर पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दी जाती है।

(ख) जिन लोगों की भूमि का अर्जन किया गया है उनको हुई कठिनाइयों में कमी करने की दृष्टि से भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने अपेक्षित हैं।

जम्मू और काश्मीर में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए वित्त-पोषण

2506. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य के 50 प्रतिशत हिस्से को लागू करने के बाद विभिन्न राज्यों में और विशेषकर जम्मू और काश्मीर में मरुस्थल विकास कार्यक्रमों की गति धीमी हो गई है ;

(ख) क्या लद्दाख के प्रति राज्य सरकार द्वारा दर्शाये गये प्रतिकूल रवैये को देखते हुए भारत सरकार विशेषकर जम्मू और काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पहले की भांति शत-प्रतिशत वित्त पोषण करने का पूरा दायित्व लेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो लद्दाख क्षेत्र में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के शीघ्र कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुर्नर्निर्माण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) कार्यक्रम को वित्त-पोषित करने की वर्तमान योजना पर पुर्नविचार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लेह तथा कारगिल के प्रत्येक जिले में 5 खण्डों को शामिल किया गया है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की विषयवस्तु तथा व्यय की प्रगतिकी पुनरीक्षा करतीहै। राज्य सरकार भी उपयुक्त योजनाओं को विकसित करने तथा कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने का प्रयत्न कर रही है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सहयोग की वर्तमान प्रक्रिया सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है तथा आशा की जाती है कि लद्दाख क्षेत्र के शीत मरु क्षेत्र में समन्वित विकास में ठोस लेकिन अनिवार्य रूप से धीरे-धीरे प्रगति होगी।

जम्मू और कश्मीर को सप्लाई किया गया चावल

2507. **श्री पी० नामग्याल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के खाद्य और सप्लाई विभाग के जरिए लद्दाख को सप्लाई किया गया 50 प्रतिशत चावल सड़ा हुआ और मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता की बहुत सी शिकायतों के कारण श्रीनगर से खाद्य विभाग के एक दल ने लद्दाख का दौरा किया था और मौके पर निरीक्षण के बाद वे सड़े हुए और खराब स्टाक को बदलने को राजी हो गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अधिकारियों जिन्होंने लद्दाख का मौके पर दौरा किया था ने लद्दाख को सप्लाई किए गए सड़े हुए और खराब किस्म के चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम को दोषी ठहराया था ; और

(घ) यदि हां, तो लद्दाख के लिए अभिप्रेत खराब किस्म के चावल की सप्लाई करने/स्वीकार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ भारत सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और क्या सड़े हुए चावल को बदल दिया गया है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जी नहीं । भारतीय खाद्य निगम जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान विनिर्दिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा क्वालिटी संबंधी स्वीकृति देने के बाद ही चावल की सप्लाई करता है । लद्दाख में आगे वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । सचिव, खाद्य तथा पूर्ति, जम्मू तथा कश्मीर, ने घटिया किस्म का चावल सप्लाई करने के बारे में जुलाई, 1981 में भारतीय खाद्य निगम को शिकायत की थी जिससे अधिकारियों का एक दल उसकी जाँच करने के लिए भेजा गया था। जाँच करने पर, यह पाया गया कि संबंधित स्टाक निर्धारित विनिर्दिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप था । राज्य सरकार ने इसबात पर जोर दिया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियाँ उनके लिए बाध्यकारी नहीं हैं और उन्हें उनके मानकों के अनुरूप चावल सप्लाई किया जाना चाहिए । क्योंकि केन्द्रीय सरकार की विनिर्दिष्टियों के अनुसार खरीद और बिक्री की जाती है इसलिए राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

भारतीय खाद्य निगम को लद्दाख को सड़ा चावल सप्लाई किए जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट जांच किए जाने के सम्बन्ध में पता नहीं है, न ही राज्य सरकार ने कोई स्टाक बदलने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध ही किया था ।

गोरखपुर और बस्ती में बाढ़

2508. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर और बस्ती जिलों में घाघरा, राप्ती और उनकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के कारण इस वर्ष कुल कितनी हानि हुई तथा तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन नदियों में बाढ़ से गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या लगातार होने वाली भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार कोई विशेष बाढ़ नियंत्रण योजना बनाने का है ;

(घ) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार के साथ कोई समझौता न होने से इन नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र को नियंत्रित करना संभव नहीं हो सका है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने क्षेत्र में इन नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करने की किसी योजगा को कार्यान्वित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(च) क्गा सरकार का इस वर्ष गोरखपुर और बस्ती के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को विशेप राहत देने का कोई कार्यक्रम है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (च) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रखी दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में 'काम के बदले अनाज' का कार्यक्रम

2509. **श्री जैनुल बशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि और कितनी मात्रा में अनाज आबंटित किया गया है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए आबंटनों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) ; (क) व (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिये केन्द्रीय अंश के रूप में 16.70 करोड़ रुपये की नकद निधियों के अलावा 27,900 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा संस्वीकृत की गई है। सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने आबंटित मात्रा में से कोई खाद्यान्न नहीं उठाए हैं और इस प्रकार जिलों को अभी खाद्यान्नों की कोई मात्रा आबटित नहीं की गई है ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लागत के मकान

2510. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए गांवों में आबंटित आबासीय भूमि पर कम लागत पर मकान बनाने की कोई योजना मन्त्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक इसको कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) राज्य सरकारें पहले ही ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल व गृह निर्माण सहायता की योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ढंग के रूप में विकासित आवास स्थल का आवंटन तथा उस पर कम लागत के मकान बनाने के लिए सहायता शामिल हैं ।

(ख) इस योजना में, सम्पर्क मार्गों, 250 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 30-40 मकानों

के एक समूह के लिए पक्के कुएं के प्रावधान सहित लगभग 100 वर्ग गज माप का आवास स्थल के आबंटन पर विचार किया गया है। आबंटित किए गए स्थल पर रिहायशी एकक के निर्माण के लिए स्थानीय भवन निर्माण सामग्रियों के लिए 500 रुपये की सहायता दी जानी है। सभी श्रम कार्यों की व्यवस्था लाभभोगियों द्वारा की जानी है।

(ग) छठी योजना में सभी अनुमानित पात्र परिवारों को आवास-स्थल देने तथा उनमें से 25 प्र०श० को 1985 तक गृह निर्माण सहायता देने पर विचार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पेय जल

2511. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन गांवों की संख्या कितनी है जिनके लिए 31 मार्च, 1982 तक, पेय जल सप्लाई व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उन गांवों की जिले-बार संख्या कितनी है जिनमें 31 अक्तूबर, 1981 तक पेय जल सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितने गांवों में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास-मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) 1981-82 के दौरान राज्य सरकार को 2700 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक विवरण संलग्न है;

(ग) 1982-83 के दौरान राज्य सरकार का 2200 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

विवरण

जिले का नाम	31-10-81 तक लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1. अल्मोड़ा	1023
2. उत्तर काशी	384
3. गढ़वाल	846
4. चमोली	785
5. देहरादून	515
6. नैनीताल	1386
7. पिथौरागढ़	1135

8. टिहरी गढ़वाल	562
9. झांसी 10. ललितपुर	480
11. बांदा	434
12. जालौन	251
13. हम्मीरपुर	61
14. उन्नाव	20
15. कानपुर	94
16. पतेहपुर	28
17. बारावंकी	7
18. राय बरेली	70
19. लखनऊ	—
20. खड़ी	—
21. सीतापुर	—
22. हरदोई	15
23. आजम गढ़	216
24. इलाहाबाद	1380
25. गाजीपुर	228
26. गोन्डा	—
27. गोरखपुर	68
28. जौनपुर	431
29. देवरिया	—
30. प्रताप गढ़	79
31. फैजाबाद	—
32. बलिया	78
33. वस्ती	1
34. बहराईच	—
35. मिर्जापुर	203
36. वाराणसी	457
37. सुलतानपुर	48
38. अलीगढ़	2
39. इटावा	4
40. एटा	2
41. पीलीभीत	—
42. फरुखाबाद	9

43. बदायूं	3
44. बरेली	3
45. बुलन्दशहर	—
46. बिजनौर	26
47. मथुरा	49
48. मुजफ्फर नगर	9
49. मुरादाबाद	5
50. मेरठ	11
51. आगरा	84
52. मैनपुरी	1
53. रामपुर	1
54. शहाजहांपुर	1
55. सहारनपुर	139

बेची गई सम्पत्ति का पंजीकरण

2512. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक लम्बे अर्से से, भूखण्डों, फ्लैटों/ मकानों की बिक्री का न्यायालयों द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनके मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इस तरह के पंजीकरण पर सरकार को सम्पदा कर नहीं प्राप्त हो रहा है, यद्यपि सम्पत्तियों और भूमि की बिना किसी रिकार्ड के पूंजी कर बचाकर बिक्री हो रही है जिससे सरकार को भारी वित्तीय हानि हो रही है ;

(ग) क्या मुख्तियारनामे के आधार पर ये सौदे हो रहे हैं जिससे बिना हिसाब वाले धन का उपयोग करने में सहायता मिलती है ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का केवल उन लोगों के लिए इस तरह की बिक्रियों पर रोक लगाने का विचार है, जो उसकी खरीद के तत्काल पहले ही कम से कम 20 वर्ष की अवधि से सामान्य रूप से दिल्ली के निवासी नहीं रहे है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) :(क) नहीं,श्रीमान। (ख) तथा (ग) प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड ने सूचित किया है कि सम्पत्ति अन्तरण पंजीकरण के बिना सम्पत्तियों की बिक्री का सम्पदा शुल्क तथा सम्पत्ति कर राजस्व पर कोई प्रभाव होने की सम्भावना नहीं है। यह सम्पत्ति किसी के भी नाम में पंजीकृत हो, सम्पदा शुल्क या सम्पत्ति कर के अधीन है और उस पर ये दोनों देय हैं। जहां बिक्री मुख्तियारनामे पर पंजीकरण के बिना

ो जाती है या उसका अन्तरण किया जाता है तो तथाकथित विक्रेता/अन्तरक पर उसकी मृत्यु होने पर सम्पत्ति कर या सम्पदा शुल्क निर्धारणीय है, क्योंकि ऐसी सम्पत्ति पंजीकरण रिकार्ड में उसके नाम में पंजीकृत रहती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा

2513. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, एस० सी० डी०, दिल्ली कन्टोनमेन्ट बोर्ड और नयी दिल्ली नगर पालिका के फील्ड कर्मचारी, अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या शहर को सीमित करने और सरकारी भूमि पर और आगे अवैध कब्जों को रोकने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन सहित इन अधिकारियों को जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई विधेयक लाया जायेगा ; और

(ग) सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तथा कब्जे के सम्बन्ध में बड़ी सतर्कता बरतने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उसके बिल्डिंग विभाग के कनिष्ट अभियन्ता अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के लिए उनको बांटे गये स्थानों पर जाते हैं। इसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करते हैं। नयी दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनके फील्ड स्टाफ द्वारा अनधिकृत निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर सख्त निगरानी रखी जाती है। वे अपने क्षेत्रों में जाते हैं और जब कभी भी अतिक्रमणों का पता चलता है तो उसकी रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसने भूमि पर निगरानी रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में चौकसी स्टाफ रखा हुआ है और इसके मुख्यालय में एक नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है जहां भूमि अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माण के बारे में सूचनायें प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भूमि के धोखेबाजों से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन ने पिछले वर्ष पुलिस उप आयुक्त के अधीन एक विशेष कक्ष गठित किया है। दिल्ली कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ने बताया है कि जब कभी अनधिकृत निर्माण का पता चलता है तो कैन्टोन्मेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में भूमि का विकास

2514. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री सेक्टर-i, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में भूमि के विकास के बारे में 30 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भूमि दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो एक पार्क के विकास हेतु इस भूमि का दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसकी देख-रेख व रख-रखाव पर यहभूमि सौंपी गई थी, से कहा गया है कि वे इस भूमि को दिल्ली नगर निगम को कब्जा देने के लिए भूमि तथा विकास अधिकारी को दे दें। इसी दौरान निगम को पंजीकरण के लिए पट्टा करारनामा भी भेज दिया गया है।

हिमालय क्षेत्र में पेड़ों के काटे जाने पर रोक

2515. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों में रेत जमा होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार हिमालय क्षेत्र में पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध लगा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) भारत सरकार राज्यों को बराबर सलाह देती रहती है कि वे देश में वृक्षों के संवर्द्धन को जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों का स्रवण क्षेत्र भी शामिल है, पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करें। वृक्षों की कटाई को रोकने का कानूनी संरक्षण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

जम्मू और काश्मीर में शीत जल मत्स्य पालन उद्योग का विकास

2516. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास जम्मू और काश्मीर में शीत जल मत्स्य पालन उद्योग का विकास करने की एक परियोजना है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना को जम्मू कश्मीर की सरकार से सहायता नहीं मिल रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का एक कोल्डवाटर फिशरीज रिसर्च सेन्टर हरवान में है जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है ।

(ख) सरकार को यह मालूम है कि इस प्रायोजना को जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है । केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का कोल्डवाटर फ़िशरीज रिसर्च यूनिट जो कि मूल रूप से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थापित था उसको जम्मू और कश्मीर राज्य के अनुरोध पर ठण्डे पानी की मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करने के लिए अक्तूबर, 1967 में हरवान (श्रीनगर) में स्थानान्तरित कर दिया था और यह यूनिट ट्राउट हैचरि प्रैक्टिस, फीड फोरमुलेशन एण्ड ट्राउट डीजीज कन्ट्रोल पर जांच-पड़ताल करता रहा है । चूंकि विद्यमान केन्द्र में बहुत से मामलों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस मामले में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रही है । संस्थान की उपलब्धि लेखा-परीक्षा समिति ने केन्द्र को देखने के बाद यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकार को उपयुक्त फार्म सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह सुझाव दिया था कि अचबल फिश फार्म जो इस समय जीर्ण-शीर्ण हालत में है उसे केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान लम्बे पट्टे पर अपने अधीन ले ले । दूसरा विकल्प यह है कि राज्य सरकार अचबल के निकट अतिरिक्त भूमि प्राप्त करके केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को दे दें ताकि वे कल्चर आफ कोल्ड वाटर स्पाईसेस जांच-पड़ताल के लिए उसका विकास अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकें । केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने इस मामले पर मात्स्यिकी और पर्यटक से सम्बन्धित राज्य उपमंत्री से विचार-विमर्श कर लिया है । तथापि, राज्य मात्स्यिकी निदेशालय ने केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को यह सूचित किया है कि उनके अपने पुनर्गठित ढांचे के कारण विविध रूप से विकास कार्य में बढ़ोत्तरी हुई है अतः वे अचबल फिश फार्म को देने में असमर्थ हैं ।

गहरे पानी वाले क्षेत्रों में धान की किस्मों का विकास

2517. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान पदिषद के गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए धान की एक नई किस्म का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ;

(ख) 1971 में उत्तर प्रदेश के गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए जलमग्न किस्म का विकास

किया गया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के लिए 1972 में पानीधान, और पानीधान-2 और 1970-80 के दशक के मध्य में जलधि-1 और जलधि-2 किस्में विकसित की गयीं। हाल ही में विकसित नवीगंज 4-1 सी० एम० एस० 13, डी० डब्ल्यू 48 और जी० टी० 93, सिर्फ उत्तर प्रदेश के गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए, डी० के० एन० 6986-173-5, वी० आर० 223-8-38 और चमरा बिहार के लिए तथा सी० एन० 643 और सी० एन० 540 बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए उपयुक्त है।

गन्ना पेरने की मशीनों के लिए सुरक्षा उपाय

1518. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों और कृषि मजदूरों की, उनकी उँगलियां और हाथ कट जाने से उनकी रक्षा करने हेतु गन्ना पेरने की मशीनों के लिए सुरक्षा उपाय सोचे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ये सुरक्षा उपाय बरतने के लिए इन गन्ना पेरने की मशीनों के निर्माताओं पर जोर डाल रही है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) निदेशक, केन्द्रीय कृषि इन्जीनियरिंग संस्थान, भोपाल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने गन्ना पेरने की मशीनों की विभिन्न किस्मों के लिए सुरक्षा यंत्रों के प्रतिमानों का पता लगाया है। भारतीय मानव संस्थान इन डिजायनों के आधार पर मानव तैयार कर रहा है।

समिति की सिफारिशों, जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को भेजा गया है, में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करना कि कोई भी गन्ना पेरने की मशीन बिना सुरक्षा यंत्रों के तैयार न की जाए, शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ से ज्ञापन

2519. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उसने खुले बाजार में चीनी के मूल्यों के लाभप्रद स्तर से नीचे अचानक गिरने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा तथा उनके ज्ञापन में उल्लिखित संघ की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : फेडरेशन से हाल में प्राप्त पत्र में, खुले बाजार में चीनी के मूल्य में गिरावट

आने पर चिन्ता व्यक्त की गई है। फेडरेशन ने कहा है कि जून, 1981 में मूल्य में भारी गिरावट आई और उसमें अगस्त, 1981 के अन्त तक गिरावट आती गई। यह भी कहा गया है कि अक्तूबर, 1981 के लिए 40,000 मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी की अतिरिक्त निर्मुक्ति करने से मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में फेडरेशन ने यह मांग की है कि चीनी का और आयात बन्द किया जाए, उपभोक्ताओं तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए और अधिक सूझ-बूझ से चीनी की मासिक निर्मुक्ति की जाए और मूल्य को 650 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास स्थिर किया जाए और अपेक्षाकृत थोड़ी निर्मुक्ति करके बफर स्टाक बनाया जाए।

सरकार चीनी के मूल्यों की प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखती है। चीनी आयात करने के बारे में फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपलब्धता और मांग को दृष्टि में रखते हुए चीनी की मासिक निर्मुक्तियां की जाती हैं। सिद्धान्त रूप में, चालू चीनी वर्ष के दौरान यथा सम्भव बफर स्टाक बनाने का निर्णय किया गया है।

पम्प सैटों और नलकूपों को चालू किया जाना

2520. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की योजना 45,000 गहरे सरकारी नलकूपों के अलावा 5.3 मिलियन विद्युत पम्प सेटों को 1983 तक चालू करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण अब अपनी आधी क्षमता पर चल रहे इनमें से अधिकांश कूपों को नियमित विद्युत सप्लाई को सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुल भूमि जल संसाधनों को 20 प्रतिशत वाले कुछ राज्यों में इस देश के पम्प सेटों की कुल संख्या की आधी संख्या है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) नए कुओं, नलकूपों आदि के प्रतिष्ठापन के साथ-साथ, पम्प-सेटों का ऊर्जन एक सतत कार्यक्रम है। राज्य बिजली बोर्ड देश के लगभग सभी राज्यों में ऊर्जन कार्यक्रम को चलाते हैं। छठी योजना (1980-85) के दौरान, विद्युत-चालित पम्प सेटों (इनमें वे पम्पसेट भी शामिल हैं जो गहरे सरकारी नलकूपों पर प्रतिष्ठापित किए गए हैं) की संख्या को 2.5 मिलियन बढ़ाकर, 3.95 मिलियन (मार्च, 1980) से 6.45 मिलियन (मार्च, 1985) तक करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1983 के अन्त तक लगभग 45,000 सरकारी नलकूपों सहित, कुल 5.24 मिलियन पम्प-सेटों को ऊर्जित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कृषि-पम्पसेटों की विद्युत-सप्लाई संबंधित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाएगी। इसे पहले ही समूह 'क' में सम्मिलित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गए

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उच्चतम प्राथमिकता की श्रेणीहैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा यह भी जोर देकर कहा गया है कि कृषि के लिए विद्युत-सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है और प्रतिदिन आठ से दस घण्टे की न्यूनतम विद्युत सप्लाई सुनिश्चत की जानी चाहिए।

(ग) यह सत्य है कि सिचाई पम्पसेटों के ऊर्जन के कार्यक्रम में कुछ राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी भूगत जल क्षमता के उच्चतर प्रतिशतता का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ऐसा मुख्यतया सिचाई के लिए जल के किसी अन्य स्रोत की कमी के कारण हुआ है:

(घ) छठी योजना (1980-85) में उन राज्यों पर जिनके पास बहुत अधिक अनुपयुक्त भूगत जल क्षमता उपलब्ध है, पम्प सेटों के ऊर्जन में तेजी लाने पर और भूगत तभा भूतल जल के संयुक्त उपयोग पर भी उचित जोर डाला गया है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें

2521. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सिफारिशों की जांच की गई है और कार्यान्वित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अब तक की गई 2361 सिफारिशों में से 1990 सिफारिशें या मोटे तौर पर 84 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और 25 सिफारिशें अर्थात 1.1 प्रतिशत अस्वीकार कर दी हैं । शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) स्वीकार की गई सिफारिशों में से 1814 सिफारिशें क्रियान्वित कर ली गई हैं अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है, इनका संबंध कृषि के विभिन्न पहलुओं से है । जिनके अन्तर्गत फसलें, पशुपालन, मात्स्यकी तथा वानिकी एवं अवस्थापना, विपणन तथा सेवायें आती हैं ।

गेहूं की नई किस्में

2522. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेंहूं-वैज्ञानिकों ने आगामी रबी मौसम के दौरान व्यापक क्षेत्र परीक्षण और बीज वृद्धि के लिए विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के लिए गेहूं की 8 नई किस्मों का पता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 1980-81 के रबी मौसम के दौरान इन किस्मों की बुआई की गई थी और किए गए परीक्षण सफल रहे ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब उनको अन्य राज्यों में भी बोये जाने पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत उन अन्य राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन शुरू किया जाएगा जहां अब तक इस तरह का उत्पादन संभव नहीं था ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अगस्त 1981 में पूना में हुए 20वें अखिल भारतीय गेहूं शोधकर्ता वर्कशाप में गेहूं की 8 नयी किस्मों को गेहूं वैज्ञानिकों ने जांच कर निकाला है । ये किस्में 1980-81 के रबी के मौसम सहित अखिल भारतीय गेहूं सुधार समन्वित परियोजना के अन्तर्गत अच्छी तरह परखने के बाद निकाली गयी हैं ।

किस्म	क्षेत्र	उत्पादन स्थिति
एच० डी०—2285	**उत्तरी मैदानी क्षेत्र**	
	पंजाब, जम्मू के मैदानी क्षेत्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा (कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल और सोनीपत जिले) राजस्थान और ग्वालियर के अलवर, मध्य प्रदेश के भरतपुर और श्री गंगानगर जिले, भिण्ड और मुरैना ।	पछेती अच्छी उर्वरता वाली और सिंचित स्थितियों में
डब्ल्यू० एल०—2265	—उपर्युक्त—	समय पर बोई जाने पर बारानी स्थितियों में कम उर्वरता
डी० एल०—153-2	—उपर्युक्त—	—उपर्युक्त—

किस्म	क्षेत्र	उत्पादन स्थिति
डब्ल्यू० एच०—291	**उत्तरी-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र**	
	अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, कोटा और उदयपुर खण्डों को छोड़कर समस्त राजस्थान, हरियाणा के पश्चिमी जिले, उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो पहले बताये जा चुके हैं को छोड़कर, बड़ौदा, भड़ौंच, केरा, पंचमहल, सूरत, बलसार जिले व काठियावाड़ क्षेत्र को छोड़कर समस्त गुजरात।	पछेती अच्छी उर्वरता सिंचित स्थितियां
एच० यू० डब्ल्यू०—55	**उत्तरी-पूर्वी मैदानी क्षेत्र**	
	पूर्वी उत्तर प्रदेश (जिसमें एटा से लेकर नैनीताल की सीमांत रेखा के पूर्व में आने वाले क्षेत्र), समस्त बिहार छोटा नागपुर क्षेत्र को छोड़कर।	समय पर बोयी गयी सिंचित एवं उच्च उर्वरता स्थितियों में
एच० डी०—2278	**दक्षिणी भारत क्षेत्र**	
	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पश्चिमी आन्ध्र प्रदेश (रायल सीमा और तेलंगाना क्षेत्र) तमिल नाडु के मैदान।	समय पर बोयी गयी सिंचित एवं उच्च उर्वरता स्थितियों में
डी० डब्ल्यू० आर०—39	—उपर्युक्त—	—उपर्युक्त—
एच० डब्ल्यू०—741	**दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र**	
	तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्र।	सिंचित, उच्च उर्वरता और बारानी, निम्न उर्वरता स्थिति।

(स) 1980-81 के रबी मौसम में नयी किस्मों को 3-4 वर्ष तक वैज्ञानिकों द्वारा परखा गया। इन्हीं परखों के नतीजों के आधार पर इन किस्मों को उत्तम गुण वाली पाया गया और 1981-82 के रबी मौसम के लिए इन्हें बोने न बीज संवर्धन किए जाने की सिफारिश की गयी।

(द) इन किस्मों को खेती के लिए उपयुक्त पाये जाने वाले राज्यों के माकूल जिलों में बड़े पैमाने पर परखा जा रहा है।

(इ) पिछले समय में इन किस्मों को "गैर-परम्परागत" गेहूं राज्यों में उगाया गया और काफी सफलता मिली। भविष्य में भी नवीनतम किस्मों को इसी तरह उगाने के प्रयास जारी रहेंगे।

'तीन फसल पद्धति'

2323. **श्री बो० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों के खेतों पर 'तीन फसल पद्धति' की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा दालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्य केन्द्रों के विज्ञानियों द्वारा मूंग की प्रकाश असंवेदनशील किस्मों के तथा अरहर की अल्प अवधि वाली किस्मों के विकास से अब यह संभव हो गया है कि उत्तर-पश्चिमी मैदानों में (मूँग+अरहर) गेहूं या अरहर-गेहूं मूँग के फसल चक्र अपनाये जायें।

(ख) इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में विज्ञानियों द्वारा किसानों के खेतों में कई प्रदर्शन प्रदर्शित किये गये। पिछले 2 या 3 वर्षों के दौरान भा० कृ० अ० सं० ने स्वयं दिल्ली के आस पास के गाँवों में कई प्रदर्शन प्रदर्शित किये हैं। पश्चित उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा में इस पद्धति की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। तीन फसल चक्र प्रणाली के अपनाने से जिसमें मूँग तथा अरहर शामिल हैं किसानों को दालों की अतिरिक्त फसल लेने में मदद मिलेगी।

राज्यों में जल सप्लाई योजना

2524 **श्री हरिहर सोरन : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में ग्रामीण जल सप्लाई योजना को कार्यान्वित करने में अनुभव की जा रही समस्याओं की जानकारी है :

(ख) क्या यह सच है कि ढलवां लोहे के पाइपों को जबरदस्त कमी सार्वधिक महत्वपूर्ण कारणों में

एक है जिसकी बजह से छठी योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना को विभिन्न राज्यों में निर्धारित लक्ष्य तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ढलवां लोहे के पाइपों की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(घ) तत्ससम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । कई ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं में ढलवाँ लोहे के पाइप अपेक्षित नहीं हैं। उन योजनाओ में भी जहां ये पाइप अपेक्षित हैं । वैकल्पिक सामाग्रियों का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) : जलपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करना उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो मान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से ढलवाँ लोहे के पाइप प्राप्त करने के प्रयास करते हैं । यह नोट किया गया है कि कतिपय आकारों के ढलवा लोहे के पाइपों की कमी है । यद्यपि, भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यकता की सीमा तक राज्य सरकारों को ढलवाँ लोहे के पाइप उपलब्ध कराए जाते हैं । प्रथम चार वर्षों (81-85) के दौरान और अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-1990 के बाद के 6 वर्षों के दौरान पेय जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में अपेक्षित ढलवाँ लोहे के पाइप और अन्य सामग्रियों सहित विभिन्न किस्म के पाइपों की आवश्यकता का मूल्यांकन इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक की एपैक्स समिति द्वारा किया गया है और बाद की सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रश्न को आगे संबंधित अभिकरणों के साथ उठाया जाएगा ।

महानदी-चित्रोत्पला सिंचाई परियोजना

2525. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को महानदी-चित्रोत्पला द्वीपसमूह सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में उड़ीसा सरकार से संशोधित रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त महानदी-चित्रोत्पला द्वीपसमूह सिंचाई परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) महानदी-चित्रोत्पला द्वीप सिंचाई परियोजना को आशोधित रिपोर्ट अभी तक उड़ीसा सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

2526. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने छठी योजना अवधि के दौरान कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की ;

(ख) विश्व बैंक सहायता का उपयोग करते हुए उन राज्यों में शुरू किए गए कृषि विकास कार्यक्रम क्या हैं ;

(ग) क्या कोई विश्व बैंक सहायता कृषि के विकास के लिए उड़ीसा में खर्च की गई है ;

(घ) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारम्भ से ही विश्व बैंक के धन का निवेश करके उड़ीसा में कौन से कृषि विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) विश्व बैंक और इसके सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विशिष्ट कृषि विकास परियोजनाओं, जिनका क्रियान्वयन प्रायः एक पंचवर्षीय योजनावधि में होता है, को सहायता प्रदान करते हैं। राज्यों के नाम और इस समय विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से कार्यान्वित की जा रही कृषि विकास परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध-i)

[**ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3024/81**]

(ग) जी, हां।

(घ) व (ङ) उड़ीसा में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे कृषि विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न है (अनुबंध-ii)

[**ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 3024/81**]

उड़ीसा में केन्द्रीय परियोजनाओं का सुधार

2527. **श्री अनादिचरण सी० दास** : क्या **ग्रामीण पुनर्निनर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों के कुछ ऐसे खंडों का पता किया है जहां केन्द्रीय परियोजनायें शुरू करके चहुमुखी सुधार करना है ;

(ख) यदि हां, तो उन खण्डों की संख्या कितनी है जो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय परियोजनायें लागू करने के लिए चुने गए हैं ;

(ग) कटक जिले के उन खण्डों के क्या नाम हैं जो इस प्रयोजन के लिए चुने गए हैं ; और

(घ) वहां लागू किए जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के क्या नाम हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) समन्वित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू में लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रमों के अधीन खण्डों में से चुने खण्डों को लिया गया था। कुछ नये खंडों को विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों के बाहर से भी चुना गया था। तथापि, 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों, जिनमें उड़ीसा राज्य के सभी खण्ड शामिल हैं, में कर दिया गया है। 1979-80 तक, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विवरण सूची के अनुसार कटक जिले के 25 खन्डों को लिया गया था। 1980-81 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कटक जिले के सभी 41 खण्ड आ गये। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी कटक जिले के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केअंतर्गत 79-80 तक कटक जिले में लिए गये खण्डों की सूची।

1. औल
2. बंकीदापारा
3. बारम्बा
4. बारंगा
5. बारी
6. बिझरपुर
7. बिरदी,
8. कटक सदर
9. दांगड़ी
10. दसरथपुर
11. जगतसिंह पुर
12. जगपुर
13. कांटा पारा
14. केन्द्रापाड़ा
15. दोतीपुर (कोराई)
16. मंहगा
17. नरसिंहपुर
18. नियाली
19. निश्चिता कोइली
20. पटासनुनदाई
21. रघुनाथपुर
22. सालेपुरा
23. तेंगी छोदवार
24. धर्मशाला
25. खान्द्रापाड़ा

नेताजी नगर के क्वार्टरों में पानी के मीटरों की चोरी

2528. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी नगर के टाइप-II क्वार्टरों में पानी के मीटरों की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है क्योंकि वे खुले में पिछले तरफ लगाए गए हैं और क्वार्टरों के आवंटियों को इस हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनसे प्रति मीटर 150 रुपये का जुर्माना बसूल किया जा रहा है ;

(ख) मीटरों की सुरक्षा के लिए आवंटियों को जिम्मेदार ठहराने के क्या कारण हैं जबकि वे क्वार्टरों के पिछले भाग में खुले स्थान पर लगाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार चोरी गए मीटरों के स्थान पर नए मीटर क्वार्टरों के अन्दर निःशुल्क लगाने के लिए कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) नेताजी नगर में टाइप-II के क्वार्टरों में पानी के मीटरों की चोरी के कुछ मामले ध्यान में आये हैं। तथापि क्वार्टरों के आवंटियों को मीटर चोरी होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है और उनसे कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चोरी हुए मीटरों के स्थान पर क्वार्टरों के अन्दर सरकारी लागत से नये मीटर लगाये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रमुख सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन

2529. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव किया है कि राज्यों में कुछ ऐसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं होनी चाहिए जो केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगा जल की परिष्करण परियोजना के लिए पम्पिग सेटों का लगाया जाना

2530. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विघटित दिल्ली नगर निगम द्वारा गंगा जल परिष्करण परियोजना के लिए पंपिंग सेट लगाने का जो ठेका दिया गया था उसे वित्तीय अनियमितता मान करके निरसित कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगर निगम ने, जिसके प्रमुख इस समय आयुक्त हैं, उसी फर्म को लगभग वही ठेका दे दिया है जिसके लिए निगम को 87 लाख रुपये की, अतिरिक्त राशि का भार वहन करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान ने पम्पिग सैट्स लगवाने का कोई ठेका नहीं दिया है । केवल इस अभिप्राय का पत्र जारी किया गया था ।

(ख) तथा (ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि उसने पम्पिंग सैट्स सप्लाई करने तथा लगाने का ठेका उसी फर्म को दिया है । तथापि, संस्थान ने बताया है कि यह सच नहीं है कि निगम को 87 लाख रुपये का अतिरिक्त बिल वहन करना पड़ेगा । संस्थान के अनुसार, उपर्युक्त फर्म की पहली पेशकश में कीमतों में भिन्नता शामिल थी जबकि वर्तमान प्रस्ताव फर्म की कीमतों पर आधारित है । इस फर्म की वर्तमान पेशकश प्राप्त की गई संशोधित पेशकशों में से सबसे कम है ।

रसूलगढ़ में दूध "प्रोसेस" करने वाला संयंत्र

2531. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास रसूलगढ़ में दूध प्रोसेस करने वाला एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो रसूलगढ़ के उक्त दूध "प्रोसेस" करने वाले प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत और उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) इसके कार्यान्वित किए जाने के संभावित समय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फलड-2 परियोजना अथवा 1982-83 के लिए राज्य की वार्षिक योजना में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सरोजनी नगर नई दिल्ली में 'बी' श्रेणी के मकानों का पुनः वर्गीकरण किया जाना

2532. **श्री रशीद मसूद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर नई दिल्ली में 'बी' श्रेणी के मकानों को 'सी' श्रेणी के मकानों में पुनः वर्गीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मकानों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए जो 'सी' श्रेणी का अधिक किराया देते हैं 'सी' श्रेणी की कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या उन्हें अपने वाहन रखने के लिए गेराज की कोई सुविधा दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाएगी ; ताकि इन मकानों में रहने वाले कर्मचारी अपने वाहनों को चोरी और नुकसान से बचा कर सुरक्षित रख सकें ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यतया कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर क्वार्टरों को पुनः वर्गीकृत किया गया था। पुनः वर्गीकरण के फलस्वरूप मानक लाइसेन्स फीस की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार द्विमंजिले क्वार्टरों में किसी साइकिल / स्कूटर शेड की व्यवस्था नहीं की जाती है ।

1980 तक गुजरात के गांवों में पेय जल की समस्या

2533. **श्री छोटू भाई वासवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 तक गुजरात में ऐसे कितने गाँव थे जिनमें पेय जल की कोई सुविधा नहीं थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इन गाँवों में पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई विशेष योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जैसा कि गुज-

रात सरकार ने बताया है, 1-4-1980 तक बिना पेय जल सुविधाओं वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 5328 थी । ब्यौरे संलग्न विवरण के भाग (क) में दिए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) जी, हाँ । केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने 1,418.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 623 योजनाओं का अनुमोदन किया जिनमें 13,38,633 जनसंख्या वाले (1972 की जनगणना के अनुसार) 1102 समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं ।

(घ) यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जलपूर्ति योजनाएं बनाएं एवं उनका कार्यान्वयन करें । तथापि, राज्य प्लानों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । केन्द्र द्वारा प्रवर्तित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, गुजरात सहित राज्यों की सहायता अनुदान प्रत्येक राज्य के लिए निधियों का राज्यबार नियतन जिसका निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, के आधार पर सालाना दी जाती है । वर्ष 1977-78 में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के प्रारम्भ से गुजरात सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी । ब्यौरे संलग्न विवरण के भाग (ख) में दिखाए गए हैं ।

विवरण

भाग (क)

1-4-80 को गुजरात में उन (समस्याग्रस्त ग्रामों) की संख्या के जिलाबार ब्यौरे जो पेय जल समस्या का सामना कर रहे हैं । ग्रामों की संख्या (समस्याग्रस्त ग्राम जिनमें अभी भी पेय जल पूर्ति की व्यवस्था की जानी है । (1-4-1980 तक)

क्रम सं०	जिले का नाम	
1	2	3
1.	अहमदाबाद	171
2.	अमेरली	167
3.	बानसकांटा	315
4.	बड़ौदा	406
5.	भड़ौच	361
6.	भावनगर	219
7.	बलसार	490
8.	डाँग	43
9.	गांधीनगर	131
10.	जामनगर	165
11.	जूनागढ़	420

1	2	3]
12.	खेड़ा	263
13.	कच्छ	402
14.	मेहशाना	191
15.	पंचमहल	516
16.	राजकोट	275
17.	साबरकंठा	376
18.	सूरत	335
19.	सुरेन्द्र नगर	203
	योग	5318

भाग (ख)

केन्द्रीय वित्तीय सहायता

वर्ष	निर्माण के लिए	प्रबोधन तथा अन्वेषण के लिए	(लाख रुपयों में) जोड़
1977-78	330.00	2.80	332.80
1978-79	254.85	6.00	260.85
1979-80	126.20	1.60	127.80
1980-81	354.00	4.50	358.50
1981-82 (पहली किस्त)	127.00	—	127.00

बाघों की संख्या

2534. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में बाघों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछली गणना तथा नवीनतम सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके लिए क्या पद्धति अपनाई गई ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति अनुरक्षण यूनियन के तत्वावधान में लेहोसेन प्रतिवेदन, 1976 में बाघ परियोजना के प्रशासन तथा कार्यकरण की आलोचना की गई थी ;

(घ) क्या उपर्युक्त कारणों में सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रीय बाघ परिस्थिति की परियोजना सरकार के हाथ से निकल गई ; और

(ङ) देश में बाघों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) बाघों की अंतिम भारतीय गणना 1979 में की गई थी, जिसके अनुसार देश में बाघों की संख्या 3015 थी। यह गणना बाघों के पदचिन्हों के माध्यम से पता लगा कर की गयी।

(ग) 1974 में, भारत में बाघ परियोजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन परिरक्षण संघ तथा विश्व वन्यजीव कोष द्वारा विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया था। दल के एक सदस्य प्रो० लेहाअसन थे। इस दल की रिपोर्ट में परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में कई सुझाव दिए गए तथा इसमें उस समय तक हुई प्रगति की सराहना भी की गयी।

(घ) "अन्तर्राष्ट्रीय बाघ पारिस्थितिकी परियोजना" नामक कोई परियोजना नहीं है। अतः भारत को इससे वंचित होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) सरकार ने देश में बाघों के संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रखी है ; इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं :—

(1) 1970 से बाघ के शिकार पर रोक लगा दी गई थी।

(2) वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करते समय, "बाघ" को अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया था, इस प्रकार इस प्रजाति को सारे देश में पूर्ण वैधानिक संरक्षण दिया गया है।

(3) 1973-74 में देश के विभिन्न विशिष्ट बाघ वास-स्थलों में 14,233 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 9 विशेष बाघ आश्रय स्थलों का गठन करके परियोजना शुरू की गयी थी। इस विशिष्ट योजना ने बास-स्थलों के संरक्षण और विकास तथा बाघों की संख्या में वृद्धि करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

(4) इस समय बाघ आश्रय स्थलों की कुल संख्या 11 है जो 15,800 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छठी योजनावधि के दौरान कुछ अतिरिक्त बाघ आश्रय स्थलों का गठन किया जाएगा।

(5) 23 राष्ट्रीय पार्कों और 205 आश्रय स्थलों का एक तंत्र स्थापित किया गया है जहां समग्र वन्य प्राणि संरक्षण हेतु संगठित प्रयास किए जा रहे हैं और निस्सन्देह ऐसे आश्रय स्थलों में बाघों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है।

(6) देश से बाघों की खाल निर्यात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

(7) इन सब उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात 1972 में वह संख्या 1827 थी जो 1979 में बढ़कर 3015 हो गयी थी।

दूध और मांस 'प्रोसेसिंग' उद्योग

2535. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्री ने दूध और मांस उद्योग के सम्बन्ध में सहयोग के लिए सोवियत मंत्री से मई, 1981 में बात-चीत की थी ;

(ख) क्या कृषि 'प्रोसेसिंग' उद्योगों के सम्बन्ध में सहयोग देने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये हैं और 1981-82 के दौरान चालू करने के लिए किन परियोजनाओं का चयन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, तथापि, सोवियत संघ और भारत के बीच खाद्य पदार्थ उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के एक व्यावहारिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में 22 नवम्बर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) हालांकि मई, 1981 के नयाचार के अन्तर्गत मांस और डेरी उद्योग में सहयोग के लिये कार्यान्वयन हेतु किसी विशेष परियोजना का पता नहीं लगाया गया था किन्तु, खाद्य पदार्थ-उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यवहारिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत विशेषज्ञों का एक दल आजकल भारत आया हुआ है जिसका उद्देश्य परस्पर विकास के लिए वेल्लोर में दुर्गंध-हीन डिब्बा बंदी की एक मार्गदर्शी कार्यशाला की स्थापना के लिए प्रारम्भिक आंकड़ों और सम्भाव्यता रिपोर्ट का अध्ययन करना है । इस सम्भाव्यता की रिपोर्ट के आधार पर एक मार्ग दर्शी संयंत्र चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

जिला जालौर, राजस्थान में भूकटाव

2536. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर जिले में वर्षा ऋतु में नदियों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि का क्षरण होता है जिससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नदियों द्वारा किये जाने वाले भूक्षरण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बाढ़ नियंत्रण वर्क्स का आयोजन, अन्वेषण, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । राजस्थान सरकार ने जालौर जिले की कोई···कटाव-रोधी स्कीम संवीक्षा अथवा सलाह के लिए केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजी है ।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज, दिल्ली में पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों को भवन-निर्माण अग्रिम राशि

2537. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जो वहां पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के माध्यम से अपने मकानों/फ्लैटों का निर्माण करवा रहे है, भवन-निर्माण अग्रिम राशि/ऋण लेने के हकदार हैं ; यदि हाँ, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी, जो दिल्ली में पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के माध्यम से अपने मकान/फ्लैटों का निर्माण करवा रहे हैं, भवन-निर्माण अग्रिम राशि/ऋण लेने के हकदार नहीं हैं, यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हाँ, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। बम्बई में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो पंजीकृत ग्रुप आवास समितियों के माध्यम से अपने फ्लैट बनवाते हैं, वे अपने फ्लैटों को जमानत के रूप गृह निर्माण अग्रिम के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास रेहन रख सकते हैं क्योंकि वे महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत स्वामित्वाधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि दिल्ली में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप आवास समितियों के माध्यम से बनाए गए अपने फ्लैटों को उसी प्रकार के कानून के अभाव में रेहन नहीं रख सकते हैं।

(ग) तथा (घ) यह मामला जांच की प्राथमिक अवस्था में है।

पंतनगर विश्वविद्यालय में झगड़े

2538. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय पंतनगर के छात्रों के विभिन्न दलों में बार-बार झगड़े हो रहे हैं ;

(ख) इन झगड़ों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पंतनगर विश्वविद्यालय में सशस्त्र पुलिस की कितनी बटालियन तैनात हैं और वे वहां कब तक तैनात रहेंगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विद्यार्थियों की आपस में लड़ने की दो घटनाएं हुई हैं।

(ख) दिनांक 27 अप्रैल, 1981 की घटना में 4 विद्यार्थी शामिल थे। उनमें से दो पंतनगर विश्वविद्यालय के पंजीकृत विद्यार्थी नहीं थे। उनके पास से अग्निशस्त्र पाये गये तथा मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई और अग्निशस्त्र भी पुलिस के पास जमा कर दिये गये। इस घटना में शामिल कथित दो विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई तथा अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के आधार पर उन्हें स्थायी रूप से विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। दिनांक 8 मई, 1981 को दूसरी घटना हुई जिसमें कई विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के एक ग्रुप द्वारा पीटा गया। अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के आधार पर 11 विद्यार्थियों के विरुद्ध उन्हें स्थायी रूप से निकाल देने से लेकर चेतावनी तक जैसी कार्रवाई की गई।

(ग) एक लम्बे समय से परिसर में कोई पी० ए० सी० बटालियन नहीं रही। पिछले तीन महीनों के दौरान वहां कोई पुलिस का पड़ाव नहीं रहा तथा वर्तमान समय में परिसर में कोई सशस्त्र पुलिस नहीं भेजी गई है।

'अग्लोफाइंग दिल्ली' शीर्षक समाचार

2539. **श्री चतुर्भुज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1-15 सितम्बर के 'आनलकर' के अंक में 'अग्लोफाइंग दिल्ली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऐशियाड-82 के खेलों के बारे में दिल्ली शहरी कला आयोग ने क्या आपत्तियाँ उठाई थीं और उन पर संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी हां, (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आल इन्डिया वायरलैस आपरेटर्स को शिकायत

2540. **श्री रेणुपद दास** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया वायरलैस आपरेटर्स ऐसोसियेशन से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन निम्नलिखित समस्याओं के बारे में हैं :—

(1) रिक्त पदों को भरना ।

(2) बाढ़-मौसम के दौरान अधिक देर तक काम करने के लिए मुआवज़े की स्वीकृति ।

(3) चयन ग्रेड लागू करना और पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना ।

(ग) रिक्त पदों को भरने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ; ऐसे बेतार-प्रचालकों को, जो अधिक देर तक काम करते हैं, जहां तक संभव हो सका है, समयोपरि भत्ते के बदले में प्रतिपूरक छुट्टी देकर मुआवजा दिया गया था । उपर्युक्त (3) के बारे में मामला विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृषि क्षेत्र में पम्प सेट चलाने में डीजल की हानि

2541. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि कार्यों के लिए पम्प सेटों के सही ढंग से न चलने के कारण देश में प्रति वर्ष लगभग 630 करोड़ रु० के डीजल की हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) ; (क) अनुमान लगाया गया है कि डीजल से चलने वाले सिंचाई पम्प सेटों के अकुशल प्रचालन के कारण प्रतिवर्ष लगभग 68 करोड़ रुपये की हानि होती है।

(ख) राज्य सरकारों को अनुपालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत और हिदायतें दी गई हैं कि वे सिफारिशों को कार्यान्वित करने और स्थिति में सुधार करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकि समितियां गठित करें । समय-समय पर, स्थिति का पुनरवलीकन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

———

अतारांकित प्रश्न संख्या 4003 दिनांक 14-9-1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीबालेश्वर राम) : कृपया उपर्युक्त उत्तर में तीसरे वाक्य को निम्न प्रकार लिखा जाए :—

राष्ट्रीय उद्देश्य यह है कि सातवीं योजना के अन्त तक 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले शत-प्रतिशत गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जन संख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा ।

लोक सभा 18 सितम्बर, 1981 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी और इस प्रकार यद्यपि शुद्धिपत्र लोक सभा सचिवालय को 7 दिन की निर्धारित अवधि में भेज दिया गया था लेकिन सभा पटल पर नहीं रखा जा सका ।

स्थगन प्रस्ताव

कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की वर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों का घायल हो जाना

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए । क्या आपको नियमों का पता नहीं है ?

मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे निम्नांकित सदस्यों से कुतुबमीनार, दिल्ली में दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 को 45 व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु और अन्य अनेक लोगों के घायल होने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
प्रो० मधु दण्डवते
श्री सतीश अग्रवाल
श्री रामविलास पासवान
श्री राम लाल राही
प्रो० ए० के० मेहता
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री दौलतराम सरन
श्री जगपाल सिंह
श्री बी० डी० सिंह
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री पी० के० कोडियन

श्री नारायण चोबे
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री जयपाल सिंह कश्यप
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री रामावतार शास्त्री
श्री विजय कुमार यादव
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री सूर्यनारायण सिंह
श्री झारखण्डे राय और
श्री हरिकेश बहादुर

मैं नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सूचना जिसे बैलेट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है निम्न प्रकार है :

"कुतुबमीनार में दर्शकों के प्रवेश और बाहर जाने की व्यवस्था के उपयुक्त प्रबन्ध करने में सरकार की असफलता विशेषकर शुक्रवार को जब कि प्रवेश निःशुल्क होता है जिसके परिणाम-स्वरूप गत 4 दिसम्बर को भयंकर त्रासदी हुई जिसमें 45 जानें गईं जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे।"

अब श्री वाजपेयी सभा से प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्राप्त करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था, मगर मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। हमारे बहुत से साथी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उपस्थित हैं, सदन के बाहर जो सम्मेलन हो रहा है। मगर हम इस मामले पर चर्चा चाहते हैं। गृह मंत्री जी ने शुक्रवार को जो बयान दिया वह गलत बातों से भरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर कोई और मोशन ले लीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने 184, 193 में मोशन दिया है। मगर मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आज ही चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय मैंने इस विषय पर गृह मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन की सूचना भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना पड़ेगा वाजपेयी जी, कि सारा अधिकार विजनेस एडवाइजरी कमेटी को दे दीजिये।

एक माननीय सदस्य : नहीं, आप टालिये नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बी० ए० सी० पहले पीट करेगी, फिर समय तक करेगी :

अध्यक्ष महोदय : आज ही मीटिंग कर लेते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला ऐसा है कि सरकारी पक्ष को भी विरोध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा हृदय व्यथित था और इसलिए मैंने किया, क्योंकि यह मामला गम्भीर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने भी कहा था कि इस दुर्घटना से पत्थर भी पिघल जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट): आज ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक क्यों नहीं बुला लेते हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमानजी मैं भी तो यही कह रहा हूं मुझे स्वीकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा दोपहर बाद भी की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। यदि कार्य मन्त्रणा समिति निर्णय करती है तो हम ऐसा ही करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसे अवसरों पर, सभा सर्वोपरि है। कुछ भी हो कार्य मन्त्रणा समिति भी सभा की ही एक समिति है।

अध्यक्ष महोदय : आप कर लीजिए। अगर सारा हाउस तय कर ले तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : महोदय मैंने कभी भी ऐसे सुझावों का विरोध नहीं किया है। जबकि नियमों के अधीन अनुमति दी जा सकती है। परन्तु महोदय, हम विपक्ष के माननीय सदस्यों केसाथ सलाह मशविरा अवश्य करेंगे और तभी समय निश्चित करेंगे। परन्तु हमें यह भी देखना है कि इस पर किस ढंग से चर्चा होनी चाहिए।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर): यदि माननीय सदस्य इस पर सहमत होते हैं तो आज 3.30 बजे म० प० चर्चा की जा सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय ने शुक्रवार को जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार किया जाए।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : ऐसा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आज एक बजे कर लेते हैं। कितने बजे किया जाए बताइये ? मैं अभी कार्य मन्त्रणा समिति को बुलाता हूं और उसके पश्चात हम इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, आप निर्णय कर सकते हैं। चर्चा हो सकती है। और यदि आप 4 बजे चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मैं 4 बजे सायं का ही सुझाव दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : देख लेते हैं। थोड़ा ठहै जाइये। आज ही करवाये देता हूं। मैं अभी बुलाए लेता हूं। 4 बजे कर लेंगे कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : 4 बजे कर लीजिए।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको दो सूचनाएं भेजी हैं।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में।

श्री राजेश पाइलट : प्रथम कुतुब मीनार की त्रासदी के बारे में, जिसके बारे में सत्ताधारी दल के सदस्य काफी उल्लेख कर चुके हैं। आप भी उसके बारे में जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल स्थगन प्रस्तावों का उल्लेख कर रहा था। मैंने और किसी प्रकार के प्रस्तावों का जिक्र नहीं किया है।

श्री राजेश पाइलट : दूसरे, हमने एक सूचना—...भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : इसी पर तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी पर हमें विचार करना है। जिस किसी का भी पहले स्थान है उसे कार्य मंत्रणा समिति में रखा गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव मंजूर है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात का फैसला करेंगे कि कौन से सदस्यों को आना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई भी सदस्य हो, हमें इस बात की चिन्ता नहीं है। यदि मन्त्री महोदय 4 बजे का समय निश्चित करते हैं तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : उनका यही कहना है।

श्री भीष्मनारायण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि 4 बजे हम गृह मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने इस मामले को हल कर दिया है। एक और मामला है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारांकित प्रश्न आया था जो कि दुर्भाग्यवश बहस में नहीं आ सका। यह भारी संख्या में···के निर्यात के समाचार से सम्बद्ध है। कृपया इस पर विचार कीजिए। शल्य चिकित्सीय पट्टियों का भारी घोटाला···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझसे आकर मिलिए। आप नहीं जानते कि मुझे कितनी चिन्ता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चिकित्सीय पट्टियां और अन्य सामान आस्ट्रेलिया को भेजा गया जो फफूंदी लगा पाया गया । क्या हमारे देश को बदनाम करने का तरीका नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : गुप्ता जी, आप मेरी बात तो सुनते नहीं हैं । मुझे इसकी पहले से बहुत चिन्ता है । मैं कहीं अधिक चिन्तित हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो लोग इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये । कृपया इस बारे में कुछ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है । मैं इसकी अनुमति नही दूंगा । मुझे कहीं चिन्ता है—आपसे कहीं अधिक ।

श्री आर० एन० राकेश चैल : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी आपने अनुपस्थित रहकर हमारे पांच मिनट खराब कर दिए अब आप उपस्थित होकर और पांच मिनट मेरे खराब करने जा रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए । मैं दो मिनट पहले आया था । मुझे एक निवेदन करना है ।

श्री आर० एन० राकेश : अलीगढ़ के एस० पी०···

अध्यक्ष महोदय : बेकार बात है । यह तो विधि और व्यवस्था की समस्या है ।

(व्यवधान)**

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । कोई प्रश्न न पूछा जाए आप इसे लिखित में दीजिए । नहीं, इसकी अनुमति नहीं है, बिल्कुल नहीं है (व्यवधान)

श्री अजय विश्वास : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा की स्थिति बड़ी गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : कहां ?

श्री अजय विश्वास : त्रिपुरा में ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास आ गई है ।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अजय विश्वास : उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप नियमों को तोड़ रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : गृह मन्त्री महोदय के विरुद्ध मेरी विशेषाधिकार के हनन की सूचना के बारे में आपने कहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह गलत बात है । मैं इसे देखूंगा । आपको निर्देश 115 के अधीन लाना होगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कैसे आ सकता हूं ? यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री राजेश पाइलट : मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के उस वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन सूचना दी है जिसमें उन्होंने श्री वाजपेयी पर 22 संदिग्ध व्यक्तियों को छोड़ने का आरोप लगाया है यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है । मैं आपके विनिर्णय की मांग कर रहा हूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है, नहीं है । श्री भीष्मनारायण सिंह ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 872 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली विकास (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 917 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3007 /81]

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष 1981 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 3008/81]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 517 (ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1981 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 को संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनार्थ एक विशेष आदेश घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल. टी. 3009/81]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अधीन अधिसूचना

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 2984 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-3010/81]

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1981-82 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक

प्रति जो दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 586 (ड.) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-3011/81]

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 618 (ड) जो दिनांक 27 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो कतिपय औषध माध्यमों पर सीमा-शुल्क की आंशिक छूट को वापस लेने तथा उन पर मूल्यानुसार 80 प्रतिशत सीमा-शुल्क (मूल और उपसंगी) लगाये जाने के बारे में है ।

(2) सा० सां० नि० 619 (ड.) जो दिनांक 27 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्र ाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा कच्ची खालों और चमड़े पर, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल तथा उपसंगी शुल्क की छूट की बैधता को 30 नवम्बर, 1982 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 232-सी० शु० में और संशोधन किया गया है ।

(3) सा० सां० नि० 620 (ड) जो दिनांक 28 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा अपरिष्कृत रत्नों को समस्त उपसंगी शुल्क से छूट की वैधता को 31 मार्च, 1982 तक बढ़ाने के लिये दिनांक 12 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या 134-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(4) दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 की अधिसूचना के अधिलंघन में, जापानी येन को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने के लिये पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में सा० सां० नि०626 (ड) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3012/81]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा । श्री रामविलास पासवान । वह कहां हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आइये । मैं पहले ही सूचित कर चुका हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आपको कितने बजे इत्तिला मिली ? आप गृह मंत्री को हे हैं । आप बताइये कि आपको कब इत्तिला मिली । यह ब्रीच आफ प्रिविलेज क्यों नहीं है ?

(व्यवधान) ×

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान) ×

श्री हरिकेश बहादुर : खड़े हुए । (व्यवधान) ×

अध्यक्ष महोदय : यदि यह गलत वक्तव्य है तो आप निर्देश 115 के अधीन मामला उठा । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : ब्रीच आफ प्रिविलेज का···

अध्यक्ष महोदय : 115 के अधीन किसी भी विशेषाधिकार के हनन को नहीं उठाया जायेगा । परुलेकर बोलेंगे । (व्यवधान) ×

अध्यक्ष महोदय : मैं पुस्तिका को आपके अवलोकनार्थ आपके पास भेज रहा हूं आप इसको नते हैं । यदि आप इसके बारे में जानते तो आपने इसे न उठाया होता ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय मैं मंत्री महोदय का ध्यान···आकर्षित करना ाहता हूं । (व्यवधान) ×

श्री हरिकेश बहादुर : इसकी जांच की जानी चाहिये । इन्होंने कहा है कि ऐसा बिजली फेल कारण हुआ । उन्हें वक्तव्य देने से पहले सही स्थिति का पता लेना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं । कुछ भी नहीं करना है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

धनबाद कोयला खान क्षेत्र में हिंसा और गुण्डागर्दी की घटना

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) ; मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"धनबाद कोयला खान क्षेत्र में हिंसा और गुण्डागर्दी की घटनाओं तथा एक वरिष्ठ खान

× कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इंजीनियर पर किए गए कातिलाना हमले के समाचार, जिसके कारण असुरक्षा की भावना हो गई है, तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।''

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं बहुत दुःख और चिंता की भ साथ सदन के सामने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र कर रहा हूं जो बिहार में धनबाद लोयाबाद स्थान में 1-12-1981 को हुई। इस घटना में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नं० 5 के उप-मुख्य खनन इन्जीनियर श्री ए० के० तूली, श्रीमती तूली और उनके ड्राइ हमला किया गया। श्री तूली और उनकी पत्नी दोनों को ही इस हमले के कारण चोटें आई। तूली को दो स्थानों पर फ्रैक्चर भी हुए हैं। श्री तूली ने पुलिस थाना जोगता में एक रि कराई है। उन्होंने "प्रथम सूचना रिपोर्ट" में हमलावारों के नाम भी बताए हैं। प्राप्त सू अनुसार, श्री तूली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो 6 व्यक्ति नामजद किए है उनमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री तूली पर हमला करने वाले व्यक्तियों के बारे में रिपो वह एक ठेकेदार के कर्मचारी हैं जिसे उस क्षेत्र में कुछ मरम्मत और अनुरक्षण के काम थे। श्री तूली के निवास स्थान पर एक गार्ड तैनात कर दिया गया है। इस क्षेत्र में लगा जाने वाली गश्त और बढ़ा दी गई है। जांच का काम अभी चल रहा है। बाकी बचे अभि भी शीघ्र पकड़ लिए जाने की सम्भावना है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सम्बद्ध अधिकारी और उसके परि हमले का मुकाबला करने में दिखाए गये अनुकरणीय साहस के लिए बधाई देना चाहता हू अपने ईमानदार अधिकारियों को पूरा समर्थन देंगे ताकि वे प्रभावशाली ढंग से अपने क पालन कर सकें। मुझे विश्वास है कि यह सम्मानित सदन मेरी इन भावनाओं से सहमत मैं जितनी जल्दी सम्भव होगा, अवसर पाते ही उक्त अधिकारी और उसके परिवार जाऊंगा।

हम इस क्षेत्र में दादा लोगों के कारनामों से उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स को जानते हैं। इन दादा लोगों के कारनामों का आधार वह मुनाफा है जो यह लोग ठे कोयला व्यापार के जरिए हथियाने में सफल हो जाते हैं। यह दादा लोग कोयले को हथि उसकी कमी पैदा करके और इस तरह कोयले पर नकली और जाली मुनाफा बनाकर उपभ का शोषण करते हैं। यह सब बातें राष्ट्रीयकरण के पहले से चली आ रही हैं। मैं आदरणीय को बताना चाहता हूं कि हमने कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए ज उठाए हैं उनके अलावा इन दादा लोगों का प्रभाव समाप्त करने के लिए उपर्युक्त दोनों मा भी ठोस कदम उठाये हैं। किन्तु यह तो निश्चित है कि यह काम चन्द दिनों में नहीं हो स हमारे प्रयासों के कुछ अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इस क्षेत्र से दादागीरी और गिरोहबाजी व तरह समाप्त करने के लिए और भी प्रयास करते रहना पड़ेगा।

हमने कोयले के सेल डिपो खान मुहानों से दूर स्थापित करके, खान मुहानों पर कोय बिक्री में जो कदाचार हो जाता है उसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया है। उपभोक्त आसानी से कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहला आधारभूत कदम है। ऐसे 5 बिक्री

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में शीघ्र ही खोलने का प्रस्ताव है। कोयले की बिक्री इन्हीं डिपो से की जाएगी ताकि कोयले के गैर-सरकारी खरीददारों को कोयला खरीदने के लिए सीधे कोलियरियों तक पहुंचने का अवसर ही न मिले।

हमने अनेक क्षेत्रों में कोयले के डम्प या टाल भी स्थापित किए हैं। हमारे सामने परिवहन ही बहुत बड़ी बाधा है और इसीलिए हमने विभिन्न राज्यों में कोयले के टाल खोलकर कोयले की बिक्री का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयास किया है ताकि कोयले के फुटकर विक्रेता और प्रमुख वास्तविक उपभोक्ता अपनी जरूरत का कोयला पास ही सुविधा पूर्वक स्थित इन टालों से ले सकें और उन्हें बहुत दूर स्थित कोलियरियों तक न जाना पड़े। हमने ऐसे 30 टाल पहले ही खोल दिए हैं और हर महीने अधिक टाल खोले जा रहे हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं, हमने उत्पादन में आने वाली बाधाओं पर पहले ही विजय पा ली है। पिछले चार वर्षों में पहली बार कोयले का उत्पादन देश में 10 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है और कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों में वृद्धि कर दी गई है। जाहिर है कि अधिक उत्पादन होने पर उपभोक्ताओं को कोयला आसानी से मिलने लगेगा और कोयले की मुनाफाखोरी करने वालों को फलने-फूलने का अवसर नहीं मिलेगा।

जहां तक कोयले के व्यापार का प्रश्न है, हमने कोयले की बिक्री की नीति को अत्यधिक उदार बना दिया है और अब कोयला भा० को० को० लि० की अनेक खानों से तथा अन्य कोयला कम्पनी की खानों से भी बिना किसी प्रतिबन्ध के मिल रहा है। इस तरह बिना किसी प्रतिबन्ध के मिलने वाले कोयले के अलावा कुछ दुर्लभ श्रेणियों का कोयला भी उसके वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसा करने से व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करने में सहायता मिली है और कोयले पर मिलने वाला अवांछनीय मुनाफा भी अत्यधिक कम हो गया है।

ठेकेदारी वह एक और जरिया है जिसके द्वारा दादा लोग शक्तिशाली बनते हैं और इसी-लिए ठेकेदारी के मामले में भी हमने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में अनेक कदाचार परिवहन के ठेकों से सम्बन्धित हैं। हम अब ऐसी नीति अपना रहे हैं ताकि गैर-सरकारी ठेकेदारों को धीरे-धीरे इस क्षेत्र से बिलकुल हटा दिया जाए और उनके स्थान पर या तो भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां आ जाएं अथवा परिवहन का इन्तजाम विभाग के द्वारा ही किया जाए। राज्य सरकार से परामर्श करके भा० को०को०लि० के चार एरिया से गैर-सरकारी ठेकेदारों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। कोयले और कोक के परिवहन के संबंध में यह काम पूरा किया जा चुका है और काम के अन्य क्षेत्रों से भी गैर-सरकारी ठेकेदारों को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस काम के लिए 300 ट्रकें खरीदी जा चुकी हैं तथा और भी खरीदी जा रही हैं। फिर भी ऐसे आकस्मिक कामों के लिए जो लागतार न करके अन्तर दे देकर किए जाते हैं, गैर-सरकारी ठेके बिल्कुल ही न देना अभी संभव नहीं हो सकेगा।

हम धनबाद क्षेत्र में दादा लोगों की कार्रवाइयां बिल्कुल समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से घनिष्ट सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं इस सम्मानित सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि पिछले

दो वर्षों में जो उपाय किए गए हैं उनकी वजह से दादा लोगों की कार्रवाइयों में निश्चित रूप से कमी हुई है। उपर्युक्त कदमों के फलस्वरूप उनकी कार्रवाइयां भविष्य में और भी कम होती जाएंगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : भारत कोकिंग लिमिटेड के सीनियर इन्जीनियर श्री अशोक तूली तथा उनकी पत्नी पर धनवाद में उनके घर के बाहर हुए निशृंस तथा निन्दनीय हमले से कोयला क्षेत्र तथा इसके आसपास असुरक्षा की भावना फैल गई है। यह पहला अवसर नहीं है जबकि इन्जीनियर को जख्मी किया गया हो। लेकिन निश्चय ही यह पहला समय है जब गुण्डे एक महिला कोयला खान के इंजीनियर की पत्नी पर हमला करने की सीमा तक पहुचे। इस घटना से इन्जीनियरों तथा वहां काम करने वाले अन्य सभी इमानदार लोगों को धक्का पहुंचा है। जैसा कि मैंने कहा, यह पहली घटना नहीं है। समाचार है कि पिछले अप्रैल से लगभग 14 इन्जीनियरों तथा उच्च कर्मचारियों की इन गुण्डों ने मरम्मत की है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उनके द्वारा राज्यसभा में 24 अप्रैल, 1981 को दिये गये निम्नलिखित वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं:—

"कोयला वितरण में मारपीट के किस्म की गुण्डागर्दी खुली बिक्री के कोयले की उपलब्धता से काफी हद तक दूर कर दी गयी थी"।

समाचार है कि 14 वरिष्ठ कर्मचारियों पर कुछ पहले हमला किया गया था, उनमें से कुछ गम्भीर रूप से घायल हुए। क्या सरकार इस बात को अनुभव नहीं करती कि श्री तूली सहित 14 हमले कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोह द्वारा शुरू किये हमलों को सिद्ध नहीं करते हैं?

कुछ ही दिन पहले समाचार मिला कि बहुत से इन्जीनियरों तथा उच्च कर्मचारियों को गुण्डों द्वारा पीटा गया तथा अपमानित किया गया लेकिन वे जाकर घटना की रिपोर्ट पुलिस तथा अधिकारियों को डर के मारे नहीं कर सके। सरकार इन कोयला क्षेत्रों की देखरेख करने वाले तथा कोयला उत्पादन के लिये जिम्मेवार लोगों के उत्साह को ऊंचा करने के लिये क्या कदम उठा रही है। श्री तूली पर किये गये इस हमले के बाद, बी.सी.सी.एफ. के चेयरमैन श्री महेन्द्रू ने कहा था :—

"जिस बात की मुझे सबसे अधिक चिंता है, वह यह है कि श्री तूली दम्पत्ति के साथ जो कुछ हुआ उससे कर्मचारियों के उत्साह को चोट पहुंचना स्वाभाविक ही है। यदि इस प्रकार की घटनायें होती रहीं तो कोयला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा"।

कोयले के उत्पादन की जिम्मेवारी जिन लोगों पर है, यदि उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार की हो, तो सरकार इनकी रक्षा के लिये क्या कदम उठाने जा रही है? पिछले अक्तूबर में मुनीडीह कोयला खान में गुण्डों ने, यह मांग करते हुये कि खान में अनुपस्थित होते हुये भी उनकी हाजिरी लगायी जाये। 6 इन्जीनियरों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को पीटा। जब अधिकारी ने उस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार किया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। क्या इस सम्बन्ध

में कोई मामला दर्ज किया गया है ? यदि इमानदार अधिकारियों पर हमला करने वाले ऐसे गुण्डों और व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता तो वे कैसे काम करेंगे ? इस प्रकार की घटनाओं के निवारणार्थ क्या आपने कोई कदम उठाये हैं ?

मुझे मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ है, जिसमें कहा गया है कि:—

हम धनवाद में माफिया गतिविधियों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं।

मुझे यह कहते हुये खेद है कि यदि भारत सरकार केवल इतना ही प्रयत्न करने जा रही है तो मुझे कहना पड़ेगा कि इन माफिया गिरोहों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए काफी साक्ष्य है कि सरकार तथा विधानसभा के अंदर कई व्यक्ति इन माफिया गिरोहों को सीधी सहायता पहुंचाने में दिलचस्पी रखते हैं।

यद्यपि श्री तूली शुक्रवार ने दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में 6 व्यक्तियों के नाम बताये थे, फिर भी राज्य सरकार आज दिन तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इससे क्या सिद्ध होता है ? विवरण के पहले पैरे में कहा गया है:—

"प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तूली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।"

अन्य पांच का क्या हुआ ?

क्या आप उनके नाम बता सकते हैं ?

राज्य सरकार को इन पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? मुझे आशा थी कि विवरण में कुछ स्पष्टीकरण दिया जायेगा। लेकिन मुझे खेद है कि कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि कोयला माफिया का बोलबाला सरकार के बजाय सारे कोयला क्षेत्र में है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस विशेष क्षेत्र में माफिया की गतिविधियों से ही समस्या पैदा हुई है। लेकिन वास्तव में वे करते क्या हैं ? हम यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि माफिया लोगों की गतिविधियों के बारे में कई रिपोर्टें हैं। इसका पहला कारण यह है कि कोयला क्षेत्र का समूचा परिवहन माफिया लोगों के हाथों में है। इसी से परेशानी पैदा होती है। यह सिद्ध करने क लिये कई उदाहरण हैं कि ऐसी गड़बड़ कैसे होती है क्यों कि समूची परिवहन सेवा माफिया के लोगों को सौंप दी गयी है।

जिस दूसरी बात जिसकी मुझे आशा थी कि वह विवरण में बताई जाएगी वह यह है कि ये लोग गरीब कर्मचारियों को ऋण दे रहे हैं और 10 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से ब्याज ले रहे हैं। यदि पैसा वापिस नहीं दिया जाता तो माफिया के मुशटंडे जाकर उत्पात करते हैं। वे उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते और इसी कारण उत्पात होता है। दुर्भाग्यवश इन सब बातों का समर्थन उच्चाधिकारी भी करते हैं जिसका ब्यौरा, जैसे कि मैंने कहा, मैं बाद में दूंगा।

तीसरी जिस बात से हम सब चिंतित हैं, यह है कि ये गिरोह खानों से पहले दर्जे के कोयले की उठाईगिरी करके उसे ऊंचे भाव पर बेचते हैं। इस बात का पता एक जिम्मेवार व्यक्ति से लगा है कि प्रति दिन 15,000 रुपये की लागत का कोयला माफिया द्वारा बिक्री के लिये लिया जाता है। यदि हम इस आधार पर गणना करें तो इस बात का पता चलेगा कि हमारी सरकार और देश को कितना घाटा हो रहा है क्योंकि वहां कोई नियंत्रण नहीं है और ऐसा काम करने वालों को उचित दंड नहीं दिया जाता।

माफिया समूचे कोयला क्षेत्र में ऐसे फैले हैं कि उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को समाप्त या चुप किया जा सकता है। श्री तूली इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। वास्तव में माफिया के गुण्डे ऐसे सुसंगठित हैं कि उनका कर्मचारियों पर भी एक मजबूत दबदबा है। माफिया की किसी मांग के लिए सहयोग न देने तथा इसे न मानने का बदला बुरी तरह से लिया जाता है। सौभाग्यवश देश के लिये तथा दुर्भाग्यवश माफिया के लोगों के लिये श्री तूली ने सहयोग नहीं दिया। उसने उन बातों को मानने से इनकार किया जो माफिया के गुण्डे चाहते थे और इसीलिये उन्हें और उनकी पत्नी को इस मारपीट का शिकार बनना पड़ा।

पिछले शुक्रवार को श्री तूली के साथ हुई मारपीट की घटना से यह बात स्पष्ट है कि यही एकमात्र घटना नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं के सामने स्वयं कहा है कि तीर-कमान वाले लोगों ने उनका घेराव किया। मंत्री महोदय, क्या यह सच है ? क्या आपको इस बारे में कोई समाचार मिले हैं ? वास्तव में उन्हें उस समय मारा जाना था जब तीर-कमान वाले लोगों ने उनका घेराव किया था।

परन्तु किसी की तरफ कोई अंगुली नहीं उठाई गई, कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया ; यद्यपि इस बारे में शिकायत भी की गई परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज्य सरकार ने इस बारे में यह त्वरित कार्यवाही की थी। दो माह बाद उनके सामने एक उग्र प्रदर्शन भी हुआ था। अगस्त 81 से दिसम्बर 81 तक, छह माह की अवधि में उनके सामने यह सब कुछ होता रहा।

ऐसा कहा जाता है कि अभी हाल ही में एक अति महत्वपूर्ण ठेकेदार ने इस अधिकारी को रिवाल्वर दिखाकर धमकाया। ऐसी आशा की जाती है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य में इस घटना का जिक्र किया जायेगा। इस ठेकेदार ने श्री तुली की मेज के सामने खड़े होकर उनसे अधिक राशि के बिल पास कराने के लिए उन्हें रिवाल्वर दिखाकर धमकाया। श्री तुली ने उसका काम करने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें इस हमले का सामना करना पड़ा। क्या यह सत्य है ? यदि यह सत्य है तो उस ठेकेदार का नाम क्या है ? क्या उस ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है ? क्या यह ठेकेदार बिहार मंत्रिमंडल के एक उच्च राजनीतिज्ञ का सम्बन्धी है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

इस संबंध में यह आवश्यक है कि मैं अगस्त 1981 से घटित हुई कुछ घटनाओं की जानकारी सम्माननीय सदन को दूं। इस घटना का कारण जैसा कि मैंने पहले कहा है व्यक्तिगत नहीं अपितु

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। उन पर हमला किया गया क्योंकि वह इस गिरोह की गतिविधियों को रोकना चाहते थे।

श्रीमन्, मैं ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि 31-8-81 को श्री जुगल किशोर ने जो कि श्री एन० जी० अरुन के नाम से ठेकेदारी करते थे, श्री रामचन्द्र प्रसाद के जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं, रिवाल्वर दिखा कर धमकाया और 15000 रुपये के एक झूठे बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा ? बेचारे इंजीनियर को हस्ताक्षर करने पड़े परन्तु जैसे ही वह ठेकेदार बाहर पाया उन्होंने इसकी सूचना जनरल मैनेजर को दे दी। मुकदमा दायर कर दिया गया परन्तु हमारे दुर्भाग्यवश जुगल किशोर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह घटना अगस्त 1981 में हुई थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जुगल किशोर श्री योगेश्वर प्रसाद के; जो कि बिहार में लोक निर्माण विभाग तथा श्रम मंत्री हैं, सम्बन्धी हैं। क्या इसी कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ? हालांकि रिवाल्वर दिखाकर धमकी देकर इंजीनियर से 15000 रुपये के बिल पर हस्ताक्षर करवा लिए गए परन्तु यह एक झूठा बिल था और इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं यह विवरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऊर्जा मंत्री इस बात के लिए राज्य सरकार पर निर्भर कर रहे हैं कि बिहार पुलिस इस गिरोह का सफाया करेगी।

श्री जुगल किशोर से वसूली के लिए भी कुछ कार्यवाही की गई। इस वसूली के लिए उनकी सम्पत्ति कुर्क कर ली गई। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि लोकक्षेत्र के इतिहास में पहली बार श्री योगेश्वर प्रसाद के जो कि एक मंत्री हैं, घर छापा मारा गया क्योंकि उनका उसके साथ उठना बैठना था और हम यह आशा करते हैं कि यह श्रम मंत्री राज्य के मुख्य मंत्री की सहायता से इस बारे में कुछ जाँच पड़ताल करेंगे।

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि अभी हाल ही में इस व्यक्ति ने, जिसके विरुद्ध हमले, गाली-गलौज तथा डराने धमकाने का गम्भीर आरोप है, बिहार के मुख्य मंत्री के आतिथ्य में मध्याह्न भोज दिया ? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी उस व्यक्ति को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा जिसके विरुद्ध आरोप पत्र तो दायर कर दिया गया हो पर जिसने मुख्य मंत्री के आतिथ्य में मध्यान्ह भोज दिया हो और मुख्य मंत्री ने उसे स्वीकार किया हो ? अतः ये समस्यायें हैं। जब तक इनका कोई हल नहीं ढूढ़ा जाता, मुझे यकीन है कि इस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। इतने पर ही अन्त नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री बापू साहिब परुलेकर : श्री पासवान यहाँ नही हैं। मैं उनका समय ले सकता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक समाचार की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें बताया गया है कि इन खानों में 22 हरिजनों की नियुक्ति की जानी थी। आप जानते हैं, हरिजनों के नाम पर पूरे बाईस के बाईस, सभी सवर्णों की नियुक्ति की गई है। क्यों कि यह सब.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

श्री बापू साहेब परुलेकर : यह धनबाद में हिंसा तथा गुंडागर्दी की कथित घटनाओं के बारे में है। यह गुंडागर्दी यहां शुरू होती है, माननीय मंत्री को यह मालूम है। यह सभी 22 सवर्ण, जिनमें से कुछ ब्राह्मण हैं हरिजनों के स्थान पर नियुक्त किए गए क्योंकि उन्होंने 5000रु० दिये और जिन्होंने नहीं दिए उन पर हमला किया गया और उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए। और उन्हें किसके अनुरोध पर लिया गया है। उन्हें इस गिरोह के अनुरोध पर लिया गया है। इस तरह से यह मुसीबत शुरू होती है और जो अधिकारी यह करने से मना करते हैं उन पर इस प्रकार से हमला किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं अन्तिम बात पर आ रहा हूं। उस दिन जिस समय श्री तूली पर हमला किया गया, उस समय उनके घर के बाहर सुरक्षा प्रहरी तैनात थे तथा घटनास्थल से 100 गज की दूरी पर सी.आई.एस. एफ. का कैम्प लगा हुआ था। क्या उन सुरक्षा कर्मचारियों अथवा कैम्प में से कोई व्यक्ति उनके बचाव के लिए आया ? क्यों नहीं आया ? क्या कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बचाव के लिए जायेगा जिस पर हमला करने वाले व्यक्ति के किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से नजदीकी सम्बन्ध हों ? यदि उसके उच्च पदस्थ व्यक्तियों से नजदीकी सम्बन्ध हैं तो उसके पास पुलिस कैसे जा सकती है और राज्य सरकार इस बारे में क्या कर सकती है? जहां तक इस गिरोह का सम्बन्ध है मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इसका सफाया करने की कोशिश की है। मैं उनको इस बारे में कदम उठाने पर मुबारक देता हूं। परन्तु जब गिरोह के लोगों को इस बारे में पता चला तो ऐसा कहा जाता है कि मंत्री महोदय को धमकी दी गई और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। क्या यह सच है ? यदि इस गिरोह के लोग इस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, तब आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं और इस समस्या को आप कैसे सुलझायेंगे।

श्री तेजा सिंह को कुछ अन्य अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। परन्तु आश्चर्य की बात है कि श्री तेजा सिंह दस अन्य लोगों के साथ बिहार जेल से बाहर आ गए। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री ने एक उपाय सुझाया है। मैं नहीं जानता कि क्या वह ऐसा करना चाहते थे। वह केन्द्र को धनबाद से अन्यत्र स्थानांतरित करना चाहते थे। इस बारे में जब अप्रैल में उन्होंने एक वक्तव्य दिया तो इस बारे में काफी हलचल हुई। परन्तु उन्होंने वहां जाने के बाद तथा धनबाद में इस बात को फिर से दोहराया। क्या आप समझते हैं कि मुख्य कार्यालय को धनबाद से अन्यत्र ले जाने पर यह समस्या सुलझ जायेगी। क्या इस गिरोह के लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच जायेंगे ? क्या इस समय इस जगह को बदलना आपके लिए सम्भव है ?

जो कुछ मैंने कहा है उसके अतिरिक्त मैं दो या तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस गिरोह को खत्म करने के लिए राज्य मंत्री से मदद लेने के अतिरिक्त अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ? धनबाद के साथ लगने वाले निर्वाचन-क्षेत्रों से दो विधान सभा सदस्य चुने गये हैं। वह दोनों ही मंत्री हैं। किंतु वह दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में एक मंत्री

कुछ सुझाव देता है तो दूसरा मंत्री उसे समाप्त करा देता है। इस प्रकार से यह समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को हल नहीं किया गया है।

एक अन्य प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र का प्रशासन अपने हाथ में लेगी, अन्यथा यह उनके लिए और उनके परिवारों के लिए सुरक्षापूर्ण न होगा। क्या हिम्मत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा सकता है? श्री तूली द्वारा यह सुझाव दिया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, क्या सरकार मुख्य कार्यालय का स्थान बदलना चाहती है? वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

क्या यह सत्य है कि भारत कोकिंग कोल के कुछ अधिकारी इस गिरोह के सदस्यों के साथ मिले हुए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कुछ संसद सदस्यों को कुछ बातों की देखभाल के लिए नियुक्त किया है। क्या इस गिरोह को समाप्त करने का कार्य उन्हें सौंपा जायेगा?

जो कुछ मैंने कहा है उसके सन्दर्भ में क्या यह बात सत्य है कि इस गिरोह के लोगों के कुछ प्रतिनिधि बिहार विधान मण्डल में तथा जैसी कि सूचना है, कुछ मंत्रिमंडल में भी हैं?

मैं माननीय मंत्री से इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहूंगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं धनबाद में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य की चिंता की प्रशंसा करता हूं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में केंद्रीय सरकार के पास अपना कोई माध्यम नहीं है। उसे इस बारे में राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। खदान कार्य के बारे में हमें केवल उस क्षेत्र के अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त है जिसमें कोयला हो।

इसके अतिरिक्त हमें अन्य कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमें उस राज्य के मंत्रिमंडल पर निर्भर करना पड़ता है। अतः बिहार के मुख्य मंत्री के साथ मैंने समय समय पर काफी विचार-विमर्श किया है। मैंने इस तरफ उनका ध्यान भी आकर्षित किया है।

1980 में ऊर्जा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री तथा बिहार के मुख्य मंत्री ने मंत्रणा की थी तथा उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये। कुछ कदम उठाये गये थे और स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ।

किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि यह गिरोह समाप्त हो गया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि गिरोह अभी तक विद्यमान है। मैं इन कदमों का ब्यौरा नहीं पढ़ूंगा जो कि इस स्थिति के सम्बन्ध में हमने तथा बिहार सरकार ने उठाये क्योंकि इसमें सदन का काफी समय लेगा।

श्री बापू साहिब परुलेकर : सदन जानना चाहता है कि आपने कौन से कदम उठाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो भी कदम उठाये हैं वह उन्हें जानना चाहते हैं। आप उनका विवरण दे सकते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि हमने कहा है, कोयला खानों में कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। तथापि, धनबाद में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री तथा बिहार के मुख्य मंत्री ने मंत्रणा की थी। इस सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री कई बार धनवाद भी गए। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए हमने राज्य सरकार को मदद देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। धनवाद में चौबीस घन्टे एक पुलिस कंट्रौल रूम कार्यरत है।

धनवाद जिले में अपर उप महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है। इस जिले में छः नये पुलिस स्टेशन और कई नई चौकियां खोली गई हैं। इन सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों के लिए बी० सी० सी० एफ० ने मकानों की व्यवस्था की है। दो और पुलिस स्टेशन तथा और 9 चौकियाँ शीघ्र ही खोली जानी हैं। इनके लिए भी बी०सी०सी०एफ० द्वारा इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। आशा है कि जनवरी 1982 तक दो पुलिस स्टेशन और 9 चौकियां काम करना शुरू कर देंगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने धनबाद में एक परिपूर्ण पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित कर दिया है। इसके लिए भी बी० सी० सी० एफ० द्वारा मकान की व्यवस्था की जा रही है। बी० सी० सी० एफ०, जिला पुलिस के लिए गश्त लगाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था कर रहा है।

ऊर्जा, रेल तथा गृह मंत्रालयों ने बिहार के मुख्य मंत्री के साथ 27 सितम्बर, 1980 को धनबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी और इसके परिणामस्वरूप अनेक निर्णय लिये गये थे। जिला मजिस्ट्रेट के सभापतित्व में जिला स्तर पर समन्वय समिति की निरंतर बैठक हो रही है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : वह सितम्बर, 1980 में हुए सम्मेलन जैसे पुराने उदाहरण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह श्री परुलेकर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वह कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बारे में कह रहे हैं। वह सभा के प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सकते। उन्हें केवल श्री परुलेकर को ही संतुष्ट करना है। वह उनको उत्तर दे रहे हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कदम उठाये गये हैं मैंने उनके बारे में अभी तक शान्तिपूर्वक सुना है। किन्तु जब प्रबन्ध निदेशक हवाई अड्डे पर मुख्य मंत्री को माला डालने गये थे तो उन पर उप महा निरीक्षक की उपस्थिति में हमला किया गया था और उन्हें पीटा गया था। वह यह जो जानकारी दे रहे हैं उससे कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा के समक्ष केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों की जानकारी रख रहे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करना होता है ? कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है। मैं माननीय सदस्य से जानकारी लेना चाहूंगा। इस प्रश्न पर हम केवल संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत ही कदम उठा सकते हैं। हम दूसरा कदम नहीं उठा सकते हैं। किन्तु हमें, चाहे सही हो या गलत, राज्य सरकार पर निर्भर करना होता है। राज्य सरकार ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कदम उठाये हैं मैं अभी उन्हीं को पढ़ रहा था···(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि आपने कैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत किया है क्योंकि यह अनिवार्यतः राज्य का विषय है। आपने बार-बार कहा है कि आप उन मामलों को गृहीत नहीं करेंगे जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है। आपने इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे गृहीत किया है। यह राज्य का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसका सम्बन्ध खानों से है। मैं इसे नियम विरुद्ध ठहराता हूं। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : कृपया श्री कमलनाथ द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसे नियम विरुद्ध ठहराया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : निजी ठेकेदारों का, विशेष रूप से बी० सी० सी० एफ० में जहां तक सम्बन्ध है, इन निजी ठेकेदारों के स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर, सीधे विभागीकरण की अथवा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही परिवहन कम्पनियों की व्यवस्था की गयी है।

अन्य क्षेत्रों में भी काम की विभागीय व्यवस्था का प्रस्ताव है, उदाहरण के लिए बालू की भराई और उसे ले जाने के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्था की जा रही है। इस घटना के बाद मैंने कोयला विभाग को अनुदेश दिए हैं कि नियमित किस्म के सभी काम विभागीय तौर पर किए जायें और केवल आकस्मिक तथा तदर्थ काम ही निजी ठेकेदारों द्वारा किए जाने चाहिए। वह यही जानना चाहते थे।

सम्बन्धित व्यक्तियों के नामों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वह स्पष्ट नहीं है। हम अभी भी बहुत-सी सूचनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : यह राज्य का विषय है। हमें इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप बुरा पूर्व दृष्टान्त स्थापित कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस प्रकार उठ कर बोल नहीं सकते। कृपया बैठ जाइए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक श्री जुगल किशोर का सम्बन्ध है, मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मैं इस मामले की जांच करूंगा और मालूम करूंगा कि बात क्या है।

मुख्यालय के धनवाद स्थानान्तरण करने के बारे में मैंने कह दिया है । किन्तु धनवाद के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति मेरे पास आये और कहा कि वे इस प्रश्न पर जिसके समाधान के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरा पूरा नैतिक समर्थन करेंगे और वे पूरी एकता से धनबाद से गुण्डागर्दी समाप्त करने के लिए मेरा साथ देंगे ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य ने कहा कि यह मूलतः कानून और व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । यह मूलतः सत्ताधारी दल की चूक है । यह एक राजनीतिक प्रश्न है । मेरे माननीय सहकर्मी ने सिद्ध किया है कि राजनीतिक लोग, विधान मण्डल के सदस्य तथा मंत्रिमण्डल और अन्य लोगों का उन तत्वों से सीधा सम्बन्ध है ।

साथ ही माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें श्री जुगल किशोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है । श्री जुगल किशोर ने भी इस वर्ष एक बैठक में भाग लिया था जिसमें ऊर्जा मंत्री भी उपस्थित थे । वह बैठक अगस्त, 1981 में हुई थी । इस बैठक में उन सभी गुण्डों तथा दूसरे लोगों ने भाग लिया था । उन्होंने दामोदर घाटी निगम के सभापति तथा अन्य उच्च अधिकारियों पर हमला किया था । जब माननीय मंत्री ने नीलगढ़ स्टेडियम में भाषण देना आरम्भ किया तो उन्हें भी धमकी दी गई कि वह बैठक रद्द कर दें तथा वहां से चले जायें । लेकिन वे कह रहे हैं कि वे श्री जुगल किशोर को नहीं जानते ।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था, राज्य का विषय है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह कानून और व्यवस्था नहीं बल्कि एक राजनैतिक प्रश्न है । श्री जुगल किशोर का प्रश्न एक राज्य विषय नहीं है । वे 'पटना के सत्तारूढ़' दल के एक राजनैतिक व्यक्ति हैं । प्रश्न यही है । सबसे पहले मैं दो व्यक्तियों के नामों का जिक्र करूंगा एक श्री के० बी० सक्सेना हैं । वे धनबाद के डिविजनल आयुक्त थे । उन्होंने 1975 में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी । मैं उनकी रिपोर्ट से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं :—

"कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम को 1948 में पारित किया गया था । पिछले 22 वर्षों से यह कागज पर ही रहा । इसका उपयोग किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं किया ।"

गुण्डे कैसे शक्तिशाली बने । भर्ती करने वाले एजेन्ट कैसे शक्तिशाली बने ?

उपाध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट की तिथि कौन-सी है ?

श्री हन्नान मोल्लाह : इसे श्री के० बी० सक्सेना ने 1975 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था ।

"भर्ति एजेन्टों, मुशटंडों, जिन्हें सरदार कहा जाता है अथवा समाज विरोधी गुण्डों ने खान को मुशटंडों तथा गुण्डों की सहायता से एक बंदी शिविर बनाया" ये कुछ पंक्तियां हैं :—"सबसे

प्रभावित लोग, हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े लोग हैं जो शरीर से कमजोर हैं और उनके न तो कोई सामाजिक संगठन है और न ही उनमें विरोध करने का उत्साह है।" उन्होंने लिखा : "शिकार हुए व्यक्तियों के पास इन गुण्डों का मुकाबला करने के लिए कोई उपाय नहीं था।" उन्होंने आगे यह भी कहा है कि नियंत्रित तेल की उचित दर दुकानें, शराब की दुकानों, कारखाने तथा जुए के अड्डे की तरह लगते थे।

इन गुण्डों के होते मजदूरों की सुन्दर लड़कियां या औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उनके विभिन्न स्तरों के राजनैतिक अधिकारियों से निकट सम्पर्क हैं और उन्हें बड़े-बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। और अन्त में उन्होंने कहा : "समस्या की गम्भीरता मजदूर संघों के नेताओं के सम्बद्ध होने से और बढ़ गयी है। सामान्यत: वे इनटक के नेता हैं।" यह प्रतिवेदन 1975 में पेश किया गया।

दूसरे व्यक्ति श्री राजगोपालन हैं। वे डी० आई० जी० थे। उन्होंने 1978 में उस क्षेत्र के राजनैतिक व्यक्तियों की अपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी नहीं किया गया। क्या हो रहा है? सैकड़ों गरीब महिलायें हैं। उनका प्रतिदिन अपमान होता है और उनके साथ बलात्कार होता है। वे इस प्रकार के कष्ट में हैं। लोगों पर हमले हुए हैं। सच्चे तथा ईमानदार लोगों पर हमले हो रहे हैं। वहां सी० आई० टी० यू० नामक, एक मजदूर संघ काम कर रहा है। प्रतिदिन इसके कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं और पिछले 2 वर्षों के दौरान इसके कई कार्यकर्ताओं को मारा गया है। जो विरोध करेंगे, उन्हें मारा जाएगा। स्थिति यह है?

मैं इस सम्बन्ध में, कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

क्या ठेका प्रणाली निर्धारित समय में समाप्त की जाएगी; और

क्या मजदूर संघों के नेताओं, गुण्डों और माफिया के नेताओं की परिसम्पत्ति सम्बन्धी जांच का केन्द्रीय सरकार आदेश देगी?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी मजदूर संघों के नेताओं की सम्पत्ति की जांच?

श्री हन्नान मोल्लाह : हां, इन क्षेत्रों में। यह कोई समस्या नहीं है। उन्हें चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सी० आई० एस० एफ० तथा सेक्योरिटी गार्डज के उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो इससे सम्बद्ध थे और क्या श्री के० बी० सक्सेना तथा श्री राजगोपालन की रिपोर्टों पर कार्यवाही की जाएगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के दौरान कोयला खान के कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर हमले हुए। इस अवधि में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्ति घायल हुए? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इनटक के नेता श्री सूरजदेव एक माफिया का बादशाह है और यदि हां, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि माफिया के सभी लोगों का पटना में मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ दल से निकट सम्पर्क है; क्या यह सच है कि माफिया के ये सभी लोग बड़े-बड़े ठेकेदार हैं और यदि हां,

तो क्या इस ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाएगा ; और क्या सरकार मौके की जांच के लिए तथा उपायों सुझाने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय शिष्ट मण्डल कोयला खान के दौरे के लिए भेजेगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे श्री जुगल किशोर की कोई जानकारी नहीं है। मैं हमेशा बैठक में भाग लेता हूं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी बैठक से भाग उठते हैं ; उन्हें यह बात मालूम होनी चाहिए।

जहां तक श्री के० बी० सक्सेना का सम्बन्ध है, मुझे उनकी रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। मुझे पता चला है कि श्री के० बी० सक्सेना ने केन्द्रीय सरकार को कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। वे राज्य सरकार के अधिकारी थे। अतः प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक मजदूर संघ के नेताओं की सम्पत्ति आदि के सत्यापन का सम्बन्ध है, मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। वे प्रजातन्त्रीय ढांचे की पैदावार हैं और हमें उनकी सम्पत्ति आदि के बारे में पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : लोकतंत्रात्मक पद्धति का अर्थ भ्रष्टाचार नही है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे कोई विशिष्ट मामला बताइए। उन्होंने सब पर आरोप लगाया है—सभी मजदूर संघ नेताओं पर। मैं सभी मजदूर नेताओं की सम्पत्तियों का सत्यापन कैसे कर सकता हूं। आप नाम बताइये। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें। एकदम सभी पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'इन्टक' के एक नेता का नाम लिया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सुरक्षा कर्मचारियों के विषय में किसी भी शिकायत पर मैं विचार करने को तैयार हूं। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो मेरे पास भेजें।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : राजगोपालन रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कहना है जिसका मैंने उल्लेख किया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। श्री गिरि। कार्यवाही वृत्तांन्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)** ×

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य चर्चा नहीं हो रही है। उनका कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। श्री गिरि।

× कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : शायद देश में धनबाद ही एक ऐसा जिला है जहां प्रतिदिन एक करोड़ रुपये के मूल्य के खनिजों का उत्पादन होता है। केन्द्र सरकार को इसकी ओर उचित ध्यान देना चाहिए ताकि देश राष्ट्रीय आय में पिछड़ा न रहे।

इस वर्ष पहली दिसम्बर को जो घटना घटी वह घटना पारिमाणिक नहीं थी। इसका सम्बन्ध उन अन्य कारणों से है जो जनसंहार के लिए जिम्मेदार हैं।

इस जिले की खनिज उत्पादन समस्या किन्हीं अन्य समस्याओं से जुड़ी हुई है। समस्या इस जिले के लोगों की भर्ती, प्रबन्ध और कर्मचारी वर्ग और कार्मिक वर्ग के प्रबन्ध आदि भी हैं। समस्या प्रबन्ध का कामगारों के साथ सम्बन्ध भी है। इस क्षेत्र की यह एक वास्तविक समस्या है। गहरी खानों में काम करने वाले लोगों की कठिनाइयों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

गहरी खानों में काम करने वाले लोग पैसा उधार लेते हैं और साहूकार उन्हें उधार बहुत ही ऊँची ब्याज दर पर देते हैं। इस समस्या को भी केन्द्र सरकार द्वारा सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग खनिज क्षेत्रों में काम करते हैं।

अभी हाल में कुछ गम्भीर मामले ध्यान में आए हैं। ये मामले हैं काले नियोजन के। मैं अपना अभिप्राय बाद में स्पष्ट करूंगा। दूसरे कोयले की कालाबाजारी हो रही है। तीसरी समस्या ठेका मजदूरी प्रणाली की है। मैं सबसे पहले काले नियोजन की समस्या को लेता हूं। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि कुछ मजदूर नेताओं का कुछ क्षेत्रों में काफी प्रभाव होता है। मेरे मित्र ने सभा को बताया है कि इन मजदूर नेताओं के कांग्रेस (आई) पार्टी के साथ निकट के सम्बन्ध हैं। इतना ही नहीं उनके मंत्रियों के साथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी निकट सम्बन्ध हैं। अतः ये लोग कार्मिक वर्ग को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं और ऊँची ब्याज दर पर धन उधार देते हैं। इतना ही नहीं, ये नेता कुछ लोगों के लिए रोजगार का भी प्रबन्ध करवाते हैं यानि कुछ झूठे नामों से भर्ती कराते हैं। ये नाम वास्तविक नहीं होते। प्रबन्ध के एक वर्ग के साथ सांठ-गांठ कर ये उन्हें नियुक्त कराते हैं। माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य श्री ए० के० राय को जो पत्र लिखा मैं उसे उद्धृत करूंगा। अपने पत्र में कामरेड राय ने छः कर्मचारियों के नाम दिए। वे वास्तविक कर्मकार नहीं थे किन्तु मजदूर नेताओं ने किसी-न-किसी तरह उन्हें वास्तविक कर्मकारों के स्थान पर नियुक्त करा दिया। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है :

"मैंने मामले की जांच करा ली है।"

श्री ए० के० राय ने इस विषय में मंत्री को लिखा और मंत्री का जवाब यह है।

"मैंने मामले की जांच कराई है। आवेदक सर्वश्री मोला मुईया तथा दूसरों ने दावा किया था कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में उनके नाम से कुछ अन्य लोगों को नियुक्त किया गया है। कम्पनी ने बताया है कि आगे सत्यापन होने तक सर्व श्री मोला मुईया, मिथन मुईया, अशर्फी मुईया, शंकर मुईया, शिव मुईया, कृष्ण मुईया के नामों से काम करने वाले लोगों को काम करने से रोक दिया गया है। इसके साथ ही जो लोग वास्तविक व्यक्ति होने का दावा करते हैं उन्हें अपनी वास्तविकता

का प्रमाण देने का अनुरोध भी किया गया है। पर उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। यह आपकी सूचनार्थ है।"

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को पुनः काम पर लगा दिया गया है? मैं एक दो और बातें भी पूछना चाहता हूं। कोयले की कालाबाजारी के विषय पर मेरे मित्र बहुत कुछ कह चुके हैं। ठेका मजदूरी प्रणाली पर वे काफी कुछ कर चुके हैं। अतः मैं उन्हें नहीं उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल सुरक्षा उपायों पर ही बातें पुनरावृत्ति न करें? इन घटनाओं को न दोहराएं।

श्री सुधीर गिरि : मैं दोहरा नहीं रहा क्षेत्र संख्या 5 में कांग्रेस (आई) पार्टी से सम्बद्ध मजदूर नेताओं की चालों से कई हरीजन अपनी नौकरी खो बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मजदूर नेता कहिए इतना काफी है।

श्री सुधीर गिरि : क्या मंत्री जी मेरे इन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देंगे :

(क) क्या कुछ मजदूर नेता कांग्रेस (आई) से सम्बद्ध हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रियपात्र हैं :

एक माननीय सदस्य : प्रियपात्र या चमचे?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं। वह मुख्य मंत्री से कैसे निपट सकते हैं?

श्री सुधीर गिरि : मेरे अन्य प्रश्न हैं :

(ख) क्या छटनी किए गये लोगों को क्षेत्र संख्या 5 में पुनः काम पर लिया जाएगा—मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूं :

(ग) क्या धनबाद क्षेत्र के सारे मामलों की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाएगी?

मैं कानून और व्यवस्था की समस्या पर नहीं जा रहा क्योंकि यह राज्य का विषय है।

यह क्षेत्र केन्द्र सरकार का कार्य क्षेत्र है अतः मैं मंत्री और सरकार से आग्रह करता हूं कि इस सारी समस्या की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए ताकि वह उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सकें।

मेरा अगला प्रश्न है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका अन्तिम प्रश्न होगा।

श्री सुधीर गिरि : मेरा अगला प्रश्न है कि श्री शंकरदयाल सिंह झरिया क्षेत्र में काम कर रहा था । जांच से पता चला है कि झरिया कोयला क्षेत्र में कार्यरत माफिया नेता ने दस वर्ष पहले एक चौकीदार के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया । वह एक पहलवान है और अपनी ताकत का फायदा उठाता है । कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उसने ठेके लेने आरम्भ कर दिये । आज वह करोड़पति है जिसके पास सिनेमाघर है, ट्रक हैं और कई बिल्डिंग हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से श्री शंकर दयाल सिंह के इस विशेष मामले की जांच करने का आग्रह करता हूं ।

मेरा एक और प्रश्न यह है कि क्या कामगार वर्ग को ऋण लेने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और क्या कोयला क्षेत्रों में काम करने वाली महिलओं को इन गुण्डों से अपनी हिफाजत करने के लिए निश्चित सुविधाएं दी जाएंगी ।

अन्त में जहां तक मुझे मालूम है 1978 में श्री राजगोपालन ने अपनी रिपोर्ट दी थी । क्या माननीय मंत्री उसे सभा-पटल पर रखेंगे !

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : महोदय जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसमें से बहुत कुछ हमें निजी क्षेत्र से कटौती के रूप में मिला और हम इसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । हमें साहूकारी गतिविधियों की जानकारी है और इसीलिए वहां अधिकाधिक बैंक शाखाएं खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले सकें । हम सहकारी समितियां बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं । इससे इन लोगों को काफी हद तक मदद मिलेगी । माननीय सदस्य के अन्य प्रश्नों का जबाव मैं पहले ही दे चुका हूं ।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा लगाये गये सम्पत्ति कर की दरों को समान बनाने के बारे में याचिका

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : महोदय मैं दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा लगाए गए सम्पत्ति कर की दरों को समान बनाने के बारे में श्री एच० डी० शोरी तथा दूसरों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

रेलवे के वित्तीय मामलों के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्री (श्री केदार पांडेय) : महोदय, सदन को स्मरण होगा कि वर्ष 1981-82 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने परिकल्पना की थी कि रेलें 2150 लाख टन राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई करेंगी जो गत वर्ष के दौरान ढोये गये यातायात से 200 लाख टन अधिक है । मैंने अनुपनगरीय यात्री यातायात में 3 प्रतिशत और उपनगरीय यात्री यातायात में 6 प्रतिशत की वृद्धि की भी परिकल्पना की थी ।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि परिचालन में सतत् सुधार के परिणामस्वरूप रेलों ने गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अक्तूबर, 1981 के अन्त तक 176.90 लाख टन प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात की पहले ही अधिक ढुलाई कर दी है। आगामी व्यस्त मौसम को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष के अन्त तक रेलें न केवल 2150 लाख टन प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात का लक्ष्य पूरा कर लेंगी बल्कि इस लक्ष्य से भी आगे निकल जायेंगी। वास्तव में यह यातायात भारतीय रेलों द्वारा आज तक ढोये गये यातायात की अपेक्षा सर्वाधिक होगा। माल की ढुलाई में रेलों ने जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसकी सभी क्षेत्रों में सराहना हुई है। यात्री यातायात में भी प्रत्याशित वृद्धि हुई है।

सदन इस बात से सहमत होगा कि रेल परिवहन, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का मूल आधार है, की ओर सावधानी पूर्वक और सतत् ध्यान देना होगा क्योंकि किसी भी प्रकार के आत्मसन्तोष के भयानक परिणाम हो सकते हैं। घल-स्टाक का रख-रखाव भलीभांति करना होगा। अन्य सम्बद्ध परिचालनिक और संरचनात्मक परिसम्पत्तियों के साथ-साथ रेलपथ को भी अच्छी हालत में रखना होगा। रेलों पर संरक्षण और समय-पालन में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बात नहीं है, हम अभी आये हैं।

श्री केदार पांडे : कोशिश कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश खर्च पर नियंत्रण रखने के काम को प्रत्येक रेलवे पर एक-एक अपर महाप्रबंधक को सौंपकर किये गये बचत सम्बन्धी उपायों और इस सम्बन्ध में की गयी विशेष कार्रवाई के बावजूद, बजट के बाद कुछ अप्रत्याशित कारणों से रेलों की वित्तीय दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। डीजल तेल सहित पेट्रोल पदार्थों, इस्पात और अन्य साधन-सामग्री आदि की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ-साथ कर्मचारियों को हाल ही में दी गयी महंगाई भत्ते की दो अतिरिक्त किस्तों के फलस्वरूप रेलों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है। बजट के बाद के इन सभी कारणों तथा अतिरिक्त यातायात की ढुलाई के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खर्च के कारण, रेलों पर कुल मिलाकर वित्तीय बोझ में लगभग 245 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। संचालन व्यय में इस अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान किफायत तथा खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए रेलों द्वारा शुरू किये गये जोरदार प्रयासों को ध्यान में रखकर लगाया गया है।

अधिकाधिक प्रयास करके, आशा है कि 1981-82 के बजट अनुमानों की तुलना में रेलों को माल, यात्री तथा अन्य कोचिंग यातायात से 170 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस अतिरिक्त आय के बावजूद लगभग 75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेलों की वित्तीय स्थिति को सन्तुलित रखने तथा 8.42 करोड़ रुपये के मामूली शुद्ध अधिशेष (विकास निधि को प्रभार्य खर्च के लिए 38.47 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित करके और आम बहस की समाप्ति के समय घोषित रियायतों को हिसाब में ले लेने के बाद) को बरकरार रखने के लिए मैंने बड़े दुःख के साथ यह विनिश्चय किया है कि इस घाटे की पूर्ति रेलों के लिए अतिरिक्त संसाधन

जुटा कर की जाये। इसलिए माल यातायात की वर्तमान भाड़ा दरों में समायोजन करना अनिवार्य हो गया है।

अतः यह विनिश्चय किया गया है कि 1-1-1982 से माल डिब्बा भार और फुटकर दोनों प्रकार के माल यातायात के सम्बंध में कुल भाड़े पर निम्नलिखित अतिरिक्त पूरक प्रभार लगाया जाये :—

(i) 500 कि० मी० तक की दूरी के लिए 10 प्रतिशत

(ii) 500 कि० मी० से अधिक की दूरी के लिए 15 प्रतिशत

जहाँ कहीं न्यूनतम प्रभार लागू है, वहां भी भाड़ा प्रभारों पर यह पूरक प्रभार वसूल किया जायेगा। यानान्तरण तथा अन्य विविध प्रभारों पर भी 10 प्रतिशत की दर से पूरक प्रभार लगाया जायेगा। (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय ने इस वक्तव्य की जांच पड़ताल की है जिसे अब रेल मंत्री दे रहे हैं? वह सभा में केवल ऐसा वक्तव्य देकर ही भाड़े की दरों को कैसे बढ़ा सकते हैं तथा अधिभार लगा सकते हैं? वह इस प्रकार कैसे सदन में आकर इस अधिभार को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक वक्तव्य दे सकते हैं? (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभा के नियमों से अवगत हैं।

महोदय, यह एक मंत्री का मामूली वक्तव्य नहीं है। इसके गम्भीर वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे। मुझे याद नहीं है कि इस सभा में कभी किसी मंत्री ने, चाहे वह वित्तमंत्री हो अथवा रेलमंत्री हो, केवल एक सामान्य वक्तव्य देकर दरें और अधिभार बढ़ाया हो। ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं है। यह केवल अनुपूरक बजट या सामान्य बजट के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। यदि मंत्री महोदय वास्तव में इन दरों को बढ़ाना चाहते थे और यदि उनके पास धन की कमी हो गई है, तो उन्हें सभा के समक्ष एक अनुपूरक बजट पेश करना चाहिये था।

महोदय, सामान्य बजट केवल दो महीने बाद सभा के समवेत होने पर फरवरी में इस सभा के सामने पेश किया जायेगा। तब रेल बजट तथा सामान्य बजट दोनों प्रस्तुत किये जायेंगे। वही उपयुक्त समय है जबकि मंत्री महोदय को इन प्रावधानों को पेश करना चाहिए ताकि इस सभा को इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा करने तथा निर्णय करने का अवसर प्राप्त हो सके। अतः, मेरा यह कहना है कि आप कृपया मंत्री महोदय से इस वक्तव्य को वापिस लेने के लिए कहें, क्यों कि इस वक्तव्य में बड़े बड़े वित्तीय मामले अन्तर्ग्रस्त हैं। यदि आप उन्हें इस वक्तव्य को देने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह वित्तीय वक्तव्य किस नियम के अन्तर्गत दिया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभा को इस वक्तव्य पर चर्चा करने का पूरा

अवसर मिलेगा ? मेरा पहला प्रश्न यह है : किस नियम के अन्तर्गत आप उन्हें इस वक्तव्य को देने की अनुमति दे रहे हैं ? मैं दूसरी बात यह पूछ रहा हूं : क्या सभा को इस वक्तव्य पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ? मैं इसकी निन्दा करता हूं। यह बहुत ही गलत तरीका हैं। इस प्रकार से आप लोगों से स्वीकार करा लेते हैं। आप यहां तक वक्तव्य दे देते हैं और भाड़ा बढ़ा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य को पूरा तो करने दीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और मैं उनके इस प्रकार के वक्तव्य देने पर आपत्ति कर रहा हूं जिसमें वित्तीय मामले अन्तर्ग्रस्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप द्वारा उठायी गयी बहस पर विचार किया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया करके आप उनके वक्तव्य को सुनिये। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इसकी अनुमति दी है। अतः, उन्हें अवश्य ही अपना वक्तव्य देने दिया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह जानना चाहूंगा कि किस नियम के अन्तर्गत उन्हें अनुमति दी गयी है। (व्यवधान)

श्री केदार पांडे : अतिरिक्त पूरक प्रभार इस समय लिये जा रहे कुल पूर्णांकित प्रभारों पर लिया जायेगा और अतिरिक्त पूरक प्रभारों को जोड़कर कुल प्रभारों को वर्तमान नियमों के अनुसार फिर से पूर्णांकित किया जायेगा।

"भाड़ा देय" आधार पर बुक किये गये यातायात के लिए भी 3 प्रतिशत का पूरक प्रभार लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बुकिंग के समय प्रभारों का भुगतान किये जाने के मामलों में यह पूरक प्रभार नहीं लगाया जायेगा।

यात्री किराये में समायोजन करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय आप पीठाध्यक्ष हैं। मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है और आपको अवश्य ही अपना विनिर्णय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप कह दीजिये कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है...

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, क्या यही आपका विनिर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यही मेरा विनिर्णय है । मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये, मैं उन्हें बीच में नहीं रोकूंगा ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, क्या आप कृपा करके नियमों का पालन करेंगे । नियमों में कहा गया है कि लोक महत्व के मामले के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जा सकता है । किन्तु यहां तो बजट प्रस्तावों में परिवर्तन किया जा रहा है । इसे इस प्रकार कैसे यहां लाया जा सकता है ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये ।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : क्या आप वक्तव्य के तुरन्त बाद इस सम्बन्ध में हमें अपनी बात कहने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अवश्य ही अपना वक्तव्य पूरा करने दिया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय ने इस वक्तव्य की अनुमति दी है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद क्या आप कृपा करके विभिन्न बातों के सम्बन्ध में हमें स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति देंगे ? अन्यथा वह अपना वक्तव्य देने के पश्चात चले जायंगे । (व्यवधान) ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप उन्हें इस प्रकार का वक्तव्य को देने की अनुमति दे देते हैं, तो कल वित्तमंत्री महोदय इस सभा के समक्ष इस प्रकार का दूसरा वक्तव्य दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये । इस वक्तव्य के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दी गयी है । (व्यवधान) ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हम नहीं जानते कि उनके वक्तव्य के पूरा हो जाने के पश्चात क्या होगा । इसी समय हम उनसे स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप में से किसी को भी अब अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, आप कृपा करके नियम 372 को देखें । कृपया इसे पढ़कर सुना दीजिये । (व्यवधान) ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बहुत ही अभूतपूर्व बात है । मैंने पहले कभी भी इस प्रकार की कोई बात होते नहीं देखी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं वक्तव्य की विषय वस्तु को पढ़ना नहीं चाहता क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि अध्यक्ष महोदय ने बिना नियम का विचार किए मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है ?

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर : उन्होंने किस नियम के अन्तर्गत यह वक्तव्य देने की अनुमति दी है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक साधारण वक्तव्य नहीं है। इसमें गम्भीर वित्तीय मसले अन्तर्निहित हैं वह इस वक्तव्य की अनुमति कैसे दे सकते हैं ;

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें''मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं कि आप पहले कृपया उनके वक्तव्य को सुनें।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या उनके वक्तव्य के बाद आप हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रखें''आप पहले मंत्री महोदय को सुनें तब आपकी तसल्ली हो जाएगी।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मंत्री महोदय को किस नियम के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है ? क्या इस प्रकार का वक्तव्य देना नियमों के अनुरूप है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 372 के अन्तर्गत।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह वित्तीय मामलों पर लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यक्ष महोदय से नियम 372 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति प्राप्त की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप इस प्रकार के वक्तव्य का एक भी उदाहरण दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति प्रदान की है। अब वे वक्तव्य देंगे।

श्री केदार पाण्डे : 1 जनवरी, 1982 से लागू इन समायोजनों के कारण चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में लगभग 80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मैंने केवल उतने ही अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास किया है जिनसे अतिरिक्त प्राप्तियों और अतिरिक्त व्यय के बीच की खाई पाटी जा सके।

मैं सभा-पटल पर एक ज्ञापन भी रख रहा हूं जिसमें भाड़ा-दरों में उपर्युक्त समायोजनों के प्रस्तावों का औचित्य बताया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3035/81)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बहुत बार अनुरोध किया है। उन्हें वक्तव्य पूरा करने दीजिए।...मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। उन्हें वक्तव्य पूरा करने दीजिए। आप सन्तुष्ट हो जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप उसके बाद हमारी बात सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ; मैं देखूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप पीठासीन हों या अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए यह एक समान हैं। नियमों में जैसी व्यवस्था की गई है, वैसी ही गुंजाइश होनी जरूरी है। यदि उन्हें अध्यक्ष द्वारा नियम 372 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति दे भी दी गई है तो भी इसे चुनौती देने तथा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हमें पूर्ण अधिकार है। हम कह सकते हैं कि यह वक्तव्य नियम 372 के अधीन नहीं है और यदि यह उससे बाहर है तो हमें इस पर आपत्ति होनी चाहिए तथा हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। इस मामले का संबंध वित्तीय प्रश्नों से है। आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आप हमें यह कहकर चुप नहीं करा सकते कि चूंकि अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है, इसलिए हम व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हम व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। वित्तीय मामलों से सम्बन्धित किसी भी चीज को वक्तव्य के माध्यम से नियम 372 के अधीन नहीं यहां नहीं रखा जा सकता। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) कृपया निर्णय कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वक्तव्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक साधारण वक्तव्य नहीं है। इसका सम्बन्ध गम्भीर वित्तीय मामलों से है और फिर किराये आदि में वृद्धि करने के भी तरीके हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वक्तव्य में उन्होंने रेलवे के अच्छे कार्य निष्पादन का दावा किया है और साथ ही वे लोगों पर नया बोझ डाल रहे हैं .....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य पूरा करने दीजिए और आप सन्तुष्ट हो जाएंगे।

श्री केदार पांडे : अनुदान की पूरक मांगें, जिनमें बजटोत्तर कारणों से अपेक्षित अतिरिक्त व्यय का अधिकांश भाग शामिल है, इस सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत की जायेंगी और शेष भाग को बजट सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित अनुमानों के माध्यम से समायोजित किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य का अन्तिम भाग इस प्रकार है :

"अनुदान की पूरक मांगे, जिनमें बजटोत्तर कारणों से अपेक्षित अतिरिक्त व्यय का अधिकांश

भाग शामिल है, इस सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत की जायेंगी और शेष भाग को बजट सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधन अनुमानों के माध्यम से समायोजित किया जायेगा।"

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह इस प्रकार नहीं हो सकता। क्या आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे ? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहरहाल, आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जाँच अध्यक्ष महोदय द्वारा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इसका विरोध करेंगे। हम अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जाएगी···।

श्री चन्द्रजीत यादव : किस बात की जांच की जाएगी ? मैं आपसे एक साधारण-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अन्तिम वाक्य नहीं सुना है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : अन्तिम वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। यह पहली जनवरी से लागू होगा और अनुपूरक बजट बाद में रखा जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभा की सूचनार्थ रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अनुपूरक बजट कब रखा जाएगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे। जी हां, हम इसकी जांच करेंगे।

(तत्पश्चात श्री चन्द्रजीत यादव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।)

उसके बाद लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर अड़तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिवाली और अन्य त्यौहारों के अवसर पर आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबंध

श्री भीकूराम जैन (चान्दनी चौक) : हमारे त्यौहारों के अवसर पर विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर कई सौ टन आतिशबाजी व्यर्थ की जाती है और पटाकों आदि पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल बीसियों परिहार्य अग्निकाण्ड तथा दुर्घटनाएं हो जाती हैं बल्कि वायु विषाक्त धुएं के कारण भारी हो जाती है जिससे एनर्जी, श्वास सम्बन्धी तथा आँखों की बीमारियाँ हो जाती हैं। यह सामन्तशाही की निशानी है। इसके परिणामस्वरूप बच्चे विशेषरूप से दुर्घटना के शिकार होते हैं और कभी-कभी यह साम्प्रदायिकता का कारण भी बनता है। अतः यह आग्रह किया जाता है कि सरकार इस भारी बरबादी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए और आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए अथवा पटाकों तथा आतिशबाजी के लाइसेंसों, बिक्री तथा इस्तेमाल के बारे में और अधिक कड़े नियम लागू करे।

(दो) उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विकास कार्यक्रम

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उड़ीसा में देश के कोयले के कुल उत्पादन का 2.7 प्रतिशत पैदा होता है। ऐसा अनुमान है कि तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों में, जो कि गैर-कोककारी कोयले का विशालतम क्षेत्र है, लगभग 3,50,000 लाख टन कोयला मौजूद है। दुर्भाग्य-वश उड़ीसा में कोयले के विकास की ओर सरकार द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

तालचेर कोयला क्षेत्र सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के प्रशासनिक नियन्त्रण में है तथा इब घाटी वैस्टर्न कोल फील्ड्स नागपुर के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। चूंकि ये दोनों एक ही कम्पनी के प्रशासनिक नियन्त्रण में नहीं हैं, इसलिए इन कोयला क्षेत्रों का विकास बहुत ही कठिन हो जाता है। इब घाटी के खननयोग्य विशाल भंडार से उस क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। जिसमें कि सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

भारत सरकार का देश के कुछ कोयला क्षेत्रों के विकास तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इसे दृष्टि में रखते हुए मैं सुझाव देती हू कि छठी योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले उपर्युक्त आधुनिकीकरण तथा विकास कार्यक्रम में उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, मैं यह भी मांग करती हूं कि इन दो कोयला क्षेत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड की एक ही पृथक सहायक कम्पनी के प्रशासनिक नियन्त्रण में लाया जाए तथा इसका मुख्यालय भुवनेश्वर अथवा अन्य किसी सुविधाजनक स्थान रखा जाये।

(तीन) कर्नाटक के रेशम बुनकरों की समस्याएं

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

भारतवर्ष विश्व के देशों में एक ऐसा देश है जिसके यहां रेशम उद्योग अति प्राचीन समय से चला आ रहा है। कर्नाटक कच्चे रेशम के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है और उत्तम कोटि की साड़ियों के निर्माण में यहां हथकरघे और शक्ति चालित करघे बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। मैसूर, मैन्डी, कोलार और बंगलौर जिले कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) बनारस (उत्तर प्रदेश) कांची (तमिलनाडु) और धर्मावार (आन्ध्र प्रदेश) के, जो कि रेशमी कपड़ों के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं, बुनकरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर्नाटक रेशम के धागे की पूर्ति करता है।

गत वर्ष शहतूत के पेड़ में लगी बीमारी के कारण कैकून के उत्पादन में (गुणवत्ता और मात्रा) दोनों में भारी क्षति हुई ;

कर्नाटक सरकार ने रेशम उद्योग और व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किए थे तथा उसका उत्पादन और विक्रय कुछ निहित स्वार्थों के हाथों में चला गया। बिचौलिये अपने हित के लिए विभिन्न अवस्थाओं पर स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। रेशम एक्सचेंज की स्थापना और विक्रय कर आदि लागू करने की कर्नाटक सरकार की कार्यवाही का रेशम व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

मेरी भारत सरकार से अपील है कि वह इस मामले को पूर्ण गम्भीरता से लें और इस महत्वपूर्ण उद्योग के कार्य को एक ठोस आधार पर व्यवस्थित करें। इस उद्योग का, जो कि बहुत-सों को रोजगार देता है और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, विकास करने के लिए कर्नाटक को सभी प्रकार की अनुकूल स्थितियां हैं। इस उद्योग को अन्य राज्यों में भी आरंभ किया जा सकता है।

भारत को एक प्रमुख रेशम निर्यातक देश बनाने की बड़ी सम्भावना है।

मेरा सुझाव है कि रेशम उद्योग और व्यापार के सभी पहलुओं की सम्पूर्ण जांच पड़ताल करने के लिए तथा एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए तुरन्त एक निर्यात समिति गठित की जानी चाहिए जिससे कि उत्पादक को अपने परिश्रम का उचित दाम मिल सके और बुनकर को उपयुक्त पारिश्रमिक प्राप्त हो सके तथा उपभोक्ता को उचित कीमत पर रेशमी कपड़ा मिल सके।

कॉफी बोर्ड की तरह एक सांविधिक निकाय बनाया जाए जो कि उन सहकारी समितियों की सहायता से जो कि उत्पादकों और बुनकरों की सहायता के लिए बनाई जाएं, रेशम उद्योग और व्यापार को व्यवस्थित करे।

भारत सरकार भारी मात्रा में चीन से रेशमी धागा आयात करने पर विचार कर रही है, जिससे देश के विशेषकर कर्नाटक के रेशम उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। का। रेशम की वर्तमान असाधारण मूल्य को नीचे लाना होगा।

(चार) उड़ीसा में तालचेर सम्बलपुर रेल लाइन का निर्माण

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : राज्य के समुद्रतटीय और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच सीधे सम्पर्क के अभाव में, उड़ीसा की भावात्मक अखण्डता और आर्थिक विकास को भारी क्षति पहुंची है। सम्बलपुर, बोलंगीर, कालाहांडी और सुन्दरगढ़ इन पश्चिमी जिलों में बड़े-बड़े खनिज बहुल क्षेत्र हैं, जिनमें कोयले, चूने के पत्थर, बाक्साइट,चीनी मिट्टी के भारी भंडार हैं तथा सघन वन क्षेत्र हैं और एक कृषि-पट्टी है परन्तु सीधे संचार के अभाव में इन स्रोतों का आर्थिक रूप से और सकलरूप से दोहन नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार रेल मंत्रालय से तालचेर और सम्बलपुर को मिलाने वाली 160 कि०मी० लम्बी लाइन के निर्माण का अनुरोध करती रही है जो कि पारादीप बन्दरगाह के लिए अत्यन्त धनी पृष्ठ प्रदेश का द्वार खोल देगी, क्योंकि इससे सम्बलपुर और भुवनेश्वर के बीच की दूरी लगभग 470 कि० मी० कम हो जायेगी, राउर केला, भिलाई और रायपुर की औद्योगिक पट्टी पारादीप बन्दरगाह के और निकट आ जायेगी तथा कोरापुर स्थित अल्युमिना काम्पलैक्स, अंगुल स्थित अल्युमिनियम स्मेल्टर और तालचेर कोयला खानों के बीच सीधा और सर्वाधिक सस्ता और लाभकर मार्ग खुल जायेगा।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने एक सर्वेक्षण कराया था परन्तु सर्वेक्षण में मूलभूत कमी यह रह गई कि इसने अत्यन्त उल्लेखनीय विकास कार्यों यथा पारादीप में इस्पात संयन्त्र की, आयल टर्मिनल और एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना तथा कोरापुर के निकट, अल्युमिना काम्पलैक्स, अंगुल में अल्युमिनियम स्मैल्टर, तथा उनके परिणाम स्वरूप यातायात संचालन में होने वाली वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा।

अतः एक दूसरे सर्वेक्षण के आदेश दिए गए और अब उसका प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। नवीनतम प्रतिवेदन में यह बताया गया है प्रथम प्रतिवेदन में उल्लिखित 4.23 प्रतिशत के मुकाबले इस लाइन से 5.10 प्रतिशत आय होगी और निःशुल्क मिलने वाली भूमि की कीमत को मिलाकर तो यह 6.62 प्रतिशत हो जायेगी और जब सहायक इकाईयां खड़ी हो जायेंगी तो अन्ततः यह 12 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी।

रेलवे प्रशासन 6 प्रतिशत की दर से सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करता है और यदि हम उन रियायतों या छूट को भी इसमें जोड़ लें जो रेलवे यातायात वृद्धि के परिकलन हेतु पहाड़ी और कठिन खराब क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के बिछाने के लिए देती है तो वित्तीय आय 10 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी और इससे लाइन पूर्णतया व्यवहार्य, जीवन क्षम हो जायेगी।

इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने भी पैरा 9.3.3 में विशिष्टतया इसकी सिफारिश की है। हाल में ही हुए विकास कार्यों ने इस लाइन पर यातायात में वृद्धि की सम्भावनाओं को और अधिक उज्जवल कर दिया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार तालचेर खानों से विशाखापट्टनम इस्पात संयन्त्र को 50 लाख टन कोयला सप्लाई करना पड़ेगा और इससे इस लाइन पर यातायात में भारी वृद्धि होगी।

अब चूंकि रेलवे सर्वेक्षण में इस परियोजना को व्यवहार्य पाया गया है, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने इसकी सिफारिश की है और यातायात-वृद्धि की इसमें भारी क्षमता है तो मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे बिना किसी विलम्ब के इसे छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लें।

(पांच) सूती/रेशमी धागे के मूल्य बढ़ने के कारण हथकरघा उद्योगों में संकट

श्री अशफाक हुसेन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हैंडलूम में इस्तेमाल होने वाले सूत और रेशमी धागे के दाम में पिछले तीन महीनों में लगातार इजाफे ने इस सबसे बड़ी घरेलू सनअत को बुहरान में मुब्तिला कर दिया है। उत्तर प्रदेश हरियाना पंजाब और दूसरे हैंडलूम मरकेजा पर जहां 20 और उससे नीचे के नम्बरों का सूत इस्तेमाल होता है उस की हालत खसूसी तौर पर बदतर हो गई है। बीस और उससे नीचे के नम्बर का जो सूत अभी दोमह किल्ल नब्बे और बानवे में फरोख्त होता था वह आजकल 120 और 122 रुपये में दस्तयाब है। परेशानी तो इस बात की है कि सरकारी या कोआपरेटिव इदारे जो बुनकरों की जरूरत का बीस से पच्चीस फीसदी सूत की फराहम करते हैं वह भी अपने डिपो के सूत की कीमत बजार निरख पर बढ़ाते जाते हैं। मरकज का कौमी हैंडलूम गवर्नमेंट कारपोरेशन दो साल बाद भी अभी वजूद में नहीं आ सका है। हैंडलूम सनअत को अच्छा और सस्ता सूत साल भर के लिए एक दाम पर उस वक्त तक पाबन्दी से नहीं मिल सकता जब तक मरकजी हकूमत सूत तैयार करने वाली सभी कोआपरेटिव और प्राइवेट कताई मिलों पर चीनी की तरह की लेवी लगा कर हैंडलूम की जरूरत का सारा सूत मुनासिब दाम पर लेकर अपने इदारों से बुनकरों तक न पहुंचाए।

इस काम में मुजब्बल कौमी हैंडलूम गवर्नमेंट कारपोरेशन रियासती कारपोरेशन और रियासतों के काआपरेटिव इदारे उसी वक्त अपना रोल अदा कर सकते हैं जब उन को कताई और कम्पोजिट मिलों से साल भर तक एक ही दाम पर हैंडलूम की जरूरत का सारा सूत चीनी की लेवी के तरीके पर सरकार फराहम करने की जिम्मेदारी ले। मरकजी हकूमत के इस सिलसिले में फौरी और बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है और मरकजी वजीरे तिजारत को इस सिलसिले में बयान देना चाहिए।

(छ) नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में कर्मचारियों के क्वार्टरों का गिराना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिकृत बस्तियों का निर्माण हो रहा है और ऐसे निर्माण को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, यह बड़े दुख और रोष की बात है कि 25 वर्षों से सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले घरेलू कर्मचारियों को उनके बने बनाए घरों से उजाड़ा जा रहा है। दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 को जब गोल मार्किट के निकट बने हुए घरेलू कर्मचारी क्वार्टरों में रहने वाले लोग रोटी और रोजी कमाने अपने काम पर गये हुए थे केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों ने पुलिस की सहायता से उन घरों पर धावा बोल दिया, जीने तोड़ दिये, किवाड़ उखाड़ दिये और गरीबों का सामान—उनका सामान होता ही कितना है—बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं उसी रात को लगभग 12 बजे के करीब इन दुखी व्यक्तियों की चीख-पुकार सुनकर घटना स्थल पर गया था। कड़कड़ाती सर्दी, वर्षा, खुले आसमान के नीचे, इन निरीह तथा निर्दोश व्यक्तियों का कुनबा इधर-उधर बिखरे हुए सामान के नीचे और पुलिस को घेराबन्दी के मध्य आग ताप कर घड़ियां बिता रहा था।

इन अभागों गरीबों ने मुझे जो कुछ बताया उसके अनुसार ये लोग वर्षा से इन सर्वेंट क्वार्टरों में रहते हैं और पानी आदि का खर्चा भी देते हैं। जब केन्द्रीय कर्मचारियों के ये क्वार्टर तोड़े गये

और नये क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ हुआ तो ये लोग बेघरबार होकर कहां जाएंगे, इस का विचार नहीं किया गया और न कोई समुचित व्यवस्था ही की गई। कर्मचारियों के अनुसार ये अपना मामला अदालत में भी ले गये हैं और अदालत का फैसला 11 दिसम्बर को होना है। किन्तु अदालत के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिस की सहायता से इन्हें उजाड़ दिया। यह घटना संसद भवन से थोड़ी ही दूर पर हुई है। कहा जाता है कि यहां बगीचा लगाने के लिए इन मकानों को गिराना जरूरी है। बसे बसाये लोगों को उजाड़कर जो बाग लगाना चाहते हैं उनके हृदय में कितनी मानवीय संवेदना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि इन क्वार्टरों को गिराने और लोगों को बेघर बनाने का कार्य क्या तब तक नहीं रोका जा सकता था जब तक सर्दी कुछ कम नहीं हो जाती और बच्चों की पढ़ाई का साल भी पूरा नहीं हो जाता।

मेरी मांग है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री इस सम्बन्ध में सारी स्थिति को स्पष्ट करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम निर्माण होना चाहिए, ध्वंस नहीं।

(सात) जौनपुर के निकट बरसेठी रेलवे स्टेशन के फाटक के पास रेलवे द्वारा पैदा की गई बाधाएं

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से रूल 377 के तहत एक बहुत अहम मसले की तरफ रेलवे मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र जौनपुर, उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन है बरसेठी। इस स्टेशन के पूरब रेलवे लाइन को क्रास करती हुई पी० डब्लू० डी० की सड़क गुजरती है। इसके अलावा उधर कोई सड़क और रास्ता नहीं है जिससे लोग चल सकें। इस क्रासिंग के लिए पी० डब्लू० डी० ने 70 या 80 हजार रुपया रेलवे को बहुत पहले अदा कर दिया है। गालिबन 1979 में, रेलवे ने इस क्रासिंग को ठीक न करके उल्टा इसको चौड़े गार्टर गाड़कर रेलवे लाइन के दोनों तरफ एक एक लोहे की दीवार बनाकर सड़क का रास्ता बिल्कुल रोक दिया। मैं अभी इस रास्ते से गुजरा हूं। जाना जरूरी था इसलिए गाड़ी को पूरब से रेलवे लाइन पर कुदा कर गुजरा हूं। बैलगाड़ियां और दूसरी सवारियां इसी तरह से गुजरती हैं। कुछ बच जाती हैं और कुछ इस तरह से गुजरने से टूट-फूट का नुकसान उठा जाती हैं। मैं, इसलिए कि मैं खुद भी इस रास्ते से गुजरा हूं और गुजरता हूं और इसलिए भी कि वहां के लोगों ने बड़ी नाराजी के साथ मेरे जरिये रेलवे मिनिस्टर से मांग की है, इसलिए भी कि यह रेलवे की जबर्दस्त कोताही है, रेलवे मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इसे जल्द अज जल्द ठीक कराकर इस सड़क को वहां की जनता के लिए आन-जाने के काबिल बनाएं और लोगों की दुश्वारियां दूर करें।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक---जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगा। श्री हरीश चन्द्र रावत—अनुपस्थित। श्री रामप्यारे पनिका। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पांच मिनट से अधिक समय न लें।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर बोलने का समय दिया। अभी दो रोज पहले या यूं कहा जाए कि कल ही हमारे माननीय मन्त्री जी ने टी० वी० पर अपना बयान देते हुए कहा था कि हमारे देश में मनोरंजन के साधनों की बड़ी कमी है। दूसरे देशों की तुलना में, खासकर सोवियत रूस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले तो हम बहुत ही पीछे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सिनेमा और थिएटर्स का पूरी तरह से देश में फैलाव किया जाए—न केवल शहरों में बल्कि देहातों में भी। लेकिन आज इस संबंध में जो लोन या सहायता देने की योजना है उसमें बड़ी कठिनाइयां आती हैं। नई स्टेजेज पर स्टेज गवर्नमेंटर्स में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल मे ऐसा प्रावधान रखा जाए जिससे कि लोगों को डाइरेक्टली केन्द्र से सहायता मिल सके तथा गांवों में भी आवश्यकतानुसार इसका प्रसार हो सके।

दूसरी बात यह है कि आज समाज में यह आम चर्चा फैल रही है कि सिनेमा इस देश के नौजवानों के चरित्र-निर्माण में सहायक होने के बजाए विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मुझे याद है अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने इस पर चिन्ता प्रकट की थी कि जो सिनेमा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं। जो हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसको हमारे देश के नागरिकों को नहीं प्रदर्शित किया जाता, बल्कि ज्यादा हमारी पिक्चर पाश्चात्य देशों की संस्कृति पर आधारित होती जा रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश के नवयुवकों में जो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वह निश्चित तौर से उसका लगाव दूसरे देश की संस्कृति की ओर हो रहा है। कुछ हद तक यह भी कहा जाता सकता है कि आज हमारे देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, वह सिनेमाओं की वजह से बढ़ रहे हैं। उन पिक्चरों में ऐसे चरित्रों को दिखाया जाता है, ऐसे डाकुओं के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनकी वजह से नौजवानों के दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है और काफी हद तक जो आज ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, यह निश्चित तौर से सिनेमाओं का ही असर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे जो सेंसर बोर्ड है, उसको निश्चित तौर से डायरेक्ट करें कि उसको ऐसी पिक्चरों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, जो हमारे देश के नवयुवकों के चरित्र पर असर डालती हो।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो देश में एक उत्पादन बढ़ रहा है और एक नई क्रांति दिखाई दे रही है, चाहे वह विकास के कार्यक्रम हों, उनका भला होना चाहिए। जहां एक तरफ

सिनेमाओं का उद्देश्य मनोरंजन है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नागरिकों का ज्ञानवर्द्धन भी होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक को यह मालूम होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या घटनायें घट रही हैं, उनको अवगत होना आवश्यक है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे समाचारों को कम महत्व दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप ऐसा प्रावधान करें कि ऐसी सूचनाएं देश के कोने-कोने में पहुंच जाएं। यह बात सही है कि हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन सिनेमा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आज परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम बहुत कम दिखाए जाते हैं, आप निश्चित तौर से परिवार नियोजन और अन्य विषयों से संबंधित डाकमेंट्री फिल्म बनाकर, जो कि राष्ट्रीय हित में हों, उनको अधिक से अधिक दिखाया जाए, तो निश्चित तौर से उसका इफैक्ट पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर सिनेमा आदि की सुविधाएं स्थापित करें। जिससे कि हरिजनों को, बीकर सैक्शन के लोगों को, आदिवासी लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ पहुंच सके। खासकर जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, आपके जहां पर डवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि हमारा मिर्जापुर का जनपद है, जहां पर कि 20 हजार मेगावाट बिजली काम्पलैक्स बन रहा है, वहां कोई मनोरंजन का साधन नहीं है और बिहार में भी इसी तरह पिछड़े हुए इलाके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी, जैसी कि आप निगाह रखते हैं, आप निश्चित तौर से उन दूर-दराज के इलाकों को देखें। ये जो सुविधाएं आप देते हैं, यदि आप रिकार्ड मंगाकर देखें, तो जो सहायता दी जाती है वह निश्चित तौर से शहरों या शहरों के आसपास के क्षेत्रों में कसन्ट्रेट हो गई है। मैं मानता हूं कि जो सिनेमाओं के निर्देशक होते हैं, वे लोगों के टेस्ट के अनुसार पिक्चर पैदा करते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ-साथ हमें देश की आवश्यकता को भी देखना पड़ेगा और देश की परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी सिनेमा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा।

मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ इतना ही मंत्री जी से कहना चाहता हूं आप इसमें ऐसा परिवर्तन करें कि सरलीकरण हो और विभिन्न स्तरों पर जो सिनेमा लगाने में कठिनाई हो रही है, वह दूर हो और छठी पंचवर्षीय योजना में जो पैसे की मांग कर रहे हैं, वह कम है। आप अधिक से अधिक मांग करें, हम सब लोग आपके साथ है, क्योंकि आपका ही सिद्धान्त है और कई बार बार आपने हाउस में कहा है कि मैं ऐसे क्षेत्रों में, जहां आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, केवल सिनेमा ही नहीं, बल्कि टेलीविजन भी फैलाना चाहते हैं। अब जब ऐसा उद्देश्य है और टेलीविजन पर पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, यदि आप वह न लगा सकें तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि सिनेमा निश्चित तौर से बनें।

इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है आप मेरे सुझावों पर विशेष ध्यान देंगे और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलचित्र संशोधन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करते समय माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री जी ने राष्ट्रीय फिल्म नीति पर

कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की चर्चा की थी और यह भी कहा था कि कार्यकारी दल की संस्तुतियों के अनुरूप ही यह संशोधन बिल लाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय फिल्म नीति पर कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की दो-तीन संस्तुतियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

कार्यकारी दल ने एक संस्तुति यह की थी कि एक चल-चित्र अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहां संगीत-नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है और ललित-कला अकादमी है, उसी प्रकार से चल-चित्र अकादमी की स्थापना होनी चाहिए जिससे जो चल-चित्र हमारे यहां बनाए जाएं वे कलात्मक-दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक-दृष्टि से उच्च कोटि के हों और इन बातों को वह अकादमी देखें।

दूसरी संस्तुति उस दल ने यह की थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाय जिससे फिल्म जगत को सटोरियों के हाथों से बचाया जाए। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते है कि आज काले-पैसे के चगुल में हमारा फिल्म जगत फसा हुआ है, उस चंगुल से उसको बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए और इस चलचित्र जगत में जो विकासशील पक्ष है उसको वह संगठन प्रोत्साहन दे, उसकी कार्यप्रणाली को मर्यादित करे, उनकी सहायता करे।

तीसरी संस्तुति में कार्यकारी दल ने यह अनुशंसा की थी कि फिल्म उद्योग को अन्य उद्योगों की तरह पुनर्गठित किया जाय और उसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों को अन्य औद्योगिक कर्मचारियों के समान सेवा-सुविधाएं उपलब्ध हों। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में यह बतलायें कि इन बातों के सम्बन्ध में उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अब मैं इस संशोधन विधेयक में जो बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बातों के सम्बन्ध में मेरी सहमति है, परन्तु कुछ बातों के सम्बन्ध में मेरी असहमति है। इसके सैक्शन 2 में 'बोर्ड आफ सेंसर" की जगह "बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन" करके नामकरण में परिवर्तन की बात कही गई है। पहले इसमें 9 सदस्यों की व्यवस्था थी। मैं इस बात को मानता हूं कि कार्य की अधिकता की वजह से अधिक सदस्यों की आवश्यकता पड़ सकती है, इस लिए आपने इसमें कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 सदस्यों की जो व्यवस्था की है, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो रीजनल बोर्ड की बात कही गई है—जो क्षेत्रीय बोर्ड बनाए जाएंगे उनको सेन्ट्रल बोर्ड के तहत ही काम करना चाहिए जिससे सर्टिफिकेशन में एक रूपता रहे। पहले इस तरह की शिकायतें आई हैं एक भाषा में एक फिल्म को पास कर दिया गया, लेकिन उसी फिल्म को दूसरी भाषा में पास नहीं किया गया —इसमें एकरूपता होनी चाहिए। इसलिए रीजनल बोर्ड बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उसमें जो सदस्य रखे जाए उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन में जो बातें कहीं गई हैं, मैं उनको यहां पर दोहराना चाहूंगा— जैसे सदस्यों का प्रमाणीकरण सदस्यों का शैक्षिक और सांस्कृतिक आधार होना चाहिए। जीवन के प्रति उनका व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। उनमें कला और संस्कृति का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। वे देश के मूल्यों से अवगत हों तथा उनका देश में काफी भ्रमण हो।

इस विधेयक के सैक्शन 4 में फिल्म वर्गीकरण की बात कही गई है। पहले "ए" और "यू" दो श्रेणियां थीं, अब आपने तीसरी श्रेणी "यूए" रखी है। और इसमें यह कहा है कि अगर उनके गार्जियन चाहें तो 12 वर्ष तक के बच्चे को दिखा सकते हैं। इससे मेरी पूर्णतया असहमति है क्योंकि अगर आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि उस फिल्म में कुछ दृश्य आपत्तिजनक हैं, तो सरकार का, आपका स्वयं यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इन बच्चों को वह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए और पूर्ण रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि यह आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी बालक की श्रेणी में आते है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में होने ही न चाहिएं लेकिन अगर कुछ हैं, तो स्वयं ही आप उस फिल्म को दिखाने से बच्चों को रोकिये और गार्जियन्स पर इस बात को न छोड़िए। अब जो आप कर रहे है, उसमें यह होगा कि गार्जियन पहले खुद फिल्म देखें और उसके बाद वह यह तय करे कि हम इसको अपने बच्चों को दिखाएं या न दिखाएं, यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। आप स्वयं उनको ऐसी फिल्म देखने से रोकिए ताकि वे इनको देख न सकें। आगाह करने की बात जो आपने इसमें रखी है मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह तो ऐसा ही हुआ कि करोड़ों रुपया एक तरफ सरकार शराब बन्दी पर खर्च करें और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी दुकानें शराब की खोलती जाएं, जहां पर जाकर लोग शराब पिएं। इसलिए आगाह करने की बजाए, आप इसको स्वयं रोकिए और 12 वर्ष की बजाए 16 वर्ष के बच्चों तक आप इसको लागू करें कि वे ऐसी फिल्में न देखें।

इसमें राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखण्डता की बात कही गई है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि राष्ट्र की अखण्डता और प्रभुसत्ता कायम रहे और उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि हर बिल में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है और यह तो सिद्धान्त की बात है जो हर जगह लागू होता है और इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती।

इसमें जो एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात कही गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस ट्रिब्यूनल में जो चैयरमेन के एपाइन्ट करने की बात है, उसमें यह कहा है कि अवकाशप्राप्त हाई कोर्ट का जज, उसका चैयरमेन होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता है। ऐसे व्यक्ति को भी चैयरमैन बनाया जा सकता है। मेरी यह राय है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो, उसको तो आप हाई कोर्ट का जज बनावे लेकिन इसमें हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ही चैयरमेन बनाएं।

इसके अलावा सरकार ने रिवीजन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। इससे मेरी असहमति है क्योंकि यह स्वस्थ परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। घूम-फिर कर फिर सरकार अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। और किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ट्रिब्यनल के फैसले के खिलाफ अगर अपील करनी है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वह जाए और सरकार को अपने हाथ में इस अधिकार को नहीं लेना चाहिए।

यह जो आपने फिल्मों को सस्पेंड करने या रिवोक करने का अधिकार लिया है, यह ठीक है। अगर कोई लोग ऐसी फिल्म दिखाना चाहते हैं, जिसके कुछ दृश्यों पर सेंसर लगाई गई है, और वे उन दृश्यों को फिर जोड़ लेते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे यहां फिल्मों का स्तर बहुत गिर गया है चाहे अभिनय हो, चाहे गीत हों और चाहे संगीत की बात हो। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अब भी पुरानी फिल्में लोगों को ज्यादा पसन्द आती हैं। कला के नाते और गीतों के नाते उनको पसन्द किया जाता है। अंग-प्रत्यंग का खुला प्रदर्शन कोई अच्छे अभिनय की बात नहीं है। संगीत और गीतों के मामले में भी तरक्की होनी चाहिए और इनका स्तर ऊंचा होना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रेरणादायक प्रयास होना चाहिए।

अन्त में मैं दो सुझाव दूंगा। राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं, उनकी सब-टाइटलिंग होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उनको समझ सकें। मैंने कुछ ऐसी फिल्मों को देखा है और सब-टाइटलिंग होने से उनको समझने में आसानी होती है। विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और कला को समझने के लिए सब-टाइटलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे आसानी से समझी जा सकें। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जिन फिल्मों का आयात किया जाए, आयात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से काफी अच्छे स्तर की हों। हम देखते हैं कि बहुत-सी ऐसी फिल्में आयात की जाती हैं, जो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं पड़तीं। ऐसी फिल्मों को यहां मंगवा लेते हैं और उनको बगैर सेंसर दिखाते हैं। इसका बुरा प्रभाव हमारे यहां के लोगों पर पड़ता है। इसको रोका जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981 का समर्थन करता हूं। इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तो आपने 12 वर्ष के बच्चों को जो फिल्में देखने की छूट दी है वह बिल्कुल गलत है। आपने कहा है कि 12 साल के छोटे बच्चे, ऐसी फिल्मों को देख सकेंगे जिनके बारे में अभी तक छूट नहीं दी जाती थी। अब वे अपने माता-पिता के साथ देख सकेंगे। जो फिल्में छोटे बच्चों के लायक न हों उनके छोटे बच्चों द्वारा देखने पर बन्दिश होनी चाहिए और छोटे बच्चों को वह फिल्में नहीं दिखायी जानी चाहिएं। अब तक ऐसी फिल्मों के छोटे बच्चों द्वारा न देखने के जो कानून बने हैं उनकी पूरी पालना होनी चाहिए।

लेकिन मैंने देखा है कि कहीं पर भी इस कानूनी व्यवस्था को लागू नहीं किया जाता है। सिनेमा वाले यह लिख तो देते हैं कि यह फिल्म एडल्ट्स के लिए है लेकिन उस फिल्म में ही सबसे

ज्यादा भीड़ होती है और बच्चे भी उस फिल्म को देखने बहुत जाते हैं। इस कानून से उस फिल्म को बड़ी पब्लिसिटी मिलती है और फिल्म वाले इससे बड़ा फायदा उठाते हैं। इस तरह से इस कानून की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जाता है। मेरा कहना है कि इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर बच्चे गन्दी और खराब फिल्म देखेंगे तो उनके चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा।

दूसरे मेरा निवेदन है कि आपने जो बोर्ड के 12 से 25 सदस्य बनाने का प्रावधान किया है उसके बारे में यह नहीं स्पष्ट किया कि वे सदस्य कौन-कौन से होंगे, किस-किस भाषा को जानने वाले होंगे, कहां-कहां के रहने वाले होंगे। क्या आपने अलग-अलग प्रदेशों के लिए यह नियत किया है कि इस-इस भाषा की इतनी-इतनी फिल्में बनेंगी ? अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं तो बहुत-सी स्टेट ऐसी हैं जिनकी लेंगुएज के बारे में किसी कोई जानकारी नहीं है और न उनमें कोई फिल्म बनती है। चाहे तो पापुलेशन के बेसिस पर हो. चाहे लेंगुएज या संस्कृति के बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो, सबको इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनको उतनी ही फिल्में मिलनी चाहिएं। जितनी जिस स्टेट की पापुलेशन हो उसको उसी हिसाब से फिल्में बननी चाहिएं। जितनी जिस स्टेट की पापुलेशन हो उसको उसी हिसाब से फिल्में बननी चाहिएं। मैं राजस्थान की बात बताता हूं। उसकी साढ़े तीन करोड़ की आबादी है। राजस्थानी भाषा में दो-चार फिल्में मुश्किल से बनी होंगी। इसलिए उनकी संस्कृति या भाषा या भावनाओं का भी असर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए और बोर्ड में जो 12 से 25 सदस्य हों वे लेंगुएज के बेसिस पर अलग-अलग क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करने वाले हों। अगर सभी की लेंगुएज और संस्कृति के इस बोर्ड में प्रतिनिधि नहीं होंगे तो वे किस प्रकार से उसके बारे में व्यवस्था कर पाएंगे। इसलिए इनमें यह सुधार किया जाना चाहिए और सभी को इसमें प्रतिनिधत्व मिलना चाहिए। जिन लेंगुएज की फिल्में कम बनी हों और उनकी पापुलेशन ज्यादा हो, उनकी ज्यादा फिल्में बननी चाहिएं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने ट्राइब्युनल बना दिया। फिर रिव्यू और रिवीजन का अधिकार आपने सरकार के पास रखा है। आपने इसलिए ट्रिब्युनल और इंडीपेंडेंट ट्रिब्युनल बनाया है कि हमारे जो बहुत से सरकारी अधिकारी हैं वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। जब हमने यह व्यवस्था की है कि ट्रिब्युनल फैसला करेगा तो फिर वही अधिकार सरकार ने रिव्यू और रिवीजन के तहत ले लिये हैं। मैं समझता हूं कि ट्रिब्युनल के बाद में इस रिव्यू और रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए ट्रिब्यूनल के साथ-साथ दूसरे अधिकार लेने से मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जो अव्यवस्था आज चल रही है सेंसर आदि के बारे में, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि इन अधिकारों के जरिए आप अपने मंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं ?

इसी प्रकार से धारा 5 में व्यवस्था की गई कि "अनुदत्त प्रमाणपत्र को निलंबित या प्रति-संहृत करने के लिए उपबंध किया जा रहा है" और उसके बाद में लिखा है कि "केन्द्रीय सरकार

को ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी प्रदत्त की जा रही है।" एक तरफ ट्रिब्यूनल आर्डर देगा और उस पर आप वापस रिव्यू सुन लेंगे। दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था करेंगे तो यह सब बातें आपस में तालमेल नहीं रखतीं —कंट्राडिक्टरी हैं। इसलिए इस व्यवस्था के बारे ठीक प्रकार से विचार किया जाए।

इसी प्रकार से दण्ड प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि कारावास की अधिकतम सीमा 2 वर्ष की जा रही है और जुर्माने की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार की जा रही है। मेरे विचार से यह जुर्माने की राशि बहुत ही कम है। जिन फिल्मों के निर्माण में करोड़ों रुपया खर्च होता है, उनमें इस प्रकार के अपराधियों पर केवल 2 हजार रुपया जुर्माना अगर रखा जाएगा तो ये अपराध नहीं रुकेंगे। लोग अवहेलना जारी रखेंगे और कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार से दो तीन बातें और हैं—आब्सीन सीन वल्गेरिटी के बारे में। धार्मिक और सामाजिक सिनेमा इतने पापुलर नहीं होते जितने आब्सीन सीन, वल्गेरिटी और सेक्स प्रदर्शन वाली फिल्में पापुलर हो जाती हैं। ऐसी फिल्मों का एडवर्टाइजमेंट भी खूब किया जाता है और इनको पब्लिसिटी भी बहुत मिलती है। इस प्रकार की बातों को रोका जाना चाहिए। आजकल फिल्में देखकर ही लोग अपराध करते हैं, चोरियां और डकैतियां होती हैं। इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देने वाली बातें फिल्मों में नहीं होनी चाहिएं। सेक्स का गलत ढंग से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता था कि सेक्स को सही ढंग से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : नारी का सही रूप प्रदर्शित किया जा सकता है, जिस ढंग से हमारी बहू-बेटियां रहती हैं। आज फिल्मों में नारी का आधा शरीर नग्न दिखाया जाता है, जिसका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाओं को रोका जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसी प्रकार से आजकल जो म्यूजिक दिया जाता है और गंदे गीत गलियों में बच्चों द्वारा गाए जाते हैं, ऐसे म्यूजिक पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फिल्मों में इस प्रकार की बातें होनी चाहिएं, जिनसे हमारे बच्चे प्रशिक्षित हों, उनकी एजूकेशन बढ़े और उनके चरित्र का विकास हो।

समाज के प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है, यह भावना उनमें पैदा हो, देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, यह भावना उनमें पैदा हो, काला बाजारी, काले धन की प्रवृत्ति जो देश में बढ़ रही है, वह रुके और ऐसा करने के लिए हमें चलचित्रों के माध्यम को इस्तेमाल में लाना चाहिए, लोगों को इन बुराइयों के प्रति जागरूक करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सिनेमा के द्वारा हो तो देश का कल्याण होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार कर कुछ निर्णय लें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कदम खोसला समिति और वर्ष 1981 में नियुक्त किए गये ग्रुप की शिफारिशों का परिणाम है। इस विधेयक को पूरा पढ़ जाने के बाद मैंने पाया है कि इन दोनों निकायों द्वारा की गई बहुत-सी सिफारिशों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इस विधेयक में केवल प्रक्रियात्मक पहलुओं को ही मुख्यरूप से लिया गया है, मेरे विचार से नीतियों और उद्देश्यों की प्राप्ति को इस विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है।

इस ग्रुप के प्रतिवेदन के जो कि मार्च 1981 में प्रस्तुत किया गया था, अन्त में यह बात उल्लिखित है कि अधिकांश सिफारिशें परस्पर सम्बद्ध हैं। और जब तक सुझाए गए उपायों को पूर्णरूप से स्वीकार और लागू नहीं किया जाता है तब तक इच्छित नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि परस्पर सम्बद्ध विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार कौन से उपाय करने जा रही है। उदाहरणस्वरूप अच्छे सिनेमा की उन्नति को ही लीजिए। मेरे बहुत से मित्रों ने सुझाव दिया है कि हमें इन्साफ का तराजू जैसी फिल्में नहीं चाहिये। मन्त्री महोदय भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उस फिल्म को अच्छी किस्म की फिल्मों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अच्छे सिनेमा को देश में बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

यदि अच्छी फिल्में और अच्छे सिनेमा तैयार करने हैं तो ब्याज की निम्न दरों पर वित्त की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ? क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था करना सम्भव है, ताकि हमें अच्छी फिल्में मिल सकें ? मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर दें।

जहां तक वितरण प्रणाली और प्रदर्शन सुविधाओं के जुटाने की बात है, उन्हें विशेषकर अच्छे प्रकार की फिल्मों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना होगा। इस विशेष आशय के सम्बन्ध में एक सिफारिश की गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठायेगी ?

आजकल के दिनों में सिनेमा का महत्व केवल मनोरंजन ही रह गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि सिनेमा का महत्व सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में होना चाहिये। कार्यकारी दल द्वारा खोसला समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए भी इस बात की पुष्टि होती है।

इस सम्बन्ध में कर-निर्धारण की नीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर वित्त मंत्री से विचार-विमर्श करें ताकि उत्पादन कर तथा मनोरंजन-कर जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि वह राज्य का विषय है, सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जा सके।

ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। दर्शक केवल उन फिल्मों को देखते हैं जिनमें हिंसा और सैक्स का प्रदर्शन होता है। और यदि अच्छी ऐतिहासिक फिल्में बनाई जाती हैं तो उन्हें कोई नहीं देखता। उदाहरण के लिए मराठी फिल्म '20 जून' है जिसे पुरस्कार दिया गया है परन्तु वह दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाती। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी होगी। इस कार्यकारी दल ने एक राष्ट्रीय अकादमी बनाने की सिफारिश की थी और उन्होंने इसे "चल चित्र अकादमी" का नाम दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाये और इस देश में लोग, युवा लड़के और लड़कियां अच्छी फिल्में देखें तो यह कार्य इस चल चित्र अकादमी के माध्यम से किया जा सकता है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार करना पसंद करेगी, और यदि नहीं, तो बन्धों और इस सिफारिश को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

यह भी आवश्यक है इसे एक उद्योग की तरह माना जाए और इसे संस्थागत वित्त प्रदान किया जाये ताकि इस उद्योग में लाभ की आशा से पैसा लगाने को रोका जा सके। एक अन्य विधेयक पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में केवल 10,000 सिनेमा-घर हैं और इसमें से भी अधिकांश दक्षिण-भारत में हैं। यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा सिनेमा-घरों के विस्तार का कार्यक्रम आरम्भ किया जाए। मुझे इस विधेयक में इन सब बातों की कहीं कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि इस विधेयक का दायरा काफी सीमित है और इसमें यह सारी बातें नहीं लाई जा सकती थी तो भी यह हमारे लिए एक सुअवसर है कि हम माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का इरादा रखती है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह यहां के लिए 16 मिलीमीटर की तकनीक को अपनाए जिससे कि फिल्मों पर होने वाले व्यय और ऊंची उत्पादन लागत को कम किया जा सके ? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 16 मिलीमीटर तकनीक के उदार आयात तथा 16 मिलीमीटर वाली फिल्मों के उत्पादन के लिए मूलभूत ढांचे का विकास करने के मेरे सुझाव पर विचार करें। इससे काफी मदद मिलेगी।

एक और सुझाव जो कि एक अन्य विधेयक पर विचार करते समय दिया गया था और मंत्री महोदय उससे सहमत भी थे, यह है कि इसका कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर हो। जिस के लिए इस विषय को केन्द्रीय अथवा समवर्ती सूची में लाना होगा। अब इस संबंध में माननीय मंत्री का कहना है कि प्रविष्टि 60 तथा प्रविष्टि 30 में संशोधन करना होगा। अब एक मिनट के लिए यदि यह मान लिया जाए कि मैं इस संबंध में एक गैर-सरकारी विधेयक पेश करता हूं तो क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी सदस्य मेरे विधेयक का समर्थन करें।

श्री वसंत साठे : मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : तब मैं ऐसा विधेयक पेश करूंगा। धन्यवाद। यदि ऐसा विधेयक पेश नहीं किया जाता तो आप इस विषय को सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 52 के माध्यम

से क्यों नहीं लेते। भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिए यह एक उद्योग नहीं परन्तु संविधान की दृष्टि से यह निश्चित रूप से एक उद्योग है। यदि आप कोई विधेयक नहीं चाहते और जैसा कि आपने उस दिन कहा कि आपके रास्ते में यह रुकावट है तो इसे इस प्रकार हल किया जा सकता है।

इस बारे में मैं भी जानता हूं और आपका मंत्रालय भी जानता है कि आप इन सारी बातों की देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके मंत्रालय पर कार्य-भार अधिक है। अतएव क्रियान्वयन को देखने तथा विधान तैयार करने के लिए एक विशेष कक्ष बनाने की विशेष सिफारिश की गई थी ताकि इन सुझावों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जा सके। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं ? इस कार्यकारी दल द्वारा यह सुझाव दिया गया था। मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ विशेष सुझाव भी देना चाहता हूं जो कि मैं विधेयक के द्वितीय वाचन के समय पर दूंगा। मैं इस समय को कुछ सामान्य सुझाव देने के लिए उपयोग करना चाहता हूं।

विधेयक के बारे में मैं एक-दो बातें और कहूंगा। आपने पुनरीक्षण शक्तियों सम्बन्धी धारा को अपरिवर्तित रखा है। आपने दूसरे सदन में कहा है कि आप इन शक्तियों का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा किसी मित्र देश से संबंधित कोई बात न हो।

आपने राज्य-सभा में यही कहा है कि हम इस प्रावधान का केवल इसी उद्देश्य से प्रयोग करेंगे। मैंने कुछ संशोधन दिए हैं। क्यों न इस बात को भी पुनरीक्षण शक्तियों संबंधी धारा में शामिल कर लिया जाए कि केवल इन्हीं मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि इस भाग का केवल यही उद्देश्य है तो मेरे सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है और यदि आप मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं करते तो हमें डर है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और आप इस न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन करना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए, आपके पास लाइसेंसों को निरस्त करने की शक्ति भी है। आप इस शक्ति को अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि यदि 'हिन्दी' जैसी कोई फिल्म जिसे न्यायाधिकरण तथा बोर्ड द्वारा अनुमति मिल जाती है परन्तु आप तब भी यह महसूस करते हैं कि यह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए तो आप उसे रोक सकें। मैं आपसे सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह शक्ति सरकार के पास रखने के बजाय आप ऐसा कोई विशेष प्रावधान क्यों नहीं कर देते जिसके अनुसार न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सके। इस संबंध में कौन निर्णय करेगा।

कुछ अन्य बातें, जिनके बारे में मेरे साथी पहले ही कह चुके हैं ये हैं। मैं उन पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि आप 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फिल्म देखने से रोकने की शक्ति का कार्यान्वन किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए की चिकित्सकों के लिए बनाई गई किसी फिल्म को 'एस' प्रमाण-पत्र दिया जाता है और मान लीजिए कि कोई चिकित्सक बम्बई से दिल्ली आता है और यह फिल्म देखना चाहता है तो क्या उसे अपनी एम०बी०बी० एस० की डिग्री साथ लानी होगी ? आप इस प्रावधान का कार्यान्वन किस प्रकार करेंगे ? मैं यह समझ

नहीं पा रहा हूं। यह बात बच्चों के माता-पिता को प्रमाणित करनी होगी। इसमें कुछ भेदभाव रहेगा। कुछ माता-पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे यह फिल्म देखें जबकि कुछ महसूस करेंगे कि उनके बच्चों को यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए। इस बोर्ड में 25 व्यक्ति हैं जिन्होंने यह निणय किया है कि यह फिल्म 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। मेरे विचार में यह ऐसी बात है जिसका कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। एक बात और है। मेरे माननीय साथी ने इस समिति के सभापति की योग्यता के सम्बन्ध में भी कहा था। क्या हमारे देश में अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों की कमी है? आपने इस संबंध में एक प्रावधान किया है। मैं अपने आपको इस विधेयक तक ही सीमित रखता हूं जिसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश बोर्ड में रहने के अधिकारी है। इस बारे में भिन्न-भिन्न श्रेणियां हैं। जब तक कि न्यायाधीशों की कोई कमी न हो मुझे आपके खंड के बाद के भाग में कोई विवेक दिखाई नहीं देता कि "ऐसे किसी भी व्यक्ति को; जो कि किसी न्यायालय में 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात् न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, प्रमाणित करना होगा। आप अपने पास किसी भी व्यक्ति को सभापति नियुक्त करने की शक्ति क्यों रखना चाहते हैं? आप इस प्रावधान को समाप्त क्यों नहीं कर देते? जहां तक इस बोर्ड के सदस्यों की योग्यता का प्रश्न है, योग्यतायें 1972 के अधिनियम में दी गई हैं।'

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि उचित निर्णय करने का अधिकारी है बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इसमें क्या लचीलापन है? अतएव मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ बातों का विरोध करता हूं किन्तु कुछ बातों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह बतायें कि खोसला आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार, और विशेषतया वह स्वयं, क्या करने का विचार रखते हैं? धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नवलकिशोर शर्मा।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का मंतव्य बहुत साधारण होते हुए भी इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, जिसका उपयोग देश-हित में किया जा सकता है। देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने और चरित्र के ह्रास—चारित्रिक गिरावट को रोकने में सिनेमा एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। दुर्भाग्य से सिनेमा इससे उल्टा काम कर रहा है। हाउस में जो डीबेट हुई है, मंत्री महोदय को इससे सबक लेना चाहिए। करीब-करीब सभी वक्ताओं ने यह विचार प्रकट किया है कि आज का सिनेमा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्य, श्री परुलेकर से सहमत हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ज्यादा अच्छा होता कि उस काम्प्रीहेंसिव बिल पर सारी चर्चा होती। यह सिनेमिटोग्राफ ऐक्ट जो बहुत पुराना है, वर्षों बाद आपने इसमें अमेंडमेंट करने का फैसला किया है। एक बार अमेंडमेंट किया, वह कागजों पर पड़ा रहा, उसके बाद सद्बुद्धि आई और फिर आपने उसका अमेंडमेंट करने का फैसला किया है। इसको

भी व्यापक बनाने की कोशिश की गई होती तो हम ज्यादा उसका स्वागत करते। पर जो कुछ भी आपने किया है उसका हम स्वागत करते हैं।

मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सिनेमाज में जो परिवर्तन पिछले दस सालों में ही आया है उसको ही हम रोक दें तो वह भी बहुत है। दस साल पहले जो फिल्में बनती थीं और इन दस सालों में आज जो फिल्मों के बनने का दौर आया है उसको आप देखें, आज तो बड़े गर्व के साथ डाकुओं पर फिल्में बनती हैं और डाकुओं के नाम से फिल्में दिखाई जाती हैं जैसे डाकू ही हमारे राष्ट्रीय चरित्र के द्योतक हैं या हमारे लिए आदर्श व्यक्ति हो गए हैं। कोई फिल्म आज ऐसी नहीं है कि जिसमें मार धाड़ नहीं हो। अगर मार धाड़ नहीं तो फिल्म ही अधूरी है। आपकी अच्छी से अच्छी फिल्म जो होती है जिसको आप ए-क्लास फिल्म बताते हैं उसमें भी कहीं न कहीं मार धाड़, उठा-पटक और जूतम पैजार अवश्य होता है। उसके बिना कैसे कोई इन्टरेस्ट ही नहीं रह गया है। इसके ऊपर कहीं रोक नहीं। आपका इसके बारे में एक ही पेट जवाब है कि सिनेमा इज ए-कार्मशियल थिंग, लोगों की नीड्स को कैटर करने के लिए, उन की रुचि के मुताबिक वह कार्मशियलाइज्ड है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। लेकिन किस कास्ट पर? और आप किनको ऐडवांटेज दे रहे है, हजार, दो हजार, दस हजार, लाख, दो लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं; लेकिन सारे नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं, सारे देश को पतन की ले जा रहे हैं। इसको आपको मजबूती से रोकना चाहिए। और क्या चाहिए आपको? पार्लियामेंट की सेंक्शन है आपको, यह डिवेट आपके लिए बैरोमीटर होना चाहिए, सारा हाउस, चाहे वह आयोजीशन के लोग हों या आपकी अपनी पार्टी के लोग हों सबने इस बात की एक स्वर से मांग की है कि इसमें परिवर्तन कीजिए।

आपने जो परिवर्तन किया वह अच्छा काम किया। इसको बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन बना दिया, सेंशरशिप की बात समझ में नहीं आती थी, नानसेन्स वर्ड था, असल में तो वह सर्टिफिकेशन ही है, सेंशरशिप क्या है? तो यह तो आपने अच्छा काम किया है। उसको कंटेगोराइज कर दिया, टेकनिकल लोगों के लिए एक अलग (एस) सर्टिफिकेट दे दिया। यह सारा काम तो अच्छा हुआ। लेकिन जो काम हम चाहते हैं, जिसके लिए आज देश के लोगों को चिन्ता है वह नहीं किया। आज जितने आपके क्राइम्स के बारे में अनुसंधान हुए हैं, डैक्वायटीज, मर्डर, आदि के अनेक मामलों में यह बात सामने आई है कि क्राइम करने वाले ने सिनेमा से इन्सपायर होकर के उस ढंग से काम करने की कोशिश की है। वह टेकनीक उसने वहां से सीखी है। तो मेरा निवेदन है कि यह बहुत गभीर सवाल है। इस सवाल पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए।

पारुलेकर साहब के उस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं कि हाईकोर्ट के जजेज ही सब जगह हों, जैसे वही सारे ज्ञान के जानने वाले हैं और वही सब बातों मे एवव आल हैं, वहीं सिर्फ ईमानदार हैं, दुनिया में दूसरे लोग तो सब बेईमान हैं। मैं इस से सहमत नहीं हूं। इसलिए में यह मानता हूं कि यह क्लाज जो आप ने रखी है दस साल वाली क्वालीफिकेशन आफ ए-हाई कोर्ट जज के संबंध में उस से मैं सहमत हूं और उस की पुरजोर वकालत करता हूं। पारुलेकर साहब के सुझाव का मैं विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह टेंडेंसी बहुत गलत है, इस हाउस में आम तौर

पर यह बात कही जाती है. किसी भी काम के लिए हो, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या हाईकोर्ट जज हो। जैसे हाईकोर्ट के जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अलावा दुनिया में और कोई इमानदार बाकी ही नहीं रहा है। वे जरूर चरित्रवान हैं, मैं उनके चरित्र से इनकार नहीं करता, उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रकार की जो टेन्डेन्सी पैदा हो गई है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं हमें दूसरे लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए, उनके चरित्र को भी हमें उतना ही शुद्ध मानना चाहिए।

मैं मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि अच्छी टेस्ट की पिक्चर्स चल नहीं पाती है इसके बारे में भी सरकार को गम्भीर प्रयत्न करना होगा। ऐसी पिक्चर्स के निर्माण के लिए अच्छे आर्टिस्ट्स का सेलेक्शन करना होगा और अच्छे स्टोरी-राइटर्स को सामने लाना होगा। आज यहां पर हालीवुड की नकल की जाती है। इस सिलसिले में हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी ने फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन को एग्जामिन किया था, मैं उप सब-कमेटी का कन्वीनर था, उस रिपोर्ट को आप पढ़ लें। आप उसकी रिकमेंडेशन्स को लागू करें।

मैं यो यह चाहूंगा कि इस मीडियम का उपयोग देश के हित में करना चाहिए। आज हमारे फ्रीडम मूवमेंट को लोग भूलते जा रहे हैं। इसके अलावा करैक्टर बिल्डिंग की बात को सामने लाना चाहिए। नेशनल एंटिग्रेशन को बढ़ाने की बातें होनी चाहिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में जो एडवांसमेंट हुआ है उसको दिखाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र में आत्म-विश्वास की भावना पैदा हो सके। इसके अलावा जैसा हमारा सोशल कल्चर है उसको वैसा ही डेपिक्ट किया जाना चाहिए, वेस्टर्न कन्ट्रीज की नकल नहीं होनी चाहिए।

इन सभी बातों की तरफ मैं समझता हूं मंत्रीजी को पूरा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अगर लेजिस्लेशन की जरूरत होगी तो आपको भरोसा होना चाहिए कि यह हाउस आपको वह सारी पावर्स देने के लिए तैयार होगा। यदि इस दिशा में आपके नेतृत्व में कुछ कदम उठाए जाते हैं तो मैं समझता हूं यह देश आपका आभारी रहेगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। जो फिल्में यहां पर बन रही हैं उनके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए कार्मशियल बेसिस पर फिल्मों का निर्माण किया जाता है लेकिन मेरा तजुर्बा इससे कुछ भिन्न है और वह यह है कि फिल्मों का निर्माण जनता की रुचि को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जनता की रुचि को बिगाड़ कर वाक्स-हिट फिल्में तैयार की जा रही हैं। समाज में हत्याएं हों, बलात्कार हों, चोरी-डकैती हों-ऐसी रुचि आम जनता की कभी नहीं हो सकती है।

(**श्री चन्द्रजीत यादव** पीठासीन हुए) : मैं समझता हूं बहुत लम्बे अरसे से फिल्मों में एक कांशस एफर्ट किया जा रहा है कि जनता की रुचि को बिगाड़ा जाए, बरबाद किया जाए।

सभापति महोदय, फिल्मों में खास तौर से महिलाओं को गन्दे तरीके से मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है और उस रूप में महिलाओं को पेश किया जा रहा है। मैं एक गाने का

जिक्र करता हूं, जो कि बहुत ज्यादा चला हुआ है, शहरों में और दूसरी जगहों पर भी—"जिसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है"—इसके आगे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आखिर बीवी का ही जिक्र क्यों करते हैं, मर्दों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसी तरह की और भी फिल्में हैं। एक तरफ हमने अपने संविधान में अपने देश के अन्दर महिलाओं को उच्च-स्थान दिया गया है या बराबरी का स्थान दिया गया है और हमारा सेंसर बोर्ड, जिसको कि आप "बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन" करने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हू कि इस नाम बदलने से क्या फायदा होने वाला है ? जब तक आप फिल्म इन्डस्ट्रीज में देश में किस तरह की फिल्मों का निर्माण होगा, इस बेसिक एटिचूड पर अगर आप परिवर्तन नहीं लाते है और मनोरंजन कन्स्ट्रक्टिव न हो कर डिस्ट्रक्टिव रूप में, जनता की रुचि को बिगाड़ने वाला मनोरंजन देश के लोगों को अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह की नीति से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसी कि फिल्म इन्डस्ट्रीज पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, सरकारी अंकुश उस पर है और सेंसर बोर्ड के नाम पर उसके खिलाफ वातावरण बना और आपने कानून बनाने की बात की, लेकिन आप एक तरफ कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ से पावर आफ रिव्यु लेकर उसको आप अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि देश में जो ऐसे कलाकार हैं, जो कि सही मायने में देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुरूप अगर वह फिल्म बनाना चाहता हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता मिले और यह तभी हो सकता है जब पूंजीपतियों के हाथ से फिल्म इन्डस्ट्रीज को निकाला जाए और उन लोगों को मदद प्रदान की जाए।

आज फिल्मों में प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, बरीबी की भी चर्चा होती है, मजदूर आन्दोलन की भी चर्चा होती है, लेकिन जब उस आन्दोलन का सही रूप सामने आता है, जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो उस फिल्म को लाने की इजाजत नहीं दी जाती है। उस आन्दोलन की ओर न जाकर वहां वर्ग-सहयोग की बात की जाती है। आज फिल्मों में बड़े पैमाने पर सरकारी नीतियों का प्रचार कर, वर्ग-सहयोग के विचारों का प्रचार किया जाता है पर देश की गरीबी और बेरोजगारी तथा दूसरी जो मौलिक समस्यायें हैं, उनके समाधान का सही रास्ता यदि कोई फिल्म द्वारा दिखाना चाहता है, तो उसको इजाजत नहीं दी जाती है। हमारी यह मांग होगी कि सरकार फिल्मों को इस मामले में स्वतन्त्रता दे और देश के अन्दर जो स्थिति पैदा हो रही है, देश के अन्दर जो आवश्यकता है, देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सही रास्ते हैं, उसके दिग्दर्शन का स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार लोगों को मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले फिल्म उद्योग सम्बन्धी नीतियों को बदलने की आवश्यकता के प्रति मंत्री महोदय द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी के लिए उन्हें बधाई देता हूं। सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

श्री चित्त बसु : यह तो राष्ट्रीय फिल्म नीति के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति से ही प्रदर्शित होता है। इस कार्यकारी दल की नियुक्ति सरकार की फिल्म उद्योग में दिल चस्पी तथा उसके प्रति बदले हुए रुख को दर्शाती है। कम से कम वह इतना तो मानते हैं कि एक राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाई जानी चाहिये। कुछ भी हो हमें निराशा ही हुई है। राष्ट्रीय फिल्म नीति के इस कार्यकारी दल ने काफी सिफारिशें की। अध्ययन दल ने 231 सिफारिशें कीं। कार्यकारी दल द्वारा 231 सिफारिशें किया जाना इस बात को इंगित करता हैं कि फिल्म उद्योग के बारे में व्यापक नीति निर्धारित की जानी चाहिये। दुर्भाग्यवश यह विधेयक उन सब परिवर्तनों का कुछ अंश भी प्रदर्शित नहीं करता। कम से कम इस विधेयक का तो ऐसा ही रुख मालूम होता है, रुढ़िवादिता का रुख।

मुझे बहुत कुछ कहना है किन्तु एक महत्वपूर्ण बात जो कि मेरे मित्र श्री पारुलेकर पहले ही कह चुके हैं, वह सरकार के पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के बारे में है।

आपको यह ज्ञात है कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई नाटक दल कोई नाटक दिखाना चाहता है तो पॉडुलिपि पहले अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की जायेगी। इससे यह आभास होता है कि सरकार का विचार कुछ प्रगतिवादी नाटकों, चलचित्रों व सांस्कृतिक गतिविधियों को सेंसर करने का है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समीक्षा का अधिकार बनाये रखे जाने से इस आशंका और डर का बलवती होना स्वाभाविक है कि ऐसे विषयों अथवा फीचरों को इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन दिखाने से रोका जा सकता है जो सरकार या शासक दल को पसंद नहीं है। सरकार किसी फिल्म के प्रदर्शन पर चाहे इसने बोर्ड या न्यायाधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ हो, रोक लगा सकती है। तरीका यह है कि बोर्ड प्रमाण पत्र देगा; अपीलीय न्यायाधिकरण इसको पुनरीक्षा करेगा और अन्ततः पुनरीक्षा की शक्ति सरकार के पास है।

इसके अतिरिक्त रद्द करने की शक्ति भी है। अतः यह अपीलीय न्यायाधिकरण के स्वीकृत सिद्धांत या बोर्ड तथा फिर न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र दिये जाने के सामान्य सिद्धान्त के विपरीत है। अब यहां अन्तिम शक्ति सरकार में निहित है।

मेरा दूसरा मुद्दा कर्मकारों से सम्बन्धित है। सिनेमा उद्योग या सिने उद्योग में 35 लाख कर्मकार लगे हुए हैं।

पहले भी मैंने इस उद्योग में लगे कर्मकारों के जीवन तथा कार्य के हालातों का वर्णन किया था। महोदय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की तरह इसके लिए भी केन्द्रीय कानून बनाने में क्या कठिनाई है? यदि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की तरह सिनेमा कर्मकारों की कार्य दशाओं के बारे में भी एक व्यापक कानून बना दिया जाए तो सिनेमा कर्मचारियों की बहुत सी समस्यायें दूर हो सकती हैं। अतः क्या सरकार सिनेमा कर्मकारों की कार्य दशाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार करेगी?

राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की बात जो इसमें शामिल की गई है। यह अच्छी बात है। क्या सरकार कुछ ऐसी फिल्में बनाने पर विचार कर रही है जिनमें विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता व अखंडता की समस्याओं को दर्शाया जायेगा तथा इसको सुरक्षित रखने के लिए आह्वान किया जायेगा तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के विषय पर किसी विशेष विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को, जिन्होंने इस अधिनियम पर वाद-विवाद में सक्रिया रूप से भाग लिया, जिन्होंने वाद विवाद को सुना तथा जिन्होंने इसमें उपयोगी योगदान किया।

महोदय, मुझे कहना चाहिए कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण फिल्म नीति के मामले ले लिए हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग के सभी पहलुओं के बारे में एक कानून बनाना सम्भव होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। परन्तु दुर्भाग्य से यह सम्भव नहीं हैं क्योंकि सिनेमा का प्रदर्शन और वितरण पूर्ण रूप से राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। मैं राज्य सरकारों से कहता रहा हूं कि उन्हें कोई आशंका नही होनी चाहिए और वे जितना भी मनोरंजन कर रखना चाहें रख सकती हैं परन्तु कम से कम वितरण और प्रदर्शन के विनियमनार्थ उन्हें इसे समवर्ती सूची में लाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। यदि यह सरल सा कार्य भी कर दिया जाये तो हम इस उद्योग के विकास तथा अच्छे सिनेमा के विकास में काफी सहायता कर सकते हैं। इस उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह एक दूषित चक्र में है। अच्छे सिनेमाओं का निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि अच्छे सिनेमाओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता, अच्छे सिनेमाओं को प्रदर्शित इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनको दिखाने के लिए कोई थियेटर नहीं हैं अच्छे सिनेमाओं का निर्माण इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि वितरक अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन तथा उत्पादन दोनों को ही नियन्त्रित करते हैं और यह काले धन के चंगुल में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप वितरण को अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते ? उत्पादन को नहीं।

श्री वसन्त साठे : हम उत्पादन को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहते। अटल जी वितरण भी केन्द्रीय विषय नहीं है। इसी कारण से हम इसको अपने अधिकार में नहीं ले सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम यह वितरण और प्रदर्शन समवर्ती सूची में लाया जाये, यह किया जा सकता है। मैं इसको राज्य सरकारों से लेना नहीं चाहता श्री पारुलेकर, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप ऐसा विधेयक जिसमें थोड़े से सांविधानिक संशोधन की आवश्यकता है, को प्रस्तुत करें तो हम उसका समर्थन करेंगे। या यदि आप सहमत हों तो मैं इसे लाने के लिए तैयार हूं बशर्ते आप कहें कि आप इसका समर्थन करेंगे ऐसा करने से वास्तव में इस असहाय उद्योग की समस्या का की काले धन समाधान किया जा सकेगा और इसे कालेधन के पंजे से मुक्त किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने एक दिन पहले कहा था, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि

ब्याजदर 40% से बढ़कर 90% तक हो गई है अब यह किस प्रकार का धन है ? मेरे मित्र कह रहे हैं कि अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनायी जाती ? सामाजिक उद्देश्यों वाली फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती ? इसका कारण मांग और पूर्ति का नियम है जिसके शिकंजे में आप जकड़े हुए हैं तथा जो मैं समझता हूं, अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी संरचना का लक्षण है और जो कि···का प्रतीक है।

सभापति महोदय : मंत्री जी क्या आप जारी रखना चाहते हैं ?

श्री वसन्त साठे : जी हां, मैं कल जारी रखूंगा।

---

4 दिसम्बर 1981, को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

सभापति महोदय : अब सभा का 4 दिसम्बर 1981 को कुतुब मीनार पर 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अन्य अनेक लोगों के घायल हो जाने के सम्बन्ध में 4 दिसम्बर, 1981 को गृह मन्त्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करेगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चर्चा के आरम्भ करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, 4 दिसम्बर, 1981 का दिन दिल्ली में हमेशा याद किया जाएगा। कुतुब मीनार जो पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आनन्द के लिए जाते हैं, वही कुतुब मीनार उस दिन मौत की मीनार में बदल गयी।

सभापति महोदय, मौत के कई रूप हैं, कई रंग हैं। मगर ऐसी दर्दनाक मौत। छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जिन्दगी को पूरी तरह देखा भी नहीं था, दम घुट कर मर गये, कुचल दिये गये, कोई सहायता नहीं पा सके। मौत अपने में शोक की छाया फैलाती है लेकिन जब ऐसी मौत हो जाए तो हम उन बच्चों के माता-पिताओं का थोड़ा-सा ख्याल करें। हरियाणा के बच्चे आये थे और बड़े उत्साह से आये थे कि कुतुब मीनार देखेंगे, दिल्ली की सैर करेंगे। वे बच्चे वापस नहीं जा सके। क्या अपराध था उन बच्चों का ? कुतुब मीनार टूटी नहीं है, कुतुब मीनार पर बिजली नही गिरी है। दिल्ली में भूकम्प नहीं आया है। एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसे टाला जा सकता था, जिसे टाला जाना चाहिए था। दुनिया को हम लोग क्या मुंह दिखायेंगे ?

सभापति महोदय, मैं इसे राजनीति का रूप नहीं देना चाहता। मगर जिनके हाथ में शासन है वे इस दोष से नहीं भाग सकते। उन्हें जनमत के कटघरे में खड़ा होना होगा। केवल शोक प्रकट

करना काफी नहीं है। जो जिन्दगियां चली गयीं वे वापस नहीं आ सकतीं। किसी की जिन्दगी की कीमत पाच हजार रुपये में नहीं तोली जा सकती। हर चीज का जबाव देना होगा।

सुझे अफसोस है कि गृह मन्त्री ने जो बयान दिया, उससे मुझे एक बात समझ नहीं आयी। मैं उनकी शिकायत इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने सारे सदन को शोक में शामिल क्यों किया ? मगर उन्होंने अपने बयान में ऐसी बातें की हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं। के मामले को प्रीजज करते हैं। वे कहते हैं कि बिजली चली गयी थी, इससे दुर्घटना हुई। इस मुद्दे पर बहस हो रही है कि बिजली गयी थी या नहीं गयी थी, या गुल कर दी गयी थी। कारपोरेशन ने बयान दिया है कि बिजली गयी थी मगर उस समय तक ठीक हो गयी थी। मगर गृह मंत्री जी के बयान के सामने अब दबाव लाया जा रहा है।

मैं भी उस दिन वहां गया था। चौकीदार ने मुझे कहा कि बिजली अचानक चली गई। मगर आसपास के इलाकों में उस समय बिजली नहीं गई थी। अब बयान आ रहे हैं। गृह मन्त्री बयान दे चुके। गृह मन्त्री ने सुनी सुनाई बात पर सारे मामले का फैसला कर दिया। गृहमंत्री केवल शोक प्रकट करके अपना बयान समाप्त कर सकते थे और कह सकते थे कि ज्यूडिशियल इन्क्वारी करने जा रहे हैं और मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय, इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थल है कुतुब-मीनार। बिजली का आना-जाना तो इस शासन में चलता रहता है, लेकिन बिजली चली जाए तो ऐसे स्थान के लिए क्या जनरेटर का प्रबंध नहीं किया जा सकता ? देश के लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, लेकिन प्रबंध नहीं किया गया, मगर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सारी दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि बिजली चली गई। कुतुब-मीनार जब बनी तो बिजली नहीं थी, हम लोग एक बार गए तब बिजली नहीं थी, लेकिन अगर आने-जाने को ठीक तरह से नियंत्रित किया जाए और अन्दर थोड़े से प्रकाश की जाए, बिजली के अलावा और साधनों से भी व्यवस्था की जा सकती है तो इस प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सकता था। लेकिन गृहमन्त्री महोदय ने एक प्रमाण-पत्र दे दिया, सबको प्रमाण-पत्र दे दिया—पुलिस, फायर, एंबुलेंस सेविसेस—उनको तुरन्त अस्पाल पहुँचाया गया।

साढ़े ग्यारह बजे दुर्घटना हुई, भगदड़ मची और लोग मारे गए। गृहमन्त्री महोदय ने माना है। पुलिस कितने बजे पहुंची ? आज शिक्षा मन्त्री ने राज्य सभा में बयान दिया है और वह बयान ठीक है। वहां पर कंजरवेशन असिस्टेंट था। उन्होंने 1-35 पर टेलीफोन किया मगर 12-30 पर महरौली का पुलिस-इन्स्पेक्टर वहां पहुँचा। दुर्घटना हुई 11.30 पर और वहां से थोड़ा दूरी पर ही पुलिस-स्टेशन है। जिस समय दुर्घटना हुई, उस समय एक पुलिस वाला था; उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। क्या एक किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 45 मिनट चाहिएं ? एक सब इन्स्पेक्टर पहुंच गए मगर एस० एच० ओ० कहां थे ? महरौली पुलिस स्टेशन के आफिसर भीम सिंह कहां थे ? वे ढाई बजे घटनास्थल पर पहुंचे। कहां थे, क्या कर रहे थे, इसका पता करने का

प्रयत्न किया गया ? फ्लाइंग स्कवाड 12.45 पर पहुंचा और फायर-ब्रियेड 12.55 पर पहुंचा। जो लोग मारे गए थे या घायल हो गए थे वे टूरिस्ट बसों में और प्राइवेट कारों में गए हैं और गृहमन्त्री महोदय कहते हैं कि जैसे ही घटना की खबर मिली—सब पहुँच गए। यह बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं जानता हूं कि गृहमंत्री महोदय को जो कुछ बताया गया, वही उन्होंने आकर सदन में कह दिया। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, जब ज्युडीशियल इन्क्वारी आर्डर की जा रही है। उनका बयान तथ्यों से मेल नहीं खाता।

एक बात उन्होंने और जो बात शिक्षा मंत्री ने आज राज्यसभा में कही, उससे वह टकराती है। सभापति महोदय, यह सरकार एक है, सदन दो होंगे मगर सरकार एक है, इसकी कोई ज्वाइंट रेसपांसिबिलिटी है या नहीं है ? शिक्षा मंत्री ने आज राज्य सभा में जो बयान दिया और गृहमंत्री ने उस दिन जो कुछ कहा, उसमें अन्तरविरोध है। हम किसको सही मानें ? गृह मंत्री ने उस दिन सारा दोष बिजली गुल होने पर डाल दिया था और कह दिया था दुर्घटना हो गई बड़ा अफसोस है लेकिन आज शिक्षा मंत्री महोदया ने राज्य सभा में बिजली को भी दोष मुक्त कर दिया है और उन्होंने सारा दोष हरियाणा से आए हुए बच्चों पर डाल दिया है। उन्होंने कहा है : इसी समय फरीदाबाद जिले के एम० डी० कालेज नूह के लगभग 60 छात्र दरवाजे पर आये। स्मारक परिचरों ने उनको रोका तथा निवेदन किया कि आप इन्तजार कीजिए-क्योंकि स्मारक के अन्दर बिजली नहीं है। परन्तु छात्र जबरदस्ती मीनार में घुस गये और सिढ़ियों पर से दौड़ना शुरू कर दिया। इससे आगे की घटनायें स्पष्ट नहीं है। आगे जो कुछ हुआ उसके बारे में शिक्षा मंत्री महोदया स्पष्ट नहीं है, वह कह नहीं सकती हैं कि अन्दर क्या हुआ। लेकिन इसके बारे में वह स्पष्ट हैं, कि चौकीदार ने रोका, लड़के नहीं माने, सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, चौकीदार पर लांछन नहीं है पुलिस ने प्रबन्ध नहीं किया, यह शिकायत मत करो। लड़के बिगड़ गए। लड़के मौत के मुंह में कूदना चाहते थे। हमने रोकने की कोशिश की। लेकिन जो मरने पर तुला हुआ था उसको कौन रोक सकता था। शिक्षा मन्त्री महोदया एक मां हैं। किसने उन्हें सलाह दी यह बात यहां रखने की ? सारा मामला ज्यूडिशल इनक्वायरी कमिशन के सामने है। हम अगर आपसे सवाल पूछें तो समझ में आ सकता है लेकिन आपने वही गलती की जो गृह मंत्री ने लोक सभा में की थी। किसके ब्यान पर यह बात आधारित है कि बच्चे घुसना चाहते थे ? बच्चे घुसना चाहते थे तो दरवाजे से ही घुसना चाहते थे और अगर दरवाजे से ही घुसना चाहते थे तो ऊपर गड़बड़ कैसे शुरू हो गई ? अगर नीचे से घुसने के कारण धक्कम धक्का हुआ होगा तो ऊपर के लोग कैसे नीचे भाग रहे थे, उन्हें खिड़कियां के रास्ते से कैसे निकलना पड़ा ? लोग ऊपर तक भरे हुए कैसे पाये गए ? शिक्षा मंत्री महोदया ने ब्यान दे दिया है। कमिशन अब क्या करेगा ? उस पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं है। उन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वह हाई कोर्ट का सिटिंग जज भी नहीं है। वह इन कैमरा इनक्वायरी कर रहे है। पब्लिक इनक्वारी क्यों नहीं ? किस बात पर आप पर्दा डालना चाहते हैं ? वह कमिशन क्या करेगा ? आपने देखा होगा शनिवार को वह कुतुबमीनार गया था। आर्केयोलोजिक्ल डिपार्टमेंट के लोग वहां पर नहीं थे। दफ्तर पर

खबर भेजी गई कि उनको बुलाओ लेकिन व घरों पर नहीं थे। अगर यह खबर जो अखबार में छपी है गलत है तो आप इसको कंट्रेडिक्ट करें। कमिशन क्या करेगा ? सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई है सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए। गृह मंत्री का ब्यान सिद्ध करने के लिए। अब उसको दोहरा प्रयत्न करना पड़ेगा। शिक्षा मन्त्री के ब्यान को भी सिद्ध करना पड़ेगा।

मैं भी उस दिन वहां गया था शायद वह दृश्य मैं जिन्दगी भर नहीं भूल सकता। लाशें तो वहां से जा चुकी थीं। लेकिन कुतुबमीनार के नीचे कपड़ों का ढेर लगा था। उन में जूते पड़े थे। एक छोटा सा टिफिन कैरियर भी पड़ा था। कपड़ों में अंडरवीअर थे, स्कर्ट्स थीं। लाशें दब गईं। बच्चों को निकालने में शायद कपड़े फट गए होंगे। फटे हुए कपड़ों का वहां ढेर लगा था।

कल हमारा एक अध्ययन मंडल कुतुब मीनार के भीतर गया था। उनकी रिपोर्ट यह है और मैं चाहता हूं कि ज्यूडिशल कमिशन इस बात की गहराई से जांच करें कि सारे मामले को छिपाने के लिए अब एक कहानी गढ़ी जा रही है कि जो बच्चे गए थे वे अपने साथ क्रेकर लेकर गए थे, उनके साथ दियासलाई भी थी और उनमें से किसी बच्चे ने वहां क्रेकर चलाने की कोशिश की। सीढ़ियों पर छोटे छोटे पटाखे पड़े हुए थे। दियासलाई पड़ी हुई थी। हमारा अध्ययन दल देखकर आया है। इसकी जानकारी शिक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री को अभी नहीं है, नहीं; तो यह तीसरा बहाना भी गढ़ दिया जाता।

मैंने उन लोगों से बात की है जो वहां मौजूद थे।

सभापति महोदय, एक चौकीदार था। शिक्षा मंत्री का ब्यान यह ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कितने लोग वहां रहते हैं। उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार को जाने के लिये कुतुबमीनार पर कोई टिकट नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं शुक्रवार के इन्तजाम और अन्य दिनों के इन्तजाम में कोई फर्क है, या एक ही तरह का इन्तजाम है ? अगर टिकट नहीं है तो लोग ज्यादा आयेंगे। दिल्ली में व्यापार मेला हो रहा है और इस समय पर्यटक बड़ी संख्या में आये हैं, विदेशी भी वहां जाते हैं। सभापति महोदय, एक चौकीदार था, एक चौकीदार के रोकने से शायद लड़के नहीं रूक सकते। मैं मानता हूं कि चौकीदार ने रोका होगा कि भीड़ हो रही है आप न जाइये। कोई पढ़ा लिखा आदमी वहां क्यों नहीं था ? कोई ऊंचे दर्जे का अमसर क्यों नहीं था ? अजन्ता, इलोरा में इन्तजाम है जबकि वहां सकरी जगह नहीं है, खुला स्थल है। क्या आर्कियोलाजिक्ल डिपार्टमेंट का कोई अफसर था दरवाजे पर ? अगर सचमुच अन्दर भीड़ थी और बच्चों को कोई प्यार से समझाता तो बच्चे मौत की छलांग लगाने के लिये नहीं आये। प्यार से समझाने पर बच्चे मान जाते। बच्चों के साथ अध्यापक भी थे, उन दोनों अध्यापकों से मैंने बात की। उनका ब्यान आपके द्वारा दिये गये वर्णन से मेल नहीं खाता। अब उन पर दबाव डाला जाय यह बात अलग है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं इतना बड़ा काम्पलेक्स है कुतुब मीनार का। उस दिन वहां एक सिपाही था जिसका नाम है श्री ओम प्रकाश दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, आपके आंकड़े

कुछ भी कहें, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, महिलाओं को छेड़ने की घटनायें बढ़ रही हैं। कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं, समाजविरोधी तत्त्व ऐसे समय पर सक्रिय हो जाते हैं। मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं दे रहा हूं। क्या यह आवश्यक नहीं था कि अच्छा प्रबन्ध किया जाता ? अधिक पुलिस वाले वहां तैनात किये जाते ? यह किसकी जिम्मेदारी है ? एक पुलिस वाला था। ज्यादा पुलिस वाले क्यों नहीं थे। आर्केयोलाजी डिपार्टमेंट के अधिक अफसरान क्यों नहीं थे ? अफसरों को आने में देर क्यों हुई।

सभापति महोदय, यह पहला मामला नहीं है जबकि कुतुब मीनार के बारे में यह शिकायत आयी है कि कुछ गुन्डे बदमाश अन्दर चले जाते हैं, खिड़कियों में बैठ जाते हैं, जो लड़कियां देखने जाती हैं उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त को इस तरह की एक घटना हो चुकी है। मुझे मालूम है सरकार उसका खंडन करने वाली है। परिपोर्ट लिखी नहीं जातीं, मगर हम लोगों को पता लगा कि 15 तारीख को ऐसी घटना हुई थी। जब भीड़ होती है ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं। आखिर उस विदेशी महिला मैगी की आंसू भरी कहानी का क्या जवाब है ? केवल बिजली गई इतना ही नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया है कि उसकी स्कर्ट तार तार कर दी गई थी। जो अन्डरवीयर है वह पैरों में उलझा हुआ था। यह भीड़ में दबने से नहीं हो सकता है। ऊपर शरारत हुई, लड़कियां चिल्लायीं, भगदड़ मची और यह दुखद कांड हो गया। मैं जैकी को कान्टेकन नहीं कर सका हूं, उसकी एक और सहेली भी थी, मैं नहीं जानता वह कहां है। मगर जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मैंने बातें कीं, अध्यापकों से चर्चा की। अगर आप देखें उसी दिन से लीपापोती शुरू हो गई। पुलिस उपायुक्त श्री बलवंतसिंह ने शुक्रवार की रात को दावा किया था कि भगदड़ की सूचना मिलते ही 10 मिनट के अन्दर पुलिस कुतुब पहुंच गयी थी। उन्होंने किसी विदेशी महिला की छेड़छाड़ करने के आरोप का भी खंडन किया, जिसके कारण दुखद दुर्घटना हुई। समाचार-पत्र वालों ने विदेशी महिलाओं से बात की है। उस विदेशी महिला की तस्वीर भी छपी है वह बस में ले जायी जा रही है। दुखी है मगर लज्जा से सर नहीं उठा सकती। दबी जबान में उसने आरोप लगाया है कि मुझे छेड़ने की कोशिश की गई। एक घंटे तक मैं वहां फंसी रही। यह पार्टी का मामला नहीं है तिवारी जी, नाराज न हों।

प्रो० के० के० तिवारी : (बक्सर) यह पार्टी का मामला नहीं है, मैं मानता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री ने ठीक कहा है कि 750 साल हो गई, यह पहली घटना हुई है। लेकिन क्या यह घटना ऐसी है, जिसे टाला नहीं जा सकता था ? हमें जो कुछ प्रबंध करना चाहिए था, क्या हमने वह प्रबंध किया ? शिक्षा मंत्री संतुष्ट हैं ? वह मां हैं, वह एक मां के दिल से कह दें, मैं सारे आरोप वापिस ले लूंगा। प्रधान मंत्री सदन में नहीं हैं। एक रेल-दुर्घटना हो गई, तो शास्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया। देवली में 22 लोग मारे गए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं महीने भर में अपने पद से हट जाऊंगा। लेकिन

47 बच्चे दिल्ली में कुलचकर मर गए, किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं पद पर नहीं रहूंगा। कोई कहने को तैयार नहीं है—गृह मंत्री नहीं चाहेंगे, शिक्षा मंत्री नहीं कहेंगे, लेफ्टिनेंट-गवर्नर नहीं कहेंगे, पुलिस कमिशनर नहीं कहेगा। दिल्ली का कोई पुरसां-हाल नहीं है। दिल्ली का भाग्य इन लोगों के हाथ में है। दिल्ली में चुनी हुई विधान सभा नहीं है। दिल्ली की जनता को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। दिल्ली में चुनी हुई मेट्रोपालिटन कौंसिल नहीं है कारपोरेशन नहीं है। समाज-विरोधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि खुलकर सामने आया है।

जो कुछ हुआ है, किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है ? मैं नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। किसी की नहीं है ? अगर किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, तो इस देश का भविष्य अंधकारमय है, यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या गृह मंत्री या शिक्षा मंत्री इस स्टेज पर कुछ कहना चाहते हैं ? नहीं। श्री एच० के० एल० भगत।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, यह बहुत दर्दनाक, घटना हुई है और इससे सारे देश को बहुत तकलीफ हुई है। छोटे-छोटे बच्चे दिल्ली देखने आए थे, मगर उनकी लाशें लौटीं। यह स्वाभाविक है कि इससे सब जगह लोगों के मन में तकलीफ हो।

कुतुब मीनार एक इन्टरनेशनल इम्पार्टेन्स की जगह है, जहां विदेशी भी आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। सब सोचते हैं कि दिल्ली जाकर कुतुब मीनार देखना चाहिए। जाहिर है कि इस हादिसे से लोगों को तकलीफ तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्रैस्टीज को भी बड़ा बर्दस्त धक्का लगा है। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई मांएं रो रही हैं। चारों तरफ एक तरह से सन्नाटा सा छा गया है।

इस वाकये ने हमारे सामने फिर कुछ सवाल पोज किए हैं, जिनपर हम सबको राष्ट्र के नागरिकों के नाते सोचना चाहिए। मैं साफ कर दूं कि इस सवाल पर किसी प्रकार के पार्टी दृष्टिकोण से या पार्टी एंगल से सोचना मैं पाप समझता हूं। अगर इस सवाल को किसी पार्टी एंगल से या पार्टी दृष्टकोण से देखा जाएगा, तो वह बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चोरी-छिपे किसी पार्टी एंगल से जिम्मेदारी से बचना चाहे, या पार्टी एंगल से अपनी पार्टी के लिए फायदा उठाना चाहे, वह देश के लोगों की नजरों में बड़ा पापी होगा। इस घटना ने यह बात साफ की है कि हमें इन पुरानी इमारतों को जिस तरह से मेनटेन करना चाहिए, हमने उस तरह से उन्हें मेनटेन नहीं किया है। कुतुब मीनार में जो इन्तजाम है, यह नहीं कि वह आज हुआ है, आज जो हालत वहां पर है,वही हालत दो साल, पांच साल, बीस साल पहले भी थी—मुद्दत से वही हालत चली आ रही है। यह दुख की बात है कि कुतुब मीनार जैसी जितनी भी पुरानी

तारीखी जगहें हैं, उनका इन्तजाम, उनकी देखभाल, जिस प्रकार से हमको करनी चाहिए, उस प्रकार से हमने नहीं की है—न हमने की है, न किसी दूसरे ने, न तीसरे ने की है।

मैं विदेशों में बहुत नहीं गया हूं, लेकिन अभी कुछ महीनों में मुझे बाहर जाने का मौका मिला मैं सोवियत यूनियन में गया, जापान गया, आस्ट्रेलिया गया। मैंने सोवियत यूनियन में पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को देखा, उनकी मैन्टिनेंस को देखा। जार के जमाने की इमारतों का भी जिन के बारे में समझा यह जाता था कि शायद उनका मेंटिनेंस ठीक ढंग से न होता होगा, उनका मेंटिनेंस भी बहुत अच्छे ढंग से वहां हुआ है। हमारे यहां राजघाट हो, कुतुब मीनार हो, शांतिवन हो, मौलाना आजाद का मकबरा हो या दिन्दुस्तान की दूसरी इमारतें हों, मेरी फीलिंग यह है कि हम में से किसी ने उसके साथ न्याय नहीं किया, न किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। जब कोई बात हो जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है तब हम जागते हैं। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग जिम्मेदार आदमी हैं, दिल्ली के लोग हैं खास तौर से चुने हुए, हम भी कुतुबमीनार पर जाते रहे हैं, देखते रहे हैं, हमें भी इन्तजाम बरसों पहले से मालूम रहा है कि क्या इंतजाम है, मुझे भी मालूम था, वाजपेयी जी को भी मालूम था, सबको मालूम था। यह हमारी जिम्मेदारी है। हममें से किसी आदमी ने इस इन्तजाम की तरफ ध्यान नहीं दिया, न सोचा। न सरकार ने सोचा, न किसी और ने सोचा। न हमारी सरकार ने सोचा न इनकी सरकार ने सोचा। बिजली का इंतजाम शुरू से लेकर आखीर तक इतना निकम्मा रहा, कितने दुख की बात है कि कुतुबमीनार जैसी जगह पर, आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि वहां तारें ऐसी लटकी हुई हैं कि अन्दर से भी बिजली बुझ सकती है, कोई झटका लगे तो स्विच गिर सकता है, बहुत ही गलत मेंटिनेंस कुतुब मीनार के अन्दर का है। बाहर भी इन्तजाम अच्छा होना चाहिए। मुद्दत से, तीस या बत्तीस साल से दो तीन अटेंडेंट हैं। बात यह है कि जूडिशियल एन्क्वायरी आर्डर हुई है ? वाजपेयी जी ने कहा कि गृह मंत्री को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, एजूकेशन मिनिस्टर को कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी समझता हूं कि कुछ नहीं बोलना चाहिए था और शायद जूडिशियल एन्क्वायरी के समय हमें भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वाक्य ऐसा है, मैं गृह मंत्री की कोई सफाई नहीं देख रहा हूं, उस वक्त गृह मंत्री वहां गए, जो उनको फर्स्ट इम्प्रेशन वहां जाते ही मिला वह उन्होंने हाउस में रख दिया। एजूकेशन मिनिस्टर को जो कुछ मिला वह उन्होंने रख दिया। जूडिशियल एन्क्वायरी जो आर्डर हुई है उसके होते हुए बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं। मगर स्वाभाविक है कि ऐसी ट्रेजडी पर कुछ कहा जाय। कुछ वाजपेयी जी ने कहा है, कुछ अन्दाज से कहा जा सकता है, कुछ बातें जो सुनी हैं वह सामने आई हैं। वाजपेयी जी मौके पर गए थे, हम लोग भी गए थे मौके पर। हम सबने भी लोगों से बात की। मैं भी गया। मैंने जाते ही चौकीदार से बात की। उसने कहा कि बिजली फेल हो गयी थी, लोगों ने धक्का मारा और अन्दर चढ़ गए। यह फर्स्ट इम्प्रेशन उसने दिया। मैं नहीं कहता कि कितना सच है, कितना झूठ है, अन्दर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ? हममें से कोई नहीं था। लेकिन बेसिक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इन चीजों का मेंटिनेंस बिल्कुल ठीक नहीं है।

एक दिन मैं मौलाना आजाद के मकबरे पर गया। वहां हमने अन्दर दाखिल होना चाहा। दस मिनट लगे उस आदमी को तलाश करने में जो शायद आधी तनख्वाह पर वहां ड्यूटी पर लगा हुआ था। मैं यह कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेनिन के मकबरे को मैंने देखा। कितना जबर्दस्त इंतजाम वहां किया हुआ है और शांति वन हमारा किस तरह से मेंटेन्ड है? हमारे देश के लिए गांधी जी उसी तरह से हैं जिस तरह लेकिन सोवियत यूनियन के लिए हैं। इसी प्रकार से मैंने और दूसरी जगहों को देखा। मैं बेसिक बात कह रह हूं, बिजली का इंतजाम और दूसरे जितने इंतजाम हैं वह ठीक नहीं हैं। उसकी जूडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिए और जो उसमें कसूरवार हों उनको सजा देनी चाहिए लेकिन इंतजाम सही करने चाहिए, इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि आइन्दा ऐसी बात नहीं हो।

शुरू में एक बात उड़ गई कि कुतुब मीनार फट गई, एक अफवाह यह उड़ी। उस समय जब ऐसे वाकये होते हैं तो इस तरह की बातें उसी समय उठती हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस वाकये को किसी तरह का पोलिटिकल रूप देना, कोई रंग देना ठीक नहीं है। किसी तरह जिम्मेदारी से कोई नहीं बचना चाहता न जिम्मेदारी को कोई छिपाना चाहता है। न जिम्मेदारी के कोई बच सकता है न जिम्मेदारी से कोई बचेगा। लेकिन कोई राजनैतिक एंगल इसको देकर इससे किसी दल के लिए नाजायक फायदा उठाने की कोशिश भी गलत होगी। सारे सदन को, सारे देश को इस घटना पर सोचना चाहिए, एन्क्वारी होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी ये जितनी चीजें हैं इनको मेंटेन करने का अच्छा इंतजाम होना चाहिये। मुझे बहुत अफसोस होता है कई दफा हमारी पुरानी ऐतिहासिक चीजों के लिए कोई खर्च की बात होती है तो लोग निन्दा करने लग जाते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं। मुझे कहना पड़ता है इस समय कि जवाहरलाल नेहरू के शांति-वन पर जो हमारे नेशनल लीडर थे, लोगों ने जाना बन्द कर दिया, सरकारी फंक्शन बन्द कर दिए, मिनिस्टरों ने जाना बन्द कर दिया, राष्ट्रपति गए, उनकी अगवानी के लिए मिनिस्टर नहीं पहुंचे। यह हालत थी। यह हमारे लिए और सबके लिए शर्मनाक बात है। इस ट्रेजेडी से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और हमारी जो पुरानी चीजें हैं उनको मेंटेन करना चाहिए।

एक बात और कह कर खत्म करूंगा, हमने जो मदद की वह और ज्यादा करनी चाहिए। मेरी राय में जो मदद की गई वह नाकाफी है, और ज्यादा मदद करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सज्जन कुमार : (बाहय दिल्ली) सभापति जी, 4 दिसम्बर को कुतुब मीनार पर जो एक्सीडेंट हुआ, जो घटना घटी उसके लिए दिल्ली के ही नहीं बल्कि सारे देश के लोगों को दुःख है। चूंकि दिल्ली में यह घटना घटी इसलिए दिल्ली के लोगों को खास तौर से ज्यादा महसूस हो रही है। सारे सदन ने इस घटना पर शोक प्रकट किया है। हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी घटना स्थल पर गई थीं और अपना दुःख वहां पर व्यक्त किया था। मैं भी इस घटना पर अपना दुःख व्यक्त करना चाहता हूं और इस बात को कहना चाहता हूं कि आगे कुछ ऐसे इंतजामात करने चाहिए जिनसे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न घट सके।

जहां पर वाजपेयी जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं एक बात बड़े अदब के साथ वहां पर कहना चाहता हूं कि एक ओर तो यह बात यहां पर कही जा रही है कि हमको इस घटना को पार्टी का सवाल नहीं बनाना चाहिये और इसको कोई पोलिटिकल रंग नहीं देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन कुतुब मीनार में यह घटना घटी थी वहां पर सबसे पहले मैं पहुंचा था। वहां पहुने के बाद मैं हास्पिटल भी पहुंचा और हमारे साथ साथ वहां पर सैकड़ों समाजसेवी थे जिन्होंने उन लाशों को लाने-ले जाने का प्रबन्ध किया था। जो भी सेवा का काम उस वक्त हो सकता था वह काम उन्होंने वहां पर किया था। मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको इस घटना से इतना अधिक दुःख पहुंचा था तो क्या आप हास्पिटल गए और उनके समाचार के लिए जो भी मदद आप समाज-सेवा के रूप में कर सकते थे—क्या यह मदद आपने की ? वास्तव में आप इस घटना से पोलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। अखबारों में अपने बयान छपवाने के लिए आप सरकार पर दोषारोपण कर सकते हैं। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन वाजयेयी जी, अगर आप को इस घटना का इतना ही दुःख था तो अपको इस सदन में यह कहना चाहिए था कि मृतकों के परिवारों को जो आर्थिक मदद दी गई है, केन्द्रीय सरकार की तरफ से, प्रधान मंत्री जी की तरफ से और प्रान्तीय सरकारों की तरफ से मदद की गई है वह नाकाफी है, उसमें और अधिक मदद दी जानी चाहिए उनके परिवारों को··· (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : शायद आपने, वाजपेयी जी को ठीक से सुना नहीं है। या समझा नहीं है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : उनकी समझ में नहीं आयेगा।

श्री सज्जन कुमार : आपने यह कहा है कि 5 हजार रुपया देकर उनके आंसू नहीं पोंछे जा सकते हैं लेकिन आपने यह नहीं कहा कि यह बिलखती हुई मातायें और बिधवायें जो हैं उनकी ओर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए और विशेष रूपसे उनकी मदद करनी चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति जी, एक बात यहां पर पुलिस के बारे में कही गई है। जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, चौकीदार भी वहां पर था। मैंने उससे पूछा और जो दूसरे लोग वहां पर खड़े थे उनसे पूछा कि घटना कैसी घटी। वहां पर जो हाकर्स बैठे हुए हैं और जो टूरिस्ट बसेज के ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स हैं उनकी प्रशंसा यहां पर नहीं की गई है। सब मदद के काम में जुट गए थे। पुलिस का सब-इंस्पेक्टर और सिपाही भी वहां पर पहुंचा था। मैं वहां पर कोई पुलिस की सफाई नहीं देना चाहता हूं, उनके सम्बन्ध में गृह मंत्री जी यहां पर अपना बयान देंगे लेकिन जो कुछ भीड़ने वहां पर कहां, जो मौके पर लोग थे उन्होंने जो कुछ कहा वह में बताना चाहूंगा। वह सब-इंस्पेक्टर और सिपाही जो वहां पर था उनकी वर्दियां पसीने से तर-बतर थीं और ऐसा महसूस होता था कि उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया। वहां पर जो भीड़ थी वह कह

रही थी कि सब-इंस्पेक्टर और सिपाही सवा बारह बजे के करीब वहां पर पहुंचे और जो भी उन्होंने वहां पर काम किया उसकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। वहां पर जो टूरिस्ट बसें थी उनसे पुलिस ने सहायता की मांग की और उन्होंने सहायता देने की बात मानी। जिन लोगों को उस एक्सीडेंट में चोटें आई थीं उनको वे लोग वैन्स में रखकर हास्पिटल पहुंचे। पुलिस की गाड़ी मोर्चे पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी के अन्दर भी कुछ लोगों को हास्पिटल भेजा गया।

माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए कहा गया है, हम इस बात में नहीं जाना चाहते हैं कि कैसे वह घटना घटी, किसका उसमें दोष है, जुडिशियल इन्क्वायरी के अन्दर सब कुछ आ जाएगा, जब जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो यह कि गृह मन्त्री जी यदि जुडिशियल इन्क्वायरी के अन्दर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिन इमारतों के रख-रखाव का काम हमारा विभाग करता है, ऐसी ऐतिहासिक इमारतों के रख-रखाब के अन्दर हमें जो कुछ भी इन्तजामात करने पड़ें, वे करने चाहिए। कुतुब मीनार को यदि आप भविष्य में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था करें, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, इसको पोलिटिकल रंग न देकर सारे सदन को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे। पहले भी यह ऐतिहासिक इमारत यहां पर खड़ी थी और उसके इन्तजामात थे। मेरा ख्याल है कि लाखों लोगों ने उस ऐतिहासिक इमारत को देखा है, लेकिन ऐसी घटना के बारे में हम भी नहीं सोच सकते थे, सरकार भी नहीं सोच सकती थी, देश भी नहीं सोच सकता था, लेकिन जो घटना हुई है, ऐसी घटना भविष्य में न घटे, इसका इन्तजाम करना चाहिए।

एक बात कह कर, सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ? माननीय वाजपेयी जी ने कहा है कि दिल्ली में ला एण्ड आर्डर की हालत खराब होती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप दो वर्षों के आंकड़े उठा कर देखें, ये आंकड़े अखबारों और गृह मंत्री जी के आंकड़े नहीं हैं, दिल्ली के नागरिकों के आंकड़े हैं, यदि उनको देखा जाए तो 1980 के पहले जो ला एण्ड आर्डर की हालत थी, हमारे दिल्ली के अन्दर, उसमें सुधार हुआ है। डकैतियां कम हुई हैं, लड़कियों को छेड़ना कम हुआ है, मैं कह सकता हूं कि विरोधी दल के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे, तो हमें भी अच्छी नहीं लग रही थी और हम छींटा-कसी नहीं कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सैन्टर हाल में इस बात को महसूस करते हैं कि दिल्ली में ला-एण्ड-आर्डर की हालत सुधरी है। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि आप यह बात अखबारों से कहें, पब्लिक में कहें, तो कहते हैं कि यदि यह बात हमें पब्लिक में कहेंगे, तो हमें वोट कहां से मिलेंगे···(व्यवधान)··· सभापति जी, सवाल वोटों का है, सवाल चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए है, यह इसे कुछ

पोलिटिकल तरीके से अपनाना चाहते हैं, जिससे दिल्ली में लोगों में झगड़ा बन सके और मैं समझता हूं कि यह नहीं हो सकता है।

मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि यहां कुछ साथी हंस रहे हैं, वे जरा कृपा करके हंसे नहीं क्योंकि यह बहुत दर्द की बात है, अगर कलेजे की नहीं तो कम से कम दिखाने की जरूर है। अगर किसी मैम्बर का, मंत्री का या प्रधान मंत्री का या राष्ट्रपति का इतनी बड़ी दुर्घटना के साथ सम्बन्ध होता तो शायद यह हंसी की आवाज न निकलती। ये यतीम बच्चों, लावारिस बच्चों, जिनका कि कोई वारिस नहीं है, की तरह से मरे हैं।

मैं शासन के विरोध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि विरोधपक्ष शक्तिशाली नहीं है। अगर विरोध पक्ष में कोई शक्ति है तो उसको अपनी जिम्मेदारी को ओटना चाहिये, इस तरह से बच्चे पर जांय तो शासन को उखाड़ फैंकने की उन में शक्ति होनी चाहिये। मैं शासन के लोगों से भी कहूंगा—इस तरह से बच्चे यतीमों की तरह से मर जांय और शासन अपने ऊपर जिम्मेदारी न ले, मां होकर भी प्रधान मन्त्री इस्तीफा न दे और ज्ञानी जी, जो अपने नाम के आगे ज्ञानी शब्द लगाते हैं, उनको यह पता न हो कि देश के अन्दर बच्चों की हत्यायें होती हैं, चाहे कूटनीति से हों या किसी भी तरह से हों, तो उसे शासन के लिये उतराव और बदलाव लाजमी हो जाती है।

मैं चार बातें कहूंगा—जब कहीं कोई घटना घट जाती है, लोगों को मार दिया जाता है और पूछा जाय कि ऐसा क्यों हुआ, क्या अमन-चैन व्यवस्था खराब थी, तो कहते हैं डाकुओं ने डाका डाल दिया था, कातिल ने कत्ल कर दिया। मैं कहता हूं—ज्ञानी जी, नहीं मारेंगे, घर-मंत्री नहीं मारेंगे, अधान मंत्री नहीं मारेंगी, शिक्षा मन्त्री नहीं मारेंगे, विरोध के लोग नहीं मारेंगे, लेकिन सवाल है कि मरे क्यों ? वक्त की हुकूमत जिम्मेदार क्यों नहीं थी ? हरियाणा के बेशतर बच्चे मरे हैं, 10 साल की उम्र के बच्चे मरे हैं। काश, यह होता कि उन बच्चों में, उन 45 बच्चें में, लोक सभा के सदस्यों के बच्चे शामिल होते, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उनके बच्चे मरते और फिर यह पार्लियामेन्ट चलती, यह शासन चलता, तब मैं देखता कि कैसे चलती है! प्रधान मन्त्री का लड़का, घर-मन्त्री का लड़का या मन्त्रियों के पांच भी लड़के मरते, तब पता लगता कि देश के बच्चे मरे, लेकिन यहां तो यतीमखाने के बच्चे मरे हैं।

सदर साहब, यह वाक्या साढ़े-ग्यारह बजे का है और 2 बजे आकाशवाणी से इत्तिला हो गई थी, लेकिन आपके लोग कितने गिर चुके हैं कि लंच उड़ा रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि दिल्ली के अन्दर इस तरह से बच्चे मर गये हैं। यह साढ़े बारह बजे का वाक्या था, कमिश्नर कब पहुंचा ? वह कौन है जिसका आप जुलूस निकाला करते हैं, देश की कामयाब नारी है—किरण

देवी ? कोई पुलिस अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। कहते हैं बिजली फेल हो गई थी, लेकिन यहां गनीखां चौधरी बयान दे रहे थे कि बिजली बड़ी कामयाब है, उधर बच्चों की लाशें उठाई जा रही थी। सदर साहब, यह किसकी जिम्मेदारी है ? इसके लिये यह शासन दोषी है, पापी है, जिसके राज में इस तरीके से, यतीमों की तरह से बच्चों की हत्यायें होती हैं। उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी हमारी है, हम उनके वारिस हैं, अगर हम उस जिम्मेदारी से भागते हैं—हिन्दुस्तान की जनता कमजोर हो सकती है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ज्ञानी जी, भगवान के हाथ बहुत लम्बे हैं। आप ईश्वरवादी हैं। भगवान देख रहा है। गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है, इन बच्चों की चीखो-पुकार जाने वाली नहीं है।

क्या मजाक बना रखा है ? वहां लोगों की औरतों और लड़कियों के साथ क्या हुआ ? गुण्डों ने किया। मैंने कब कहा किया। मैंने कब कहा है कि शरीफों ने किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस की है ? अगर गुण्डे भी कोई गलत काम करते हैं तो उसकी जम्मेदारी भी हम पर आती है। गांधी जी राम राज्य की बात कहा करते थे—उस जमाने में अगर बाप के बेटे की मौत होती थी तो वह दरबार में चला जाता था और कहता था कि राम, तू पापी है, बाप की जिन्दगी में बेटा चला गया। जिस राज मे इस तरह से 45 बच्चे मर जांय, वह राज पापी है, उसका राजा पापी है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस तरह से बच्चे मरते जांय, उसके लिये तदबीरें सोचते जाना, अच्छी बात नहीं है। एक आदमी हो, दो आदमी हो, 10 आदमी हो, इससे कुछ बननेवाला नहीं है।

इसमें न्यायिक जांच का मतलब क्या रह गया है। किसके खिलाफ न्यायिक जांच कर रहे हैं। जिसके खिलाफ न्यायिक जांच कर रहे हो, यह स्पष्ट है, साफ है कि वह न्यायिक जांच शासन के खिलाफ है अगर यह राजनीतिक है, तो होनी चाहिए।

जिस राज्य के अन्दर ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। रेलों की दुर्घटना कोई केदार पांडे नहीं करते हैं लेकिन उनसे कहते हैं कि इस्तीफा दो। गोलियों से मारा जाए, तो कोई होम मिनिस्टर गोली नही चलाता और बीमारी में जो मरते हैं, तो कोई स्वास्थ्य मन्त्री जाकर नहीं मारता। मैं चाहूंगा कि इसकी आप जितना निन्दा कर सकें, उतनी तो आप करिये ही लेकिन मैं ज्ञानी जी से एक बात कहता हूं। मैं द्वेष से बात नहीं करता पर कुछ द्वेष भी है और इस वक्त एक जलन सी भी है लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर मैं घर मन्त्री बना होता, वैसे न मेरी औकात है और न 7 पीढ़ी बन सकता हूं तो अपने उसूलों की सोगन्ध खाकर कहता हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह घर मन्त्री होता, तो इस्तीफा दे देता और ऐसी पाप की गद्दी पर न बैठता। आप तो गुरुओं की वाणी को सुननेवाले हो, जो इस देश में सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों की शहादत पर देश में क्रान्ति लाए। मेरे कहने से कोई फर्क पड़े, अगर आपकी आत्मा जलती है, तो मुझे तकलीफ है, नहीं जलनी चाहिए और जले तो बेशक जले, उसमें मुझे आपति नहीं है।

आप लोग कहते हैं कि वोट के लिए यह है। ऐसे कहां वोट मिला करते हैं, कहां ऐसे वोट

मिलने लग गई। हमें न वोट की जरूरत है और न यह वोट का दरवार है और न वोट ऐसे मिलेगी। विरोधी पक्ष भी वोट पाने का हकदार नहीं है, वह विरोधी जो 50 आदमी भी एजोर्नमेंट मोशन के लिए जुटा सकता यह शासन बिल्कुक हत्यारा शासन है और विरोधी पक्ष बुजदिल और कायर है, जो हत्यारे शासन के खिलाफ कोई कदर नहीं उठा सकता और सिर ऊंचा करके नहीं लड़ सकता।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, पिछले आधे घंटे में प्राय: परस्परविरोधी भाषण सुनने को मिला है जिनमें दिल्ली की बल्कि समूचे देश के साथ हुई दुघर्टना पर ध्यान नहीं दिया गया है।

इस दुखद घटना से अतीत व्यथा तथा पीड़ा हुई है। यहां बैठे विपक्ष के लोगों ने इसके कारण दिये हैं। प्रैस ने भी बहुत से कारण दिये हैं और हम भी बहुत से कारण देने जा रहे हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि इससे उन लोगों के पाप धुल जायेगें जो कुतुब मीनार देखने जाने वाले बच्चों तथा पर्यटकों की अच्छी तरह देख भाल करने के लिए जिम्मेदार हैं।

बहुत सी अफवाहें फैलायी गयी थीं कुछ बिजली के फेल हो जाने की; कुछ पटाखों की। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कैसे कहा कि श्री मंडल तथा अन्य कल कुतुब मीनार गये थे। हम भी गये और हमें पता है कि कुतुब मीनार बन्द है। वे कैसे गये, मैं नहीं जानता; ऊपर से गये या किसी खिड़की से गये। यह भी ...** इसको पर्दाफाश किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य को बोलने का अच्छा तरीका आता है और वह बहुत से लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। परन्तु जब वह लोगों को **...से प्रभावित करते हैं तो उसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए।... (व्यवधान) मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें सभा को ** नहीं बताना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको अनुमति दी गयी थी। मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : कुतुब मीनार में घुसने की किसी को—अनुमति नहीं दी जाती।

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह शब्द असंसदीय है। अत: इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : उस शब्द को मैं वापिस लेने के लिए तैयार हूं। मैं कहूंगा कि जो बातें उन्होंने कहीं वे असत्य थीं तथा जो कुछ उन्होंने कहा ठीक नहीं था।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा.

7 दिसम्बर, 1981

मैं इस बात के ऊपर अड़ा नहीं रहना चाहता और बहुत सी बातें हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। यह बात गलत थी तथा सत्य के नजदीक कहीं नहीं थी। इसीलिए मैंने विपक्ष के लोगों के सामने इसका पर्दाफाश करना चाहा जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो इस बात पर बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, उनको मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सभा में कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो सत्य के नजदीक नहीं होती। जब हमें समाचार मिला तो मैं वहाँ गया था। मैं वहां पर छः घंटे तक रहा और मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहां थे। हम वहाँ सहायता करने के उद्देश्य से गये थे। जब यह दुखद घटना हुई थी तो ये कुछ प्रश्न उठे थे।

पहला प्रश्न यह है कि कुतुब मीनार का दरवाजा अन्दर को खुलता है। मैं चाहता हूं कि जांच अदालत इस बात को ध्यानमें रखे। कुतुब मीनार का दरवाजा अन्दर को खुलता है। इतने लोगों के अन्दर होते इसको बन्द क्यों किया गया था? यदि दरवाजा बाहर को खुलता तो भगदड़ से यह टूट जाता। इस दरवाजे को बन्द करने के लिए कौन जिम्मेदार था? यह बन्द क्यों किया गया था। इसको खुला क्यों नहीं रखा गया था। दरवाजा परिचालक उस समय कहां था जब बिजली गयी? उसने तुरन्त दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या दरवाजा कुछ शरारती इरादों से बन्द किया गया था? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि बच्चों के साथ छः अध्यापक थे। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी थी? अध्यापकों को बच्चों के साथ जाना चाहिये था। अध्यापक छः थे अध्यापक कहां थे भगदड़ तथा दरवाजे की तरफ भागदौड़ के समय वे क्या कर रहे थे? वे बच्चों के साथ थे या बाहर थे? वे क्या कर रहे थे? इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। छः उत्तर दायी अध्यापक बच्चों के साथ जा रहे थे और भगगड़ में एक भी अध्यापक नहीं मरा। बच्चे ही, थे जिनमें अधिकांश की मृत्यु हुई है। छः अध्यापक उनके साथ थे।

(व्यवधान)

नीगरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो श्री बाजपेयी ने अपने भाषण में कही वह यह है कि कुछ अन्य रिपोर्ट हैं जिन पर सचाई का पता लगाने के लिए सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। वे विदेशी लड़कियां कहां थी जिनकी छेड़छाड़ की गयी थी? उनके साथ क्या हुआ? वे दुर्घटना के समय कहाँ थी? और अब वे कहां हैं? क्या उनको जांच के लिए बुलाया गया है? यदि उनके कपड़े तथा सामान छीन लिया गया था तो वह सामान क्या है? तथा क्या यह सामान कुतुब पर ही पाया यया है?

श्री वाजपेयी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने विदेशी लड़की का छितरा पड़ा स्कर्ट देखा है। उन्होंने उन महिलाओं के अन्दर के वस्त्र भी देखे हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें यह कैसे मालूम पड़ा कि ये वस्त्र उन लड़कियों के ही थे तथा किसी अन्य के नहीं। वहां अन्य महिलायें भी थीं। एक लड़की सिंगापुर की भी थी जो मर गयी। यही मैं कहूंगा। एक बार आप एक

बात कहना चाहते हैं। आप नाटकीय ढंग से इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए। यह एक बड़ी दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि हमें इस दुखद घटना को गम्भीर रूप से लेना चाहिए। (व्यवधान)

मैं नहीं जानता। आप रिकार्ड देखें तो आपको ज्ञात होगा। ये सभी प्रश्न पूछे जाने हैं तथा इनमें से प्रत्येक का उत्तर दिया जाना है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस दुखद घटना को टाला जा सकता था। परन्तु एक बार दुर्घटना हो जाने पर यह बहुत ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। प्रश्न यह है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिनके बच्चे मारे गये हैं तथा जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी आदमी के लिए सबसे बड़ा नुकसान अपना बच्चा खो देना है। अब सारा गांव दुख में डूबा हुआ है कि एक ही गाँव से 27 बच्चे मारे गये हैं। सरकार ने उन माता पिताओं के लिए क्या किया है जिन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान जिन्दगियों को खो दिया है। इस विशेष अवसर पर मैं वहां था। मैंने कुछ कांग्रसजनों के साथ 6 घन्टे बिताये। केवल बच्चों के माता-पिता यह कहते हैं कि शव-परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कह सका। परन्तु उस समय जब इस तरह की बड़ी दुःखद घटना होती है तो ये सब बातें स्पष्ट ही हैं। केवल माता पिता चाहते हैं कि इस तरह की शव-परीक्षा नहीं की जानी चाहिए और बच्चों को उन्हें शीघ्र सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि वे उन्हें घर ले जाकर अपने धार्मिक कृत्यों के अनुसार उनका दाह संस्कार कर सकें या उन्हें दफना सकें।

मेरे विचार में यह समूची दुःखद घटना दिल्ली की जनता के लिए एक सबक भी है। यह अधिकारियों के लिए भी एक सबक है जिससे वे यह जान सकें कि दिल्ली में प्रशासन किस तरह चलाया जाये और हमारे देश, विशेषकर दिल्ली में इन पुराने स्मारकों की देखभाल करने वाले सम्बन्धित लोगों के लिए भी एक सबक है। हम लोगों को, जो सत्ता में हैं, यह विनीत बनाती हैं और हमें यह भी सिखाती है कि मानव जीवन के मूल्य विश्व की किसी भी वस्तु के मूल्य से अधिक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, हम यह चर्चा एक बड़ी दुःखद घटना के बारे में कर रहे हैं। यह एक ऐसी घटना है जो किसी प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है अपितु जो किसी अव्यवस्था के कारण या किसी की घोर असावधानी के कारण हुई है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें यह स्मरण कराया जाता है कि हमें इस मामले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। अपनी ओर से और अपने दल की ओर से बोलते हुए मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी बात मेरे मन में नहीं है। परन्तु किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, किसी को इसका जवाब देना होगा। और इस बात से कि मंत्री यहां चर्चा का आज उत्तर देंगे, यह स्पष्ट है कि वे जिम्मेदारी, कम से कम इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। पतः जब हम यह

कहते हैं कि प्रशासन ठप्प हो गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस मामले को राजनीतिक मामला बना रहे हैं। इसे समझा जाना चाहिए।

कुतुब मीनार इस देश की गौरवान्वित सम्पत्ति है। गत शुक्रवार को आश्चर्यपूर्ण संरचना, 20 वीं शताब्दी का विजय स्तम्भ एक बड़ी स्मारकीय घटना न होकर एक मृत्यु-स्थल बन गया है। उस दिन क्या हुआ ? इस दिन इसमें प्रवेश निःशुल्क होता है। यह तो मालूम ही है कि शीत ऋतु में विशेषरूप से परीक्षायें समाप्त होने के बाद वहां हमेशा भारी भीड़ हो जाती है। वहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं। परन्तु क्या वहां लोगों को नियंत्रित करने की अपनी इस छोटी सी ड्यूटी को करते हुए इस तरह की दुःखद घटना होनी चाहिए ? अपनी इस ड्यूटी को करते हुए क्या हमें इस तरह के कष्ट और व्यथा को सहना होगा ? इस बात का उत्तर दिया जाना होगा।

सभा को याद होगा कि हमने शोकसंतप्त परिवारों के सदस्यों को अपनी भावभीनी संवेदना व्यक्त कर दी है। हमने यह महसूस किया है कि इस तरह की दुःखद घटना हुई है जिसमें 45 व्यक्तियों की जिसमें अधिकांश बच्चे थे, मृत्यु हो गई और 25 घायाल हो गए—मुझे इस समय इसकी सही संख्या की जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री हमें इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक समय में केवल 100 व्यक्ति अन्दर जा सकते हैं तो कम से कम 300 व्यक्ति अन्दर थे जो वहां फंस गए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता या ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे समुचित न्यायिक जांच में किसी तरह की रूकावट आये। परन्तु जब हम चर्चा कर रहे हैं तब कतिपय बातों की जो इतनीं स्पष्ट और संकेतक हैं, जांच करनी होगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रोशनी गुल करने या बिजली की कटौती की बात आती है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर न्यायाधिकरण को निर्णय करना चाहिए। परन्तु क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जिम्मेदार लोगों द्वारा विवादास्पद ब्यौरा देने की कोशिश की जा रही है जिससे स्थिति बिगड़ जाएगी? माननीय गृह मंत्री ने उस वक्तव्य में ही, जिसमें उन्होंने न्यायिक जाँच कराने की घोषणा की थी, इस बात का प्रमाण दिया है कि अग्निशामक कर्मचारी पुलिस और अम्बुलेंस शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। परन्तु लोगों से हमें पता चला है कि वहाँ कौन थे और अखबारों से इस बात का पता चला है कि कम से कम वे एक घंटे तक वहाँ नहीं पहुंचे और वहां पर केवल एक पुलिस उप-निरीक्षक तथा एक सिपाही था जो कि बचाव कार्य में सहायता कर रहे थे। पर्यटक गाइड जैसी स्वयंसेवी एजेन्सियों तथा वहाँ कभी कभी आने वाले लोगों, दुकानदारों, दुकानों पर आने वाले लोगों, ग्राहकों को हमें हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए बड़ी सेवा की। दिल्ली में कुतुब मीनार जैसे स्थान में, जहाँ हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, प्रत्येक को इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है कि पुलिस, अग्निशामक कर्मचारियों और एम्बुलेंस को जो बचाव कार्य में विशेषज्ञ होते हैं इस स्थान पर पहुंचने में एक घंटा से अधिक का समय लग गया। भारत के गृह मंत्री इस

बात का प्रमाण देते हैं कि वे शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच गए। महोदय ये मामले न्यायिक जाँच के लिए हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। परन्तु, आखिरकार वह एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। भारत के गृह मंत्री के वक्तव्य का प्रभाव पड़ता ही है। मुझे पता नहीं था और आज श्री वाजपेयी के भाषण से मुझे मालूम हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिससे हमारे मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। यह धारणा पैदा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कि छात्रों में एकाएक अनुशासन हीनता के कारण ही यह दुःखद घटना हुई है ?

एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है कि कुछ महिला पर्यटकों, विशेष रूप से विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ की गयी। उन्होंने एक बयान दिया है। यह अखबारों में छपा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। क्या वह किसी भी उच्च पुलिस अधिकारी को दन्ड देंगे जिसने एक ऐसे मामले पर समाचार पत्रों में बयान जारी किए हैं जो कि एक न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन मामले पर इस तरह के बयान देने का साहस कैसे किया है जब कि भारत सरकार ने यह न्यायाधिकरण बनाया है ? कोशिश क्या की जा रही है ?

अतः हमारे विचार में निर्णय या समुचित और पूर्ण जांच में रुकावट डालने जैसी कोशिश की जा रही है। इस तरह की कोशिश शीघ्र रोकी जानी चाहिए। जब आपने एक न्यायाधिकरण का गठन किया है तो आप इसके बारे में निर्णय देना उस पर छोड़ दीजिए।

एक बात स्पष्ट है। चाहे जो कुछ कहा जाये कि क्या वहां एक चौकीदार था जो लड़कों को अन्दर जाने से रोकने का प्रयास कर रहा था या नहीं कर रहा था, एक पर्यटक स्थल के रूप में और एक ऐसे स्थान के रूप में जहां लोग नियमित रूप से जाते हैं, स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए उस दिन वहां पर लोग एकाएक नहीं आगए थे परन्तु मेरे विचार में ऐसा एक भी पर्यटक नहीं होता जो दिल्ली आया हो और कुतुब मीनार देखने न गया हो। फिर भी वहाँ पर लोगों को विनियमित ढंग से जाने का कम से कम क्या प्रबन्ध किया जाता है जब कि यह पता ही है कि इसमें 100 से अधिक व्यक्ति नहीं आ सकते हैं या कुछ समाचारपत्रों के अनुसार 150 या 180 से अधिक व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। यह कैसे हो सकता है ? क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है ? क्या यह किसी का काम नहीं है ? लोगों को अपने आपकी स्वयं देखभाल करनी है ?

फिर बिजली की कटौती और बिजली फेल हो जाने के बारे में विवादास्पद विवरण दिया जा रहा है। क्या 11.30 म० पू० बिजली फेल हो गयी ? क्या किसी के द्वारा स्विच बन्द करने से बिजली फेल हो गयी ? एक बात यह भी बतायी जाती है जो कि एक तरह से अफवाह है। यह बड़ी संगत है। एक ऐसे स्थान में, जहाँ बहुधा लोग जाते हैं, आपात रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे न्यायिक जांच पर प्रभाव पड़े। इस जैसे मामले में मैं समझता हूं कि न केवल पुलिस प्रशासन को अपितु राजनीतिक प्रशासन को कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपना कार्य कैसे करते हैं ? जब आपने सभा में आकर दुःखद घटना का जिक्र

किया तब कम से कम हमें इस तरह की जानकारी हुई। परन्तु किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही है। हम दुनियां में अपना मुंह कैसे दिखायें? श्री वाजपेयी के भाषण को इस बात ने मुझे प्रभावित किया है। हम शेष विश्व को अपना मुंह कैसे दिखायें—भारत के राजधानी शहर में हम अपने उन छोटे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते जो छुट्टियों में भारत के नए-नए स्थानों को देखने के लिए आए हैं? मामले का सार यही है। वे सभी नए-नए स्थानों को देखने के लिए निकले थे। वे अपने स्कूलों से आए थे। वे दिल्ली आये और वे ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों—आगरा, जयपुर आदि स्थानों को जायेंगे और वे या तो उन समाज विरोधी तत्वों, जो अन्दर कुछ महिलाओं के पीछे लगे थे, की दया पर या गुण्डों की दया पर है। वे प्रशासनिक तंत्र का पूर्ण असफलता की दया पर है। उन्हें स्वयं अपनी देखभाल करनी है। महोदय मैं श्री टाईटलर के गम्भीर भाव को समझता हूं विशेष-रूप से उस समय जब कि वह देश के इस भाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परन्तु यह कहने का क्या लाभ है कि अध्यापकों का क्या हुआ। यह कोई उत्तर नहीं है।

अतः इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना बड़ा हो, बचाने की कोशिश न करो। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जब तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दिया जाये तब तक किसी भी अधिकारी या मंत्री को भी इस मामले पर ऐसी बातें कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान वास्तविक बात से हट जाए।

महोदय, आज के समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि कल जब न्यायाधीश उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए गए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक भी कर्मचारी वहां नहीं था। क्या इससे उनके अक्खड़पन का पता चलता है अथवा क्या उनकी ओर से एक और असाव-धानी बरती गयी है? महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय अपना काम नहीं कर रहा है तब मैं मामले को राजनैतिक नहीं बना रहा हूं। शिक्षा मंत्री को इस बात का उत्तर देना होगा कि उनके कार्यभार में विभाग की उदासीनतापूर्ण प्रतिक्रिया क्यों रही अन्यथा आप लोगों से यह आशा कैसे करेंगे कि उनका जांच में विश्वास हो।

महोदय, मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अनेक परिवारों के चिराग बुझ गये हैं। भविष्य में किसी भी घर में इस प्रकार चिराग न बूझे।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस दुखान्त पर चर्चा हो रही है उससे निश्चय ही सारे सदन को और देश को गहरा आघात पहुंचा है। कुतुब मीनार इस देश का नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी एक पर्यटन का आकर्षण केन्द्र रहा है। पिछले 700, 750 वर्षों से लाखों लोग इस स्थान पर आते रहे हैं और इस दर्शनीय स्थान को देखकर आनन्दित होते रहे हैं। शुक्रवार का दिन इस देश के पर्यटन के इतिहास में एक काला दिन था जिस दिन 45 लोगों की, जिसमें अधिकांश बच्चे थे उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। कई घरों का चिराग बुझ गया,

कई माताओं की कोख खाली हो गई। इस पर इस देश को और हम सबको गहरा शोक है। यह सही है कि यदि सावधानी बरती गई होती, अगर शुरू से कुतुब मीनार जैसे पर्यटन स्थान के रख-रखाव के बारे में व्यवस्थित ढंग से काम हुआ होता तो शायद यह घटना नहीं होती। पर दोष किसका है ? खाली होम मिनिस्टर को या शिक्षा मंत्री को दोष देने से काम नहीं चलेगा।

दिल्ली में अनेक दलों की मेट्रोपालिटन कांसिल और कार्पोरेशन बनती आई हैं और पिछले कुछ सालों में केन्द्र में भी एक दूसरे दल की सरकार थी। उस जमाने में भी, जो व्यवस्था पहले से चालू थी, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं किया गया। असल में सही बात तो यह है कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब जबकि घटना घट गई यह दुर्भाग्य की बात है ; अगर यह न घटी होती, तो इस देश के लिए अच्छा होता—, तब हम अक्लमंद बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह मौका है इस घटना से कुछ सबक लेने का।

मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया या शिक्षा मंत्री का क्या बयान है। यह भी एक विवाद का विषय है कि दुर्घटना कैसे घटी। कुछ लोग अखबारों की जानकारी के आधार पर कहते हैं कि किसी ने कह दिया कि कुतुब गिर रहा है, इस पर भगदड़ शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने किसी विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की और उससे भगदड़ मच गई। कुछ लोग कहते हैं कि बिजली गुल करदी गई, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बिजली का फेल्युर था। इस तरह की अनेक बातें समाचारपत्रों और लोगों के बयानों से सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस बहुत देर से पहुंची। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस समय से पहुंच गई।

यदि इन सारे विषयों पर आज हम इस सदन में चर्चा करें, या किसी को दोषी या निर्दोष प्रमाणित करने की कोशिश करें, तो बेकार है। इन सब बातों की जांच तो कमीशन करेगा और सरकार ने इस काम के लिए एनक्वायरी कमीशन नियुक्त कर के ठीक ही किया है। एनक्यारी कमीशन को इन सारे मुद्दों में जाना होगा और फैसला करना होगा कि क्यों यह गड़बड़ हुई, बिजली कब चली गई थी, या बिजली बुझा दी गई थी, अगर इमरजैन्सी लाइट्स नहीं थी, तो क्यों नहीं थी, क्या इस बारे में कोई कोई आर्डज थे, अगर नहीं थे, तो क्यों नहीं थे। उसको पुलिस के देर से पहुंचने या जल्दी पहुंचने के सवाल पर भी निर्णय करना होगा। एम्बुलेंस गाड़ी देर से पहुंची, एक सब-इंसपैक्टर पहुंचा, दो सब-इन्सपैक्टर पहुंचे, महरौली के थानेदार साहब, इनचार्ज साहब, कहां थे, इन सब सवालात पर एनक्वायरी कमीशन को निर्णय लेना होगा।

मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं कि एनक्वायरी कमीशन के फाइंडिंग्ज के अनुसार जो कोई व्यक्ति दोषी हो, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, सरकार को उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम तो आज गृह मंत्री से एक ही एशोरेंस चाहते हैं कि दोषी व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके साथ कानूनी सुलूक के अलावा, सख्त कानूनी कार्यवाही के अलावा कोई नर्मी का

सुलूक नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन हम उनसे चाहते हैं। एनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल किया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से एनक्वायरी कमीशन बनते हैं और अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट खत्ते में धूल चाटती रहती है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : नहीं। इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री रेड्डी के आश्वासन से मैं आश्वस्त नही हूंगा। सदन और देश उनके आश्वासन से आश्वस्त नहीं होगा। इसके लिए आश्वस्त करना पड़ेगा गृह मंत्री को।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : वह आश्वासन नहीं दे रहे हैं, वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : वह अच्छी बात कह रहे हैं, मेरी बात की ताईद कर रहे हैं।

इस दुखांत घटना में हम राजनीति न लाएं, तो ज्यादा अच्छा है। चुनाव नहीं हुए, कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए तो और भी मौके हैं। अनेक मौके आते हैं। गम्भीर लोगों को गम्भीर मौकों पर गम्भीर और जिम्मेदारी के साथ बातें करनी चाहिए, यह मेरी मान्यता है। मैं तो इस मौके पर इतना ही कहूंगा, जो कुछ हुआ वह एक दुख की घटना है। यह सदन, यह देश उन लोगों के लिए जिनके घर में क्षति हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है।

एक बात और कहना चाहूंगा। यह तो सही है, वाजपेयी जी ने ठीक कहा, जीवन का मूल्य पांच हजार और दस हजार रुपयों से नही आंका जा सकता, लेकिन जो सहायता एनाउन्स की गई है वह बहुत नाकाफी है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी को और थोड़ा बेनिवोलेंट हो कर निभाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके घर में शायद एक ही बच्चा हो, कमाने वाला भी कोई न हो, ऐसे लोगों को पांच हजार रुपये की सहायता नितान्त थोड़ी है। मैं गृह मंत्री जी से और सरकार से चाहूंगा कि इंडिविडुअल केसेस को देखकर खुले दिल से इसमें सहायता करनी चाहिए और साथ ही मैं एन्क्यायरी कमीशन के लिए भी कहूंगा कि जो समय दिया गया है रिपोर्ट को पूरा करने का उसके अंदर रिपोर्ट पूरी करके देनी चाहिए। अक्सर एन्क्वायरी कमीशन का समय बढ़ता जाता है और तब तक उसका मतलब खत्म हो जाता है। यह मेरा दूसरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मौके पर गहरी समवेदना प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी आंखों में आंसुओं के साथ यह चर्चा चल रही है। अतः मेरा कहना है कि चर्चा में कोई बाहरी बातें लाकर सभा का वातावरण न बिगाड़ें। इस देश की जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हमें उन बच्चों के माता पिता को धैर्य बंधाना है जिनकी मृत्यु कुतुब में दुःखद घटना में हो गई है। एक न्यायिक जांच के लिए पहले ही आदेश दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : न तो इस पक्ष से और न ही उस पक्ष से किसी ने इस बात का उल्लंघन नहीं किया है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वाक्या जुमा को हुआ है उसके अफसोस के इजहार के लिए अल्फाज मुमकिन नहीं हैं। जिस तरीके से सारी संस्थाओं ने, सारी पार्टियों ने और हिन्दुस्तान के सब लोगों ने इसका शोक मनाया है मैं समझता हूं वह हमारी तहजीब के मुताबिक है। लेकिन इस सदन में, इस ऐवान में जब चर्चा के लिए यह मसला आया है तो उसमें फिर यह बात कहना कि सियासी रंग दिया जा रहा है या सियासी बात कही जा रही है, या पार्टी को बात कही जा रही है बिलकुल मुनासिब नहीं है। यहां पर किसी का भी मकसद किसी पार्टी को, किसी सरकार को या किसी दूसरे को इस वजह से जिम्मेदार ठहराना नही है कि वह किसी खास पार्टी से ताल्लुक रखता है बल्कि इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक कन्ट्री में रहते हैं। मैं नहीं जानता उस तरफ के लोग इस पर यकीन रखते हैं या नहीं लेकिन मैं यकीन रखता हूं। मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि जब बेलची का वाक्या हुआ था (तब हम उस तरफ बैठे हुए थे) तब की डिवेट्स को आप उठाकर देख लीजिए, हमने अपनी सरकार की आलोचना करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। लिहाजा अगर इधर बैठे हुए लोग सरकार की फेल्योर लिये उसकी आलोचना करें और यह कहें कि जिन लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं उनके बचाने में यह सरकार नाकाम रही तो इसमें कौनसा सियासी रंग देकर फायदा उठाना चाहते हैं—यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मेरे दोस्त ने जो बात बताई, बहुत अच्छा किया उन्होंने मदद की, बहुत से लोग वहां पर पहुचे लेकिन यह कह देना कि हमने क्या किया—यह उनके लिए मुनासिब नहीं था। जिस तरीके से आप वहां पर पहुंचे उसी तरीके से हम भी अस्पताल में पहुंचे, हमने लोगों से हमदर्दी के अल्फाज कहे और जो भी मदद हम कर सकते थे वह अपनी तरफ से हमने करने की कोशिश की। आप सायद अखबार पढ़ते हों या नहीं लेकिन एक अखबार में यह बात आई है कि आपके एक बहुत बड़े नेता कुतुब मीनार पर पहुँचे, जो शायद आपकी पार्टी में दूसरे नम्बर की पोजीशन रखते हैं, उन्होंने वहां पर सिपाही, चौकीदार जो वहां का था, उसके साथ हंसते हुए फोटो खिचवाई—यह आपकी हमदर्दी का इजहार था। (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उनका नाम बतला दीजिए।

श्री रशीद मसूद : नाम सभी जानते हैं। पार्टी में दूसरी पोजीशन कौन रखता है—यह सभी जानते हैं। (व्यवधान) नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। (व्यवधान) आप नाम पूछना ही चाहते हैं तो नाम राजीव गांधी है। आप पूछिए नाम। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : आप अखबार उठाकर देख सकते हैं। (व्यवधान) मैं अखबार पेश कर सकता हूं अगर इसमें राजनीति नहीं लानी थी तो आपको भी वैसी बात यहां पर नहीं कहनी थी। अगर आप जायज आलोचना को भी बन्द करना चाहते हैं तब इस डिस्कशन का क्या मतलब

होगा ? अगर यह सारी चीजें गलत हैं तो फिर यही होना चाहिए था कि एक शोक प्रस्ताव पास कर दिया जाता और उसके अलावा कुछ नहीं। इस आलोचना का मकसद यह नहीं है कि हम सरकार से कह दें कि इस्तीफा दे दो बल्कि जो घटना बच सकती थी, जिसको बचाने में यह सरकार फेल हुई है उसकी जिम्मेदारी यह सरकार कबूल करे और आइन्दा के लिए ऐसे एमदामात उठाए जिनसे कि ऐसी घटनायें दोबारा न हों।

यहां पर गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया और उसके बाद एक बयान कार्पोरेशन की तरफ से आया। यह कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे मुतवातिर वाकयात हो चुके हैं कि इस हाउस में एक मिनिस्टर ने एक बयान दिया है और दूसरे मिनिस्टर ने दूसरा बयान दिया है। इसलिए जब इनमें आपस में कोई इत्तहाद नहीं है, कोई बाहमी ताल्लुक नहीं हैं काम करने में तो उसकी वजह से सारे हादसात होते हैं। अब मैं और ज्यादा वक्त न लेकर दो-चार सवाल पूछना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि जब 15 अगस्त के वाकए का जिक्र अखबारों में आ चुका था—हो सकता है पुलिस में उसकी रिपोर्ट न हुई हो—उसके बाद कोई एहतियाती तदाबीज करनी चाहिए थी तो क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन्स आपने दीं जिनसे कि 15 अगस्त को छोटे पैमाने पर जो बात हुई थी वह दोबारा न होने पायें ?

दूसरा सवाल मैं सरकार से यह करना चाहता हूं कि यह बात सभी को मालूम है कि हर जुम्मे को वहां पर फ्री हो जाता है इसलिए ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, और दिन जब 60 आदमियों को ऊपर जाने की इजाजत रहती है तो जुम्मे के दिन 150 आदमियों तक को ऊपर जाने की इजाजत रहती है और उस दिन स्टाफ भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब यहां पर आजकल नुमायश चल रही थी दिल्ली में और हिन्दुस्तान के कोने-कोने से नुमायश देखने के लिए लोग आ रहे थे तो कुररती बात थी कि वे लोग यहां के अहम मराकिज देखने के लिए जायें—जैसे कि यहां पर जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, महात्मा गांधी (बापू) की समाधि है और दूसरी ऐसी जगहें हैं जहां पर सभी लोग जाते तो क्या ऐसे हालात के पेशे नजर कोई ज्यादा इन्तजाम पुलिस का किया गया और अगर किया गया तो कितने लोग वहां ड्यूटी पर मौजूद थे ? और अगर मौजूद नहीं थे, तो क्यों नहीं थे ?

तीसरी बात यह है कि आपका यह कह देना कि पुलिस वहां पर फौरन पहुंच गई यह हमारे होम मिनिस्टर ने किस आधार पर बात कही है क्योंकि तमाम लोगों का इस बारे में इत्तफाक है कि पुलिस वहां पर तब पहुंची जब लोगों को वहां से हटा दिया गया था।

मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान के इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे पर होने के बावजूद भी, दो-ढाई घण्टे के वाकयात के बाद यहां पार्लियामेंट में, एवान में हमारे होम मिनिस्टर साहब एक बयान लेकर आते हैं, जिसका कि सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है।

मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, सिर्फ दो बातें कहूंगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम एक तरफ ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर, संगीन मसले पर इन्क्वायरी कर रहे हैं, तो यह लाजमी था कि हम उसकी एन्स्वायरी के लिये सीटिंग जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होता। इसलिए इस बारे में बहुत जल्दबाजी की गई है। बहुत सी जगहों पर बहुत से मामलों पर और जैसी कि ब्यानतबाजी अखबारों में हो रही है, मुखतलिफ हकूमत के विंग से मुख्तलिफ बयानात हो रहे हैं, उनको देखकर मुझे अफसोस यह होता है कि इन्क्वायरी से ज्यादा कोई बात होने वाली नहीं है।

तीसरी बात, मैं अपने उधर के साथियों से अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत सी बातें वे सही कहते हों, गलत न कहते हों, लेकिन यह सोचना कि हम सब बात गलत कहते हैं, यह बड़ी गलत बात है।···(व्यवधान)···यह बहुत सीरीयस मामला है। मैं तीन दफे एवान में चैलेंज कर चुका हूं, जब यहां पर इल्जाम लगाए गए, तो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वह उसको कबूल कर लें कि हम इस्तीफा देंगे या वे इस्तीफा देंगे। आज वाजपेयी जी ने चैलेंज किया है कि उनकी कमेटी वहाँ पर गई थी और वे कह रहे हैं कि नहीं गई थी। अगर हम आपस में एवान के लोगों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे और एक दूसरे को बेईमान और झूठ कहेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह परम्परा के खिलाफ है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : झूठ शब्द इस्तेमाल नहीं किया है।

श्री रशीद मसूद : झूठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप यहां पर नहीं थे···(व्यवधान)···इसलिए यह वाक्या ऐसा नहीं हैं कि हम आपस में कोई रुलिंग पार्टी या अपोजीशन को लें, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि आइन्दा ऐसा कोई वाक्या न हो। जिनके बच्चे मर गए हैं, उनके घर वालों को जाकर तसल्ली देनी चाहिए और उसकी तरफ भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : डिपटी स्पीकर साहब, तीन दिन पहले राजधानी दिल्ली में निःसन्देह एक बहुत ही दर्दनाक वाक्या पेश आया और उसके लिए आज वाजपेयी जी ने और हमारे दूसरे दोस्तों ने यहां पर यह बहस जारी की है।

असल में उसी रोज वाक्या के फौरन बाद होम मिनिस्टर के बयान के बाद इस सदन को और दूसरे सदन को स्थगित हो जाना और शोक प्रस्ताव पास करना इस बात का द्योतक है कि पार्लियामेंट के दोनों एवान के मेम्बरों ने बहुत तकलीफ मानी है और उस हादसे की जो बदकिस्मती से अचानक पेश हुआ है और वह भी इसलिए कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल और कालेज के बच्चे, जो कि हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार को देखने आए थे, उसी जगह पर यह

हादसा पेश आया। इस लिए बहुत तकलीफ की बात मुझे भी है और यह ऐसा वाक्या है जिसमें 45-46 बच्चों का निधन हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक है। हमारे अपोजीशन के तमाम नेता लोगों ने उस तरफ आज ध्यान आकर्षित किया है और गालिबन इस मकसद से इसका फायदा उठाकर के इस वाक्ये से जो क्षति पहुची है, आईन्दा ऐसे कदम उठाये जायें कि यह वाक्या दोबारा न होने पाए, इस जगह या किसी और जगह पर।

बार-बार इस बात का जिक्र किया गया है कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि सियासत के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं कही गई है। श्री बागड़ी जी चले गए, उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया है और उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। जिक्र कर रहे थे, कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, हकूमत को इस्तीफा देना चाहिए और वाजपेयी जी ने भी भाषण शुरू करते वक्त एक बात कही थी कि इसकी जिम्मेदारी किसी पर डालनी चाहिए तो वह हकूमत है। मेरा ऐसा खयाल है कि इस वाक्ये को डिसकस करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी कि यह वाक्या क्यों पेश आया और इस वाक्ये के पेश न होने के आइन्दा क्या कदम उठाये जायें।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : अब 5.30 बजे हैं। मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री बी० वी० देसाई, जिनके नाम मैं आज आधे घन्टे की चर्चा कार्य सूची में दर्ज है, उपस्थित नहीं हैं। अतः कुतुब की दुःखद घटना पर चर्चा 5.30 बजे के बाद भी जारी रहेगी।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सदस्य की रिहाई

(श्री फूलचन्द वर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि अध्यक्ष को अधीक्षक, जिला जेल, इन्दौर (मध्य प्रदेश) का दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 का निम्नलिखित आशय का वेतार सन्देश आज प्राप्त हुआ है :—

"सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट सावेर के आदेश से एक संसद सदस्य श्री फूलचन्द वर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के एक सौ छत्तीस आन्दोलनकारियों को आज दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 को जेल से रिहा किया गया।"

---

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अन्य अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री भीकूराम जैन ।

श्री भीकूराम जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस दुखद वाक्ये का जिक्र करते हुए वाजपेयी जी और हमारे दूसरे दोस्तों ने, मुखालिफ पार्टियों के दोस्तों ने, अभी तक यह नहीं बतलाया कि अगर इस किस्म का वाक्या आइन्दा हो तो क्या कार्यवाही करनी चाहिये, सिवाय इसके कि गवर्नमेन्ट ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है, गवर्नमेन्ट को इस्तीफा दे देना चाहिये । वाजपेयी जी ने नैतिकता का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बतलाया कि उन 28 महीनों में उन्होंने नैतिकता का क्या सुबूत दिया था ? उस जमाने में भी इस तरह के वाक्यात हुए थे···आप चाहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा···(व्यवधान)·····आप कहते हैं एक दफा···

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी अवसरों को दर्ज करने का यह समय नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौनसा वाक्या है, बतला दो ?

श्री भीकूराम जैन : राजदा जी कह रहे थे । आप 28 महीने यहाँ रहे, आप किस नैतिकता की बात करते हैं ? अगर आपने कोई नैतिकता दिखाई होती तो इस बात को कहने का अधिकार था कि हमने बड़ी बहादुरी से फलाँ काम किया था । दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने ऊपर उसको घटाना मुश्किल होता है···

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : मैंने कहा था—एक भी बतला दीजिये ?

···(व्यवधान)···

श्री भीकूराम जैन : दिल्ली के अन्दर जो बिल्ला-रंगा का केस हुआ था वह आपके जमाने में हुआ था । यह इतना ग्रू-सम मर्डर था जिसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आपके होम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया था,

···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : बाहरी बातें न लाइये ।

श्री आर० एन० राकेश : इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रधानमंत्री दिखलाई नहीं दे रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा । कृपया बैठ जाइए ।

श्री भीकूराम जैन : हमारे माननीय दोस्त कहते हैं कि इन्होंने आलोचना की थी और वे

इस बात से प्रसन्न हैं जैसे आलोचना करना प्रसन्नता की बात है, उनके होम मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। इनकी यह यार्डस्टिक मेरी समझ में नहीं आई, आज जब हम भी आलोचना कर रहे हैं तो इससे आपको सन्तोष क्यों नहीं है? इस घटना का जितना दुख आपको है, उतना ही दुख हम को भी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुरानी विषय पर बात क्यों करते हैं ? इस विषय पर आइए। घटना की ही बात करें।

श्री भीकूराम जैन : मेरे मुअज्जिज दोस्त रशीद मसूद साहब ने कहा कि इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी···(व्यवधान)····

यह बड़ी हाइपोथेटिकल बात है, फिर भी उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कैसे बचाई जा सकती थी···

श्री रशीद मसूद : मैंने बतलाया है···(व्यवधान)···

श्री भीकूराम जैन : हमारे वाजपेयी जी ने तीन बातें कहीं थीं— बिजली चली गई, बिजली बुझा दी गई जिसके कारण यह वाक्या हुआ, जान-बूझकर बुझा दी गई या अपने आप चली गई, किसी को मालूम नहीं है। एक वाक्या यह बतलाया कि किसी विदेशी महिला के साथ वहां ऊपर छेड़-छाड़ या दुर्व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने कहीं यह नहीं बतलाया कि किसी जगह पर कोई रिपोर्ट दर्ज हुई कि इस किस्म का वाक्या हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी समाचार पत्रों की खबरें हैं।

एक माननीय सदस्य : अखबारों में ऐसा आया है।

श्री भीकूराम जैन : अखबारों की बात आप करते हैं। क्या यह बात सही है। किसी एक अखबार में यह जिक्र आया कि उस महिला ने बयान दिया है, तो क्या यह बात सार्थक हो सकती है। एक छोटी-सी स्टोरी के साथ जो इम्पलीकेशंस हैं, उनको आप जरा अण्डरस्टैंड कीजिए। अगर एक विदेशी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ और यह बात सही न होने के बावजूद विदेशी अखबारों में निकल जाए, तो इससे हमारी कितनी इज्जत या बेइज्जती होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 'विदेशी' शब्द का इस्तेमाल करने के बाद हमारी किस किस्म की दुर्गति बनती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यह वाक्या दिल्ली में हुआ है लेकिन मैं इस बात पर हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सैकड़ों वर्षों से कुतुब मीनार पर लोग जाते हैं इसी प्रका

से और किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई, यह सत्य है और यह भी सत्य है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि इस वाकये को पॉलिटिकल न बनाया जाए। बहुत से लोगों ने और उनके चार-पाँच नेताओं ने यह कहा है कि इसको पोलीकेलाइज नहीं करना चाहिए लेकिन जिक्र आया सारा पॉलेटिकल और यह कहा गया कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्या सरकार के इस्तीफा देने से आपका कुछ भला हो सकता है। वह होने वाला नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश का भला होगा।

श्री भीकूराम जैन : देश का भला होने वाला है, यह आपकी विशफुल थिंकिंग है, यह खामख्याली है। इस्तीफा देने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और मेरे अन्दाजे में यह आपका एक सपना है। इस किस्म की दुर्घटना पर इस्तीफा मांगने की जो आप बात कर रहे हैं, वह सही नहीं है।

जिक्र आया इलैक्शन का और यह कहा गया कि दिल्ली में इलैक्शन क्यों नहीं कराया गया है। दिल्ली में मेट्रोपोलिटन कौंसिल या म्यूनिसिपल कार्पोरेशन होती, तो उससे सुधार होता। वाजपेयी जी, यह आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि पिछले 10 वर्षों से आपकी पार्टी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में बरसरे-इक्तदार थी। उन्होंने उस वक्त इस बात को नहीं सोचा। आपकी पार्टी मेट्रोपोलिटन कौंसिल में भी रही है और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में भी रही है। उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था। अब आप हम पर ब्लेम लगाना चाहते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं। मेरी यह गुजारिश है कि यह एक मियर एक्सीडेंट है और इसको पॉलीटिकेलाइज करके, सरकार पर आक्षेप करके कि आइन्दा के लिए कोई कोशिश न हो इस बात के लिए, जो इस बात के लिए रुकावट डालना चाहते हैं, वह शायद सही बात नहीं है। यह बिल्कुल सही है और मैं दिल्ली में इस बात को देखता हूं कि जब कभी स्कूल और कालेज के बच्चे कहीं जाते हैं, तो चाहे सिपाही खड़ा हो, थानेदार खड़ा हो, लीडर खड़ा हो और वाजपेयी आप खड़े हों या मैं खड़ा हूं वे किसी की सुनते नहीं हैं। यह जो स्टेटमेंट है कि ऊपर जाने के लिए उतावलापन नहीं था यह मेरी राय में सही नहीं है। रोज ऐसे वाकयात होते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो सारा जेहाद बनाया है, यह सही नहीं है। आपको इस चीज को ठीक करने के लिए कुछ सुझाव देने चाहिए थे कि किस प्रकार इस तरह की घटनाओं को आयन्दा रोका जा सकता है। ये सुझाव मेरी समझ में अभी तक आपके पास से नहीं आए और न किसी और ने दिए हैं। किसी ने कहा है कि कमीशन पर इस बात को छोड़ना चाहिए और जो सुझाव कमीशन दे, जैसा उधर से पांडे जी का सुझाव आया था, इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उनको माना जाए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि आयन्दा ऐसा न हो।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

7 दिसम्बर, 1981

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आज चर्चा का विषय कुछ ऐसा है जो कि दलगत सीमाओं से बाहर है। और मेरे विचार में दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत होंगे और उन्होंने मानदण्डों को बनाए रखा है और इसी भावना से मैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विचार व्यक्त करना चाहत हूं तथा कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि इस तरह की दुःखद घटनायें भविष्य में न हो सकें।

जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, खुशी और रोष के ऐसे क्षण आये हैं जिनमें सभा के दोनों पक्षों ने साथ न दिया हो। परन्तु मैं साहस के साथ कहता हूं कि दुःख और कष्ट के क्षणों में सभा के दोनों पक्षों ने सदैव साथ दिया है और उसका प्रमाण हमें आज देखने को मिला है। हो सकता है कि किसी ने एक पहलू पर जोर दिया हो और दूसरे ने किसी दूसरे पहलू पर जोर दिया हो। परन्तु कुतुब मीनार में जो घटना हुई है उसके लिए इस सभा के दोनों पक्षों ने समान रूप से चिन्ता व्यक्त की है। यदि आप कुतुब के इतिहास का अवलोकन करें तो आप पायेंगे कि 1893 से ही कुतुबमीनार कुतुबुद्दीन के एक विजयस्तम्भ के रूप में रहा है जबकि उन्होंने इस शहर का कार्यभार संभाला था। आज इस शानदार स्मारक की ख्याति समाप्त हो गयी है और हम देखते हैं कि बेगुनाहों की मृत्यु से वास्तव में इस स्मारक की ख्याति धूमिल पड़ गयी है और दुर्घटना का यह पहलू इस सभा के प्रत्येक सदस्य के हृदय को छुए बिना नहीं रह सकता। मैं एक बात के बारे में इस सभा और विशेषरूप से गृह मंत्री को चेतावनी दूंगा।

जब कभी इस प्रकार की दुर्घटनायें घटती हैं तब सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग पर उसकी जिम्मेदारी थोपने का प्रयास करता है। इस घटना में गृह मंत्रालय मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मैं मंत्री जी को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी को भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर न थोपने पाये। सरकार के किसी भी विभाग द्वारा यह सबसे सरल कार्य किया जा रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है कि जब कभी बाढ़ के कारण ऐसी दुर्घटनायें घटती हैं तो रेल मंत्रालय यह कहेगा कि मार्ग सुरक्षित है किन्तु इसके लिए नदियों में बाढ़ के नियंत्रण से संबंधित राज्य तंत्र जिम्मेदार है। राज्य सरकार के अधिकारी यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि उनकी ओर से सब कुछ ठीक था और रेलवे में ही कुछ गड़बड़ है और इसीलिए दुर्घटना हुई। एक विभाग की जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालने की सरकारी विभागों की एक आम प्रकृति बन गई है। मैं चाहता हूं कि किसी भी विभाग को दूसरे विभाग पर दोष मढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय को भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर अपनी जिम्मेदारी मढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है, गृह मंत्री वक्तव्य दे चुके हैं। मैं उस वक्तव्य को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहता। मैं उनके वक्तव्य में जो एक कमी है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरे पैरा में कहा गया है :

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

"जब बिजली के अचानक फेल हो जाने के कारण कुतुब मीनार के अन्दर भगदड़ मच गई और गड़बड़ पैदा हुई तब बहुत से लोग, जिनमें देश के विभिन्न भागों से आए थे; छात्र भी शामिल थे, कुतुब मीनार के अन्दर थे।"

बाद में मरे हुए लोगों की संख्या देते हुए उन्होंने मृतकों की सही संख्या बताई। पर पर्यटकों के विषय में उन्होंने केवल इतना-भर कह दिया कि वहाँ अनेक पर्यटक थे। इस जांच के विषय में यह जान लेना जरूरी है कि जिस समय यह दुर्घटना घटी और भगदड़ मची उस समय वस्तुतः कुतुब मीनार के अन्दर कितने व्यक्ति थे। यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोक सभा सदस्यों की संख्या से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभा में भगदड़ नहीं मचाते। पर कुतुब मीनार के अन्दर यदि किसी अधिकतम संख्या से अधिक लोग घुस जाते हैं तो वह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फुट से अधिक है और प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई 4 फुट से लेकर 3 फुट 10 इंच है। मैं कई बार कुतुब गया हूं। मैंने पाया कि सीढ़ियाँ घिस चुकी हैं। सीढ़ियाँ उतरते समय बड़े ध्यान से पैर रखना पड़ता है। यदि आप सीधे पैर रखेंगे तो आप गिर सकते हैं? ऐसी दशा में यदि एक अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में लोग इसके अन्दर चले जाते हैं तो यह आमतौर पर एक खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह माना है कि वहाँ बिजली चली गई थी। अब इस पर विवाद पैदा हो गया है। उनके वक्तव्य के बाद यह विवाद पैदा हो गया कि वास्तव में बिजली चली गई थी या उस बिजली के खम्भे के साथ कोई गाड़ी टकरा गई थी जिससे कुतुब मीनार के अन्दर तारें गई हैं। जिसके कारण बिजली चली गई। यह स्थिति है और यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने वक्तव्य में उन्हें यह बताना चाहिए था कि कुतुब मीनार के भीतर कितने व्यक्ति थे। उनका कहना है कि उनके पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है। इसलिए वह इसका जवाब नहीं दे पाए। पर कितने व्यक्ति कुतुब मीनार के अन्दर गये यह जानना एक अहम बात है। भगदड़ मची। जब भगदड़ मचती है तो हर व्यक्ति जो दरवाजा मिले उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा।

दुर्भाग्य से समाचारपत्रों से और जिन लोगों से हमने मौके पर बात की उससे यह पता चलता है कि जब भगदड़ मची और सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो उन्हें दरवाजा बन्द मिला। इसके परिणामस्वरूप कई लोग अन्दर ही फंसे रह गए। यह कैसी बात है कि जब दर्शक मीनार के भीतर थे तो चौकीदार ने वास्तव में दरवाजा बन्द कर दिया था। यदि दरवाजा बन्द न होता तो सम्भवतः बहुत से बच्चे लुढ़कते हुए बाहर आ जाते क्योंकि वे बहुत ही आतंकित अवस्था में बाहर आ रहे थे। वे पानी-पानी चिल्ला रहे थे। उनमें से कई पानी न मिलने के कारण मर गए। इसके कारण इस त्रासदी ने और उग्ररूप धारण कर लिया। अतः मैं गृहमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जैसा कि प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है लोगों के कुतुब के अन्दर जाने के कुछ देर बाद चौकीदार ने दरवाजा बन्द कर दिया था और जब सभी छात्र और बच्चे बाहर वापस आ रहे थे तब दरवाजा बन्द होने के कारण वे बाहर नहीं आ सके?

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

7 दिसम्बर, 1981

मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर के साथ आस्पताल गया और हम दो-तीन घण्टे वहां रहे। डाक्टरों का कहना है कि बहुत से लोग दम घुटने के कारण मरे हैं न कि हड्डियां टूटने के कारण अगर वे दम घुटने के कारण मरे हैं तो जो मुद्दा मैंने उठाया है वह बहुत ही अहम बन जाता है। मैं जानता हूं कि इसकी जांच होगी क्योंकि दो प्रकार की जांच चल रही हैं ? एक द्विव्यक्तीय समिति नियुक्त की गई है जो इस बात की जांच करेगी कि बिजली कैसे चली गई ; क्या बिजली फेल हो गई थी या किसी ने स्विच बन्द कर दिया था। यह समिति 'दिसू' के अध्यक्ष जो निगमायुक्त भी हैं, ने नियुक्त की है। आशा है कि समिति इस पहलू की जांच करेगी। इस पहलू से इस बात पर काफी प्रकाश पड़ेगा कि यह गड़बड़ कैसे पैदा हुई जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना घटी।

प्रेस रिपोर्ट के अनुसार कई बच्चे पानी-पानी चिल्ला रहे थे। वे पानी के लिए चिल्ला रहे थे पर यह नकारे में तूती के आवाज थी। उन्हें पानी नहीं मिला। दम घुटने और उसके ऊपर पानी न मिलने के कारण उनकी व्यथा और बढ़ गई। फलतः कई छात्र मर गए। जांच का मूल पहलू यह है कि इस सारी भगदड़ और त्रासदी का मूल कारण क्या है। लगभग सभी समाचार पत्रों ने कहा है कि कुछ शरारती और समाज-विरोधी तत्वों ने कुतुब मीनार के अन्दर महिलाओं से छेड़-छाड़ करने की कोशिश की होगी। वहाँ दो विदेशी भी थे। इसके परिणामस्वरूप वे भयभीत होकर नीचे की ओर भागने लगे। भगदड़ मच गई और एक के बाद एक बच्चा गिरता गया। जब यह सब हो रहा था तब यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि कुतुब मीनार गिर गई है। यह मैंने अपने कानों से सुना। कई लोगों के मरने की सम्भावना है। कुतुब मीनार की ओर देखकर यह स्पष्ट था कि वह गिरी नहीं थी। क्या यह सच नहीं है कि यह अफवाह उन दर्शकों को डराने के लिए फैलाई गई थी जो मीनार देखना चाहते थे ? इससे त्रासदी और बढ़ गई। इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने का सम्बन्ध है, मेरे अपने सम्बन्धियों ने दिल्ली की बसों के अपने अनुभव मुझे बताए हैं। जब वे बस से जा रहे थे तो कुछ युवकों ने उनके बाल खींच लिए। दुर्भाग्य से हमारी नैतिक भावना इस स्तर तक गिर चुकी है कि जब वे महिलाएं यह शिकायत करने लगी कि 'तुम हमारे बाल क्यों खींच रहे हो' तो बस में बैठे अन्य यात्री बड़ी जोरों से हंस रहे थे ?

कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मैं प्रान्तवादी नहीं हूं। कलकत्ता में जब आप किसी बस से यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि यदि कोई युवक या वृद्ध महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने की कोशिश करता है तो अन्य यात्री उसकी वहीं पर मरम्मत कर देते हैं। अतः बस में किसी महिला को छेड़ने का किसी को साहस नहीं होता। कलकत्ता की बसों में यात्रा का यह मेरा अपना अनुभव है।

दुर्भाग्य है कि यहां ये सब बातें हो रही हैं। मेरे अपने सम्बन्धियों, जिन्हें दिल्ली शहर का यह अनुभव है, बसों में यात्रा न करने का फैसला किया है। यदि यह बस में हो सकता है, बहुत से

यात्रियों की उपस्थिति में और दिन-दहाड़े हो सकता है तो जब बिजली गुल हो और भीड़-भाड़ हो तब यदि कोई व्यक्ति उसका फायदा उठाकर किसी महिला को छेड़ने की कोशिश करता है तो मैं इस सम्भावना को अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः इस पहलू की भी जांच करनी होगी।

इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार को कौन पसन्द करता है। जो भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था रखते हैं वे चाहे विरोधी दल के हों या सत्ताधारी दल के महिलाओं के साथ छेड़खानी सहन नहीं करेंगे। पर यदि दिल्ली शहर में यह सब कुछ हो सकता है तो कुतुब मीनार के भीतर अन्धेरे में भी हो सकता है। हो सकता है कि इसी के कारण यह इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हो।

इस विषय में मैं एक विशेष सुझाव देना चाहूंगा। रेलों और खानों में कुछ कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिए रेल विभाग सुरंगों की खुदाई-छटाई करता है। जब सुरंगों की खुदाई काम चल रहा होता है तब कुछ कठोर चट्टानें निकल आती हैं और वहाँ सुरंग काफी गहरी बनानी पड़ती हैं। लोग सुरंगों में काम करते हैं और उसके लिए हमेशा बिजली प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। पर उन चट्टानों की खुदाई के समय भी बिजली जा सकती है। अतः वहाँ आपात रोशनी की व्यवस्था भी की जाती है। यह इन्तजाम जान-बूझकर किया जाता है क्योंकि यदि गहरी सुरंगों में अचानक बिजली चली जाती है तो वहाँ एकदम अन्धकार हो जाएगा जो खतरनाक सिद्ध होगा। अतः वहाँ आपात रोशनी की व्यवस्था मौजूद रहती है।

इसी प्रकार खानों में भी, माननीय खान और इस्पात मंत्री आपको बताएंगे, खनन क्षेत्र, कोयला खनन क्षेत्र में बहुत गहरे बिजली के तार बिछाये होते हैं और बिजली के अचानक खराब होने पर कोई खतरनाक स्थिति पैदा न हो, इसके लिए आपात रोशनी व्यवस्था की जाती है। मैं नहीं समझ पाया कि कुतुब मीनार में आपात रोशनी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मीनार है और जहाँ हजारों लोग दर्शनार्थ आते हैं और विशेष रूप से शुक्रवार को जबकि मीनार के अन्दर जाने के लिए कोई टिकट नहीं होता। आशा है कि भविष्य में आपात रोशनी की वहाँ व्यवस्था की जाएगी।

जो लोग आपाता स्थिति की अच्छाइयों की इतनी अधिक चर्चा करते थे उन्हें पता लग गया कि आपातास्थित के दौरान क्या हुआ। इस का जला छांछ फूंक-फूंक कर पीता है। शायद वे अब आपात रोशनी से भी घबराने लगे हैं।

(व्यवधान)

इसे मजाक ही समझ लीजिए। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कुतुब मीनार में उसी प्रकार से आपात रोशनी की व्यवस्था करेंगे, जहां काफी लोगों के आने की आशा है और जहां दुर्घटनाएं घट सकती हैं, जिस प्रकार से खानों और रेलवे सुरंगों में, जहां खुदाई का काम चल रहा होता है, की जाती है।

जहां तक अनुग्रहपूर्ण अदायगी का सम्बन्ध है, मैं इस पक्ष के उन सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि मृतकों के परिवारों को 5,000 रु० की राशि और घायलों को 3,000 रु० की राशि का अनुदान बिल्कुल अपर्याप्त है ? ऐसी बात नहीं है कि उससे जो जानें गई हैं उनकी पूर्ति होगी पर एयरलाइन्स में क्या होता है ? यदि विमान दुर्घटना हो जाती है और यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की रकम मुआवजे के तौर पर दी जाती है। यदि किसी भी रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके सगे सम्बन्धियों को 50,000 रु० की रकम दी जाती है। आप को 5,000 रु० की अनुग्रहपूर्ण राशि देकर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अदायगी प्रारंभिक खर्च की पूर्ति के तौर पर की जाती है और मैं आशा करता हूं कि जो लोग अपनी जानें खो बैठे हैं उनके सगे सम्बन्धियों को भारी राशि दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि उन्हें अधिक सहायता दी जाए। इस संदर्भ में मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं और मेरे साथी श्री चन्द्र शेखर संसद भवन से आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग अस्पताल गए तो हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 22 छात्र मिले। उनके एक मित्र श्री अनिल कुमार श्री वास्तव की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहां के सभी छात्रों ने हमें बताया कि उनके साथी श्री वास्तव की मृत्यु हो गई है पर उनके शव को इलाहाबाद ले जाने हेतु हमारे पास पैसा नहीं है। शव सड़ जाएगा और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सरकार ने घोषणा की थी कि सभी प्रबन्ध निःशुल्क किए जाएंगे पर हमें खेद है कि इस प्रकार की शिकायतें थीं। हम उन्हें आयुर्विज्ञान संस्थान ले गए, हमने प्राधिकारियों से अनुरोध किया, हमने उन्हें पैसा दिया और उन्होंने शवसंलेपन का फैसला किया। हमने रेल मंत्री श्री केदार पाण्डे से सम्पर्क किया। मुझे खुशी है कि वह वे सभी प्रबन्ध करने के लिए तुरन्त तैयार हो गए जो शव के इलाहाबाद ले जाने के लिए आवश्यक थे। मुझे खुशी है कि इलाहाबाद के 22 छात्रों की दिल्ली से इलाहाबाद जाने के लिए आवश्यक सहायता दी गई। इस घटना से यह स्पष्ट है कि कुछ मृतकों के सम्बन्ध में जिनके सगे सम्बन्धी वहां थे, शवों के संलेपन और उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए। आशा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होने पर आप सभी शवों के लिए इन्तजाम करेंगे।

एक और महत्वपूर्व प्रश्न है। यह बहुत ही संभव है कि जब कभी ऐसी त्रासदियां होती हैं तो उनमें निम्न वर्ग के कर्मचारियों को ही सजा दी जाती है। उन्हें ही बलि का बकरा बनाया जाता है और ऊपर के अफसर बच जाते हैं। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि न्यायिक जांच के पूरा हो जाने पर बड़ा छोटा जो भी, उसके लिए उत्तरदायी हो उसे बख्शा नहीं जाए। ऐसा किया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

मैं गृह मंत्री से एक अनुरोध करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं जिनमें से कुछ तो स्पष्ट हैं और कुछ परोक्षरूप में हैं। आशा है कि इन पर ध्यान दिया जाएगा। जो मर गये हैं उन्हें जिन्दा नहीं किया जा सकता। पर यदि आप भविष्य के लिए सावधानी बरतें तो इस प्रकार की त्रासदियों से बचा जा सकता है। मैं ऐसी बात किसी दल विशेष के हित में नहीं कर रहा हूं पर सारे समुदाय के हित में कर रहा हूं। धन्यवाद।

16 अग्रहायण, 1903 (शक)

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुतुब एक ऐसा स्मारक है जिस पर गर्व होता था। आज यह हम सबके लिए दुःख और अपमान का स्मारक है। और यद्यपि तकनीकी दृष्टि से यह गिरा नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि माननीय दृष्टि से यह पहले ही धराशायी हो गया है।

महोदय आपने बहुत ही सही बातें कही है कि इसमें राजनीति नहीं लानी जानी चाहिए किन्तु कुछ हद तक हमें अपने माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। विपक्ष के कुछ सदस्य जानना चाहते थे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। वे यह जानना चाहते हैं क्या हमारे गृह मंत्री अथवा दूसरे मंत्री त्यागपत्र देंगे। क्या मैं माननीय सदस्यों को विशेषरूप से प्रो० मधुदन्डवते को एक बात पूछ सकता हूं ? कि उनके कार्य काल में एक दुर्घटना हुई थी राज्य सभा के एक माननीय सदस्य श्री, प्रकाशवीर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, किन्तु उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। बेलची कांड···

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने राज्य सभा में घोषणा की थी··· (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं मानता हूं मुझे समाप्त करने दीजिए तब आप उत्तर दें।

(व्यवधान)

मुझे समाप्त करने दीजिए। आपको अवसर मिलेगा। वरिष्ट सदस्यों को कनिष्ट सदस्यों को मौका देना चाहिए। यदि मैं गलती पर हूं तो मैं इसे सुधारूंगा। कृपया हस्तक्षेप न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : जब मैं बोलता हूं तो हमेशा ही मान जाता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मुझे समाप्त करने दीजिए और आपको कहने का मौका मिलेगा। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : उत्तेजित न हों।

श्री संतोष मोहन देव : मैं उत्तेजित हूं।

मैं कहना चाहूंगा कि श्री अटल विहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। वह चीन गए। उन्हें पर्यटक मंत्री कहा जाता था। जब वह चीन के मंत्री के साथ भोजन कर रहे थे तो तब वियतनाम पर आक्रमण हुआ था। उन्होंने क्या किया ? क्या उन्होंने त्यागपत्र दिया था ? बेलची कांड क्या था जहां तेरह हरिजनों की मृत्यु हुई थी। श्रीमती इंदिरागांधी प्रधान मंत्री नहीं थीं। वह वहां गई थीं। श्री मोरारजी देसाई अथवा श्री चरण सिंह वहां गये। इस सभा में श्री जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की घोषणा की गई थी। कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था ? नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। (व्यवधान)। वह जिन्दा थे किन्तु आपने इस सभा में मृत घोषित किया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप आज हंस सकते हैं किन्तु आपके सिर शर्म से झुक जाने चाहिए।

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

7 दिसम्बर, 1981

आप ये सब बातें कह सकते हैं किन्तु सिद्ध करना अथवा कुछ करना कठिन है। विषय पर आने से पहले मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कुछ चीजों की जांच करें। यह घोषित किया गया है कि कुतुब मीनार बंद है। यदि यह बंद है तो जांचकर्त्ता न्यायाधीश को इस बात की जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए कि क्या श्री अटलबिहारी वाजपेयी और दूसरे लोग वहां गये। यदि गये हैं तो वे कौन अधिकारी थे जिन्होंने उनकी सहायता की ? क्या उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए वहां पटाखे तथा दूसरी चीजें जिनका उन्होंने उल्लेख किया, रखी थीं। मुझे इन नेताओं में कोई भरोसा नहीं है। वे इस सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब कुतुब मीनार बंद थी तो उन्होंने मीनार में कैसे प्रवेश किया ? यदि यह बंद थी तो किसने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी ? वह कौन अधिकारी है ? जब वे वहां गये तो वे अपने साथ क्या ले गये थे ? उन्हें पटाखों और दूसरी चीजों के बारे में कैसे मालूम हुआ ? जब जांच होती है तो चीजें जिस अवस्था में हैं वैसे ही रहने दिया जाता है। इन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री से यह भी कहना चाहूंगा कि वह न्यायाधीश से निवेदन करें कि वह प्रो० मधु दण्डवते को अपने समक्ष बुलायें। अभी-अभी उन्होंने कहा है कि वह कुतुब मीनार में कई बार गये हैं। उन्होंने देखा है कि सीढ़ियां दोषपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि वह कहां तब गये जब वह मंत्री थे और अब वहां नहीं गये। जब वह मंत्री थे तो यह भी हमारे मंत्रियों की तरह कार्य में व्यस्थ थे। क्या उन्होंने भी उस समय सुझाव दिया था कि सीढ़ियों की मरम्मत की जानी चाहिए और उनका आपातकालीन रोशनी की व्यवस्था सहित उचित रखरखाव किया जाना चाहिए ? कोयला खानों में सुरंगों के बारे में, रेलों में आपातकालीन रोशनी की व्यवस्था के बारे में उनके जो विचार हैं क्या इन तक ही सीमित हैं ? क्या मैं समझूं कि उनका ज्ञान इतना कम है ? नहीं। यही लोग हैं जो इस देश से राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक घटना उत्पन्न करते हैं और वे कुतुब मीनार सहित इन सभी घटनाओं से प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मंत्री को कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए किन्तु उन्होंने इस पर चर्चा के लिए दबाव डाला। मंत्री क्या उत्तर देंगे ? वह वही उत्तर देंगे जो अधिकारी उन्हें कहेंगे। कल वे कुछ सुझाव दे सकते हैं कि उनके पास कुछ अन्य विशेष जानकारी है और इसलिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए। यह हालत है। वे तूफान उठाना चाहते हैं। वे टेलीविजन में तूफान खड़ा कर देते हैं तथा समाचार पत्रों में तूफान उठा देते हैं।

मैं गृह मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। घटनाएं हुई हैं। यह दुःखद घटना हैं। हम सभी को यदि हम इसे गम्भीरता से लेते हैं तो इसकी निन्दा करनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित की जानी चाहिए। किन्तु सिद्धान्ततः सरकार को न केवल इसके ही सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए। बल्कि चार मीनार तथा देश के दूसरे स्मारकों के बारे में भी जहां बच्चे जाते हैं जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जायें। शिक्षा विभाग अथवा गृह मंत्रालय को इस अनुभव से कुछ सिद्धान्त बनाने चाहिए ताकि सतर्कता बरती जाये। आपातकालीन रोशनी नहीं किन्तु वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा और कड़ी की जानी चाहिए।

16 अग्रहायण, 1903 (शक)

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

मेरा सुझाव है कि कलकत्ता चिड़ियाघर की तरह 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखने के लिए एक विशेष दिन निश्चित किया जाना चाहिए और यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहां बदमाश लोग न घुस पायें तथा गड़बड़ी न कर पायें। बच्चों के लिए एक विशेष दिन नियत किया जाना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ सदस्यों ने प्रवेश के लिए एक द्वार प्रणाली का जिक्र किया है और कहा है कि इसे धकेला गया। हम भी वहां गये हैं। हम अन्दर नहीं गये। हमने ताला नहीं तोड़ा। दरवाजा इस तरह से खुलता था कि यह बन्द लगता था। यह सामान्य जानकारी की बात है कि हमारे माननीय सदस्य जो कि बहुत ही सम्मानित नेता हैं और जिनकी वृद्धि सर्वोत्तम है जैसा कि वे दावा करते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि कुशाग्र नहीं है। जब भगदड़ हुई तो 300 बच्चे नीचे सीढ़ियों में आ गये और इस प्रकार दरवाजा स्वतः ही बन्द हो गया। यह भगदड़ के कारण हुआ। जो लोग बाहर थे तथा चौकीदारों ने इसे खोला। कुछ समाचार पत्रों ने जो भी उन्हें मिला लिख दिया। गृह मंत्री अथवा प्रधान मंत्री या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि "इसे बन्द किया गया था।" दरवाजा बन्द होने के कारण भगदड़ का असर था और इसे दरवान अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने बन्द नहीं किया था, इस पर ताला भी नहीं लगाया गया था। अतः ऐसे सभी स्थानों में जहां ऐसी दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं हैं, दरवाजे इस प्रकार के बनाये जाने चाहिए कि इन्हें आसानी से खोला जा सके तथा बन्द किया जा सके। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस विशेष मामले में कुतुब मीनार में जो दूसरी बहुत ही संगत बात है वह यह है कि सैकड़ों दर्शक वहां जाते हैं। गांधी समाधि में भी विशिष्ट व्यक्तियों सहित बहुत से दर्शक आते हैं। हमने जनता सरकार के समय देखा था। तब मैं संसद सदस्य नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी में एक साधारण सदस्य था। मैंने फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र में देखा था कि मंत्रियों सहित हर एक व्यक्ति भीड़ में आ रहे थे। भविष्य में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वास्तव में वे सत्ता में फिर आ नहीं सकते किन्तु वे समाधि पर अपने पापों का प्रायश्चित करने जा सकते हैं। अतः इन सभी स्थानों पर पुलिस तैनात की जानी चाहिए। उस क्षेत्र में एक या दो पुलिस के सिपाही ही नहीं किन्तु वहाँ कुछ पुलिस स्टेशन होने चाहिए तथा उनके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए ताकि ऐसी परिस्थितियों में वे शीघ्र कार्यवाही कर सकें। वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह समयबद्ध कार्यक्रम बना कर इस जांच रिपोर्ट को प्रकाशित करें और सभा के समक्ष रखें। जो भी दोषी पाये जायें, चाहे वे जो भी हों, सजा दी जानी चाहिए। माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी कह रहे थे, "मेरा इस आयोग में विश्वास नहीं है।" स्वभावतः जो व्यक्ति इसे अपने स्तर से देखता है वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने शाह आयोग बनाया। इस आयोग को तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने को कहा गया था। हमारी सरकार का इसमें विश्वास नहीं था। पमारी सरकार ने इस आयोग का गठन किया है और इसका कुछ विशेष प्रयोजन है।

मुझे विश्वास है कि इससे प्रयोजन हल हो जायेगा ओर रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही की

जायेगी। इन शब्दों के साथ मेरा विपक्षी सदस्यों से जो चतुर हैं तथा शिक्षित हैं और जिनका अच्छा ज्ञान है, फिर से निवेदन है कि वे हमें इस प्रकार मुर्ख न बनाएं और इस प्रकार की स्थिति का कोई फायदा न उठाएं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे निश्चित रूप से इसका राजनैतिक प्रयोजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य के भाषण में बाधा नहीं देना चाहता था। मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति की मांग कर रहा था। उन्होंने विशेषरूप से मेरा जिक्र किया कि जब श्री प्रकाशवीर शास्त्री रेल दुर्घटनाग्रस्त हुए थे तो मैंने त्यागपत्र नहीं दिया था। मैंने राज्य सभा का रिकार्ड देखा जिसमें दुर्घटना के आधे घंटे के अन्दर, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य श्री शास्त्री की मृत्यु हुई थी मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई को अपना त्यागपत्र दे दिया था। यह राज्य सभा में कहा गया था। आप अभी-भी राज्य सभा की कार्यवाही में इसे देख सकते हैं किन्तु उस समय प्रधान मंत्री ने कहा था, "आपने अपना त्यागपत्र दे दिया है किन्तु मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा"। यह रिकार्ड में है। यह केवल स्पष्टीकरण है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, कुतुबमीनार में 4 दिसम्बर शुक्रवार के दिन जो दर्दनाक और हृदय विदारक दुर्घटना हुई उससे सम्पूर्ण देश मर्माहत है, शोकमग्न है और हम आप उसी शोक के वातावरण में इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटना क्योंकर घटी तथा आगे इस प्रकार की दुर्घटनाएं कैसे बचायी जा सकती हैं।

उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था। इसलिए वहां जाकर जानकारी हासिल करने का अवसर मुझे नहीं मिला। मैं जो भी कुछ बातें आप के सम्मुख पेश करना चाहता हूं वह समाचारपत्रों में प्रकाशित बातों पर ही रखना चाहता हूं।···(व्यवधान)···यह दर्दनाक घटना जो घटी इस में 45 किशोर और नौजवान मारे गए। एक पचास साठ वर्ष का व्यक्ति भी इस में मारा गया। कहते हैं कि पचास से ज्यादा लोगों को एक बार में कुतुब मीनार पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। अखबारों में तो यह खबर निकली कि 400 आदमी चले गए थे। आप यह जवाब दे सकते हैं कि हम क्या करें? वह तो बेचारा चौकीदार जिसका नाम हरीराम है वह इसके लिए जवाबदेह है। वह लोगों को रोक नहीं सकता था। अगर एक बार में इतनी भीड़ जायेगी तो जाहिर बात है कि वह उनको नहीं रोक सकता था। लेकिन इजाजत तो किसी और ने दी होगी, वह तो बेचारा दरबान था। इजाजत देने वाला कोई न कोई जरूर रहा होगा। तो वह कौन व्यक्ति है? यह आपको बताना चाहिए।

इस पर्यटन दल में ज्यादातर लोग हरियाणा के थे। कुछ लोग पंजाब के भी थे और जैसा अभी आपने सुना कि इलाहाबाद का एक था, खड़गपुर जो बंगाल में है वहां का भी एक था। तो विभिन्न स्थानों के लोग इसमें मौजूद थे। चौबीस लोग उसमें घायल भी हुए। यह दुर्घटना जो घटी वह करीब साढ़े ग्यारह बजे घटी। पुलिस वहां काफी देर में पहुंची। दमकल भी देर से पहुंचा और यह भी खबर है कि जब कुछ नौजवान लाशें निकाल निकाल कर बस या ट्रक में डाल रहे थे उस समय आपकी पुलिस ने उसमें कोई सहयोग नहीं दिया। यह बात अखबारों में निकली है। मैं जानना

चाहूंगा कि यह बात कहां तक सच है कि पुलिस ने उसमें कोई शिरकत नहीं की। वह बेचारे लाशों को डालते रहे और पुलिस चुपचाप देखती रही। यह भी खबर है कि पुलिस ने कुछ नौजवानों पर डंडे भी चलाए। इस प्रकार पुलिस अपने कर्त्तव्य का पालन न करके पता नहीं क्या करती रही? एक तो देर से आई उसके बाद भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस प्रकार से इस दुर्घटना के बारे में तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। मैं उनको आपके सामने गिनाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं, इन बातों की जानकारी देश को और सदन को होनी चाहिए।

यह कहा गया और ठीक ही कहा गया कि कुछ समाज-विरोधी तत्व भी उसमें घुस जाते हैं जिनको नियंत्रण करने में आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। यह यहीं पर नहीं पूरे देश की स्थिति है। असामाजिक तत्वों ने घुस कर यहां पर लड़कियों को खिझाना चाहा और उनके साथ छेड़खानी की। दूसरी बात लोगों ने यह बतायी कि बिजली अचानक गुल हो गई। बिजली कैसे गुल हुई, क्या सच-मुच में डेसू की गड़बड़ी का इसमें हाथ है या बिजली फेल्योर का हाथ है? क्या किसी शरारती ने उसके स्वीच को आफ कर दिया। फिर वह स्वीच कहां है, स्वीच का नियंत्रण कहां से होता है और क्या उस कुतुबमीनार के भीतर जगह-जगह पर स्वीच लगे हुए हैं या कोई केन्द्रीय स्थान में स्वीच है जहां से कुछ किया गया? अगर ऐसा हुआ है, तो किसने किया है? यह भी कहा गया कि वहाँ कोई दूसरी रोशनी की व्यवस्था नहीं है। मुझे भी वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है; कुतुब मीनार देखने का, दूर-दूर पर बल्ब लगे हुए हैं, पूरी रोशनी नहीं है और दूसरी व्यवस्था भी रोशनी की नहीं है। अगर रोशनी गुल हो जाए तो आप देख नहीं सकते हैं, जाहिर बात है यदि दूसरी व्यवस्था हो तो निकल सकते हैं। यदि नहीं है, तो कठिनाई होती है आने में और जाने में। जब चार सौ लोग घुस जाएं और कोई बाक्या हो जाए; तो जाहिर बात है कि घबराहट में लोग दौड़ेंगे। यदि कभी कमरे में अंधेरा हो जाता है, तो लगता है कि दम घुटने लगा। फिर यह भी कहा गया कि कुतुब मीनार गिर रही है; यह ऊपर से किसी ने कह दिया। आवाज लगाते ही लोग भागने लगे और देखा भी नहीं कि क्या सचमुच में मीनार गिर रही है और घबराहट में लोग निकले—इस प्रकार ये सब कारण बताए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इन कारणों की ठीक से जांच होनी चाहिए और इन कारणों में से कोई भी कारण सही पाये जायें, तो दोषी कौन है, इसका पता लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, पुरातत्व विभाग यानी आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट की इसमें कोई जवाबदेही है या नहीं है? अखबारों में यह जरूर खबर निकली है कि संयुक्त महानिदेशक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, से जब लोगों ने पूछा कि इतने लोगों की जानें कैसे गईं—तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। इस प्रकार का आचरण क्या किसी बड़े अधिकारी का हो सकता है? इसलिए मैंने इन बातों की चर्चा की कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या नहीं और कहा तो क्यों कहा और इतने बच्चों को एक साथ जाने की इजाजत किसने दी?

उपाध्यक्ष महोदय, वहां का बन्दोवस्त ठीक है या नहीं है—क्या एक चौकीदार, यदि 50 आदमी भी जायें, तो क्या एक चौकीदार ड्यूटी पर काफी है? क्या वहाँ और चौकीदार की व्यवस्था नहीं

की जा सकती है, क्या वहाँ पुलिस का परमानेंट बन्दोवस्त नहीं किया जा सकता, ताकि मौके पर कोई दुर्घटना हो तो तुरन्त मदद मिल सके ? यह बात भी आई कि बिजली खराब होने का एक कारण यह भी है कि एक ट्रक खम्बे से टकरा गया था। मैं यह भी जानना चाहूंगा, कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज को इन्क्वायरी की जवाबदेही देने में क्या कठिनाई थी और आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? उस पर ज्यादा लोगों को भरोसा होता, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो आपने किया है उस पर मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन आज कल जो हालत है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लोगों को ज्यादातर विश्वास होता है। इसमें आपको कठिनाई क्या हुई, आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे के लिए वहाँ बिजली का बन्दोबस्त कीजिए और सीढ़ियाँ यदि चौड़ी कर सकते हैं, वह भी कीजिए, यह तो इन्जीनियर ही बता सकेंगे, लेकिन अगर यह संभव हो तो यह करना चाहिए। जहां तक इमरजेंसी लाइट की बात कही गई है, जब सब जगह दे रहे हैं, पटना जंक्शन पर इमरजेंसी लाइट का इन्तजाम हो गया है, तो फिर यहां भी ईमरजेंसी लाइट देना महत्वपूर्ण है। यह स्थान वह है, जहाँ हिन्दुस्तान और दुनियाँ के पर्यटन आते हैं और वहाँ कोई इमरजेंसी लाइट न हो, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हवा के प्रवेश द्वार ज्यादा बनाने चाहिये ताकि घुट कर लोग मरने न पायें। वहां पर ये दुर्घटनायें दम घुटने से हुई हैं, दम घुटने से बच्चों के हार्ट-फेल्योर हुए हैं। पता नहीं किन बच्चों के मां-बाप बूढ़े हैं, किन के जवान हैं, किनका सहारा छिन गया, सबको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता देने का बन्दोबस्त किया जाय ताकि हम उनके साथ कम से कम इस रूप में ही कुछ हमदर्दी जाहिर कर सकें।

इन शब्दों के साथ इस दुर्घटना में जो बच्चे और दूसरे लोग मारे गये हैं उनके प्रति परिवार के अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ संवेदना प्रकट करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह शुक्रवार को राजधानी की ऐतिहासिक जमीन पर जो हृदय-विदारक दुर्घटना हुई उसे सुन कर हम और आप ही नहीं सारा देश स्तब्ध रह गया। तमाम लोग शोक में डूब गए। शोकाकुल हो गये थे कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उस दिन रो न पड़ा हो। हमारे गृह मंत्री जी ने सच ही कहा था—इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि कुतुब का हर पत्थर भी रो उठा, केवल जानवर की ही कोई प्रतिक्रिता नहीं हो सकती है ; जो इन्सान का हृदय रखता है वह बिना किसी प्रतिक्रिया के कैसे रह सकता है। बिलखती मां, पीड़ा से मर्माहत मूक पिता, उनकी भावनाओं को, उनकी तकलीफ को, हम यहां इस दल के या उस दल के लोग भाषण देकर या जजबातों की बात कहकर कम नहीं कर सकते क्या उनकी पीड़ा को भाषणों से आंका जा सकता है ? हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह दुर्घटना एक आकस्मिक दुर्घटना है, दुर्घटना दुर्घटना है। कभी भी, कहीं भी हो सकती है। मुझे 1963 या 1964 की बात याद आती है। मैं उन दिनों लन्दन में थी, वहां एक दिन इतना गहरा कुहासा छाया था जितना पिछले पचास सालों में कभी नहीं छाया। लोगों का कहना था कि ऐसा पिछले पचास सालों में कभी नहीं हुआ। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिये तैयार हुए, बड़े उत्साह से मां-बाप ने उनको विदा किया, लेकिन शाम को वे घर वापस नहीं आ सके। इतना गहरा कुहासा

छाया था कि चार दिन तक उसमें घिरे रहे, धुंए और कुहासे के बीच वे बसें सड़कों पर और स्कूल के बाहर खड़ी रहीं, बच्चों के शरीर पर पूरे गर्म कपड़े नहीं थे, वे भूख से बिलबिलाते रहे, कितने मर गये, कितनों को अस्पताल तक भी नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि हाथ को हाथ नहीं दिखता था तो रास्ता क्या ? ऐसी आकस्मिक दुर्घटनायें कभी-कभी हो जाया करती हैं और हम सब इस शोकाकुल परिस्थिति में न केवल उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, बल्कि हम सब उनके साथ हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किस की कहां गलती है, आर्केलाजिकल विभाग से गलती हुई है या पुलिस विभाग से गलती हुई है, चौकीदार से गलती हुई है या किसी पदाधिकारी से गलती हुई है—इसका तो जांच के बाद ही पता लग सकेगा। न्यायिक जाँच के लिये गृह मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं, उसके बाद ही प्रतिवेदन सामने आयेगा, तब हम लोग देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि सच-मुच में दोषी कौन है। वह व्यक्ति चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि उसको छोड़ा न जाय, उसको सजा दी जाय।

मैंने अभी वाजपेयी जी का भाषण सुना, उनका भाषण जजबाती था, उन्होंने चाहा कि जज-बातों को उभार कर तथ्यों को छुपा दिया जाय। लेकिन तथ्य तो तथ्य ही हैं, उनके जजबाती भाषण से राजनीतिक-बू आ रही थी, साफ झलकता था कि उनके भाषण राजनीति से प्रेरित हैं। कष्ट उन्हें हैं, कष्ट हमें भी है, लेकिन हर दुर्घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जिस दिन घटना हुई, उसके बाद कल दोपहर करीब 1..0-200 युवक जनता मोर्चे के लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला। यदि किसी को तकलीफ होगी, तो उसको प्रोसेशन की बात नहीं सूझेगी। उस समय तो यही सूझेगा कि जो परिवार शोक-संतप्त है, उसकी कहाँ तक मदद की जाए।

एक बात कही गई नैतिक जवाबदेही की इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी प्रधान मंत्री जी तत्काल घटनास्थल पर गयीं। अगर नैतिक उत्तरदायित्व न होता, तो वे घटनास्थल पर क्यों चली गईं। वे वहां गईं और जो भी प्रबन्ध संभव हो सकता था, वह करवाया। वे वहां काफी देर तक रहीं। न्यायिक जांच के आदेश दिये गये और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि न्यायिक जांच जितनी जल्दी हो सके करवाई जाए और वह जो भी सुझाव दे और जो उसकी रिपोर्ट आए वह शीघ्र आए और उसके बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जाएगी।

बात उठती है प्रबन्ध की। प्रबन्ध में कहीं न कहीं जरूर कोई कमी होगी इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि प्रबन्ध में कमी थी। यह कुतुब मीनार सच ही, जैसा कुछ देर पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो पहले एक ऐतिहासिक गौरव की बात थी उसकी जो कहानी इतिहास में लिखी गई और जो आगे लिखी जाएगी, उसमें एक कड़ी यह भी जोड़ी जाएगी कि यह दुःखद घटना हुई।

मैं इतना सुझाव देना चाहती हूं और एक सीख के तौर पर इसको लेना चाहिए कि आगे से कम से कम ऐसी जगहों में और विशेषकर जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, जहां पर हजारों लोग रोज जाते हैं, वहाँ पर इमरजेन्सी लाइट, कन्सील्ड लाइट्स का एरेंजमेंट रहना चाहिए। यह पहले

नहीं था, ठीक है और शास्त्री जी ने कहा कि यह रहना चाहिए था और वह रहना चाहिए लेकिन उनके दिव्य-चक्षु आज ही खुले हैं। यह पहले भी किया जा सकता था। इन्सान से गलती होती है, उनसे भी हुई है और हम से भी हुई है लेकिन इसके लिए भविष्य में सतर्क रहना चाहिए और कन्सील्ड लाइट्स, इमरजेन्सी लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस की तैनाती होनी चाहिए और आर्कियोलाजीकल विभाग को इसमें थोड़ा सजग होना चाहिए। जब फ्री-डे होता है, जब टिकट नहीं लिये जाते हैं तो एक रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए कि कितने लोग उस रास्ते से ऊपर जाते हैं और कितने लोग आते हैं। अगर यह रजिस्टर मेन्टेन होगा, तो अनुशासन बर्ता जाएगा। सही है कि बच्चों को कैसे रोक सकते है। अगर बच्चे जाना चाहते थे तो चले गये होंगे। उनमें शरारती बच्चे भी होते हैं। उनमें बड़े भी थे और यह बात नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही थे। बड़े लोग भी चले जाते हैं और वे सब चले गये लेकिन उनके लिए एक चौकीदार पर्याप्त नहीं होता है कि वह उनको रोक सके। इसलिए एक वरिष्ठ अधिकारी की पद-स्थापना होनी चाहिए।

एक बात यह कही गई कि वहां पुलिस समय पर नहीं पहुंची। जो कम समय था, जितने समय में पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए था, मैंने जैसा सुना कि 11 बज कर 57 मिनट पर सूचना दी गई पुलिस सेन्ट्रल रूम को और वहां से वह सूचना महरौली पुलिस स्टेशन पर गई और उसने फ्लाइंग इस्कुऐड को खबर की और 11 बज कर 57 मिनट से लेकर 12 बज कर 58 मिनट तक तीन जत्थे पुलिस के जवानों के वहां पहुंच गये। यह सही है कि जो बिजली की गति होती है, उससे वे वहाँ दौड़ कर पहुंच जाते तो अच्छा होता लेकिन हमारे यहां जो यातायात है, उसमें पहुंचने में 10-5 मिनट लग ही सकते हैं। यह भी कहा गया कि वहां चौकसी नहीं बर्ती गई लेकिन जब सूचना मिली, उसके बाद वहां के लोगों ने, वहाँ पर जो जनता थी, उसने यह कहा कि इन लोगों ने कुछ मेहनत की। वे भी इन्सान हैं और हम भी इन्सान हैं। गलती सबसे होती है लेकिन यह कह देना कि किसी ने कुछ नहीं किया, यह बात बिल्कुल तथ्यों से परे है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो यह बात भी सोचनीय है। यह एक बहुत बड़ा दोष है और हमारे लिए यह एक महान् कलंक है। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी देखें कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी जांच कराएं। यह बात हमारे लिए शर्म की बात है और हमारे देश के लिए शर्म की बात है। प्रश्न यह उठता है कि यदि दुर्व्यवहार हुआ है, तो वह कहां हुआ है और कैसे हुआ या इसको सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा बना कर हवा में उछाला जा रहा है? इसको भी देखने की जरूरत है, इसको भी जांचने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ हम अपनी संतप्त भावनाएं उन परिवारों के लिए व्यक्त करते हैं और मैं समझती हूं कि हर एक इंसान इससे सहमत है कि यह दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है लेकिन इसको राजनीतिक रंग में ढालना उचित नहीं है। इसमें हम और आप सब को मिल कर यह सोचना

चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे। कुतुब मीनार हमारा एक ऐसा ऐतिहासिक मोन्युमेंट है जिसको अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इस तरह की दुर्घटना से उस पर आंच आती है।

मैं नहीं समझती कि सत्ता में रहने से राजनीतिज्ञों में मानवता नहीं रहती या नैतिकता नहीं रहती। हम सभी मानव हैं। त्रुटि मानव से ही हुआ करती है। इसलिए इसमें हमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं अपने मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहती हूं कि वे सभी बिन्दुओं पर विचार करें कि कहां-कहां त्रुटियाँ हैं, कहां-कहां खामियां हैं और उनको ठीक करें। वे यह भी देखें कि इसमें कोई दोषी व्यक्ति तो नहीं है। अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, गत चार दिसम्बर को कुतुब मीनार पर जो दुर्घटना हुई उस पर संसद में और देश में क्षोभ व्यक्त किया गया है। हम सभी की हमदर्दी और भावनाएं उन बच्चों और मृतकों के परिवारों के प्रति है। पर वह बात सही है कि यह जो घटना घटी है इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो सकें उसके लिए जो सम्भव हो सकता है वह करना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि बहुत-सी ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं कि सारी व्यवस्था के बावजूद, जिनके बारे में सभी कुछ सम्भव करने के बावजूद वे घट जाया करती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं पाता। सिवाय इसके कि उन पर लोग अपना दुःख प्रकट करें, कोई कुछ नहीं कर पाता। मगर ऐसी दुर्घटनाओं से हमें यह तो सीखना चाहिए कि अगर कोई कहीं कमी है, खामी है, त्रुटि है तो उसे दूर किया जाए। इस दृष्टि से भी इस दुर्घटना को देखना चाहिए।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि एक बात पर खास तौर पर हमारे गृह मंत्री जी को और पुरातत्व विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि पुरातत्व विभाग के जो इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थान हैं, उनकी देखभाल उचित तरीके से नहीं हो पा रही है और इनकी देखभाल में जो इमेजिनेशन हमें दिखाना चाहिए उसकी कमी हमें दिखायी पड़ती है। कुतुब मीनार की यह घटना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो इमेजिनेशन दिखाना चाहिए था वह नहीं दिखाया गया है।

उदाहरण के लिए, श्रीमन्, जब यहां एक ट्रेड फेअर लगा हुआ था, और उसे देखने के लिए आस-पास के सभी लोग, बड़े-बूढ़े, बाल-बच्चे और कालिज के लोग आ रहे थे तब यह स्वाभाविक था कि यहां आने वाले लोग कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए भी जाते। कुतुब मीनार पर उस दिन अधिक लोगों के जाने का एक यह भी कारण हो सकता है और फिर शुक्रवार को तो वहां टिकट भी नहीं होता। सभी बिना टिकट के उस दिन कुतुब मीनार में जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन कुतुब मीनार पर टिकट होता है और उस दिन जितना स्टाफ होता है, शुक्रवार के दिन जिस दिन कि बिल्कुल टिकट नहीं होता, वहां स्टाफ की संख्या भी कम हो जाती

है। इसी का यह नतीजा था कि उस दिन वहाँ केवल एक चौकीदार था। उस दिन जिस दिन कुतुब मीनार पर ज्यादा भीड़ होती है उस दिन के लिए तो वहाँ ज्यादा स्टाफ होना चाहिए क्योंकि उस दिन ज्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था वहाँ नहीं की गयी और उस दिन जबकि खाली दिन है और ज्यादा लोग जाते हैं वहाँ स्टाफ की संख्या कम हो जाए, एक चौकीदार रह जाए, कम पढ़ा-लिखा और बूढ़ा चौकीदार वहाँ हो तो यह बात समझ में नहीं आती।

श्रीमन्, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक स्थान किसी भी देश के गौरव के स्थान होते हैं और लोग वहाँ काफी, संख्या में जाते हैं। ऐसे स्थानों पर, खास तौर पर, कुतुब मीनार पर क्यों नहीं हम एक रिसेप्शन आफिस रख सकते हैं, सुरक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी कोई घटना वहां नहीं घटे ? हमें पता है कि कुतुब मीनार पर से लोगों ने कूद कर आत्म हत्याएं की हैं। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने रोक लगायी कि कोई अकेला आदमी उसके ऊपर नहीं जा सकता। आप यह बात जानते थे कि लोग आत्म-हत्याएं कर लेते हैं, बार-बार यह कहा जाता था कि ऐसे स्थानों पर असामाजिक तत्व छेड़खानी करते हैं। दिल्ली में जितनी भी ऐसी जगह हैं, वहाँ से ऐसी शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थीं, अखबारों में लिखा गया कि ऐसे मौकों पर मनचले लोग, असामाजिक तत्व, गलत किस्म के लोग फायदा उठाते हैं, छेड़खानी करते हैं। श्रीमन् क्या प्लेन-क्लोथ्स में आपके आदमी ऐसी जगहों पर जाकर निगरानी नहीं कर सकते ? अगर वहाँ पर रिसेप्शन होता, वहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी होता तो इसकी सूचना जल्दी मिलती। वह जानता कि फोन किसको करना है, किसको बुलाना है, डाक्टर को आक्सीजन सहित बुलाना है, पुलिस को बुलाना है। आप देखिए कि पीने का पानी तक नहीं था।

चौकीदार से जब बात हुई तो उसके द्वारा जो पहली बात कही गई वह यही थी कि 300 से ज्यादा लोग कुतुब मीनार में चले गए और मेरे एक मिलने वाले भी उस दिन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया कि 4-5 सौ के करीब आदमी उसमें चले गए। अगर तीन सौ भी मान लीजिए और शिक्षा मंत्री के अनुसार 60 लड़के जबरदस्ती उसमें चले गए, उन 60 को निकाल दीजिए तब भी ढाई सौ से ज्यादा लोग उसमें थे। इसका मतलब एक सीढ़ी पर 2-3 आदमी होंगे।

आठ दिन पहले एक विषय में मुझे बहुत दुःख हुआ, मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखूं। मैं उस दिन इंडिया गेट से आ रहा था। वहां पर शहीद स्मारक है, जहां पर संतरी रहता है। दुनियां में कहीं भी देख लीजिए, संतरी जब खड़ा होता है तो पता नहीं चलता कि आदमी खड़ा है या पत्थर। इतना अनुशासन होता है और इसका दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन वहां पर उस दिन मैंने देखा कि दो आदमी बैठकर सिगरेट पी रहे थे और वह संतरी उनसे बात कर रहा था। यह देखकर मेरे मन में चोट लगी। क्या यही शहीदों का स्मारक है जहां पर दो आदमी सिगरेट पी रहे हैं और संतरी उनसे बात कर रहा हो। यह बात किसको देखनी चाहिए ?

दिल्ली में जहां-जहां छेड़खानी या अन्य तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां पर "वायरलेस

फिटेड वैन" का राउण्ड लगता रहता है। तो क्या जिस स्थान पर इतनी तादाद में लोग जाते हैं, वहां पर ऐसी "वेन" की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रकार की घटना फिर न घटे, इस बारे में सुझाव के रूप में कुछ बातें आनी चाहिएं।

हिन्दुस्तान में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जूते पहन कर जाने की अनुमति नहीं दी जाती और जूते बाहर ही उतरवा दिए जाते हैं। विदेशी लोग, महिलाएं, बच्चे सब नंगे पैर जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अगर कहीं होता भी है तो वहां पर कपड़े के जूते दिए जाते हैं ताकि आपके पैर कवर हो सकें और कंकड इत्यादि न चुभ सकें। हमारे यहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

मुझे याद है, 12-14 साल पहले मैं "अजन्ता" गया हुआ था। उस वक्त दोपहर में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिला। विदेशी लोग आए हुए थे, उनको ठण्डा पानी तक नहीं मिल सका। रेस्तरां की हालत यह थी कि मक्खियां भिनभिना रही थीं। खैर इसके लिए हमने लिखा और वहां पर व्यवस्था कर दी गई। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उससे हमको सबक लेना चाहिए। कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न हो सकें।

जो पैसा पुरातत्व विभाग को मिलता है, उस पैसे से सरकार का काम तो चलने वाला नहीं है, इसलिए उस पैसे को उस स्थान पर अधिक से अधिक अच्छी व्यवस्था में खर्च करना चाहिए। जैसे सीढ़ियां टूट जाती हैं या अभी मैं कुछ दिन पहले ताजमहल गया था, ताजमहल में घुसते ही जो पत्थर लगा हुआ है, उस पर ताजमहल का इतिहास लिखा हुआ है और उसके 5-6 अक्षर मिट गये हैं। इतना पैसा आता है और पुरातत्व विभाग इस छोटी-सी चीज को देख नहीं सकता कि उन अक्षरों की रोशनाई को ठीक कर दें। सारी दुनिया देखने आती है, कुतुब मीनार को भी सारी दुनिया के लोग देखने आते हैं, मैं समझता हूं कि इन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी ने एक काम अच्छा किया कि कम से कम हमदर्दी के नाते 5000 रुपया प्रत्येक को दे दिया, हालांकि या सारा कम्पन्सेशन नहीं हो सकता। उन्होंने अपने फण्ड से दे दिया। इस तरह से उन्होंने एक हमदर्दी प्रकट की, लेकिन मैं शिक्षा मंत्राणी जी, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके विभाग की भी जिम्मेदारी है। ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, खानों में हो जाती है और जब हो जाती है तो कोई आपके यहां ऐसी व्यवस्था है या नहीं कि उन लोगों की मदद करने के लिए उनको मुआवजा देना चाहिए, जो घायल हो जायें उनको मुआवजा देना चाहिए? अगर नहीं है तो करिए। जब मैं खानों का मंत्री था—तो एक खान दुर्घटना मेरे जमाने में हो गई थी। तब नियम यह था कि छोटा-सा एमाउंट दस हजार का शायद दिया जाता था। मैंने प्रधानमंत्री से बात की। कैबिनेट में पेपर गये। उस एमाउंट को मैंने तीन गुना फौरन बढ़वाया। तब यह भी फैसला हुआ था कि दूसरों के बारे में एग्जैमिन करेंगे। तीन गुना बढ़ाया उनके लिए जो मर गये थे ताकि वे घर बना सकें,

उनकी जो बच्चियां हैं वे पढ़ सकें, उनकी शादियां हो सकें। मुझे याद है कि एक इन्जीनियर मर गया। उसकी नौजवान बीवी थी। चंडीगढ़ में सरकार से बात करके उसको वहाँ पर फ्लैट दिलवाया, रेडियो पर नौकरी दिलवाई। मेहरवानी करके आप भी सोचें इस मामले पर। इन बच्चों के बारे में भी आप सोचें जो मारे गए हैं। आप प्रधानमंत्री जी से बात करें और अगर व्यवस्था नहीं हो तो व्यवस्था करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनको भरपूर मुआवजा देने की कोशिश करें।

मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर सरकार गौर करेगी।

श्री धर्मदास शास्त्री (करौलबाग) : जिस दिन यह दुर्घटना घटी उस दिन सारा देश शोक संतप्त हो गया। पत्थर दिल भी रोने लग गये। लोगों की आँखों में आँसू थे। जिसने भी यह खबर सुनी वह रोया। लोग दुखी थे। दुखी मन से रो रहे थे इस खबर को सुन कर। देश के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस दुर्घटना पर दुख तो प्रकट किया है लेकिन जैसे यादव जी ने कहा देश के लोगों ने इस बात की प्रशंसा की कि फौरन गृह मंत्री जी वहाँ पर गए, देश की प्रधानमंत्री जी गईं और जिस समय उन्होंने इन बच्चों को देखा तो उनकी आँखों में आंसू थे, वह भी माँ का दिल रखती हैं और वह रोईं लेकिन इन विपक्षी नेताओं में से किसी ने उनकी इस बात के लिए प्रशंसा नहीं की। ये हमारे देश के बच्चे थे, हमारे परिवार के बच्चे थे। कैसे इस दुखद घटना पर कोई रोये बगैर रह सकता है। हमारे इन नेताओं को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि देश की प्रधान मंत्री और गृह मंत्री फौरन वहाँ गए। कई पार्लियामेंट के सदस्य भी वहां गए।

(श्री चन्द्र जीत यादव पीठासीन हुए)

इसके साथ साथ इस बात की भी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि डाक्टरों ने इन बच्चों की जिन्दगियों को बचाने के लिए अपने आराम को छोड़ा और अपने घरों से निकल पड़े। डाक्टरों ने जो इतना बड़ा त्याग किया उसके लिए इनको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं के मुंह से कुछ रचनात्मक बातें निकलनी चाहिए थीं। ऐसे नेताओं के भाषण सुन कर मुझे रोना आता है। लोगों की जिन्दगियां चली जाएं और ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए यहाँ पर उनका उपहास उड़ाएं, इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे सस्ते राजनीतिज्ञ हमारे देश के नेता हो जो देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हों तो देश का क्या होगा, यह एक बुनियादी प्रश्न है जिस पर हमको गहराई से विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये बताएं कि राउंड दी क्लाक वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे? यदि भगवान ने आपको आंखें दी हैं और सद्बुद्धि दी है तो आपने नेहरू ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के साथ साथ रमेश दत्ता को भी वहाँ पर देखा होगा जो राउंड दी ब्लाक लोगों से चाय के लिए पूछ रहे थे और सेवा कर रहे थे। यदि आपकी सहानुभूति इन लोगों के साथ थी तो आप इतने बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, आप यह बताएं कि आपके कितने स्वयं सेवक वहाँ पर काम कर रहे थे? आप खाली

जवानी सहानुभूति दिखा कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इतने बड़े राजनीतिक दल के आप नेता हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनकी सहायता के लिए कौन से कदम उठाये ? मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं आपकी आलोचना को सही मानता हूं, लेकिन आलोचना करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कदम उठाये जिससे लोगों को राहत मिलती? खाली गाली देना बहुत आसान है। खाली होम मिनिस्टर के इस्तीफा देने से उनको जिन्दगी नहीं मिल सकती है। इस तरह आप ऊंचा बोल कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहें यह अच्छी बात नहीं है।

माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने रचनात्मक सुझाव दिये जिनसे हमारे पुरातत्व विभाग को समझना चाहिए कि वह भविष्य में क्या कदम उठायें जिससे ऐसी दुर्घनायें न हों। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि इस तरस की दुर्घटना हुई। यह पुरातत्व विभाग के लोगों के लिए एक चेतावनी है और आगे के लिए उनको ठोस कदम उठाने चहिए। और जो विरोधी दलों का कर्तव्य होता है वह यह है कि रचनात्मक सुझाव दें जिससे इस तरह की घटनायें न घटें और देश के लोगों को इस तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। रचनात्मक बातें कह कर ही आप देश का भला कर सकते हैं।

मैं चाहूंगा भगवान जहाँ मृतकों को सदगति दे वहाँ विरोधी दल के लोगों को भी सद्बुद्धि दें जिससे वह रचनात्मक सुझाव दें। मैं समझता हूं ऐसी सद्बुद्धि हमारे नेताओं को मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इन नेताओं की अकल पर रोता हूं और चाहता हूं कि कम से कम ऐसे समय में वह देश की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, शुक्रवार से सभा कुतुब मीनार में पैंतालीस व्यक्तियों की मृत्यु के लिए शोक मनाने के लिए स्थगित हुई और आज इस दुखद घटना पर दिल से चर्चा कर रहे हैं। हमें इमानदारी से कुछ आत्मविश्लेषण करना चाहिये। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह पुरातत्व विभाग की विफलता के कारण हुआ, कुछ कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की असफलता है, कुछ ने ऊर्जा मंत्रालय को भी इसमें घसीटा है तथा कुछ ने यह भी जिक्र किया है कि विधि मंत्रालय ने भी अच्छा वर्ताव नहीं किया है। मैं जो महसूस करता हूं वह यह है कि यह मनोवैज्ञानिक असफलता है।

मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं। मैं गैर-राजनीतिक भाषण देकर राजनीति नहीं चलूंगा और मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं कि वह राष्ट्र में इस मनोवैज्ञानिक असफलता के लिए जिम्मेदार है। बत्तिया गुल हो सकती हैं और जो भी यांत्रिकी एहतिहात बरतें फिर भीं शत् प्रतिशत गारंटी नहीं हो सकती है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि एक जनरेटर का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जनरेटर भी काम नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि यांत्रिकी असफलता न हो इसकी शत प्रतिशत गारंटी नहीं हो सकती है। किन्तु यदि फिर भी विफलता होती है तो भी लोगों को आतंकित क्यों होना चाहिए ? यदि आग, भूचाल, बाढ़ आदि ऐसी कोई बात नहीं थी

और रोशनी थी तथा अंधेरा हो गया था तो भी यह सब क्यों होना चाहिए ? प्रो० दण्डवते मैं बुक आफ जेनेसिस से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। इस पुस्तक के अनुसार ईश्वर ने अंधेरे से प्रकाश बनाया और इनसे आगे रचना हुई। प्रकाश और अंधेरा दो मूल चीजें हैं। यदि अंधेरा भी हो गया था तो भी लोगों को आतंकित क्यों होना चाहिए था ? भय और असुरक्षा की भावना क्यों होनी चाहिए थी ? यदि दरवाजे भी बन्द हो गये थे तो भी लोगों को दरवाजे की ओर भागना चाहिए था ? यह भावना क्यों पैदा हुई ?

आज हमने समाचारपत्रों में अहमदाबाद में आग लगने की खबर पढ़ी जिसमें साठ व्यक्ति जल कर मर गये। हम एक विपदा का सामना करने में असफल रहे। हम अनुशासनपूर्वक एक संकट का सामना करने में असफल रहे। इस नैतिक और मनोवैज्ञानिक पतन के लिए कौन जिम्मेदार है? आप माननीय असफलता की क्षति पूर्ति यांत्रिकी कुशलता से नहीं कर सकते। जो ऐसा कहते हैं वे मूर्ख हैं। माननीय असफलता की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। हम आज माननीय असफलता तथा सन्देह की भावना देखते हैं। हमें सन्देह है कि क्या भगदड़ हुई थी ? मैं अपने माननीय मित्र श्री वाजपेयी से पूरी तरह से असहमत हूं कि जहां भगदड़ होती है वहां छेड़खानी नहीं हो सकती है। एक भारतीय होने के नाते मैं नहीं सोच सकता कि लोग मृत्यु और भगदड़ की कीमत पर छेड़खानी करेंगे। यद्यपि गृह मंत्री इसकी बारीकी से जांच करवायेंगे किन्तु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल ही विचित्र बात है। एक भय की मनोवृत्ति बनी हुई है। अंधेरे के आवरण में यदि कोई कुछ करना चाहता है तो वह एक भावना की बात है। और मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं कि वह असुरक्षा की भावना पैदा करने तथा इस प्रकार की मनोवृत्ति बनाने और समाज में मनोवैज्ञानिक पतन लाने के लिए जिम्मेदार है।

प्रो० दण्डवते तथा दूसरे लोगों ने कहा है कि किसी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सत्ताधारी दल अथवा सरकार को पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा विचार है कि सभा को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसमें कहीं भी अंधेरा होने पर हम आतंकित हो जाते हैं। हमें समान अनुपात में जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी सभी दलों की संख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। मैं उन्हें इसकी अनुमति देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, क्या उन्होंने लिखा है ?

सभापति महोदय : नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विरोध नहीं करता किन्तु भविष्य में अध्यक्षपीठ से वैयक्तिक स्पष्टीकरण को लिखित रूप में पहले देने के लिए जोर नहीं करना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री दण्डवते को अनुमति दी गई है।

सभापति महोदय : श्री गांधी क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

आप सही कह रहे हैं। सामान्यतया वैयक्तिक स्पष्टीकरण लिखित रूप में आने चाहिए। किन्तु यहां एक सदस्य के बारे में गम्भीर आरोप लगाया गया है और सम्भवतः इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें इसे स्पष्ट करने का तत्काल मौका दिया जाना चाहिए। अतः इस स्थिति में मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : सभापति महोदय, नियम 357 के अधीन मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि जब मैं सभा में नहीं था तो मेरे एक माननीय सहकर्मी द्वारा अपमानजनक रूप में मेरा नाम लिया गया और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इस दुखद घटना-स्थल पर मैं फोटो खिचवा रहा था।

महोदय, इस दुर्घटना की खबर सुनते ही मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पहुंचने वाला मैं पहला संसद सदस्य था। चारों तरफ फोटो ग्राफर थे। फोटो ग्राफरों को रोकना मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था और कहा कि मुझसे व्यक्तिगत रूप में जो भी सहायता हो सके मैं उसके लिये तैयार हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की दुखद घटना में हमारे माननीय सहकर्मी बजाय उन लोगों के बारे में सोचने के जिनकी क्षति हुई, यह प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाये और अपना समय दूसरों के दुख से राजनीतिक लाभ उठाने में नष्ठ कर रहे हैं।

धन्यवाद।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : कहा गया है कि आप मुसकरा रहे थे।

श्री राजीव गाँधी : उन्होंने कहा है कि मैं मुसकरा रहा था।

सभापति महोदय : श्री गाँधी, कृपया इन बातों की परवाह न करें।

---

4 दिसम्बर, 1981 को कुतुब मीनार में 45 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यु और अन्य अनेक लोगों के घायल हो जाने के बारे में चर्चा

सभापति महोदय : अब शिक्षा मंत्री।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मान्यवर, आज सुबह से इस दुखद घटना का जिक्र हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सभा में भी

एक कलिंग एटेन्शन नोटिस था। वहां के सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और यह भी बताया कि आगे हमें क्या करना चाहिए, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं न हों। यहां भी कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। कुछ सदस्य अपनी भावना में बह भी गए और जो उनके दिल में उठा, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, जिनका जवाब मैं देना चाहती हूं।

श्री शास्त्री और श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह जानना चाहा कि कुतुब मीनार में एन्ट्री किस तरीके से होती है। वहां रेगुलेटिड एन्ट्री होती है। कुतुब मीनार सुबह 7 बजे खुलता है और एक दफा में 300 आदमियों को ऊपर भेजा जाता है, क्योंकि जमीन से लेकर पहली बालकोनी तक उसकी ऊंचाई 95 फीट है और उसमें 155 सीढ़ियां हैं। पहली बालकोनी के बाद बाकी सब बालकोनीज दर्शकों के लिए बंद हैं। ऊपर की बालकोनी में 40, 42, 45 आदमी ब-आसानी जाते हैं और फिर उतर जाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वह सीढ़ियों से एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से आते हैं। जब बाहर मालूम पड़ जायेगा कि पचास या अधिक बाहर निकल गए तो जो बाकी पचास क्यू में खड़े हैं उनको ही दाखिल किया जाता है इस गिनती के साथ। ऐसा नहीं होता कि अन्दर लोग पहले वाले हों और दूसरे दाखिल कर दिए जायें। यह चीज 22 साल से बराबर चल रही है जबसे इस पर टिकट लगाया गया है। यह इसका रेगुरेटेड तरीका एन्ट्री का है। जो उस दिन दुर्घटना हुई उसमें अफसोस की यही बात है कि हमारे कुछ बच्चे यह न समझते हुए कि ऊपर लोग हैं, और उसमें यह आप जानते हैं कि जवान बच्चे होते हैं, वे बस से निकले और फटाफट ऊपर भागे, मेरा ही बच्चा ऐसा कर सकता था, किसी का बच्चा ऐसा कर सकता है, जब वह जोश में होता है और हालीडे मूड में होता है। मुझे अफसोस है और मुझे अन्दाज होता है कि ऐसा ही हुआ होगा जो मुझे बताया गया। यह जो दुर्घटना हुई, पहले जो लोग गए थे; जो उतर रहे थे; एक स्कूल के बच्चे; अगर वह उतर जाते और ये साठ बाद में जाते तो शायद भगवान की कृपा रहती, लेकिन ऐसा न होने के कारण यह हुआ जिस का हमको सबको अफसोस है। तो एन्ट्री हमारी इस तरह से इसमें होती है।

शास्त्री जी ने यह भी पूछा था कि वहां हवा वगैरह कैसे जाती है, वेटिलेशन या सांस लेने के लिए क्या इन्तजाम था, तो जो सीढ़ियां हैं कोई 28, 30 या 35 सीढ़ियों के बाद एक अपर्चर वहां खुला हुआ है, काफी बड़ा खिड़की जैसा है। उसमें से रोशनी भी आती है और उसमें से हवा भी आती है। इस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक कई अपर्चर हैं जिनसे हवा बराबर आती है और रोशनी भी बराबर आती रहती है। यह जो शास्त्री जी ने पूछा कि हवा का इन्तजाम किस तरीके से है तो हवा का इन्तजाम इस तरीके से है?

वाजपेयी जी ने जिक्र किया कि मैंने बाहर की बात बतलायी कि बाहर क्या हो रहा था लेकिन अन्दर की बात मैं नहीं कह सकी। तो मैं अन्दर थी नहीं और न जिसने हमें बताया वह अंदर था, और न ही मैं समझती हूं कि अटल जी वहां पर थे। उन्होंने सुनी सुनायी बात कही है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा है।

यह कहा गया कि आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे जबकि जज साहब गए । इस सिलसिले में मैं आपसे बताना चाहती हूं कि चूंकि राज्य सभा का कालिंग अटेंशन था इसलिए मैं उनको बुलाकर उनसे जानकारी ले रही थी। मैं उनसे जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है । क्यों कि हम को तो पार्लियामेंट में बताना था, कहीं इधर उधर कहना था । पार्लियामेंट में हमको सच बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है । इसलिए मुझे जानकारी देने के लिए वे लोग सुबह से लेकर शाम पौने सात बजे तक शास्त्री भवन में मेरे दफ्तर में थे । ऐसी स्थिति में यह कहना कि ये लोग कैलस थे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जज को यह बात बतायी जा सकती थी ।

श्रीमती शीला कौल : उनके पास कोई इतिला नहीं थी कि जज साहब आने वाले हैं । अगर इतिला होती तो हम ऐसे नहीं हैं कि वहाँ न रहते ।

अटल जी ने कहा कि पहले किसी ने अफवाह उड़ायी कि कुतब में क्रैक्स आ गए । एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा था कि दो खण्ड गिर गए हैं इसलिए इस पर कालिंग अटेंशन होना चाहिए, आप जानते हैं कि ऐसी हालत में बहुत सी गलत अफवाहें फैला दी जाती हैं और वह केवल अफवाहें ही होती हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए ।

आज राज्य सभा में एक हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि उनका भांजा और उनका लड़का अकबर दोनों उस वक्त 4 दिसम्बर को कुतुब मीनार गए थे । उनका जो लड़का था उसने जब सीढ़ियां देखीं तो उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा । लेकिन जो भांजा था वह ऊपर चला गया । जब यह दुर्घटना हो गई तो जैसा अकबर ने आकर माननीय सदस्य को बतलाया, उनका कहना यह था कि वह लड़का लम्बा था इसलिए उसकी गर्दन बाहर रही और उसकी साँस नहीं घुटी । लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि उसने देखा एक लड़की का हाथ उसके गले में पड़ा हुआ है । वह सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या इसको आप यह कहेंगे कि वह लड़की उस लड़के को परेशान कर रही थी ? ऐसा नहीं था । वह बताते हैं कि किस तरीके से उस लड़की के जो कपड़े थे उनमें से सिर्फ नीचे का अण्डर-पैंट रह गया था । और बाकी सब कपड़े फट गए थे । जो अन्य महिलाएं और बहनें थीं उनके कपड़े भी फट गए थे । वैसे भी चलने में हम लोगों की साड़ी थोड़ी सी खिसक जाती है और ऐसी हालत में तो कहना ही क्या है ? यहाँ पर यह कहा गया कि उनके साथ मिसविहेव किया गया जिसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं । अगर आप चाहें तो राज्य सभा से यह जानकारी ले सकते हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही जी ने जिक्र किया कि किस तरह से लंदन के कोहरे में वहाँ एक बस में बच्चे तीन दिन तक अटके रहे । एक दुर्घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है कि पिछली जब लड़ाई हुई थी तो लंदन में जब सायरन बजता था तो सब लोग शेल्टर के लिए भागते थे ।

उसी तरह का सायरन बजा, पिकैडिली स्टेशन था, फटा-फट लोग भागे, और जब बहुत पब्लिक भागी तो उसमें एक आदमी या औरत थी, उसका पैर फिसल गया । उसका फिसलना था

और उसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जो बदकिस्मती से हमारे यहां भी कुतुब मीनार में हुआ। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पुरानी तस्वीर याद आ गई लंदन की। उसमें भी कोई 70-75 आदमी उसी वक्त दम घुट कर मर गए। इस बारे में यदि आप चाहें तो उस जमाने के रिकार्ड से आपको यह जानकारी मिल सकती है। उस वक्त इत्तफाकन मैं वहीं थी।

मैंने तकरीबन सभी बातों को कवर कर दिया है और मैं मशकूर हूं माननीय दंडवते जी और श्री चन्द्रजीत यादव जी की उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं, वे मैंने सब लिख लिए हैं। इससे हमें ताकत भी मिलती है और जब हमें आर्केलांजिकल फण्ड्स के लिए पैसा चाहिए, तो आप सब मिलकर कहेंगे कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इस डिसकशन से जरूर हमें यह फायदा हुआ लेकिन बहुत अफसोस है कि वे बच्चे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आप जरूर इस बात से सहमत हैं कि आर्केलांजिकल डिपार्टमेंट में पैसे की कमी है और इस पर आपको ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए। मैं पुनः एक बार फिर कहती हूं कि मैं आप सबकी मशकूर हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। धन्यवाद।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, कुतुब मीनार पर जो पिछली चार तारीख को घटना हुई है, यह हृदयविदारक घटना है और इसके द्वारा देश शोकमग्न है। इस वाक्यात से मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई, संम्भवत 1954-55 की, जो कि इलाहबाद के कुंभ के समय घटी थी। उस समय मैं विद्यार्थी था। उस मौके पर इलाहाबाद में मैं वहां था और इन्सानों के पैरों से सैकड़ों की संख्या में इन्सान कुचलकर मर गए। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि वहाँ भी एक मानव असफलता को वजह से ही दुर्घटना हुई थी और यहाँ पर भी मानव असफलता हुई है, जिससे यह दुर्घटना हुई है।

मान्यवर, संभवतः लगभग पांच बजे उस दुर्घटना के दिन, मैं भी कुतुब मीनार गया था। उस समय वहां ताला बन्द था और चौकीदार द्वारा ताला खोल कर हम लोग वहां गए थे। करीब 35-40 सीढ़ियों के बाद 15-16 सीढ़ियों के बीच में सभी मृतक एवं घायल एक के ऊपर एक हो गए थे। देखा कि कुछ सीढ़ियों पर खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिनको देखने से ऐसा लग रहा था कि उपर से जैसे लोग भगे हों और सिर के बल गिरे हों और उनका सिर फट गया हो जिसकी वजह से काफी मात्रा में वहां खून पड़ा हुआ था और इसके साथ-साथ वहाँ चूड़ियों के टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। यह बात भी कही जा रही है कि यह घटना लाइट चले जाने के कारण हुई, जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है और कारपोरेशन ने यह भी कहा है—लाइट नहीं गई थी। अगर लाइट नहीं गई थी, तो क्या कारण था ? मैंने यह भी देखा है कि जहां स्वीच लगे हुए हैं, वहां दो स्वीच लगे हुए हैं। एक स्वीच तो उस बत्ती का है जो कुतुब मीनार के ऊपर लाल-बत्ती है और दूसरा स्विच अन्दर की लाइट का है लेकिन वे स्विच किसी भी बिजिटर के द्वारा, बिना खिड़की पर चढ़े थोड़ा झुक कर, आन तथा आफ किए जा सकते हैं यह हमने वहाँ प्रैक्टिकली जाकर देखा है। कोई भी सरारती व्यक्ति उस स्विच को आफ कर सकता था। हमारे प्रोफेसर दण्डवते साहब ने इलाहाबाद

यूनीवर्सिटी के कुछ विद्यार्थियों की चर्चा की है, उनमें जे० के० इंस्टीचूट के भी विद्यार्थी थे, उनमें से एक विद्यार्थी ने यह कहा है कि जब मैं उपर जा रहा था तो वहां जगह-जगह खिड़कियों पर कुछ ऐसे तत्व बैठे हुए दिखाई दिए जिनकी नीयत हमें डाउटफुल लग रही थी और इन लोगों ने ही स्विच आफ किया—ऐसा बयान भी उसने दिया है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए—यह जाहिर होता है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया। वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आदमी स्विच तक न पहुच सके।

मान्यवर, इस बात में भी काफी विश्वास करने के कारण हैं—जैसा न्यूजीलैंड की महिला-बैकी-का ब्यान आया है। पूना की उर्वशी शर्मा का भी बयान है—इन लोगों ने कहा है कि हमारे साथ अराजक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया। जैकी ने तो अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे गले में एक चेन थी उस को छीन लिया, घड़ी छीन ली गई और इस तरह का व्यवहार किया जिसको कहते हुए भी शर्म आती है। स्टेट्समैन ने उस की फोटो छापी है—उसको किसी ने अपनी कमीज दी तब उस ने अपनी लाज बचाई, वह आधी लुंगी पहने हुए थी। इन सब बातों को आउट-राइट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इन से स्पष्ट होता है कि इसमें अराजक तत्वों का हाथ था। इन परिस्थितियों के कारण वहां भगदड़ हुई, कुछ लोग सिर के बल नीचे गिरे और चंकि नीचे से ऊपर की ओर रेला जा रहा था इस लिये लोग बीच में दब गये।

मैं अधिक समय न लेकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है, यह पोलिटीकल बात नहीं है, लेकिन किसी-न-किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बगैर जिम्मेदारी के कैसे चल सकता है? प्रशासन की कहीं-न-कहीं तो गलती है ही। चौकीदार से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि मैं इतनी भीड़ को कन्ट्रोल नहीं कर सकता था, इस लिये मैं किनारे खड़ा रहा, लोग बेरोक-टोक जाते रहे, इतनी बड़ी संख्या में लोग ऊपर गये। कोई अधिकारी वहां नहीं था, सब ऐसे ही छोड़ दिया गया। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आप की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है?

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ये समयान्तर से जीर्ण-शीर्ण होती जा रही हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो।

एक पुलिस अधिकारी ने यह बयान दिया है कि पुलिस वहां पर 10 मिनट में पहुंच गई थी, यह बिलकुल गलत बात कही गई है, उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। वहाँ पर चौकीदार ने हमको बतलाया कि पुलिस एक घन्टे के बाद पहुंची। अखबार में लिखा है कि कल चौकीदार अवेलेबिल नहीं था, लेकिन उस दिन शाम को वह वहाँ था और उसने हमको बताया कि पुलिस एक घंटे के बाद आई। जनता के लोगों ने तमाम लाशों को निकाला, खिड़कियों से भी खींच-खींच कर निकाला···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): जनता के लोगों ने?

श्री बी० डी० सिंह : मेरा मतलब है सामान्य जनता ने ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने समझा कि इल्जाम लगा रहे हैं ।

श्री बी० डी० सिंह : इसके बाद यह बात और कहना चाहूंगा कि पता नहीं शिक्षा विभाग को सबसे कमजोर क्यों समझा जाता है और उसको उचित स्थान नहीं दिया जाता । इतना महत्व-पूर्ण विभाग है और इसमें कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : गृह मंत्री जी तो यहां हैं ।

श्री बी० डी० सिंह : मैं शिक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूं । इसके अन्तर्गत पुरातत्व विभाग भी है और शिक्षा मंत्रालय में हमारी एक राज्य मंत्री हैं । मुझे उनकी योग्यता या क्षमता या उनकी कार्य-प्रणाली के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, मेरा उनके बारे में कोई आरोप नहीं है और उनकी क्षमता सारा सदन जानता है लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है, तो उनको ही प्रोमोट कर दिया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : चेयरमैन साहब, आज के इस डिस्कशन में जो अति दुःखद घटना हुई है, उसकी चर्चा हुई और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह एक ऐसा वाकया है, जिसको सुन कर और देख कर पत्थर दिल भी आंसू बहाये बिना नहीं रह सकता । सरकार की यह प्रसिद्ध बात है कि अत्यन्त दुःख, अफसोस और अत्यन्त मुहब्बत, प्यार जो है, इनका न वर्णन किया जा सकता है । और न ये लिखे जा सकते हैं । सिर्फ महसूस किये जा सकते हैं ।

मैं उन मेम्बरों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं मैं उनका भी मशकूर हूं, जिन्होंने प्वाइन्ट आउट किया है कि हमारी क्या क्या गल्तियां हैं, जिनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए हालांकि मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसी दुर्घटना है, जिसमें किसी को दोष देना काफी मुश्किल है । फिर भी यह जूडीशियल इंक्वायरी इसीलिए की जा रही है कि कही कोई सुस्ती हो या कहीं कोई गलती हो, तो उसको देखा जाए और हम आयन्दा के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।

मेरा ख्याल था कि सब मेम्बर साहबान इस बात के लिए अफसोस करने के बाद हमें अपने सुझाव भी देंगे लेकिन कुछ मेम्बरों ने कटाक्ष भी किए । मेरा ख्याल था कि इसके लिए बड़े मौके आएंगे, बड़े मौके आते रहते हैं कटाक्ष करने के लिए लेकिन यह जो बच्चों की मौत हुई है, बालकों की मौत हुई है, वे किसी के दुश्मन नहीं थे, यह मैनमेड नहीं, यह किसी इन्सान की गलती से हो सकती है । उसके बाद जो उनको संभाला गया, उसमें कोई सुस्ती है या नहीं है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचा जा सकता है और हमको सोचना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि उन सब बातों का जवाब देने के लिए हाऊस का वक्त और खर्च करूं । शिक्षा मंत्री जी ने अपने विचार

कुछ उत्तर देने में दे दिए हैं और ज्यादातर जो वाजपेयी जी ने इशारा किया और उन का यह इतराज था कि मेरे स्टेटमेंट में और शिक्षामंत्री के स्टेटमेंट में अन्तर है, इसलिए हमको खबर नहीं है, हम जानते नहीं हैं, काफी कुछ वे कह गये। और कोई मौका आएगा, तो मैं उनका जवाब दे दूंगा लेकिन आज मेरा दिल भरा हुआ है। चेयरमैन साहब, जब मैंने इस वाकये को देखा, तो देखने के बाद मैं यहाँ पहुंचा। पी० एम० से बात की, वे वहीं थीं। मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद सब का दिल दुखेगा जब जाकर मैं यह खबर दूंगा और मेरा ख्याल है कि सब एग्री करेंगे इस बात से कि हाउस को एजौर्न कर दिया जाए। मैंने पार्लियामेंटरी एफयर्स मंत्री से कहा कि अभी यह दुख: दायी खबर पार्लियामेंट को दूं क्योंकि हमारा यह कर्तव्य है जबकि पार्लियामेंट सेशन में है। वह बात उन्हें बतायी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मगर स्टेटमेंट लिखित रूप में आये तो अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए इजाजत हम नहीं दे सकते, स्पीकर साहब से बात करनी होगी। स्पीकर साहब से बात की गयी, उन्होंने विरोधी दलों के लोगों से बात करके यह तय किया कि हाऊस एडजोर्न किया जाए। इस तरह से दोनों हाउस एडजोर्न हुए।

जो मेरे पास खबर थी, जो मैंने खुद भी सुनी थी और जो मुझे सरकारी अफसरों ने बतायी थी, वह मैंने सही, विना विस्तार के यहां रख दी। उस समय हमने इस पर ज्यादा कुछ कहना इसलिए भी ठीक नहीं समझा कि हम जुडिशियल इन्कवायरी सेट अप करने जा ही रहे हैं, अगर इस मामले पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो उससे तथ्य सामने नहीं आ सकेंगे।

हां जो मेम्बरों के सुझाव आये हैं उन पर हम गौर करेंगे और देखेंगे। मैं यह आशा रखता हूं कि हमारे जो जज साहब इन्कवायरी कर रहे हैं वे किसी भी पार्टी के छोटे या बड़े मेम्बर के जो स्टेटमेंट हैं उनकी प्रेरणा में वे न आकर के जो सही बात है वह हमें बतायेंगे। ताकि हम जो हमारा फर्ज बनता है उसको हम निभाएं और नेशन या देश में, देश में ही क्या दुनिया में भी ऐसी घटना फिर न घटे। इस घटना का हमको हमेशा पश्चाताप रहेगा।

जिन माताओं के बच्चे, जिन बहिनों के पति या जिन पिताओं के पुत्र इस दुनियां से चले गये हैं उनकी आंखों का अन्धेरा तो हम दूर नहीं कर सकते हैं हम ज्यादा हमदर्दी दिखा सकते हैं और यह हमारा फर्ज भी है। पांच-पांच हजार रुपया, मैं समझता हूं कि लाखों, करोड़ों से भी ज्यादा की इन्सानी जिन्दगी के लिए कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ प्रधान मंत्री के सहायता फण्ड, दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ और कुछ दूसरे प्रांतों की तरफ से हुआ है। एक मेम्बर का यह सुझाव था कि इन्डीबिजुअल भी हमें कुछ देखना चाहिए क्योंकि कहीं ज्यादा मदद की जरूरत होती है, कहीं कम मदद की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वे सहायता नहीं लेते और यह कहते हैं कि हमारे यहां कमी नहीं है। मेरे रिश्तेदार या पुत्र तो वापस आयेंगे नहीं, आप उनके नाम पर किसी इंस्टीच्युशन को यह दे दें। इसलिए आप इस बात को भी ध्यान में रखें। मैं आशा करता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं से हमारा देश बचता रहेगा और हम सबको यह सबक मिलेगा कि आइन्दा के लिए हर जगह पर हम इस बात का ध्यान रखें और सोचें कि कोई ऐसी घटना न हो।

आपको मालूम है कि अहमदाबाद में इस से बड़ी दुर्घटना हुई। आपके क्या कारण हैं आपको सरकार देखेगी। मेरी मोतवाना प्रार्थना है कि आप इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल न करें और मैं इस बात पर एतबार भी करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जरा आदत कुछ ऐसी हो गयी है कि चलते चलते गाड़ी पटरी से उतर जाती है। कई मेम्बरों ने कुछ न कुछ कहा है। मेरा विश्वास है कि उन्होंने वह अपने मनसे नहीं कहा उनका मन तो रो रहा था। इसलिए उसकी तरदीद करने की भी जरूरत नहीं है।

7.24 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1981/17 अग्रहायण, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक—एस० सी० सागर, बंगाल प्रिंटिंग प्रेस, ईस्ट पार्क रोड, दिल्ली